

मानक हिन्दी व्याकरण और रचना





राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

मानक हिंदी व्याकरण और रचना

(कक्षा 9–10 'अ' पाठ्यक्रम के लिए)

कैलाशचंद्र भाटिया   रमानाथ सहाय

रामजन्म शर्मा



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
सितंबर 1991 भाद्र 1913

छठा पुनर्मुद्रण
जनवरी 1998 पौष 1919

PD 50 T NSY

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस	108, 100 फीट रोड, होस्डेकेरे	नवजीवन ट्रस्ट भवन	सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग	हेली एक्सटेंशन, बनाशंकरी III इस्टेज	डाकघर नवजीवन	32, बी.टी. रोड, सुखचर
नई दिल्ली 110016	**बैंगलूर 560085**	**अहमदाबाद 380014**	**24 परगना 743179**

रु. 27.00

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा नीरू आर्ट प्रिंटर्स, 10/1, डी. एल. एफ. इण्डस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, नई दिल्ली 110015 द्वारा मुद्रित।

आमुख

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में विद्यालय स्तर पर विभिन्न शैक्षिक विषयों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक आदि के निर्माण का कार्य लगभग ढाई दशकों से हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के लागू होने के साथ ही ऐसी शिक्षण- सामग्री की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो नई शिक्षा- नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इस नीति में शिक्षा को बाल- केंद्रित बनाने और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। नई शिक्षा- नीति में भारत के राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक कुछ महत्त्वपूर्ण मूल्यों को केंद्रिक शिक्षाक्रम के रूप में स्थान दिया गया है। यह एक दूरगामी शिक्षा-नीति है और यदि इसका पालन सही ढंग से किया जाए तो भारत के नव-निर्माण में इससे महत्त्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।

नई शिक्षा-योजना की महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी बाह्य संरचना का गठन ही नहीं है, अपितु वह एक ऐसा परियोजन एवं दृष्टिकोण है जो शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ने पर बल देता है। इस दृष्टि से नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में निम्नलिखित सिद्धांतों का विशेष रूप से समावेश किया गया है :

1. ऐसी पाठ्यसामग्री एवं शैक्षिक क्रियाओं का समावेश, जिनसे बच्चों में राष्ट्रीय लक्ष्यों—जनतांत्रिकता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति चेतना एवं आस्था उत्पन्न हो और उनमें तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो।
2. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यसामग्री भारत की जीवन- परिस्थितियों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित हो और उनमें वांछित भावी विकास की दिशा भी परिलक्षित हो।
3. पाठ्यपुस्तकें बच्चों के भावात्मक एवं बौद्धिक विकास, चरित्र- निर्माण तथा स्वस्थ मनोवृत्ति की दृष्टि से प्रेरणादायी सिद्ध हों, उनके द्वारा छात्रों में स्वयं शिक्षा एवं अधिकाधिक ज्ञानार्जन की उत्कंठा जागृत हो और वे निर्धारित पाठ्य- विषय तक ही सीमित न रहकर विशद एवं व्यापक अध्ययन के लिए जिज्ञासु तथा तत्पर बने रहें।
4. नई शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यसामग्री के चयन में केंद्रिक शिक्षाक्रम से संबंधित विषय सामग्री एवं जीवन- मूल्यों पर विशेष बल हो।
5. वर्तमान एवं भावी जगत को सुखद- सुंदर बनाने वाली जीवन परिस्थितियों की ओर संकेत करने वाले पाठों का समावेश किया गया हो।

उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विविध विषयों के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण की योजना तैयार की गई है। पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला पूरी हो जाने के बाद परिषद् ने कक्षा 9-10 (अ कोर्स) के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना की एक ऐसी पुस्तक के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया, जो उक्त कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सार्थक एवं उपयोगी हो। इसके अंतर्गत परिषद् द्वारा 'मानक हिंदी व्याकरण और रचना' नामक यह पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक के व्याकरण खण्ड का लेखन प्रसिद्ध भाषाविद् प्रो० कैलाशचंद्र भाटिया एवं प्रो० रमानाथ सहाय ने किया। 'रचना' खण्ड को सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के रीडर डॉ० रामजन्म शर्मा ने तैयार किया। मैं इन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

इस संदर्भ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी समिति के अध्यक्ष एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के प्रो० डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के प्रति हम विशेष रूप से आभारी हैं जिनके निर्देशन में यह पुस्तक तैयार की गई।

परिषद् के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो० अर्जुन देव के प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार कराने में गहरी रुचि ली। श्री शिवप्रकाश भसीन एवं श्रीमती उषा कुमारी ने पुस्तक को तैयार करने में काफी सहायता की। मैं अपने इन सहयोगियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस कार्य को सभी दृष्टियों से परिपूर्ण एवं प्रामाणिक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक विशेषज्ञों, अधिकारी विद्वानों एवं शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया गया। इन सबके प्रति मैं विशेष रूप से अनुगृहीत हूँ।

आशा है, बालकों को हिंदी भाषा का सम्यक ज्ञान एवं उसके विश्लेष की योग्यता प्रदान करने में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक की विषय सामग्री के सुधार एवं परिष्कार की दृष्टि से भाषा- शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं वैयाकरणों द्वारा भेजे गए सुझावों एवं परामर्शों का हम सदा स्वागत करेंगे।

डा० के० गोपालन
निदेशक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में कृपापूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् निम्नलिखित विद्वानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है :

प्रो० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, अध्यक्ष, हिंदी समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली , श्री एस० पी० मित्तल, श्री हरीश्चंद्र, कुमारी के० वासुदेवा, डा० एस० सी० गुप्त, सदस्य, हिंदी समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रो० सूरजभान सिंह, प्रो० एम० जी० चतुर्वेदी, प्रो० चतुर्भुज सहाय, प्रो० ओ० एन० कौल, प्रो० दिलीप सिंह, प्रो० तेज भाटिया, डा० श्रीश कुमार, डॉ० टी० एन० सिंह, श्री निरंजन कुमार सिंह, डा० रामनिवास शर्मा, डा० शारदा भसीन, डा० अन्विता अब्बी, डा० महेन्द्र, डा० बिशन सिंह यादव, डा० श्यामबिहारी राय, डा० श्रीकांत उपाध्याय, डा० श्रीमती आशा दुबे, श्रीमती आशा विजय राव, डा० जी० बी० पाण्डेय, डा० सुरेश पंत तथा श्री नरोत्तम देव ।

गांधी जी का जन्तर

तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

मो. क. गांधी

अनुक्रम

(खण्ड क)

व्याकरण

(खंड ख)

रचना

(खंड ग)

परिशिष्ट

खंड क

व्याकरण

अध्याय 1

हिंदी भाषा : परिचय

1. भाषा क्या है

अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के हमारे पास अनेक साधन हैं। रेलवे में हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग-अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट/गाइड अपनी बात कहने के लिये कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। बच्चा भी हँसकर या रोकर अपने भाव प्रकट करता है। यह सब संकेत की भाषा है, लेकिन इन संकेतों, इशारों और चिह्नों को सही मायने में *भाषा* नहीं कह सकते। *भाषा* तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि-संकेतों को कहते हैं, जो मानव मुख से निकले हों।

मानव मुख से निकले ये ध्वनि संकेत व्यवस्था में बँधे होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों एवं पदों के निर्माण, वाक्यों की रचना आदि में मिलती है। उदाहरणार्थ हिंदी की ध्वनि विषयक व्यवस्था के अनुसार 'प्क' 'प्त' जैसे व्यंजनों से शब्द का आरंभ नहीं हो सकता जबकि 'प्य' 'प्र' आदि से (प्यासा, प्रेम आदि) हो सकता है। इसी प्रकार हिंदी वाक्य रचना में क्रिया की अन्विति कर्ता आदि से होती है। यह व्यवस्थाबद्ध होना ही मानव भाषा को पशु- पक्षी की भाषा से भिन्न करता है।

भाषा के ध्वनि- संकेत कुछ खास अर्थों में रूढ़ होते हैं अर्थात् किस प्रकार के ध्वनि समूहों (शब्दों) से किस प्रकार का अर्थ व्यक्त होगा, इसका विधान हर भाषा में अलग- अलग होता है। उदाहरण के लिए एक ही वस्तु के लिए हिंदी में *जल*, तमिल में *तन्नी*, उर्दू में *आब* और अंग्रेजी में *वाटर* शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार एक ही शब्द एक भाषा में एक

अर्थ रखता है, दूसरी भाषा में कुछ और जैसे *कम* हिंदी में न्यूनता बताता है लेकिन अंग्रेजी में *आना* क्रिया का भाव प्रकट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा में शब्द और अर्थ का संबंध प्रायः रूढ़ होता है।

इससे भाषा के कई लक्षण स्पष्ट होंगे – भाषा मूलतः ध्वनि-संकेतों की एक व्यवस्था है, यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है, यह विचारों के आदान-प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि *भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिये रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है।*

(यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति)।

2. मौखिक और लिखित भाषा

सामान्यतः भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं – मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। मौखिक रूप मानव को सहज रूप में ही प्राप्त होता है जबकि लिखित रूप को सीखने में विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास- क्रम में भी पहले आता है और लिखित रूप बाद में। लेखन-क्रिया केवल एक युक्ति है, जिससे भाषा का उच्चरित या मौखिक रूप दृश्य-संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार लेखन, दिखाई पड़ने वाले प्रतीक- चिह्नों द्वारा भाषा को लिपिबद्ध करने का एक साधनमात्र है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए इन चिह्नों की व्यवस्था को *लिपि* कहते हैं। इन लिपि चिह्नों का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। जब हम कहते हैं कि कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि उसे अक्षर- ज्ञान नहीं है अर्थात् वह साक्षर नहीं है – उसे बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं। भाषा के मौखिक रूप को ही, निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए, लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है और यही लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का विपुल साहित्य हम हिंदी भाषियों को देवनागरी लिपि के माध्यम में आज प्राप्त है। समाज में एक-दूसरे को ही जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है, साथ ही वह ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है।

3. भाषा परिवार और भारतीय भाषाएँ

जिस प्रकार मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार भाषाओं का भी परिवार होता

है। किसी एक भाषा-परिवार की भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। समय के साथ-साथ एक भाषा बोलने वाली कई जातियाँ विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों या देशों में जाकर बसती चली गईं, जिससे उनकी भाषाओं में कहीं कम, कहीं ज्यादा परिवर्तन आता चला गया और इतिहास के क्रम में कई नई भाषाएँ बनती चली गईं। ऐसी भाषाएँ जो एक ही वंश या मूल भाषा से निकलकर विकसित हुईं या फैली हैं, एक भाषा-परिवार का निर्माण करती हैं। फिर उनके भी उपपरिवार बनते चले जाते हैं। हिंदी तथा उत्तर की अधिकांश भाषाएँ (बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि) *आर्य परिवार* की भाषाएँ मानी जाती हैं जिनका मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत स्वयं जिस मूल भाषा से विकसित हुई उसी से ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएँ भी निकली हैं, जिनकी आज अंग्रेजी, जर्मन आदि अनेक वंशज भाषाएँ हैं। इस समस्त परिवार को भारत-यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारत-यूरोपीय भाषा परिवार की वे भाषाएँ जो भारत में बोली जाती हैं *भारतीय आर्य भाषाएँ* कही जाती हैं। भारत में एक दूसरा भाषा परिवार द्रविड़ कुल है, जिसकी मुख्य भाषाएँ हैं : तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। विश्व में इन भारत-यूरोपीय और द्रविड़ भाषा परिवार के अतिरिक्त अनेक भाषा परिवार हैं।

4. भारतीय आर्य भाषा-परिवार

भारत-यूरोपीय भाषा परिवार की एक महत्त्वपूर्ण शाखा भारतीय आर्यभाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप हमें वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में इसे इन चार चरणों से होकर गुजरना पड़ा –

1. **वैदिक संस्कृत**
2. **लौकिक संस्कृत**
3. **पालि और प्राकृत**
4. अपभ्रंश

5. हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है जिसका प्रचलन एवं प्रयोग 500, से 1000 ई. के बीच हुआ करता था। देश में उस समय अपभ्रंश के कई रूप प्रचलित थे। (जैसे शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री) इन्हीं से विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं की धारा निकलती है। अपभ्रंश स्वयं पालि-प्राकृत से विकसित है और पालि-प्राकृत वैदिक संस्कृत से।

आर्य परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख हैं : हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं में न केवल संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बल्कि व्याकरण के कई रूप भी इनमें समान या लगभग समान हैं। यही कारण है कि भारतीय आर्य परिवार की इन भाषाओं को परस्पर समझने या सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती।

किसी भी भाषा पर केवल अपने परिवार की अन्य भाषाओं का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पड़ोसी भाषाओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। चाहे वे भाषाएँ अन्य भाषा परिवार की हों। भारत के दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ हैं, जिनके साथ शताब्दियों से आर्य भाषाओं का संपर्क रहा है। फलस्वरूप दोनों परिवारों की भाषाओं के बीच न केवल संस्कृति की समान धारा बहती है बल्कि ध्वनि, शब्द तथा व्याकरण के स्तर पर भी परस्पर आदान-प्रदान का अद्‌भूत दृष्टांत मिलता है। संस्कृत भाषा के तत्व इन सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली दो प्रमुख भाषाएँ थीं – अरबी और फारसी, जिन्होंने विशेषतः उर्दू के माध्यम से हिंदी के शब्द-भंडार को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी प्रकार आजकल हिंदी के शब्द-भंडार तथा वाक्य-रचना को गहराई से प्रभावित करने वाली दूसरी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी का प्रभाव मुख्यतः ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में अधिक महत्त्वपूर्ण है।

6. हिंदी भाषा- परंपरा

जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है, जिसका विकास मुख्यतः उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी से मिलता है लेकिन 13वीं-14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली हिंदी में कविता (पहेलियाँ-मुकरियाँ) रचीं –

एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर औंधा धरा।
चारों ओर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे।

उत्तर भारत की खड़ी बोली को मुसलमान दक्षिण ले गए जहाँ दक्कनी हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। अरबी- फारसी में लिखी इस भाषा को *दक्कनी उर्दू* नाम मिला। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा के रूप में ही व्यापक रूप से प्रयुक्त होती रही, साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं। इसका कारण यह था कि उस युग में ब्रजभाषा और अवधी काव्य की भाषाएँ थीं। ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधी को तुलसीदास ने और मैथिली को विद्यापति ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। उधर राजदरबार में फारसी राजकाज की

भाषा थी । अतः खड़ी बोली इन क्षेत्रों में उपेक्षित-सी रही, लेकिन समस्त उत्तर भारत में जनसंपर्क की यही एकमात्र सशक्त भाषा थी ।

जनसंपर्क की भाषा में बहुत बड़ी शक्ति होती है । 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब ज्ञान-विज्ञान का प्रसार हुआ और इसे लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता महसूस हुई तो खड़ी बोली, जो जन-संपर्क की भाषा के रूप में सबसे अधिक व्यापक थी, सहज रूप से सर्वग्राह्य भाषा के रूप में उभर कर सामने आई । नए ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के लिए गद्य की आवश्यकता थी और बोलचाल की भाषा की आवश्यकता थी किंतु परंपरागत रूप से ब्रजभाषा तथा अवधी दोनों पद्य काव्य और साहित्य की भाषाएँ थीं । जनसंपर्क की भाषा के रूप में पहले से ही प्रचलित खड़ी बोली का चयन ज्ञान-विज्ञान के गद्य साहित्य के लिए सहज था ।

मुद्रण का आविष्कार, अंग्रेजी गद्य साहित्य का भारत में प्रसार, राजनीतिक चेतना का उदय, पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार, लोकतंत्र की ओर सामूहिक रुझान, सामान्य जन तक संदेश पहुँचाने का आग्रह, शिक्षा का प्रसार आदि कई ऐसे अन्य कारण रहे, जिन्होंने मिलकर खड़ी बोली से विकसित हिंदी को न केवल उत्तर भारत की बहुप्रयुक्त भाषा के रूप में बल्कि समस्त देश की जनसंपर्क की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया । इस बीच हिंदी गद्य को निखारने तथा इसे परिनिष्ठित रूप देने में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद आदि अनेक विद्वानों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । जन समुदायों को संबोधित करने के लिए गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती तथा सुभाषचंद्र बोस आदि असंख्य नेताओं ने इसी हिंदी या हिंदुस्तानी का प्रयोग किया । सन् 1949 में संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होकर इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आकार प्राप्त कर लिया है ।

7. हिंदी-क्षेत्र तथा बोलियाँ

हिंदी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक फैला है । इनके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि देश के अधिकांश क्षेत्रों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है ।

मूलतः खड़ी बोली से विकसित होने के बावजूद हिंदी विभिन्न बोलियों के तत्वों से मिलकर बनी भाषा है । ब्रजभाषा तथा अवधी आदि का विपुल साहित्य समस्त हिंदी-भाषी क्षेत्रों की धरोहर है । हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपरा बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

हिंदी की बोलियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है :

1. *पश्चिमी हिंदी*– इसके अंतर्गत पांच बोलियाँ हैं – ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी (या बांगरू), बुंदेली और कन्नौजी। मध्यकाल में ब्रजभाषा प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। सूरदास, नंददास आदि कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना इसी भाषा में की। ब्रज में गीत काव्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के आसपास बोली जाती थी।
2. *पूर्वी हिंदी*– इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। तुलसीदास ने अवधी में प्रसिद्ध महाकाव्य *रामचरितमानस* की रचना की और मलिक मोहम्मद जायसी ने *पद्मावत* की। अवधी में प्रबंध-काव्य परंपरा विशेषतः विकसित हुई।
3. *राजस्थानी* – यह राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह का नाम है। इसकी प्रमुख बोलियाँ है – मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ोती, मेवाड़ी आदि।
4. *बिहारी* – इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ आती हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति की *पदावली* मैथिली में ही है।
5. *पहाड़ी* – इन भाषाओं के अंतर्गत मुख्यतः मंडियाली (हिमाचल की बोली), गढ़वाली और कुमाऊँनी बोलियाँ शामिल हैं।

8. राजभाषा हिंदी

14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार *संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी* है। हिंदी इन राज्यों की भी राजभाषा है— उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और केन्द्र शासित अन्डमान निकोबार। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने द्वितीय भाषा के रूप में इसे मान्यता दी है।

संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में इसके अध्ययन तथा प्रसार की व्यवस्था है। यह साहित्य के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम तथा तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है।

9. भाषा और व्याकरण

हर भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए अलग- अलग भाषाओं में सामान्यतः अलग-अलग ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। इस कारण ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों की रचना से संबंधित नियम भी हर भाषा

में प्रायः अलग-अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है।

व्याकरण मुख्यतः भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। शैक्षिक व्याकरण इन नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में एक प्रकार की मानकता आती है जो भाषा को परिनिष्ठित बनाने में सहायक होती है। विकास की आरंभिक अवस्था में भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्यगठन तथा अर्थों के रूपों में प्रायः प्रयोजन- रहित विकल्प मिलते हैं। किन्तु जैसे-जैसे भाषा विकसित होती जाती है, वैसे-वैसे उस के प्रयोग के रूप स्थिर होते जाते हैं। इससे भाषा के स्वीकार्य और अस्वीकार्य रूपों में भेद करना सरल हो जाता है। शैक्षिक व्याकरण का एक प्रयोजन यह भी है कि वह प्रचलित भाषा-प्रयोग का विश्लेषण कर समाज द्वारा ग्राह्य या सही भाषा रूपों का संकेत दे।

व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता। किसी भी भाषा-समाज के अधिकांश लोग या शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को व्याकरण आधार मानकर उस भाषा के व्याकरण की रचना करता है। इस प्रकार व्याकरण मूलतः समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। वह स्वयं अपने नियम बनाकर समाज को प्रयोग करने को नहीं कहता। समय के साथ-साथ भाषा में परिवर्तन होता जाता है और वैयाकरण भी उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर व्याकरण में यथावश्यक परिवर्तन करता चलता है।

व्याकरण में भाषा का विश्लेषण कई स्तरों पर किया जाता है — ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, पद के स्तर पर, वाक्य-रचना के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर। इस पुस्तक में हिंदी के संदर्भ में इन सभी विषयों पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न और अभ्यास

1. भाषा के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। (लगभग बीस-पच्चीस शब्दों में)
2. लिपि से क्या अभिप्राय है ?
3. भाषा के लिखित रूप का क्या महत्त्व है ?

4. भारत के मुख्य भाषा-परिवार कौन-कौन से हैं ? प्रत्येक की दो-दो भाषाओं के नाम बताइए।
5. ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के लिए खड़ी बोली का क्यों चयन किया गया ?
6. हिंदी की बोलियों को पाँच वर्गों में सामान्यतः रखा जाता है – प्रत्येक वर्ग का नाम बताइए।
7. संविधान में हिंदी की क्या स्थिति स्वीकृत है ?
8. आपके लिए व्याकरण पढ़ने की क्या उपयोगिता है ? (लगभग बीस-पच्चीस शब्दों में बताएँ।)
9. व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किन स्तरों पर किया जाता है ? नाम गिनाइए।
10. नीचे लिखे काव्य ग्रंथों को हिंदी की जिस बोली में लिखा गया है, उनको (✓) चिह्नत कीजिए –
    रामचरितमानस (तुलसीदास) – ब्रज/अवधी/मैथिली
    सूरसागर (सूरदास) – अवधी/खड़ी/ब्रज
    पद्मावत (जायसी) – मैथिली/ब्रज/अवधी
    पहेलियाँ (अमीर खुसरो) – खड़ी बोली/अवधी/ब्रज।

अध्याय 2

वर्ण-विचार

भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को *वर्ण* कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनिचिह्न (लिपि चिह्न) दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इस दृष्टि से शुद्ध उच्चारण के साथ-साथ सही लेखन के लिए वर्णों का महत्त्व है।

वर्णमाला : वर्णों के व्यवस्थित समूह को *वर्णमाला* कहते हैं।

मानक देवनागरी वर्णमाला

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ (ऋ) ए ऐ ओ औ
(मात्राएँ) ा ि ी ु ू (ृ) े ै ो ौ

अनुस्वार : ं (अं)
विसर्ग : : (अः)
व्यंजन : क, ख, ग, घ, ङ
च, छ, ज, झ, ञ
ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़
त, थ, द, ध, न
प, फ, ब, भ, म
य, र, ल, व
श, ष, स, ह
गृहीत : ज़, फ़, ऑ,

संयुक्त व्यंजन : क्ष, त्र, ज्ञ, श्र

हल् चिह्न (्) : सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिह्नों में 'अ' स्वर रहता है, जैसे क = क्+अ। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल् चिह्न लगाया जाता है।

वर्णों के दो रूप :

मानक रूप	*अमानक रूप*
अ	अ
ऋ	ऋ
ख	रव
छ	छ
झ	झ
ण	ण
ध	ध
भ	भ
ल	ल
श	श
क्ष	क्ष

स्वर : जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं, जैसे,

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, (ऑ)

	अग्र स्वर (जिह्वा के अग्रभाग से)	मध्य	*पश्च स्वर* (जिह्वा के पिछले भाग से)
संवृत (मुँह कम खुला)	ई इ		ऊ उ
विवृत (मुँह अधिक खुला)	ए ऐ	अ आ	ओ औ (ऑ)

यहाँ ऋ को नहीं लिया गया है क्योंकि हिंदी में यह उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। लेखन की दृष्टि से ऋ स्वर है, क्योंकि अन्य स्वर वर्णों की भाँति उसका भी मात्रा चिह्न होता है। यह 'रि' के समान उच्चरित होता है।

उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बाँट सकते हैं :

1. ह्रस्व स्वर
2. दीर्घ स्वर

ह्रस्व स्वर : जिन स्वरों को सबसे कम समय (एक मात्रा) में उच्चरित किया जाता है, उन्हें *ह्रस्व स्वर* कहते हैं। ये हैं– अ, इ, उ, (ऋ)। ह्रस्व ऋ का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे, ऋषि, ऋतु, कृषि आदि। यह कहा जा चुका है कि हिंदी में इस स्वर का उच्चारण 'रि' के रूप में होता है।

दीर्घ स्वर : जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें *दीर्घ स्वर* कहते हैं। ये स्वर हैं – आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर मात्र ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं हैं वरन् स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं।

इन स्वरों में से *ऐ* तथा *औ* का उच्चारण *संध्यक्षर* (संयुक्त स्वर) रूप में भी है, जैसे, 'ऐ' संध्यक्षर में अ+इ दो स्वरों का संयुक्त रूप है। यह उच्चारण तब होता है जब बाद में क्रमशः 'य' और 'व' आएँ, जैसे –

भैया = भइया	कौवा = कउवा
नैया = नइया	हौवा = हउवा

शेष स्थिति में ऐ और औ का उच्चारण शुद्ध स्वर की भाँति होता है, जैसे, मैल, कैसा, औरत, कौन आदि।

हिंदी में स्वरों में *दीर्घता* का विशेष महत्त्व है।

ह्रस्व रूप	**दीर्घ रूप**
कम	काम
कल	काल
दिन	दीन
जाति	जाती
कुल	कूल
सुत	सूत

ए तथा *ऐ* और *ओ* तथा *औ* में भी अर्थ-भेद होता है :

बेल	बैल
ओर	और

अंग्रेजी के डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि शब्दों में *आ* और *ओ* ध्वनियों के मध्यवर्ती दीर्घ स्वर '*ऑ*' का उच्चारण होता है। हिंदी के इन दीर्घ स्वरों से इसको भिन्न लिखने व बोलने के कारण इसका प्रचलन हो गया है।

स्वरों को होठों की आकृति के आधार पर भी दो वर्गों में बाँटा गया है, जैसे,

अवृत्ताकार : जिन स्वरों के उच्चारण में होठ (ओष्ठ) वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, उन्हें *अवृत्ताकार स्वर* कहते हैं, जैसे,

अ, आ, इ, ई, ए, ऐ, ।

वृत्ताकार : जिन स्वरों के उच्चारण में होठ (ओष्ठ) वृत्ताकार (गोल) होते हैं, उन्हें *वृत्ताकार स्वर* कहते हैं, जैसे,

उ, ऊ, ओ, औ, (ऑ) ।

अनुनासिक स्वर

सभी स्वरों के उच्चारण दो प्रकार से हो सकते हैं :

1. केवल मुख से।
2. मुख व नासिका दोनों से।

पहले प्रकार के स्वरों को निरनुनासिक कहते हैं, जबकि दूसरी विधि से उच्चरित स्वरों को *अनुनासिक* (अनुनासिकता के साथ) स्वर कहते हैं। लिखने में स्वर के ऊपर अनुनासिकता के लिए चंद्रबिंदु (ँ) का प्रयोग किया जाता है, किन्तु जब स्वर की मात्रा *शिरोरेखा* के ऊपर लगती है, तो चंद्रबिंदु (ँ) के स्थान पर मात्र (ं) बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे, कहीं, मैं, हैं, आँखें आदि।

निरनुनासिक स्वर	अनुनासिक स्वर
अ — सवार	अँ — सँवार
आ — बाट	आँ — बाँट
इ — बिध	इँ — बिँध(ना) — बिंध
ई — कही	ईं — कहीँ — कहीं
उ — उगली (उगल दी)	उँ — उँगली
ऊ — पूछ	ऊँ — पूँछ
ए — बूढ़े	एँ — बूढ़ेँ — बूढ़ें
ऐ — है	ऐँ — हैँ — हैं
ओ — गोद	ओँ — गोँद — गोंद
औ — चौक	औँ — चौँक — चौक

अनुनासिक स्वर (ँ) और अनुस्वार (ं) में मूल अंतर यही है कि *अनुनासिक स्वर* स्वर है जबकि *अनुस्वार* अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है।

अनुस्वार और अनुनासिकता के साथ आने वाले कुछ शब्दों में अर्थभेद भी होता है, जैसे,

अनुस्वार के साथ	अनुनासिकता के साथ
हंस	हँस (ना)

व्यंजन

जिन ध्वनियों के उच्चारण मे वायु रुकावट के साथ मुँह के बाहर आती है, उन्हें *व्यंजन* कहते हैं। यह रुकावट कई प्रकार की हो सकती है। हिंदी में निम्नलिखित व्यंजन हैं :

	अघोष अल्पप्राण	अघोष महाप्राण	सघोष अल्पप्राण	सघोष महाप्राण	नासिक्य
स्पर्श					
कंठ्य	क	ख	ग	घ	ङ
मूर्धन्य	ट	ठ	ड	ढ	ण
दन्त्य	त	थ	द	ध	न
ओष्ठ्य	प	फ	ब	भ	म
स्पर्श-संघर्षी					
तालव्य	च	छ	ज	झ	ञ

प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होगा :

अंतःस्थ	य	र	ल	व
ऊष्म (संघर्षी)	श	ष	स	ह
अन्य संघर्षी	फ़	ज़		(ख़, ग़)
उत्क्षिप्त	ड़ (अल्पप्राण)	ढ़ (महाप्राण)		
अयोगवाह	ं (अनुस्वार)	: (विसर्ग)		

अर्द्धस्वर : य, व

लुंठित : र

पार्श्विक : ल

व्यंजनों का वर्गीकरण

उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है :

1. स्थान
2. प्रयत्न

1. स्थान के आधार पर

व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों – कंठ, ताल, मूर्धा आदि के आधार पर किया जाता है :

कंठ्य (गले से) क, ख, ग, घ, ङ।
तालव्य (तालु से) च, छ, ज, झ, ञ तथा य और श।
मूर्धन्य (तालु के मूर्धा भाग से) ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़ तथा ष।
दन्त्य (दाँतों के मूल से) त, थ, द, ध, न।
वर्त्स्य (दंतमूल से) (न), स, ज़, र, ल।
ओष्ठ्य (दोनों होठों से) प, फ, ब, भ, म।
दंतोष्ठ्य (निचले होठ और ऊपर के दाँतों से) व, फ़।
स्वरयंत्रीय (स्वरयंत्र से) ह।

2. प्रयत्न के आधार पर

व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्री में श्वास का कंपन, श्वास (प्राण) की मात्रा तथा जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया का नाम प्रयत्न है।

2.1 स्वरतंत्री में श्वास का कंपन

इस आधार पर व्यंजन वर्णों के दो भेद हैं – अघोष और सघोष।

अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उनको *अघोष* कहते हैं; जैसे –
क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ (वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन) तथा फ़, श, ष, स।

सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, उनको *सघोष* कहते हैं; जैसे –
ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म (वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन) तथा ड़, ढ़, ज़, य, र, ल, व, ह व्यंजन। (सभी स्वर

सघोष होते हैं।)

2.2 श्वास (प्राण) की मात्रा

श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं– अल्पप्राण और महाप्राण।

अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें *अल्पप्राण* व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, ङ; च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म (वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम) तथा ड़, य, र, ल, व।

महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें *महाप्राण* व्यंजन कहते हैं, जैसे, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ (वर्णों के द्वितीय तथा चतुर्थ) ढ़, ह और न, म, ल ध्वनियों के महाप्राण रूप क्रमशः न्ह, म्ह, तथा ल्ह हैं। इनके लिए पृथक् से वर्ण चिह्न नहीं हैं।

2.3 जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध

इस आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है :

स्पर्श जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव (जीभ या होठ) दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है, जिससे वायु पूर्ण रूप से रुक जाती है उन्हें *स्पर्श* व्यंजन कहते हैं, जैसे, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। इसका एक उपवर्ग भी है, जिसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं, अर्थात् मुख के साथ- साथ नाक से बोले जाने वाले व्यंजन। अब हम 'प' या 'ब' का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से नहीं निकलती, लेकिन जब 'म' बोलते हैं तो हवा मुँह से कम और नाक से बहुत अधिक निकलती है। नासिक्य व्यंजन भी स्पर्श हैं। प्रत्येक वर्ग का पाँचवां व्यंजन नासिक्य स्पर्श है – ङ, ञ, ण, न, म।

स्पर्श-संघर्षी स्पर्श-ध्वनियों का एक उपवर्ग *स्पर्श- संघर्षी* ध्वनियाँ भी हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण भी स्पर्श-ध्वनियों की तरह ही होता है, लेकिन स्पर्श के बाद वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। स्पर्श ध्वनियों की तरह व्यवहार करने के कारण परंपरा से ये ध्वनियाँ स्पर्श कोटि की ही मानी जाती हैं जैसे – च, छ, ज, झ।

संघर्षी स्पर्श ध्वनियों में वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध होता है, जबकि संघर्षी ध्वनियों में वायु का अवरोध इस प्रकार रहता है कि वह घर्षण के साथ निकलता है। इन

ध्वनियों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। घर्षण के साथ हवा निकलने के कारण इन ध्वनियों को *संघर्षी* कहा जाता है। इन्हें ऊष्म ध्वनि भी कहा जाता है। हिंदी में ऊष्म ध्वनियाँ हैं– स, श, ष, ह और फ़ तथा ज़।

नोट अरबी-फारसी तथा अंग्रेजी के प्रभाव से जो व्यंजन ध्वनियाँ क़, ख़, ग़, ज़, फ़, हिंदी में आगत हैं, उनमें से 'क़' *स्पर्श* ध्वनि है और ख़, ग़, ज़, फ़, चारों संघर्षी हैं। ज़, फ़, दो ऐसी व्यंजन संघर्षी ध्वनियाँ है, जो अरबी- फ़ारसी तथा अंग्रेजी से आगत शब्दों में प्रयुक्त होती हैं। अतएव इनको भी स्थान के अनुसार विवेचन में सम्मिलित किया गया है।

अन्तःस्थ पारंपरिक वर्ण माला के बीच में स्थित होने के कारण य, र, ल, व को अंतःस्थ कहा जाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। परंपरा से इसमें य, र, ल, व चार वर्णों को रखा गया है। य और व को *अर्धस्वर* भी कहा जाता है।

उत्क्षिप्त जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें 'उत्क्षिप्त' कहते हैं, जैसे – ड़, ढ़।

अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार (.) और विसर्ग (:) को क्रमशः 'अ' के साथ 'अं' और 'अः' लिखा जाता है। यद्यपि परंपरानुसार इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है किन्तु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। संस्कृत व्याकरण की परंपरा में इन्हें *अयोगवाह* कहते हैं। इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। अयोगवाह के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। स्वर और व्यंजनों के मध्य की स्थिति होने के कारण ही इनको प्रारंभ में दी गई वर्णमाला में स्वरों के बाद स्थान दिया गया है।

अनुस्वार (ं) हिंदी में उसी वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर (समान) अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे – संकल्प (सङ्कल्प), संचय (सञ्चय), संताप (सन्ताप), संबोधन (सम्बोधन) य, र, ल, व, श, ष, स, ह से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे–संयम, संरक्षक, संलाप, संवाद, संशय, संसार, संहार।

हिंदी की वर्तनी में अब वर्ग के पंचमाक्षर – ङ्, ञ, ण्, न्, म्, के स्थान पर (अनुस्वार) का प्रयोग ही किया जाने लगा है ; जैसे संकल्प (सङ्कल्प)। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी तथा भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अब यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त कर चुका है।

पर जिन शब्दों में भिन्न नासिक्य व्यंजन हैं अथवा किसी पंचमाक्षर का द्वित्व

है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मूलतः पंचमाक्षर को लिखा जाएगा, जैसे – जन्म, निम्न, वाङ्मय, उन्नति, सम्मति, मृण्मय, पुण्य ।

विसर्ग (:) विसर्ग का उच्चारण अघोष 'ह्' व्यंजन के समान है, जैसे – स्वतः = स्वतह् । विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों में होता है, जो संस्कृत से तत्सम रूप में हिंदी में गृहीत हैं, जैसे – मनःस्थिति, अतः, प्रायः । 'दुःख' को अब 'सुख' के अनुकरण पर विसर्गरहित 'दुख' लिखा जाने लगा है पर तत्सम शब्द दुःखानुभूति में यह विद्यमान है । विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्त्व है अतएव इसकी चर्चा उस स्थान पर विशेष रूप से की गई है । जैसे हिंदी के 'छिः' शब्द में विसर्ग के दर्शन होते हैं ।

व्यंजन-गुच्छ जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं , तो उनको *व्यंजन- गुच्छ* कहा जाता है; जैसे – प्यास।शब्द के आदि में प्रायः दो तरह के व्यंजन गुच्छ मिलते हैं –

1. व्यंजन + य, र, ल, व
2. स+य र ल व से भिन्न व्यंजन

1.	क् + य = क्यारी	ग् + य = ग्यारह
	क् + व = क्वारा	ग् + व = ग्वाल
	क् + र = क्रम	ग् + र = ग्राम
	क् + ल = क्लेश	ग् + ल = ग्लानि
2.	स् + र = स्रोत	स् + ल = स्लेट (अं. शब्द)
	श् + य = श्याम	
	श् + र = श्री	
3.	स् + क् = स्कंध	स् + ट = स्टेशन (अं. शब्द)
	स् + त = स्तन	स् + थ = स्थल
	स् + न = स्नान	स् + प = स्पष्ट
	स् + फ = स्फूर्ति	स् + म = स्मारक

शब्द के मध्य तथा अंत में भी अनेक व्यंजन- गुच्छ मिलते हैं, जैसे – न्+त अन्त, र्+ग मार्ग, प्+त लुप्त, प्राप्त, म्+भ प्रारंभ आदि ।

व्यंजन-संयोग तथा द्वित्व

जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आता है और दोनों का उच्चारण अलग- अलग किया जाए तो व्यंजन-संयोग होता है । व्यंजन- संयोग में व्यंजनों को अलग- अलग लिखना

चाहिए; जैसे – जनता = जन्+ता, उलटा = उल्+टा शब्दों में क्रमशः न्+त तथा ल्+ट का संयोग है। 'जनता' तथा 'उलटा' के मूल शब्दों जन, उलट में 'अ' का अस्तित्व है, उच्चारण की स्थिति में उसका लोप हो जाता है। 'संत' में व्यंजन-गुच्छ (न्+त) है, जबकि 'जनता' में न+त का व्यंजन-संयोग है। एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मिलना 'द्वित्व' कहलाता है, जैसे – इक्का, धक्का, बच्चा, कट्टर, लड्डू।

'र' व्यंजन युक्त गुच्छ तथा संयोग

जब 'र' (स्वर रहित) किसी व्यंजन के पूर्व हो, जैसे – कर्म, वर्ष आदि।

जब 'र' (स्वर सहित) किसी व्यंजन के बाद हो, जैसे – प्रेम, क्रम आदि।

यही स्वर सहित 'र' ट और ड के साथ वर्तनी में कुछ भिन्न रूप ले लेता है; जैसे – ट्रेन, ड्रम।

नोट : दो व्यंजनों- त और श के साथ इसके विशिष्ट रूप बन जाते हैं –

त् + र = त्र जैसे – त्रिगुण, त्रिगुण

श् + र = श्र जैसे – श्रम, श्री आदि

अन्य संयुक्त व्यंजन

कुछ अन्य दो व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बिल्कुल बदल लेते हैं। ये हैं –

क् + ष = क्ष, जैसे, क्षमा, क्षेत्र।

ज् + ञ = ज्ञ जैसे, ज्ञान, ज्ञेय, यज्ञ।

(ज्ञ का उच्चारण ग् + य = ग्य के रूप में भी प्रायः किया जाता है।)

अक्षर *अक्षर* शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के लिपिचिह्नों के लिए होता आया है पर यहाँ *अक्षर* कुछ भिन्न अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है।

किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को *अक्षर* कहते हैं। उदाहरण प्रवाह में एक *स्वर* अथवा *व्यंजन* युक्त स्वर अक्षर है। 'अक्षर' केवल स्वर, स्वर तथा व्यंजन या अनुनासिकता सहित स्वर हो सकता है। वह छोटी-से-छोटी इकाई अक्षर है, जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है; जैसे – आ, जी, क्या आदि।

हिन्दी भाषा में अक्षर मुख्यतः निम्नलिखित हैं :

1. केवल स्वर, ओ, आ- ओ।
2. स्वर व्यंजन, अब, आज्, आँख्।
3. व्यंजन स्वर, न, खा, हाँ।

4. व्यंजन स्वर व्यंजन, घर्, देर्, साँप् ।
5. व्यंजन- व्यंजन स्वर, क्या, क्यों ।
6. व्यंजन- व्यंजन- व्यंजन स्वर, स्त्री ।
7. व्यंजन- व्यंजन स्वर व्यंजन, प्यास् ।
8. स्वर व्यंजन- व्यंजन, अन्त् ।
9. स्वर व्यंजन- व्यंजन- व्यंजन, अस्त्र ।
10. व्यंजन स्वर व्यंजन- व्यंजन, सन्त्, शान्त् ।
11. व्यंजन स्वर व्यंजन- व्यंजन- व्यंजन, शस्त्र ।
12. व्यंजन- व्यंजन स्वर व्यंजन- व्यंजन, प्राप्त, स्वर्ग् ।

नोट : अंत्य व्यंजन गुच्छ के साथ स्वर का अल्प उच्चारण भी मिलता है। अनेक स्थितियों में व्यंजन के अंत में स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है। परन्तु लिखते समय व्यंजन के अंत में स्वर रहता है।

जैसे – जनता; बोला जाता है – जन्ता

अक्षर-विभाजन – जिन स्थितियों में हिंदी में अक्षर का विभाजन होता है, वे इस प्रकार हैं–

स्वर- स्वर	हु- आ, आ- ओ
अनुनासिक स्वर- स्वर	कुँ- अर
स्वर- व्यंजन	अ- ति (अ- त् इ)
स्वर-अनुनासिक स्वर	हु- ईं
अनुनासिक स्वर-व्यंजन	बँ- धी
व्यंजन- व्यंजन	खट्- मल

हिंदी में एकाक्षरी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं और अनेकाक्षरी भी; जैसे –

एकाक्षरी शब्द	खा, आ, पी, हाँ, जा।
दो अक्षरी शब्द	आओ, चला, खाया, खटपट।
तीन अक्षरी शब्द	आइए, महिला, चलिए, जाइएं।
चार अक्षरी शब्द	आइएगा, प्रतिभाएँ।
पाँच अक्षरी शब्द	अध्यापिकाएँ ।

हिंदी की यह विशेषता है कि अक्षर के अंत में ह्रस्व अ का उच्चारण नहीं होता जो लिखने में प्रकट है; जैसे –

बकरा = बक्- रा
बोलना = बोल्- ना
खटपट = खट्- पट्

इस प्रकार लिखित रूप से उच्चरित रूप भिन्न हो सकता है; जैसे –

लिखित रूप	**उच्चरित रूप**
आज	आज़्
चलता	चल्ता
बरसात	बरसात्
मानसिक	मान्सिक्

बलाघात-अनुतान-संगम

बलाघात किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे *बलाघात* कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 'बलाघात' अक्षर के 'स्वर' पर ही होता है। किसी भी शब्द के सभी 'अक्षर' समान बल से नहीं बोले जाते। हिंदी में शब्दों के उच्चारण में बलाघात होता है लेकिन उसके कारण अर्थ- भेद उत्पन्न नहीं होता। हिंदी में अक्षर के बलाघात के निम्नलिखित मुख्य रूप दिखाई देते हैं –

1. एकाक्षर वाले शब्दों में बलाघात स्वभावतः उसी अक्षर पर होता है, वह, जो, ज्ल, आज आदि।
2. एकाधिक अक्षर वाले शब्दों में यदि सभी अक्षर ह्रस्व हों तो बलाघात उपांत्य (अंतिम से पूर्व) अक्षर पर होता है, जैसे – कमल, अगणित

नोट 'ह'/महाप्राण व्यंजन से युक्त अक्षर पर बलाघात पड़ता है, जैसे क-लह

3. तीन-चार अक्षर वाले शब्दों में यदि मध्य अक्षर दीर्घ हो तो बलाघात उसी पर पड़ेगा, जैसे –

मसा'ला, झूमे'गा, समा'धि

बलाघात शब्द स्तर पर भी देखा जाता है, जैसे –

निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों के बलाघात पर ध्यान दीजिए – तुम *जाओ*। (रुको मत, फौरन *जाओ*।)

आज *मैं* रामायण पढ़ूँगा। (कल किसी अन्य ने रामायण पढ़ने का काम किया आज *मैं* पढ़ूँगा) आज मैं *रामायण* पढ़ूँगा। (कल कुछ और पढ़ा था आज *रामायण* पढ़ूँगा।

अनुतान : बोलने में जो सुर का उतार-चढ़ाव (आरोह-अवरोह) होता है, उसे *अनुतान* कहते हैं। वाक्य स्तर पर इसका महत्त्व है पर शब्द स्तर पर भी इसका अवश्य महत्व है। एक ही शब्द 'अच्छा' की विभिन्न अनुतान से स्वीकृति के अर्थ में

प्रश्नात्मक रूप में, आश्चर्य के अर्थ में बोला जा सकता है, जैसे –

अच्छा – सामान्य कथन/स्वीकृति

अच्छा ? – प्रश्नवाचक

अच्छा ! – आश्चर्य

आमतौर पर लिखित भाषा में अनुतान को हम विराम चिह्नों से देखते हैं, जैसे – प्रश्नवाचक चिह्न, आश्चर्य या विस्मय के लिए विस्मयादिबोधक चिह्न। एक ही वाक्य में ये तीनों चिह्न तीन भिन्न अनुतानों का बोध कराते हैं :

यह बहुत अच्छी तस्वीर है ?

यह बहुत अच्छी तस्वीर है !

यह बहुत अच्छी तस्वीर है।

संगम उच्चारण में केवल स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण, उनकी दीर्घता, उनके संयोग और बलाघात का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता वरन् पदीय सीमाओं को भी जानना होता है। इनका सीमा-संकेत ही *संगम* कहलाता है। प्रवाह में किन अक्षरों के बीच में हल्का-सा विराम है और उसको जानना है। संगम वास्तव में इसी विराम का नाम है। संगम की स्थिति से बलाघात में भी अंतर आ जाता है। दो भिन्न स्थानों पर संगम से दो भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे –

सिरका = एक तरह का तरल पदार्थ

सिर + का = सिर से संबद्ध

जलसा = उत्सव (आज कालेज में जलसा है।)

जल + सा = जल की तरह

मनका = माला का मनका

मन + का = मन का (भाव)

इसी प्रकार व्यंजन और स्वर तथा स्वर और व्यंजन के मध्य भी संगम हो सकता है।

उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ और उनका निराकरण

शुद्ध भाषा लिखने- पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बड़ा महत्व है। हिंदी के संदर्भ में तो यह कथन और भी सत्य है, क्योंकि हिंदी ध्वन्यात्मक या नादानुगामिनी भाषा है। हिंदी में वर्तनी की जो अनेक अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं उसका एक प्रधान कारण अशुद्ध उच्चारण है।

नीचे उन शब्दों के उदाहरण दिये जाते हैं, जिनके उच्चारण में सामान्यतः अशुद्धियाँ होती हैं –

1. ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व

	अशुद्ध	शुद्ध
(क)	आधीन	अधीन
	आजकाल	आजकल
	दावात	दवात
	दावात	दावत
	हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप
(ख)	अहार	आहार
	चहिए	चाहिए
	नराज	नाराज
	परलौकिक	पारलौकिक
(ग)	बुद्धी	बुद्धि
	मुनी	मुनि
	कवी	कवि
	व्यक्ती	व्यक्ति
	क्योंकी	क्योंकि
	अतिथी	अतिथि
	पूर्ती	पूर्ति
	पुष्टी	पुष्टि
	हानी	हानि
(घ)	आर्शीवाद	आशीर्वाद
	पितांबर	पीतांबर
	निरसता	नीरसता
	बिमारी	बीमारी
	निरोग	नीरोग
	दिक्षा	दीक्षा
	सुराख	सूराख
	शुन्य	शून्य
	पुज्य	पूज्य
	पुर्ण	पूर्ण

(च)	मधू	मधु
	साधू	साधु
	पटू	पटु
	प्रभू	प्रभु
	दयालू	दयालु
	कृपालू	कृपालु
	पशू	पशु
	शिशू	शिशु

2. **नासिक्य व्यंजन की अशुद्धियाँ**

(क)	गँड़ेश	गणेश
	गड़ना	गणना
	रँड़भूमि	रणभूमि
	शरड़	शरण
	गुड़	गुण
	रामायड़	रामायण
	टिप्पड़ी	टिप्पणी
(ख)	गनेश	गणेश
	रनभूमि	रणभूमि
	शरन	शरण
	रामायन	रामायण
	टिप्पनी	टिप्पणी
	किरन	किरण
	प्रान	प्राण

3. **र, ल, ड़ के उच्चारण में अशुद्धियाँ :**

उजारना	उजाड़ना
लराई	लड़ाई

4. **व और ब की अशुद्धियाँ**

पूर्ब	पूर्व
बन	वन
बनस्पति	वनस्पति
बिष	विष

	बैदेही	वैदेही
	बाणी	वाणी
	बृष्टि	वृष्टि
	बर्षा	वर्षा

5. श, ष तथा स की अशुद्धियाँ

(क)	असोक	अशोक
	साखा	शाखा
	आदर्स	आदर्श
	विस्वास	विश्वास
	प्रसंसा	प्रशंसा
	सासन	शासन
	सूर्पणखा	शूर्पणखा
	नास	नाश
	सर्म	शर्म
	देस	देश
	सक्ति	शक्ति
	साम	शार्म
	साम	सायं
(ख)	अमावश्या	अमावस्या
	शंकट	संकट
	प्रशाद	प्रसाद
	नमश्कार	नमस्कार
	शुशोभित	सुशोभित
	शारांश	सारांश
	शाशन	शासन
(ग)	कस्ट या कश्ट	कष्ट
	रास्ट्र	राष्ट्र
	पुस्प या पुश्प	पुष्प
	भविश्य या भविस्य	भविष्य

6. ट के स्थान पर ठ, अथवा ठ के स्थान पर ट

संतुष्ठ	संतुष्ट

श्लिष्ठ	श्लिष्ट
घनिष्ट	घनिष्ठ
विशिष्ठ	विशिष्ट
निष्टा	निष्ठा
मिष्ठान्न	मिष्टान्न
अभीष्ठ	अभीष्ट

7. क्ष के स्थान पर छ

छमा	क्षमा
छुद्र	क्षुद्र
छेम	क्षेम
छेत्र	क्षेत्र
दीछा	दीक्षा
नछत्र	नक्षत्र
लक्ष्छण	लक्षण
विपछ	विपक्ष
शिक्ष्छा	शिक्षा
कछा	कक्षा

8. ऋ के स्थान पर र

श्रृंगार	शृंगार
किरपा	कृपा
प्रंथक	पृथक्
रिषि	ऋषि
ग्रहस्थ	गृहस्थ
ग्रहीत	गृहीत

प्रश्न और अभ्यास

1. वर्ण का प्रयोग किन दो अर्थों में होता है ?
2. वर्णमाला से क्या तात्पर्य है ?

3. स्वर किसे कहते हैं ? ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के दो-दो उदाहरण लिखिए।
4. स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताइए और दोनों के दो-दो शब्दों के उदाहरण दीजिए।
6. निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए :
   क, फ, ट, ग, द, ज, न, ल, ष, ह, ज़, म।
7. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :
   1. दीर्घ स्वर हिंदी में ---------- हैं।
   2. किसी भाषा के व्यवस्थित वर्ण- समुदाय को -------- कहते हैं।
   3. अंतःस्थ व्यंजन हिंदी में ---------- हैं।
   4. ---------- अयोगवाह कहते हैं।
   5. त वर्ग का उच्चारण स्थान ---------- है।
   6. दंतमूल से बोले जाने वाले व्यंजनों को --------- कहते हैं।
   7. ष और स -------- ध्वनियाँ हैं।
   8. प और फ -------- ध्वनियाँ हैं।
8. हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए :
   1. क, ख, च, छ अघोष ध्वनियाँ हैं। --------
   2. ख, घ अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। --------
   3. ओठ की आकृति के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। --------
   4. व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। --------
   5. अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। --------
9. व्यंजन- गुच्छ से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण सहित समझाइए।
10. अक्षर किसे कहते हैं ? एकाक्षरी और दो अक्षरी शब्द के उदाहरण दीजिए।
11. बलाघात किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए।
12. इन शब्दों को शुद्ध कीजिए :
    आधीन, सुसोभित, भूषन, अभीश्ट, साधू, रुपया, हानी, मिष्ठान, स्वास्थ, पूज्यनीय, कपह, निरोग, पुर्ण, रामायन, बर्षा।
13. निम्नलिखित शब्दों को सही ढंग से लिखिए :
    सांस, माँस, अंधेरा, रंगना, कागज, खतरा, खिड़कियाँ, आंधी, खबर, गम, जमाना, फायदा, टेलीफोन।
14. निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों की सहायता से सार्थक शब्द- निर्माण कीजिए :
    क्त, क्य, ख्य, ग्घ, ग्न, ग्य, क्र, च्छ, च्च, ज्य, ट्र, ड्र, प्त, प्य, ब्द, म्न, स्ट, स्त।

अध्याय 3

वर्तनी-विचार

भाषा के दो रूप होते हैं – उच्चरित रूप और लिखित रूप। उच्चरित रूप भाषा का मूल रूप है, जबकि लिखित रूप गौण एवं आश्रित। फिर भी उच्चरित रूप में दिया गया संदेश सम्मुख अथवा समीप-स्थित श्रोताओं तक सीमित रहता है और क्षणिक होता है, अर्थात बोले जाने के तुरंत बाद नष्ट हो जाता है, इसके विपरीत लिखित रूप में दिया गया संदेश समय की सीमा तोड़कर अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित (स्थायी) बना रहता है और स्थान की सीमा तोड़कर (व्यापक होकर) सुदूर विदेशों में स्थित पाठकों तक पहुँच जाता है। स्थायी और व्यापक बना रहना ही लिखित रूप की शक्ति है। यह लिखित रूप स्थायी और व्यापक बना रहे इसके लिए जरूरी है कि लेखन-व्यवस्था (लिपिचिह्न, लिपिचिह्नों के संयोजन, शब्द स्तर की वर्तनी, विराम चिह्न आदि) लंबे समय तक एक - से बने रहें, चाहे उच्चारण समय के साथ कम - ज्यादा बदल भी जाए।

वर्तनी : *वर्तनी* का शाब्दिक अर्थ है वर्तन यानी अनुवर्तन करना अर्थात् पीछे-पीछे चलना। लेखन व्यवस्था में *वर्तनी* शब्द स्तर पर शब्द की ध्वनियों का अनुवर्तन करती है। दूसरे शब्दों में, शब्द विशेष के लेखन में शब्द की एक- एक करके आनेवाली ध्वनियों के लिए लिपिचिह्नों के क्या रूप हों और उनका कैसा संयोजन हो यह वर्तनी (वर्ण संयोजन = अक्षरी) का कार्य है।

इस शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य का प्रयोग जब दैनिक कार्यों और ज्ञान- विज्ञान के प्रसार के लिए ज़ोरों से होने लगा तो लेखकों/संपादकों ने स्थानीय परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार शब्दों की वर्तनियों को अपनाया और वर्तनी में थोड़ी बहुत अनेक रूपता दिखाई पड़ने लगी। भारत सरकार ने इस प्रकार की अस्थिरता को दूर करने के लिए तथा वर्तनी

की एकरूपता के लिए कुछ निर्णय लिए, जिन्हें नीचे दिया जा रहा है –

संयुक्त वर्ण

(क) *खड़ी पाई वाले व्यंजन* – खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए; यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा — व्यास

नगण्य, — श्लोक

कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा — राष्ट्रीय

सभ्य, रम्य, शय्या, उल्लेख — स्वीकृत

यक्ष्मा

त्र्यंबक

अन्य व्यंजन – *क* और *फ* के संयुक्ताक्षर

(अ) संयुक्त, पक्का, रफ्तार आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त पक्का की तरह।

(आ) ङ, ट, ड, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ यथा : वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढ़ा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा : वांणमय लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न ब्रह्मा नहीं।

(इ) *र* के प्रचलित तीन रूप इस प्रकार हैं –
प्रकार, धर्म, राष्ट्र (प् + र), (र् + म), (ट् + र)

(ई) श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे "श्र" के रूप में न लिखा जाए। *त्* + *र* के संयुक्त रूप लिए *त्र* और *त्र* दोनों रूपों में से किसी एक प्रयोग की छूट है। किंतु "क्र" को "*कृ*" के रूप में न लिखा जाए।

(उ) संस्कृत के संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे उदाहरणार्थ : संयुक्त, चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अङ्क , द्वितीय, बुद्धि आदि।

विभक्ति चिह्न

(क) हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार से संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ; जैसे – *राम ने, राम को, राम से* आदि तथा *स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से* आदि। सर्वनाम शब्दों में से ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे– *उसने, उसको, उससे, उसपर* आदि।

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए; जैसे – *उसके लिए, इसमें से*।

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच *ही तक* आदि निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए; जैसे – *आप ही के लिए, मुझ तक को*।

क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक- पृथक लिखी जाएँ; जैसे – *पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं* आदि।

हाइफ़न (योजक) : हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे –
राम- लक्ष्मण, शिव- पार्वती- संवाद, देख- रेख, चाल- चलन, हँसी- मजाक लेन- देन, पढ़ना- लिखना, खाना- पीना, खेलना- कूदना आदि।

(ख) *सा* से पूर्व हाइफ़न रखा जाए; जैसे –
तुम- सा, चाकू- से तीखे

(ग) तत्पुरूष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं; जैसे भू-तत्व। सामान्यत: तत्पुरूष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है; जैसे – *रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या* आदि।

अव्यय *तक, साथ* आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ; जैसे – *आपके साथ,* यहाँ तक। हिंदी में *ही, तो, सो, भी, श्री, जी, तक भर, मात्र,* आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं; जैसे – *अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से* आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् ही लिखे जाने चाहिए; जैसे – *आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर* कर दे, मुझे जाने *तो* दो, काम *भी* नहीं बना, पचास रुपये *मात्र* आदि। सम्मानार्थक *श्री* और *जी* अव्यय भी पृथक लिखे जाएँ; जैसे – *श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी* आदि।

समस्त पदों में *प्रति, मात्र, यथा,* आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे; जैसे – *प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमितमात्र, यथासमय, यथोचित* आदि।

श्रुतिमूलक य व

(क) जहाँ श्रुतिमूलक *य, व* का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात्

किए- किये, नई- नयी, हुआ- हुवा, आदि में से (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए; जैसे – *दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक के लिए हुए, नई दिल्ली* आदि।

(ख) जहाँ "य" श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है; जैसे – *स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व* आदि यहाँ *स्थाई अव्यई भाव, दाइत्व* नहीं लिखा जाएगा।

अनुस्वार तथा अनुनासिकता-चिह्न (चंद्रबिंदु)

अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

(क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो एकरूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए; जैसे – *गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक* आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक का नहीं)। यदि पंचमाक्षर दोबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा जैसे वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, उन्मुख आदि। अतः वांमय, अंय, अंन, संमेलन, संमति, उंमुख आदि रूप ग्राह्य नहीं हैं।

(ख) चन्द्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजायश रहती है; जैसे – *हंस : हँस, अंगना : अँगना* आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) की छूट दे दी गई है; जैसे– नहीं, में, मैं।

हिंदीतर ध्वनियाँ

(क) अरबी-फ़ारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और उनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं; जैसे – *कलम, किला, दाग* आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ विदेशी शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना

आवश्यक हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक़्ते लगाए जाएँ; जैसे – खाना, ख़ाना, राज, राज़, फन, फ़न ।

(ख) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो- दो रूप बराबर चल रहे हैं । विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है; जैसे – गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ़, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान आदि ।

हल् चिह्न

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों में हिंदी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे – *महान, विद्वान* आदि के *न* में हल चिह्न न् नहीं लगाया जाए ।

ध्वनि परिवर्तन

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों- का त्यों ग्रहण किया जाए । अतः *ब्रह्मा* को *ब्रम्हा, चिह्न* को *चिन्ह, उऋण* को *उरिण* में बदलना उचित नहीं होगा । इसी प्रकार *ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार* आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं । इनके स्थान पर क्रमशः *गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार* ही लिखना चाहिए।

ऐ , औ का प्रयोग

हिंदी में *ऐ* (ै), *औ* (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है । पहले प्रकार की ध्वनियाँ हैं *और* आदि में है तथा दूसरे प्रकार की *गवैया, कौवा* आदि में । इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, ै; औ, ौ) का प्रयोग किया जाए । *गवय्या, कव्वा* आदि में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

पूर्वकालिक प्रत्यय

पूर्वकालिक प्रत्यय *कर* क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे – मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि ।

शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

प्रश्न और अभ्यास

1. निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप शुद्ध वर्तनी में लिखिए –
चिन्ह, ब्रम्हा, प्रसिध्द, वियालय, आव्हान, आल्हाद, स्वस्थ्य, सामर्थ, सौहाद्र, स्वास्थ।
2. निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए –
अनुग्रहित, श्रंगार, पृथ्वी, प्रथक्, द्रष्टि, पैतिक्र, क्रिया, प्रष्ट।
3. निम्नलिखित ईकारांत संस्कृत शब्दों के शुद्ध मानक रूप लिखिए –
स्थाई, उत्तरदाइत्व, आतताई, अनुयाई, सुखदाई।
4. निम्नलिखित हिंदी शब्दों को मानक वर्तनी के शुद्ध रूप में लिखिए –
परछायी, बिदायी, कलायी, कढ़ायी, अंगडायी, चारपायी, लड़ायी।
5. हिंदी के पढ़ाई जैसे ईकारांत दस शब्दों की सूची बनाइए।
6. निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध एवं मानक वर्तनी रूप लिखिए –
महत्व, झंडा, सम्भव, सम्वाद, संमेलन, वांमय।
7. नीचे अ स्तंभ में कुछ अमानक वर्तनी में अशुद्ध लिखे गए शब्द दिए गए हैं उन्हें ब स्तंभ में मानक वर्तनी में शुद्ध लिखिए

अ	*ब*
लड्डू, पथ्य, बुध्दु, उस ने, डिब्बो, रामने, सच्चा, रहे हैं, जाए गा, तीर सा नुकीला ऊँचा नीचा, चलते फिरते, विश्व-विद्यालय प्रचार्यजी, चहल-पहल, राज-कुमार, श्रीमतीजी मुझे, मेरे को,	

8. निम्नलिखित वर्णों के *मानक* रूप लिखिए :
अ, ख, ए, ध, भ, ल, छ।

अध्याय 4

संधि

संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है *मेल* या *मेल- मिलाप*। यह प्रायः दो तत्त्वों या घटकों के बीच होता है। किन्हीं कारणों से वे तत्त्व बिल्कुल पास-पास आ चुके हैं और पास-पास न रहें ऐसा कोई विकल्प नहीं है। व्याकरण में भी *संधि* शब्द का बिल्कुल ऐसा ही अर्थ है। शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थितियाँ सदैव आती हैं *जब दो शब्द (समास रचना में) या शब्द- शब्दांश (उपसर्ग- प्रत्यय शब्द रचना में या रूप रचना में) बिल्कुल पास आते हैं और वे मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक इकाई जैसे "शब्द" या "पद" बनाते हैं।* उदाहरणार्थ समास रचना को लें। *हिम+आलय* में दो शब्द हैं और मिलकर एक समस्त शब्द हिमालय बना रहे हैं, और इस कारण *हिम* के अंतिम अंश (लिखित रूप में प्राप्त ह्रस्व *अ*) और *आलय* के आरंभिक अंश (दीर्घ *आ*) दोनों इतने पास-पास आ गए हैं कि मेल अर्थात् संधि की अनिवार्य स्थिति आ खड़ी हुई है। यह संधि का ही परिणाम है कि अंतिम ह्रस्व *अ* और आरंभिक दीर्घ *आ* मिलकर *आ* बन गया है और इस प्रकार समस्त शब्द हिमालय बना। इसी प्रकार लड़कपन लड़का (-आ) + पन (-प) में संधि नियम से दीर्घ *आ* को ह्रस्व किया गया या बहू (-ऊ) + एँ (-ए) में संधि नियम से दीर्घ ऊ को ह्रस्व किया गया। *ध्यान रखें कि संधि ध्वनियों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं।*

अब निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए—

1. सत् (-त) + (-क) कर्म = सत्कर्म
2. सत् (त्) + (-ज) जन = सज्जन
3. गिरि (-इ) ± (-ई) ईश = गिरीश
4. इति (-ई) + (-आ) आदि = इत्यादि
5. दुः (:) + (-ज) जन = दुर्जन

6. मही (ई-) + (-ई) इंद्र = महींद्र
7. उत् (त-) + (-श) श्वास = उच्छ्वास
8. उत् (त-) + (-ह) हरण = उद्धरण
9. देव (अ-) + (-इ) इंद्र = देवेंद्र

यहां पास- पास आई ध्वनियों की निम्नलिखित स्थितियाँ दिखाई पड़ी हैं (यहाँ पहले घटक की अंतिम ध्वनि को *पूर्वध्वनि* और बाद वाले घटक की आरंभिक ध्वनि को *परध्वनि* संकेतित किया गया है) :

स्थिति (1) : *न तो पूर्वध्वनि में परिवर्तन, न परध्वनि में परिवर्तन।* जैसे -

सत् (- त्) + (-क) कर्म = सत्कर्म - सत्‌कर्म।

किंतु यहाँ दोनों घटक एक ही शिरोरेखा के नीचे हैं, "त् t" लिपि नियमों के अनुसार हुआ है।

स्थिति (2) : *पूर्वध्वनि में परिवर्तन,* किंतु *परध्वनि में नहीं।* जैसे –

सत् (त-) + (-ज्) जन = सज्‌जन - सज्जन
गिरि (ई-) + (-ई) ईश = गिरीश
इति (ई-) + (-आ) आदि = इत्यादि (इत्+य्+आदि)
दुः (:) + (-ज्) जन = दुर् + जन = दुर्जन

स्थिति (3) : *पूर्वध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं,* किंतु *परध्वनि में परिवर्तन।* जैसे –

मही (ई-) + (-इ) इंद्र = महींद्र

स्थिति (4) : *जब पूर्वध्वनि और परध्वनि दोनों में परिवर्तन।* जैसे –

उत् (त्-) + (-श) श्वास = उच्+छ्वास=उच्छ्वास
उत् (त्-) + (-ह) हरण = उद्+धरण=उद्धरण

ये दोनों तीसरी ध्वनि के रूप में भी आ सकते हैं; जैसे –

देव (अ-) + (-इ) इंद्र = देवेंद्र

संधि युक्त समस्त पद या समस्त शब्द को फिर से संधिपूर्व अवस्था में पहुँचाना संधि- विच्छेद कहा जाता है; जैसे –

हिमालय=हिम(अ-) + (-आ) आलय
जगन्नाथ = जगत् (त्-) + (-न) नाथ
पुनर्जन्म = पुनः (:) + (-ज्) जन्म

अब नीचे *संधि* और संधि नियमों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।

ऊपर दिए हुए सभी उदाहरण संस्कृत शब्दों के हैं पर इससे यह तात्पर्य नहीं है कि तद्‌भव शब्दों में संधि नहीं होती। हिंदी की प्रवृत्ति संयोगात्मक नहीं वियोगात्मक है फिर भी

संधि की प्रक्रिया मिलती है। इसी दृष्टि से हिंदी में संस्कृत के संधि नियमों का प्रभाव दिन-पर-दिन घटता जा रहा है। यही कारण है कि संधि नियम के अनुसार प्रयुक्त न कर अलग- अलग शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है; जैसे –

राम + अभिलाषा को रामाभिलाषा न कहकर राम-अभिलाषा

देवी + इच्छा को देवीच्छा न कहकर देवी-इच्छा

इसी प्रकार विदेशी आगत शब्दों में संधि नियम लागू नहीं होते। जैसे – कांग्रेस + अध्यक्ष को कांग्रेसाध्यक्ष, टिकट+आलय को टिकटालय नहीं लिखा जाएगा। यही बात अन्य कुछ शब्दों के साथ भी है, जैसे – राम+आसरे को रामआसरे लिखा जाएगा न कि रामासरे, बे+ईमान को बेईमान ही लिखा जाएगा। फिर भी हिंदी के अपने संधि-नियम जो विकसित हो गए वे इस प्रकार हैं –

1. महाप्राणीकरण तथा अल्पप्राणीकरण

1.1 *महाप्राणीकरण* : शब्द के अंत में अल्पप्राण ध्वनि के आगे यदि *ह* ध्वनि हो तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है, जैसे –

जब + ही = जभी

कब + ही = कभी

तब + ही = तभी

अब + ही = अभी

1.2 *अल्पप्राणीकरण* : कभी-कभी पहले शब्द की अंतिम महाप्राण ध्वनि का अल्पप्राणीकरण हो जाता है, जैसे –

ताख पर – ताक पर

दूध वाला –दूद वाला

2 **लोप** : कभी-कभी दो हिंदी शब्दों की संधि में किसी एक ध्वनि (वर्ण) का लोप हो जाता है, जैसे –

वहाँ + ही = वहीं

यहाँ + ही = यहीं

वह + ही = वही

यह + ही = यही

किस + ही = किसी

जिस + ही = जिसी

नक + कटा = नकटा

3. **आगम :** कभी-कभी दो स्वरों के बीच में *य* का आगम हो जाता है, जैसे –
कवि + ओं = कवियों
रोटी + ओं = रोटियों
नदी + ओं = नदियों
लड़की + ओं = लड़कियों

4. **ह्रस्वीकरण :** सामासिक पदों में पूर्वपद का दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है, जैसे –
4.1 मध्य स्वर का ह्रस्वीकरण
आम + चूर = अमचूर
हाथ + कड़ी = हथकड़ी
हाथ + कंडा = हथकंडा
कान + कटा = कनकटा
4.2 अन्त्य स्वर का ह्रस्वीकरण
बहू + एँ = बहुएँ
डाकू + ओं = डाकुओं
लड़का + पन = लड़कपन
मीठा + बोला = मिठबोला

5. **सादृश्यीकरण :** दो भिन्न ध्वनियाँ एकरूप हो जाती हैं, जैसे –
पोत + दार = पोद्दार

6. **स्वर-परिवर्तन :** विशेष रूप से सामासिक पदों में, जैसे –
पानी + घाट = पनघट इसी प्रकार "पनडुब्बी" ।
घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़ इसी प्रकार "घुड़सवार" ।
छोटा + पन = छुटपन इसी प्रकार "छुटभैया" ।

संस्कृत के शब्दों में तीन प्रकार के संधि नियम हैं –
1. स्वर संधि
2. व्यंजन संधि
3. विसर्ग संधि

1. **स्वरसंधि**

जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं । इस संधि के मुख्यतः दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि उपभेद हैं ।

1.1 दीर्घ संधि **:** ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ,

उ,आ जाएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, ऊ हो जाते हैं :

(क)	अ + अ = आ	मत- + अनुसार	= मतानुसार
	अ + आ = आ	भोजन + आलय	= भोजनालय
	आ + अ = आ	यथा + अर्थ	= यथार्थ
	आ + आ = आ	महा + आत्मा	= महात्मा
(ख)	इ + इ = ई	अभि + इष्ट	= अभीष्ट
	इ + ई = ई	गिरि + ईश	= गिरीश
	ई + इ = ई	मही + इंद्र	= महींद्र
	ई + ई = ई	रजनी + ईश	= रजनीश
(ग)	उ + उ = ऊ	सु + उक्ति	= सूक्ति
	उ + ऊ = ऊ	अंबु +ऊर्मि	= अंबूर्मि
	ऊ + उ = ऊ	वधू + उत्सव	= वधूत्सव
	ऊ + ऊ = ऊ	भू + ऊर्जा	= भूर्जा

ऋ के दीर्घ रूप ॠ युक्त शब्द (पितॄण) हिंदी में प्रयोग में नहीं आते हैं।

1.2 *गुण संधि* : यदि अ और आ के आगे इ या ई, उ या ऊ, ऋ स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर् हो जाते हैं, जैसे –

(क)	अ + इ = ए	देव + इंद्र	= देवेंद्र
	अ + ई = ए	नर + ईश	= नरेश
	आ + इ = ए	यथा + इष्ट	= यथेष्ट
	आ + ई = ऐ	रमा + ईश	= रमेश
(ख)	अ + उ = ओ	वीर + उचित	= वीरोचित
	अ + ऊ = ओ	जल + ऊर्मि	= जलोर्मि
	आ + उ = ओ	महा + उत्सव	= महोत्सव
	आ + ऊ = ओ	गंगा + ऊर्मि	= गंगोर्मि
(ग)	अ + ऋ = अर्	राज + ऋषि	= राजर्षि
	आ + ऋ = अर्	महा + ऋषि	= महर्षि

1.3 *वृद्धि* : ह्रस्व "अ" या दीर्घ "आ" से परे *ए* या *ऐ* हों तो दोनों मिलकर *ऐ* और "*ओ*" या "*औ*" हों तो *औ* हो जाता है :

एक + एक = एकैक

1.3.1 अ/आ/ए/ ऐ=ऐ मत + ऐक्य = मतैक्य

सदा + एव = सदैव

		महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
1.3.2	अ/आ+ओ/औ=औ	वन + ओषधि = वनौषधि
		परम + औदार्य = परमौदार्य
		महा + ओजस्वी = महौजस्वी
		महा + औषध = महौषध

1.4 *यण संधि* : यदि इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो इ/ई का य, उ/ऊ का व और ऋ का र हो जाता है, जैसे –

1.4.1	इ + अ = य	अति + अधिक = अत्यधिक
	इ + आ = या	इति + आदि = इत्यादि
	ई + आ = या	नदी + आगम = नद्यागम
1.4.2	इ + उ = यु	उपरि + युक्त = उपर्युक्त
	इ + ऊ = यू	वि + ऊह = व्यूह
1.4.3	इ + ए= ये	प्रति + एक = प्रत्येक
	ई + ऐ = ये	देवी + ऐश्वर्य = देव्यैश्वर्य
1.4.4	उ + अ = व	सु + अच्छ = स्वच्छ
	उ + आ = वा	सु + आगत = स्वागत
	उ + ए = वे	अनु + एषण = अन्वेषण
	उ + इ = वि	अनु + इति = अन्विति
1.4.5	ऋ + आ = रा	पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

टिप्पणी : नयन, नायक, पवन, नादिक, गायक, पावक, भावुक, आदि शब्द हिंदी में यौगिक/व्युत्पन्न नहीं हैं वरन् शब्द के रूप में व्यवहृत हैं ।

2. व्यंजन संधि

व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आ जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं ।

2.1 पहले (वर्गीय) वर्ण का तीसरे (वर्गीय) वर्ण में परिवर्तन :

दिक् + गज = दिग्गज

वाक् + ईश = वागीश

सत् + गति = सद्गति

सत् + वाणी = सद्वाणी

अप् + धि = अब्धि

2.2 पहले वर्गीय वर्ण के बाद "न" या "म" हो तो उस अघोष स्पर्श व्यंजन का

पाँचवें वर्ण में परिवर्तन

(अघोष स्पर्श)	(नासिक्य- पंचम वर्ण)
वाक् + मय	= वाङ्मय
षट् + मास	= षण्मास
जगत् + नाथ	= जगन्नाथ
सत् + मार्ग	= सन्मार्ग

2.3.1 "त्" या "द्" के बाद यदि ल हो तो त्/द् "ल" में बदल जाता है, जैसे –

उत् + लेख = उल्लेख

उत् + लास = उल्लास

2.3.2 त् या द् के बाद यदि ज/झ हो तो त्/द् "ज्" में बदल जाता है, जैसे–

सत् + जन = सज्जन

उद् + झटिका = उज्झटिका

2.3.3 त् या द् के बाद यदि ट/ड हो तो त्/द्, ट्/ड् में बदल जाता है, जैसे–

तत् + टीका = तट्टीका

उत् + डयन = उड्डयन

2.3.4 त् या द् के बाद यदि श् हो तो त्/द् का च् और श् का छ् हो जाता है, जैसे –

उत् + श्वास = उच्छ्वास

उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र

2.3.5 त् या द् के बाद यदि च्/छ् हो तो त्/द् का च् हो जाता है; जैसे –

उत् + चारण = उच्चारण

सत् + चरित्र = सच्चरित्र

2.3.6 त्/द् के बाद यदि ह हो तो त/द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध् हो जाता है; जैसे –

तत् + हित = तद्धित

3. जब पहले पद के अंत में स्वर (लिखित रूप में) हो और आगे के पद का पहला वर्ण "छ" हो तो छ के स्थान पर च्छ हो जाता है; जैसे –

अनु + छेद = अनुच्छेद

छत्र + छाया = छत्रच्छाया

4. जब पहले पद के अंतिम वर्ण "म" के आगे दूसरे पद का प्रथम वर्ण अंतःस्थ (य, र, ल, व) या उष्म (श, ष, स, ह) या अन्य स्पर्श व्यंजन हो तो *म* के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है; जैसे -

सम् + गम = संगम

अहम् + कार = अहंकार

सम् + वाद = संवाद

सम् + लाप = संलाप

सम् + रक्षण = संरक्षण

सम् + योग = संयोग

सम् + हार = संहार

सम् + चय / संचय

सम् + तोष / संतोष

सम् + बंध / संबंध

नोट : म् से पूर्व म् का द्वित्व जैसे –

सम् + मति = सम्मति

5. न् का ण् (णत्व विधि)

ऋ, र, ष से परे न् का ण् हो जाता है। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, श और स के व्यवधान से ण नहीं होता है; जैसे –

परि + नाम = परिणाम

राम + अयन = रामायण

प्र + मान = प्रमाण

दुर्जन, पर्यटन, रसना, अर्जुन, अर्चना, दर्शन, रतन में ण नहीं होता है।

6. स् का ष् (षत्व विधि)

स् के पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो स का ष हो जाता है।

अभि + सेक = अभिषेक

वि + सम = विषम

सु + सुप्ति = सुषुप्ति

नोट : विस्मरण और अनुस्वार इसके अपवाद हैं।

3. विसर्ग संधि

विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।

3.1 *(:) विसर्ग का ओ* – विसर्ग के पूर्व यदि "अ" और बाद में "अ" अथवा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य/र/ल/व हो तो *ओ* हो जाता है, जैसे--

मनः + अनुकूल = मनोनुकूल

अधः + गति = अधोगति

मनः + बल = मनोबल

वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध

3.2 विसर्ग के पूर्व *अ आ* को छोड़कर कोई स्वर हो और परे कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो विसर्ग का र/र् हो जाता है; जैसे –

निः + आहार = निराहार

निः + धन = निर्धन

दुः + जन = दुर्जन

आशीः + वाद = आशीर्वाद

3.3 विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का *श* हो जाता है; जैसे –

निः + चल = निश्चल

दुः + शासन = दुश्शासन

3.4 विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स् हो जाता है; जैसे –

नमः + ते = नमस्ते

निः + संतान = निस्संतान

दुः + साहस = दुस्साहस

3.5 विसर्ग के पूर्व इ/उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ष हो जाता है, जैसे–

निः + कलंक = निष्कलंक

चतुः + पाद = चतुष्पाद

निः + फल = निष्फल

3.6 *विसर्ग का लोप*: विसर्ग से पूर्व अ, आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर; जैसे–

अतः + एव = अतएव

3.7 विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे –

निः + रोग = नीरोग

निः + रस = नीरस

प्रश्न और अभ्यास

1. संधि किसे कहते हैं ?
2. संधि के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो- दो उदाहरण दीजिए ।
3. स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ? प्रत्येक संधि के दो- दो उदाहरण दीजिए ।
4. (क) निम्नलिखित में संधि- विच्छेद कीजिए –
   रेखांकित, लोकोक्ति, रजनीश, लघूत्तर, देवर्षि, महौषध, प्रत्येक, वाङ्मय, सद्भावना, जगदीश, उच्चारण, उद्धार, संकल्प, किंचित्, मनोविनोद, तमोगुण, अंतर्गत, दुष्कर, नीरोग, निर्विघ्न

   (ख) निम्नलिखित संधि- शब्दों के सही संधि- विच्छेद पर (✓) चिह्न लगाइए –
   1. न्यायालय = न्याया + लय, न्या + यालय, न्याय + आलय ।
   2. संघर्ष = सं + घर्ष, सम् + घर्ष, सम + घर्ष ।
   3. सूक्ति = सु + उक्ति, सु + उक्ति, सू + क्ति ।
   4. मनोकामना = मनो + कामना, मन: + कामना, मनोका + मना ।
   5. नमस्ते = नमस + ते, नमस् + ते, नम: + ते ।
   6. नीरस = नी + रस, नि + रस, नि: + रस ।
5. लोप और आगम से आप क्या समझते हैं ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।
6. निम्नलिखित में संधि करते हुये संधि का नाम भी बताइए –
   जब + ही, वहां + ही, किस + ही, कवि + ओं, नदी + ओं, आम + चूर, बहू+एँ, लड़का+पंन, पोत + दार, पानी + घाट, घोड़ा + दौड़ ।
7. निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए –
   अ + अ =
   अ + आ =
   अ + ई =
   इ + अ =
   अ + ई =
   ई + अ =
   उ + अ =
   अ + उ =
   आ + ऊ =
   ऊ + आ =
   इ + ई =
   अ + ए =
   अ + ऐ =

अध्याय 5

शब्द और शब्द-भंडार

विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन *भाषा* है। आप जब कभी कोई बातचीत करते हैं या लिखते-लिखाते हैं; तो किसी-न-किसी भाषा का सहारा लेते हैं। भाषाई अभिव्यक्ति के मूल में *शब्द* होते हैं, क्योंकि शब्द ही बातचीत या कथ्य में आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, गुणों, क्रियाओं आदि को प्रकट करते हैं और वाक्य बनाते हैं। आपने स्वयं यह अनुभव किया होगा कि बात-चीत करते-करते या परीक्षा में उत्तर लिखते-लिखते कभी-कभी आप अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि विचार या कथ्य के लिए *शब्द* मिल नहीं पाया है या जो मिला है वह आपको बहुत उपयुक्त नहीं लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि शब्द का भाषा में कितना अधिक महत्त्व है।

किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द- भंडार कहते हैं। किसी भाषा के समस्त शब्द-भंडार की गणना करना या सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। निरंतर प्रयोग में न आने के कारण कुछ शब्द हटते जाते हैं और सभ्यता के विकास के साथ नए-नए शब्द बढ़ते जाते हैं (जैसे, टी. वी., दूरदर्शन, किलो, लिटर, पोलीथिन, आकाशवाणी आदि शब्द बढ़े हैं; रत्ती, तोला, छटाँक, सेर आदि शब्द शहरी व्यक्ति के लिए लुप्त प्राय हैं)।

इस अध्याय में हम *शब्द* और *शब्दावली* का वर्गीकरण निम्नलिखित दृष्टियों से करेंगे—

(1) अर्थ की दृष्टि से
(2) प्रयोग की दृष्टि से
(3) इतिहास या स्रोत की दृष्टि से

(1) अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण

शब्द भाषा की अर्थ स्तर पर लघुतम स्वतंत्र इकाई है किंतु *शब्द* और *अर्थ* का प्रायः ऐसा अपरिवर्तनीय संबंध नहीं होता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ रहे। इस कारण अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हो जाते हैं :

(1) एकार्थी
(2) अनेकार्थी
(3) पर्यायवाची या समानार्थी
(4) विलोम या विपरीतार्थी

1. एकार्थी शब्द

एकार्थी शब्द वे शब्द हैं, जिनका सामान्यतः एक ही वाच्यार्थ हुआ करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि में आते हैं; जैसे – महात्मा गांधी, बी. आर. अंबेडकर, गोदावरी, बुधवार, जनवरी, संस्कृत (भाषा) आदि। कुछ अन्य संज्ञा शब्द भी इसी कोटि के हैं, जैसे–श्रद्धा, ऋषि, अहंकार आदि।

2. अनेकार्थी शब्द

अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ दे सकता है। जैसे *कल* शब्द के तीन अर्थ हैं– आगामी अगला दिवस, अतीत पिछला दिवस, मधुर ध्वनि। इस स्थिति को यदि चित्रित करें तो आरेख ऐसा बनेगा :

(शब्द) *कल* → आगामी (अगला) दिवस
→ अतीत (पिछला) दिवस (अर्थ)
→ मधुर ध्वनि

इस स्थिति को *अनेकार्थता* कहते हैं और *शब्द* को *अनेकार्थी*। इस प्रकार *अनेकार्थी शब्द वह शब्द है, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं*। अन्य अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण ये हैं –

कर – हाथ, किरण, हाथी की सूँड, टैक्स (आयकर)

मुद्रा – मुख का भाव, अंगूठी, सिक्का, मोहर

अलि – भौरा, सखी, कोयल

अब्ज – कमल, शंख, कपूर, चंद्रमा

अनेकार्थी शब्दों का एक भेद – *समरूपी* शब्द है। यहाँ शब्द, स्रोत की दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्रोतों – तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी – के होते हैं और यह स्वाभाविक है कि उनके अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं। ये रूप की दृष्टि से एक होते हैं (समरूपी) और ये वास्तव

में भिन्न-भिन्न शब्द हैं। इसका विचार उन्हीं को होता है जो इन स्रोत भाषाओं से परिचित हैं। इनका एक उदाहरण *बस* शब्द है। इस के तीन अर्थ हैं – सामने *बस* जा रही है, मोहन हमारे *बस* में नहीं, *बस* करो। इसका चित्रण निम्नलिखित आरेख से किया जा सकता है :

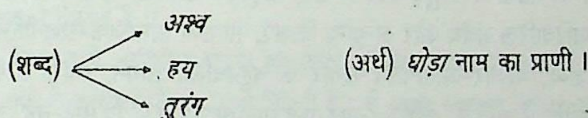
बस$_1$ (अंग्रेजी) → *बस* नामक वाहन
(समरूपी शब्द) *बस* बस$_2$ (संस्कृत) → *वश* (अर्थ)
बस$_3$ (फारसी) → *पर्याप्त*

इस प्रकार *समरूपी शब्द* वे *शब्द हैं जो स्रोतानुसार वस्तुतः भिन्न- भिन्न हैं किंतु सम (एक) रूप होने के कारण एक शब्द* लगते हैं *और उसके भिन्न- भिन्न अर्थ होते हैं*। कुछ समरूपी शब्द इस प्रकार हैं :

काम = काम (तत्सम) (कामदेव); काम (तद्भव) (कर्म)
काज = काज (तद्भव) (कार्य); काज (बटन का काज) (विदेशी)
पर = पंख ; लेकिन; ऊपर
आम = आम फल (तद्भव); कच्चा (तत्सम); सामान्य आदमी (विदेशी)

3. पर्यायवाची या समानार्थी शब्द

यह अनेकार्थी शब्द से बिल्कुल उलटा है। वहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते थे और यहाँ एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द होते हैं। नीचे आरेख देखिए:



ऐसी स्थिति जहाँ अनेक शब्द एक ही अर्थ देते हैं, पर्यायता (अनेकशब्दी-समानार्थी) की स्थिति होती है, और *अश्व, हय तुरंग* आदि एक दूसरे के पर्याय (समानार्थी) शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार *पर्याय शब्द वे शब्द हैं जो एक ही (वस्तु) के व्यंजक हैं*। अन्य पर्याय शब्दों के उदाहरण ये हैं :

रात – निशा, रात्रि, विभावरी, रजनी।
ईश्वर – भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, परमेश्वर।
फूल – पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम।
कमल – राजीव, पंकज, अरविंद, पद्म, सरसिज।

4. विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका *अर्थ* किसी अन्य शब्द के अर्थ से उलटा (विपरीत) होता

है। ये शब्द आपस में विपरीतार्थी शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं, जैसे –

शब्द$_1$ *सुख* → अर्थ *सुख* – दुख का विपरीत अर्थ

शब्द$_2$ *दुख* → अर्थ *दुख* – सुख का विपरीत अर्थ

यहाँ शब्द$_1$ और शब्द$_2$ एक दूसरे के *विलोम* या *विपरीतार्थी* हैं। इस प्रकार *वे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीतार्थी शब्द कहे जाते हैं।* अन्य उदाहरण हैं- जीवन-मरण, जड़-चेतन, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब आदि।

2. प्रयोग की दृष्टि से वर्गीकरण

प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से शब्द मोटे तौर से तीन प्रकार के होते हैं –

(1) सामान्य शब्दावली के शब्द

(2) तकनीकी शब्दावली के शब्द

(3) अर्धतकनीकी शब्दावली के शब्द।

1. सामान्य शब्दावली के शब्द

सामान्य शब्दावली वह शब्दावली है, जो भाषा-समुदाय के सभी सदस्य व्यक्तियों के सामान्य प्रयोग में आती है। शरीर के अंगों के नाम तथा शारीरिक क्रियाएँ, खान-पान एवं रहन-सहन की सामान्य वस्तुएँ और क्रियाएँ, प्राकृतिक परिवेश, अति परिचित जीव और वनस्पति, पारिवारिक संबंध और अन्यान्य क्रियाएँ, सामान्य सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक जीवन के शब्द, बाजार-आवागमन-संचार के बहुप्रचलित साधन, व्यक्ति और प्रक्रियाएँ आदि इसी कोटि में आते हैं, क्योंकि इनका उसी सामान्य रूप में प्रयोग छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, बच्चे- बूढ़े, साधारण-शिष्ट, अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित सभी करते हैं। जैसे – पानी, सूरज, हाथ-पैर, दूकान, माँ-बाप, ईश्वर आदि।

2. तकनीकी शब्दावली के शब्द

भाषा-समुदाय में शिक्षा (ज्ञान-विज्ञान) और व्यवसाय के क्षेत्रों में प्रायः ऐसी विशिष्टता आ जाती है कि एक का ज्ञानक्षेत्र दूसरे व्यक्ति के ज्ञानक्षेत्र से अथवा एक का व्यावसायिक जीवन दूसरे व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन से बिलकुल भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थितियों में ज्ञानविषय बद्ध अथवा व्यवसाय वर्ग बद्ध शब्दावली सीमित क्षेत्र वाली हो जाती है, *सामान्य शब्दावली* नहीं रह पाती। ऐसी शब्दावली प्रायः पारिभाषिक होती है और उनका ठीक-ठीक अर्थ परिभाषा द्वारा या विशेष विवरण देने वाले कथन द्वारा ही निकलता है। इन्हें तकनीकी भी कहते हैं। आप लोगों को विशेषकर विज्ञान के विषयों में ऐसे बहुत से शब्दों का सामना

करना पड़ा होगा, जैसे – बल, रेखा, अनुक्रिया, पूँजी, प्रदूषण, पर्यावरण आदि । प्रशासन, बैंक, न्याय, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ऐसे शब्द बहुतायत में मिलते हैं, जैसे – आयोग, कनिष्ठ, पदोन्नति, बंधपत्र, कार्यवृत्त सीमा शुल्क, उपबंध, जीवाणु-प्रतिरोधक आदि । साहित्य-व्याकरण में संधि, समास, उपमा, रूपक, दोहा, रस आदि ऐसे ही हैं ।

(3) अर्धतकनीकी शब्दावली के शब्द

इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो सामान्य व्यक्ति भी प्रयुक्त करते हैं और विशेषज्ञ भी, अंतर इतना होता है कि विशेषज्ञ का अर्थ परिभाषित और ठीक बँधा हुआ होता है जबकि सामान्य व्यक्ति का अर्थ शिथिल होता है । सामान्य व्यक्ति भी *रस* लेता है और साहित्यकार या साहित्यशास्त्री भी, किंतु दोनों में अंतर है । अर्धसैनिक बल (बी. एस. एफ.) *बल* (फोर्स) आम आदमी के *बल* से भिन्न है, यद्यपि दोनों में एक सीमा तक समानता है ।

(3) इतिहास या स्रोत की दृष्टि से वर्गीकरण

मनुष्य अपनी भाषा के सामान्य जीवन में आने वाले शब्द, अपने माता-पिता तथा अग्रजों से सीखता है और उसके माता-पिता तथा अग्रजों ने अपने माता-पिता तथा अग्रज़ों से सीखा था । इस प्रकार एक बड़ी मात्रा की शब्दावली विशेषतया *सामान्य शब्दावली* मनुष्य को विरासत में मिलती है ।

इस विरासत के अतिरिक्त मनुष्य को अपने से भिन्न भाषा समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क में आने के कारण नयी शब्दावली मिलती है । जो भाषा समुदाय जितना अधिक अन्य भाषा समुदाय के संपर्क में गहराई से आता है और एक की सभ्यता-संस्कृति अन्य की सभ्यता-संस्कृति से प्रभावित होती है, उतना ही अधिक शब्दों का, विशेषकर वस्तु-साधन-उपकरणों के नामों का *आदान-प्रदान* होता है । जहाँ दूसरा भाषा-समुदाय भाषी राजनीतिक दृष्टि से शासक के रूप में रहा है (जैसे--भारत में अरबी-फारसी लोग या अंग्रेज लोग) वहाँ उनके शब्द शासित वर्ग के लोगों को विवशतापूर्वक सीखने पड़े हैं, खासतौर पर प्रशासन-सेना-न्याय के क्षेत्र के या शासकों के वैभवपूर्ण जीवन के।

इसके अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान, उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यापार, प्रौद्योगिकी-नवीन यातायात-संचार व्यवस्था आदि की संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिये मनुष्यों को अपनी प्राचीन भाषाओं का सहारा लेना पड़ा है । उनसे निःसंकोच शब्द लिए हैं । पुराने अर्थों में या नए अर्थों में । उनके सहारे नए-नए शब्द भी गढ़े हैं । शुद्ध रूपों को लेकर या

संकर विधि द्वारा (मिला-जुला कर)। यह *नवसृजन* प्रगति और उन्नति के लिए अत्यावश्यक होता है।

हिंदी भाषी समुदाय को विरासत से प्राकृत-अपभ्रंश से होते हुए संस्कृत शब्द (इन सोपानों से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में भी) मिले हैं, जिन्हें *तद्भव* कहते हैं। विरासत में ही संस्कृत भिन्न भाषा बोलने वाले और समाज के आधार में स्थित जनजाति के लोगों से बड़ी संख्या में शब्द मिले हैं, जिन्हें हम *देशी* बोलते हैं। मध्यकाल में मुगल आदि और हाल में अंग्रेजों के शासन काल में बड़ी मात्रा में शब्दों का आदान हुआ है, जिन्हें हम *विदेशी* के नाम से पुकारते हैं। कुछ विदेशी शब्द इन शासकों से भिन्न भाषा वालों से भी आए हैं, जैसे– चीन आदि से। स्वतंत्रता के बाद हिंदी ने बड़ी मात्रा में नवप्रयोग या नवसृजन किया है और इस दिशा में संस्कृत का ही आश्रय लिया है – ये *तत्सम* शब्द हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग इसलिए भी बहुलता से करना पड़ा, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में संस्कृत शब्द सरलता से समझे-बोले जाते हैं। इस प्रकार हिंदी शब्दावली के *चार* मुख्य वर्ग हैं – (1) तत्सम, (2) तद्भव, (3) देशी, (4) विदेशी।

(1) तत्सम शब्द : जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किया गया है, वे तत्सम शब्द हैं, जैसे– पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या, विद्या, साधु, आत्मा, तपस्वी, विद्वान, राजा, पृथ्वी, नेता, ममता, अहंकार, नवीन, सुंदर, सहसा, नित्य, शनैः शनैः, अकस्मात्। कुछ नवनिर्मित के उदाहरण हैं – आकाशवाणी, दूरदर्शन, आयुक्त, उत्पादनशील, क्रयशक्ति, प्रौद्योगिकी आदि। संस्कृत ने अपने समय में अन्य भाषाओं से शब्दों का आदान किया था, किंतु आज हम उन्हें तत्सम ही मानते हैं – केन्द्र, होड़ा, यवन, असुर, पुष्प, नीर, गण, मर्कट, रात्रि, गंगा, कदली, तांबूल, दीनार, सिंदूर, मुद्रा, तीर आदि।

(2) तद्भव शब्द : संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ – सात (< सप्त), साँप (< सर्प), कान (< कर्ण), मुँह (< मुख), हाथी (< हस्तिन्), गाँव (< ग्राम), काज (< कार्य), अंधेरा (< अंधकार), खीर (< क्षीर), कुम्हार (< कुंभकार), दूध (< दुग्ध), नींद (< निद्रा), पीठ (< पृष्ठ), भाई (< भ्रातृ), मोर (< मयूर), भैंस (< महिषी), दही (< दधि), जीभ (< जिह्वा), जेठ (< ज्येष्ठ), अटारी (< अट्टालिका) सच (< सत्य), पक्का (< पक्व), धुआँ (< धूम), भीख (< भिक्षा) आदि।

कुछ तद्भव शब्द पुरानी हिंदी के समय में परिवर्तित हुए हैं, जैसे – किशन, करम, काजर, किरपा, पच्छी, भगत, रतन, परीच्छा आदि।

(3) देशी या देशज शब्द : देशी या देशज शब्द वे हैं, जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली, संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के हैं, जैसे – झाड़ू, टट्टी, पगड़ी, लोटा, झोला, टाँग, ठेठ आदि।

(4) विदेशी शब्द : ये शब्द अरबी- फ़ारसी या अंग्रेजी से प्रमुखतया आए हैं, क्योंकि भारत में मध्यकाल और आधुनिक काल में काफ़ी समय तक विदेशियों का राज्य था। शब्दों के उदाहरणं हैं :

अरबी- फ़ारसी अल्लाह, आक़ा, आफ़त, क़त्ल, कागज़, क़ानून, कैदी, ख़ून-ख़राब, ख़त, गरीब, ज़मींदार, जहाज़, ज़िला, दरोग़ा, फ़कीर, बाजार, बेगम, बर्फ़, बग़ीचा, सज़ा आदि।

अंग्रेजी आदि अफसर, कालेज, कोर्ट, कर्फ़्यू, टेलीफ़ोन, टिकट, राशन, डाक्टर, फीस, फुटबाल, नर्स, ट्यूब, टीम, मशीन, मिल, मोटर, यूनियन, पालिसी, पुलिस, टैक्सी, टोस्ट, गैस, इंजन, कमीशन, कापी, कालोनी, सिनेमा, स्कूल, स्टाप (बस स्टाप), हैट, पार्टी, डायरी, डिग्री, डेस्क आदि। अन्यभाषाओं से आलपीन, आल्मारी, इस्तरी, कनस्तर, कप्तान, गोदाम नीलाम, पादरी, संतरा, बालटी, साबुन (पुर्तगाली), काजू, कारतूस, अंग्रेज़ (फ्रांसीसी), रिक्शा (जापानी), चाय, लीची (चीनी)।

इन चार प्रमुख स्रोतों के अतिरिक्त नव-निर्माण में, इन विधियों का भी प्रयोग होता है

(क) अनुकरणात्मक शब्द – खटखटाना, फड़फड़ाना, फुफकार, ठसक आदि।

(ख) संकर शब्द (दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों को मिलाकर) :
हिंदी और संस्कृत – वर्षगाँठ, माँगपत्र, कपड़ा- उद्योग, पूँजीपति आदि।
हिंदी और विदेशी – किताबघर, घड़ीसाज, थानेदार, बैठकबाज आदि
संस्कृत और विदेशी – रेलयात्री, योजना कमीशन, कृषि मजदूर, रेडियोतरंग आदि।
अरबी/फ़ारसी और अंग्रेजी – अफसर शाही, बीमापालिसी, पार्टी बाजी आदि।

(4) रचना की दृष्टि से

रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं – (1) रूढ़, (2) यौगिक और (3)योगरूढ़।

(1) रूढ़ : जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें (अर्थात् खंड करें तो वे ऐसे नहीं होंगे कि उनका स्वतंत्र अर्थ हो) और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे – दिन, घर, किताब, मुँह आदि।

(2) *यौगिक*: यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश (प्रत्यय, उपसर्ग) या एक अन्य रूढ़ शब्द अवश्य होता है अर्थात् ये दो अंशों के जोड़ने से बना है, जिनमें एक अवश्यमेव रूढ़ है; जैसे – नमकीन (*नमक* रूढ़ और 'ईन' 'प्रत्यय'), घुड़साल (*घोड़ा* रूढ़ का एक रूप *घुड़*) और (शाला) रूढ़ का एक रूप *साल*। अन्य उदाहरण हैं – बुढ़ापा, नम्रता, पुस्तकालय, प्रधानमंत्री।

(3) *योगरूढ़ और समास रूढ़*: जिन यौगिक शब्दों का एक *रूढ़* अर्थ हो गया है और अपने विशिष्ट अर्थ में उनका प्रयोग होने लगा है, वे योगरूढ़ कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए पंकज एक यौगिक शब्द है – इसमें एक रूढ़ शब्द *पंक* (कीचड़) और प्रत्यय-ज (से उत्पन्न) हुआ है। इस यौगिक शब्द का सामान्य अर्थ में वह वस्तु है जो कीचड़ से पैदा हुई है, जैसे, कमल, शंख, मछली आदि। किंतु इसका सामान्य अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ *कमल* हो गया है। अपने विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण यह योगरूढ़ है।

समास से बने यौगिकों में भी ऐसा होता है। पीतांबर समास में दो रूढ़ शब्द हैं – पीत (पीला), अंबर (कपड़ा)। इसका बहुव्रीहि समासवाला अर्थ है *पीला है कपड़ा जिसका*, किंतु यदि विनोद या ओमप्रकाश पीले कपड़े पहने हैं तो उसे *पीतांबर* नहीं कहेंगे, क्योंकि समास *कृष्ण* या *विष्णु* के अर्थ में रूढ़ हो गया है तथा समास रूढ़ बन गया है।

(5) व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से

(क) रूपांतरण के आधार पर

भाषा के शब्द भंडार से, अभिव्यक्त किए जाने वाले विचार आदि के अनुकूल शब्द, ले लेने पर भी उसका हम ज्यों- का- त्यों प्रयोग वाक्य में नहीं कर सकते हैं। यदि सामने मैदान में तीन बच्चे गेंद खेल रहे हैं और आप यह बात कहना चाहते हैं और बात कहने के लिए हिंदी के शब्द भंडार से *मैदान, तीन, बच्चा* और *खेलना* शब्द निकाल भी लिए, तो भी

'मैदान तीन बच्चा गेंद खेलना'

कोई वाक्य नहीं बना। वाक्य तब बनेगा जब आप कहेंगे

मैदान *में* तीन *बच्चे* गेंद *खेल रहे हैं*।

अर्थात् बच्चा का बच्चे (बहुवचन मूलदिभक्ति रूप), मैदान के साथ *में* लगकर मैदान में और खेलना के साथ वर्तमान काल, सातत्यपक्ष, पुंलिंग, बहुवचन अन्य पुरुष वाले प्रत्ययादि लगे। इस प्रकार शब्दों में रूपांतरण करना पड़ता है। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं – (1) विकारी, (2) अविकारी।

विकारी शब्द

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनके मूलशब्द का रूपांतरण होता है :

संज्ञा लड़का → लड़के (परसर्ग रहित विभक्ति+बहुवचन (/) परसर्ग सहित + एकवचन)
लड़का → लड़कों (परसर्ग सहित + बहुवचन)
लड़की → लड़कियाँ (परसर्ग रहित + बहुवचन)
लड़की → लड़कियों (परसर्ग सहित + बहुवचन)
माता → माताएँ (परसर्ग रहित + बहुवचन)

विशेषण अच्छा → अच्छे (लड़के/लड़कों) (परसर्ग रहित + बहुवचन)
(परसर्ग सहित + एकवचन)
(परसर्ग सहित + बहुवचन)

सर्वनाम मैं → मुझ (को); मैं → मुझे; मैं → मेरा
यह → उस (को); ये → उन्हें; ये → उन्होंने (स्वयं ये → यह)

क्रिया जाना → (मैं) जाऊँगा (उत्तमपुरुष, पुंलिंग, एकवचन, भविष्यकाल, निश्चयार्थ)
जाना → वह जा रही है (अन्यपुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, वर्तमानकाल सातत्यपक्ष, निश्चयार्थ, कर्तृवाच्य)

इस प्रकार ऊपर बताए शब्दों में रूपांतरण होता है और उस रूपांतरण में प्रत्यय या सहायक क्रिया *होना* आदि का प्रयोग होता है जो निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएँ भी देती हैं :

(1) लिंग (2) वचन (3) विभक्ति (4) पुरुष (5) काल (6) वृत्ति (7) पक्ष (8) वाच्य।इन आठों को तकनीकी भाषा में *व्याकरणिक कोटि* कहते हैं।

अविकारी शब्द

कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनमें जो मूल शब्द है वह वही बना रहा है। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इनमें लिंग, वचन आदि व्याकरणिक कोटियों की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, जैसे आज, यहाँ, और,अथवा, अरे। इनके *चार* भेद होते हैं और भेद का आधार यह है कि वे वाक्य में क्या कार्य-प्रकार्य कर रहे हैं –

(1) क्रियाविशेषण : आज, कल, अब, सदैव, इधर, यहाँ, भलीभाँति, ध्यानपूर्वक

(2) संबंधबोधक : - के ऊपर, - के पहले, - के बिना, - के हेतु, के अनुसार आदि ।

(3) समुच्चयबोधक : और, या, किंतु, अतएव आदि ।

(4) विस्यादिबोधक : ओह, अरे, शाबाश, ओफ़ आदि ।

शब्दभेद : ऊपर विकारी के चार तथा अविकारी के चार – कुल आठ भेद शब्दों के होते हैं, अतएव हिंदी में शब्द भेद आठ प्रकार के हैं :

(1) संज्ञा, (2) सर्वनाम, (3) विशेषण, (4) क्रिया, (5) क्रियाविशेषण, (6) संबंधबोधक, (7) समुच्चयबोधक, (8) विस्मयादिबोधक ।

प्रश्न और अभ्यास

1. शब्द क्या है ? किसी भाषा की शब्द गणना क्यों आसान नहीं है ?
2. अर्थ की दृष्टि से शब्दों के चारों भेदों के नाम लिखिए और उनके दो-दो उदाहरण दीजिए ।
3. नीचे दिए गए शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थों को लिखिए और बताइए कि ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया गया है :
   आया, कल, पर, मन, जी, मत, सोना ।
4. नीचे लिखे शब्दसमूह में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द चुनकर प्रत्येक को अलग-अलग खानों में लिखिए :
   अंत, खेत, कार्य, इंजन, खिड़की, तृण, रात, मशीन, पेट, लड़का, आग, मिनट, अमीर, दूकान, घृत, रिश्वत, पगड़ी, लाटरी, सायं, झाडू ।
5. प्रयोग के आधार पर शब्दों के तीनों प्रकारों के चार- चार शब्द लिखिए ।
6. नीचे लिखे कथनों में जो सही है उन पर (✓) का तथा जो गलत हैं उन पर (✕) का चिह्न लगाइए :
   (1) भाषाओं के शब्द- भंडार में निरंतर परिवर्तन होता है ।
   (2) शब्द और अर्थ का संबंध अपरिवर्तनीय होता है ।
   (3) 'समरूपी शब्द' एकार्थी शब्दों का भेद है ।
   (4) बल, चाल, दबाव, द्रव तकनीकी शब्द हैं ।
   (5) बुढ़ापा योगरूढ़ शब्द है ।
7. नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उन्हें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शीर्षकों के अंतर्गत छाँट कर लिखिए :
   कल, दशानन, नम्रता, लड़का, जल, शक्तिशाली, पेड़, पंकज, नीलांबर, शेर, नीलकंठ, धर्मशाला ।
8. विकारी और अविकारी के अंतर को स्पष्ट कीजिए ।

अध्याय 6

शब्द रचना

पिछले अध्याय में रचना की दृष्टि से वर्गीकरण के अंतर्गत यह बताया गया था कि शब्द या तो रूढ़ (सरल) होते हैं, या यौगिक । वहाँ यह भी बताया गया था कि यौगिक के दो भेद होते हैं – (i) शब्द में उपसर्ग अथवा/और प्रत्यय लगाने से बने यौगिक, और (ii) दो या दो से अधिक रूढ़/यौगिक शब्दों के समास द्वारा संबद्ध होने से बने यौगिक । इस अध्याय में दोनों प्रकार के यौगिकों की रचना पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

उपसर्ग और *प्रत्यय* दोनों ही रूढ़ या सरल शब्द नहीं होते हैं । ये शब्दांश मात्र होते हैं अर्थात् वाक्य में अकेले-अकेले प्रयुक्त नहीं होते। उदाहरणार्थ– *घरेलू* (= घर + *एलू*) में *घर* एक रूढ़ शब्द है, इसमें *एलू* प्रत्यय लगा है । यहाँ *घर* रूढ़ शब्द है और वाक्य में अपने मूल में मिल सकता है, किंतु *एलू* केवल शब्दांश है और वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकता है ।

उपसर्ग और *प्रत्यय* दोनों शब्दांश मात्र हैं । इनमें अंतर यह है कि *उपसर्ग* शब्द के *पहले* आता है, जैसे –अवगुण=अव (उपसर्ग) + गुण, यहां गुण के साथ उपसर्ग *अव* लग रहा है; जबकि *प्रत्यय* शब्द के *बाद* आता है, जैसे – लड़कपन = लड़क (मूल शब्द *लड़का* का एक उपरूप) + पन (प्रत्यय) । इस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश हैं, जो यौगिक शब्द बनाते समय *पहले* लगते हैं और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो यौगिक बनाते समय *बाद* में लगते हैं ।

उपसर्ग

उपसर्ग शब्द संस्कृत व्याकरण का तकनीकी शब्द है । संस्कृत में बाईस उपसर्ग हैं और उनसे संस्कृत में बड़ी मात्रा में शब्द बने हैं । इन यौगिक शब्दों में कुछ तो इतने अधिक

प्रचलित हैं कि सामान्य बोलने वाले के ध्यान में भी नहीं आता कि इसमें उपसर्ग लगा है और यौगिक है। जैसे, उद्योग, परीक्षा, उत्साह, अनुभव, अत्यंत, अभ्यास आदि।

आगे अब संस्कृत उपसर्गों से बने शब्दों की रचना दी जा रही है।

संस्कृत के उपसर्ग

संस्कृत में बाईस उपसर्ग हैं। इनसे बने हिंदी में बहुत प्रचलित शब्द उदाहरण के रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं :

अति – अत्यंत, अत्युत्तम, अत्याचार, आदि। *बहुत अधिक* का भाव प्रकट करने के लिए नए शब्द भी बना करते हैं, जैसे, अतिकोमल, अति अभिमानी।

अधि – अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश आदि। कुछ नवनिर्मित शब्द जहाँ *अधि* का प्रयोग Sur, Super के लिए है – अधिशुल्क, अधि- कर आदि।

अनु – अनुभव, अनुकूल, अनुरोध, अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद आदि। कुछ नवनिर्मित शब्दों में *अनु* का प्रयोग संस्कृत अनुज, अनुचर के पैटर्न पर, *बाद में आने वाला गौण* के लिए किया गया है – विभाग-अनुभाग।

अप – अपयश, उपकार, अपमान, अपशब्द, अपव्यय आदि। यह *अनुचित बुरा* आदि का अर्थ देता है। कुछ नवनिर्मित शब्दों में अप away from के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे अपकेंद्र।

अभि – अभिमान, अभ्यास, अभ्यागत, अभियान आदि। आधुनिक लेखन में *वैशिष्ट्य* दिखाने के लिए इसका प्रयोग मिलता है – भाषण रक्षा से अभिभाषण, अभिरक्षा आदि।

अव – अवतार, अवसर, अवनति, अवगुण, अवकाश आदि। नवनिर्मित शब्दों में कई बार इसका प्रयोग sub के लिए हुआ है, जैसे – चेतन-अवचेतन, अवमूल्यन।

आ – आजन्म, आमरण, आगमन, आदान, आकर्षण, आरक्षण आदि।

उद्‌ (उत्) – उत्थान, उत्कर्ष, उद्‌गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्‌घाटन आदि।

उप – उपवन, उपकार, उपदेश, उपस्थित; *उपग्रह* आदि के पैटर्न पर उपमंत्री, उपसचिव आदि।

दुस/दुर – दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्गुण, दुराचार, दुर्दशा, दुर्घटना आदि।

निस्‌/निर – निश्चल, निष्काम, निस्संदेह, निर्जन, निरपराध, निरादर, निर्दोष, निर्यात

आदि ।

नि – निवास, नियुक्ति, निबंध, निषेध, नियम, निवारण आदि ।

परा – पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श आदि (*पराधीन* समास है) ।

परि – परिचय, परिणाम, परीक्षा, पर्यटन, परिवर्तन, परिक्रमा, परिधि आदि ।

प्र – प्रबल, प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रगति, प्रचार, प्रस्थान, प्राचार्य, प्राध्यापक आदि ।

प्रति – प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिष्ठा, प्रतिनिधि आदि ।

वि – वियोग, विदेश, विनय, विजय, विनाश, विज्ञान, विपक्ष, विमुख आदि ।

सम् (सं) – सम्मान, सम्मेलन, संशोधन, संपूर्ण, संयम, संगम, संकल्प, सम्मुख, संतोष आदि ।

सु – सुलभ, सुगम, सुबोध, सुदूर, स्वच्छ, सुशिक्षित, स्वागत आदि ।

संस्कृत के उपसर्ग *अपि* से संस्कृत में ही एकाध शब्द, जैसे - अपिधान (="ढक्कन") मिलते हैं। नोट : हिन्दी में ये प्रचलित नहीं हैं। संस्कृत व्याकरण की समास-रचना में प्रायः प्रयुक्त कुछ शब्द/शब्दांश जो समास के पहले भाग में आते थे, बहुत अधिक प्रचलित होने के कारण उपसर्गवत् (उपसर्ग-समान) दिखाई पड़ते हैं और वैसे ही माने जाते हैं। उदाहरणार्थ :

1. अ – अकाल, अज्ञान, अभाव, अहिंसा, अनुचित, अनेक, अनादि आदि।
   कु – कुकर्म, कुपात्र, कुरूप, कुयोग आदि ।
   सु – सुकर्म, सुपात्र, सुपुत्र आदि ।
2. सत् – सज्जन, सत्पुरुष, सद्गति, सदाचार आदि ।
   पुनर् – पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुत्थान
   अधः – अधोमुखी, अधस्तल, अधोपतन, अधोगति
   अंतर्/अंतः – अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्मुखी
   बहिस् - बहिर् – बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुखी
   स्व – स्वराज्य, स्वतेज, स्वतंत्र, स्वचालित (मशीन)
   स्वयं – स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंचालित (मशीन)
   पुरा – पुरातत्त्व, पुरावृत्त, पुरातन
   प्राक् – प्राक्कथन, प्राग्वैदिक, प्रागैतिहासिक
   चिर – चिरस्थायी, चिरजीवी, चिरकुमार आदि ।
   सह – सहोदर, सहपाठी, सहमति, सहगान, सहकारिता
   सम – समकालिक

हिंदी के उपसर्ग

हिंदी के सामान्य उपसर्ग या उपसर्गवत् शब्दांश नीचे दिए जा रहे हैं :

अ/अन – अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत

नि – निडर, निकम्मा, निपूता, निगोड़ा, निहत्था

दु – दुबला, दुलार, दुसाध

क/कु – कपूत, कुचाल, कुढंग

स/सु – सपूत, सुडौल, सुजान, सुघड़

अध – अधजला, अधपका, अधमरा, अधखिला

बिन – बिनब्याहा, बिनमाँगा, बिनजाने, बिनखाया

औ – औतार, औगुन, औढर, औघट

एक से अनेक उपसर्गों का आना

कई बार एक शब्द में दो या तीन उपसर्ग भी मिलते हैं। यह विशेषतः संस्कृत प्रत्ययों के साथ होता है। उदाहरणार्थ :

समालोचन = सम् + आ + लोचन पर्यावरण = परि + आ + वरण

व्याकरण = वि + आ + करण दुर्व्यवहार = दुर् + वि + अव + हार

उर्दू- फारसी के उपसर्ग

बे – बेरहम, बेगुनाह, बेईमान, बेवफ़ा, बेचारा, बेवकूफ़ आदि।

बद – बदनाम, बदबू, बद्सूरत, बद्किस्मत, बददुआ आदि।

खुश – खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, खुशमिजाज, खुशनसीब आदि।

ना – नालायक, नाउम्मीद, नादान, नासमझ, नाराज आदि।

ग़ैर – ग़ैरहाज़िर, ग़ैरकानूनी, गैरसरकारी, गैरजिम्मेदारी आदि।

ला – लाइलाज, लापरवाह, लापता. लाजवाब, लावारिस आदि।

कम – कमउम्र, कमजोर, कमबख्त, कमअक्ल आदि।

प्रत्यय

संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं – एक वे हैं ज़ो क्रियाधातु के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं (इन्हें *कृत* प्रत्यय कहते हैं) और दूसरे वे जो संज्ञा- आदि के बाद लगकर प्रायः संज्ञा और विशेषण बनाते हैं (इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं)। उदाहरणार्थ – होनहार, पढ़ाई, सजावट, वक्तव्य, पठनीय आदि में कृत प्रत्यय लगे हैं, और बचपन, नमकीन, कोठरी, घरेलू आदि में तद्धित प्रत्यय लगे हैं।

कृत् प्रत्यय

कृत् प्रत्यय वे हैं जो क्रिया की धातुरूप के बाद लगते हैं और संज्ञा आदि शब्द बनाते हैं। कृत् प्रत्यय से बने शब्दों को *कृदन्त* कहते हैं। उदाहरणार्थ *कर्तव्य* एक कृदंत शब्द है; जहाँ संस्कृत प्रत्यय *तव्य* संस्कृत धातु कृ (कर्) में लगा है। कृत प्रत्ययों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि क्रिया के साथ कृत् प्रत्यय किन-किन दशाओं में प्रयुक्त होते हैं :

(1) क्रिया को करने वाला (कर्तृवाचक संज्ञा) (जो ... को करे)

संस्कृत स्रोत वाले प्रत्यय : – पाठक, कारक, गायक, नायक, नेता, दाता, विक्रेता, अभिनेता, त्यागी, उपकारी, भिक्षुक, भावुक, आदि।

हिंदी स्रोत वाले प्रत्यय : – हार – खेलनहार, होनहार, देनहार, मरनहार, राखनहार आदि।

– ऐया/ वैया – गवैया, खिवैया, पढ़ैया

– अक्कड़ – भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़

– ऊ – रट्टू, खाऊ, उड़ाऊ

अन्य : – दार (दिनदार, लेनदार) – आकू (लड़ाकू, पढ़ाकू)

– आक (तैराक) – आलू (झगड़ालू) – इयल (सड़ियल, अड़ियल) – ने वाला (पढ़नेवाला आदि)।

(2) क्रिया का कर्म

हिंदी प्रत्ययों से : – नी – चटनी (जिसे चाटा जाए), ओढ़नी, सूँघनी

– ना – खाना (जिसे खाया जाए) बिछौना

(3) क्रिया की प्रक्रिया अथवा परिणाम (भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं)

हिंदी प्रत्ययों से : – ना – लिखना (लिखने की प्रक्रिया) पढ़ना, खाना

– आन – उड़ान, मिलान, उठान,

– आई – लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई

– आवट – लिखावट, सजावट, मिलावट

– खेल – दौड़, लूट, मार

– ई – हँसी, बोली, धमकी

(4) क्रिया करने का साधन (जिस साधन से क्रिया की जाए)

संस्कृत प्रत्ययों से : – अन – श्रवण, करण

हिंदी प्रत्ययों से : — नी — मथानी, धौंकनी, चलनी
— ई — रेती, बुहारी, फाँसी
— ना — ढकना, बेलना, छन्ना

अन्य : — कटारी, खुरपा, खिलौना, झाड़ू आदि ।

(5) क्रिया करने/होने का स्थान

संस्कृत प्रत्ययों से : — *शय्या*

हिंदी प्रत्ययों से : — *बैठक*

(6) क्रिया के योग्य होना (क्रिया करने के योग्य)

संस्कृत प्रत्ययों से : — अनीय — गोपनीय, करणीय, पठनीय
— य — देय, पेय, गेय
— व्य — कर्तव्य, लब्धव्य , मंतव्य

तद्धित प्रत्यय

तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो (क्रिया से भिन्न) पदभेदों अर्थात संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्ययों के बाद लगते हैं और प्रायः संज्ञा और विशेषण बनाते हैं । जैसे — गरीब > गरीबी, खेत > खेती, बाहर > बाहरी, अपना > अपनापन।

(1) संज्ञा से संज्ञा

(क) लघुतावाचक (जिससे छोटेपन अथवा प्यार- दुलार का बोध हो)

— इया : डिब्बा > डिबिया, खाट > खटिया, बेटी > बिटिया
— ई : घंटा > घंटी, पहाड़ > पहाड़ी, रस्सा > रस्सी
— ड़ा/री : मुख > मुखड़ा, (वत्स) > बछड़ा, कोठा > कोठरी

(ख) भाववाचक (इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है)

— पन/-पा : लड़का > लड़कपन, बच्चा > बचपन, बूढ़ा > बुढ़ापा
— ई : चोर > चोरी, खेत > खेती, दोस्त > दोस्ती, दुश्मन > दुश्मनी
— ता/- त्व : मनुष्य > मनुष्यत्व, मानव > मानवता
— आई : पंडित > पंडिताई

(ग) पेशा/ जीविकावाचक (इससे तत्संबंधी जीविका चलाने वाले का बोध होता है)

— एरा : साँप > सँपेरा, चित्र > चितेरा
— आर : सोना > सुनार, लोहा > लुहार
— वाला : इक्का > इक्केवाला, टाँगा > टाँगावाला

— वान : गाड़ी > गाड़ीवान, कोच > कोचवान

— कार : पत्र > पत्रकार , कला > कलाकार

— क : लिपि > लिपिक, लेख > लेखक

— गर : जादू > जादूगर, सौदा > सौदागर

— दार : जमीं > जमींदार, दुकान > दुकानदार

— हारा : लकड़ी > लकड़हारा, चूड़ी > चुड़िहारा

(घ) संबंधवाची : उस *संज्ञा* से संबंध रखनेवाला । प्रायः *संतान* के अर्थ में । प्राचीनकाल में *उपत्यार्थी* शब्दों का बड़ा प्रचलन था । जैसे बसुदेव > वासुदेव (कृष्ण), पाण्डुत्र > पाण्डव, रघु > राघव, दशरथ > दाशरथि आदि। अव इन प्रत्ययों से से नए शब्द नहीं बन रहे हैं ।

(2) **विशेषण से संज्ञा**

भाववाचक (इनसे भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं)

— पन/- पा : काला > कालापन, मोटा > मुटापा

— ता/- त्व : लघु > लधुता, लघुत्व : अपना > अपनत्व

— ई : गरीब > गरीबी, खुश > खुशी, बुद्धिमान > बुद्धिमानी

— आस : मीठा > मिठास, खट्टा > खट्टास

— आई : अच्छा > अच्छाई, बुरा > बुराई

— आहट : कड़ुवाहट, चिकनाहट

(3) **संज्ञा से विशेषण**

(क) गुणवाचक (इनसे उस गुण/धर्म को रखने वाले का बोध होता है)

— ई : गुलाब > गुलाबी, ऊन > ऊनी

— ईला : रस > रसीला, जहर > जहरीला, बर्फ > बर्फीला

— ईन : नमक > नमकीन, रंग > रंगीन, शौक > शौकीन

— आ : भूख > भूखा, प्यास > प्यासा

(ख) स्थानवाचक (उस स्थान से संबुद्ध व्यक्ति /वस्तु)

— ई : बंगाल > बंगाली, जापान > जापानी, लखनऊ > लखनवी

— इया : कलकता > कलकतिया, बंबई > बंबइया

— ऊ : बाजार > बाजारू

— एलू : घर > घरेलू

(ग) रिश्तानाता बोधक (उस रिश्ते से संबंधित व्यक्ति)

— एरा : चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा

(घ) संबंधवाचक (उस व्यक्ति /वस्तु से संबंधित)

— इक : धर्म > धार्मिक, नीति > नैतिक, पुराण > पौराणिक

— अ : शिव > शैव, शक्ति > शाक्त, बुद्ध > बौद्ध

— आना : साल > सालाना, रोज > रोजाना, मर्द > मर्दाना

(4) क्रियाविशेषण से विशेषण

जैसे — ला : अगला, पिछला, निचला, मझला

समास

अभी आपने देखा कि उपसर्गों और प्रत्ययों की सहायता से कैसे शब्दों की रचना होती है। यहाँ हम उससे भिन्न एक रचना-विधि पर प्रकाश डालेंगे जिसे *समास* रचना कहते हैं। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, जैसे — गंगा + जल = गंगाजल, घुड़ = घोड़ा + सवार — घुड़सवार, पुस्तक + आलय — पुस्तकालय। इस प्रकार *समास वह शब्द रचना है, जिसमें दो (या दो से अधिक), अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले, स्वतंत्र शब्द रचना के अंग होते हैं।*

समास रचना में प्रायः दो पद (शब्द) होते हैं — पहले पद को *पूर्वपद* (जैसे — गंगा, घोड़ा, पुस्तक) और दूसरे को *उत्तर पद* (जैसे — जल, सवार, आलय) कहते हैं। समास रचना से बने शब्द को *समस्त पद* (जैसे — गंगाजल, घुड़सवार, पुस्तकालय) कहते हैं।

यदि समास रचना से बने शब्द (समस्त पद) के अंग पृथक्-पृथक् करने हों, तो उस प्रक्रिया को *समास विग्रह* कहते हैं। जैसे यदि *गंगाजल* समस्त पद के अंग पृथक्-पृथक् (समास विग्रह) करें, तो दो पद निकलेंगे — गंगा और जल। समास विग्रह इस प्रकार लिखते हैं :

गंगाजल = गंगा + जल (गंगा का जल)

घुड़सवार = घुड़ (घोड़ा) + सवार (घोड़े पर सवार)

चंद्रमुख = चंद्र + मुख (चंद्र-सा मुख)

समास के भेद

समास के चार प्रमुख भेद हैं :

(1) तत्पुरुष समास

(2) बहुव्रीहि समास

(3) द्वन्द्व समास

(4) अव्ययीभाव समास

कर्मधारय और *द्विगु* ये दो भेद भी प्रचलित हैं, यद्यपि ये तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। नीचे इन छहों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है :

(1) तत्पुरुष समास

इस समास में *उत्तर पद* प्रधान (विशेष्य) होता है, और पूर्वपद उसकी विशेषता बताता है और इस कारण *गौण* होता है। इस प्रकार तत्पुरुष वह समास है, जिसका पूर्वपद *गौण* और *उत्तर पद* प्रधान होता है।

सामान्य तत्पुरुष समास की दो प्रकार की प्रमुख रचनाएँ होती हैं :

(क) संज्ञा + संज्ञा : राजकुमार (राजा का कुमार), पुस्तकालय (पुस्तक का आलय) क्रीड़ाक्षेत्र क्रीड़ा का क्षेत्र (खेल का मैदान), घुड़सवार (घोड़े पर सवार), रसोईघर (रसोई के लिए घर)

(ख) संज्ञा + क्रियामूलक शब्द (प्रायः भूतकृदंत) : हस्तलिखित (हस्त द्वारा लिखित), वाल्मीकिरचित (वाल्मीकि द्वारा रचित), सूखापीड़ित (सूखा द्वारा पीड़ित), पथभ्रष्ट (पथ से भ्रष्ट), आपबीती (आप पर बीती), देशवासी (देश के वासी) आदि।

तत्पुरुष समास में, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है, परसर्ग *का, से, पर,* आदि समास विग्रह में तो मिलते हैं, किंतु समास प्रक्रिया से समस्त पद बनने पर इन परसर्गों का लोप हो जाता है। संस्कृत में कुछ शब्द अवश्य ऐसे हैं, जहाँ विभक्ति का लोप नहीं है। जैसे– युधिष्ठिर (युधि=युद्ध में, ष्ठिर=स्थिर) (व्यक्ति नाम), सरसिज (सरसि = सरोवर में, ज = उत्पन्न) (कमल) विश्वंभर (विश्वं = विश्व को भर = भरण करने वाला) (विष्णु)।

कई बार इस समास में, परसर्ग के स्थान *पर आने वाला पदबंध (पूरा शब्द समूह), परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है,* और विग्रह में उसे पूरा-पूरा पुनः स्थापित करना होता है। जैसे – पनचक्की = पन (पानी) + चक्की (पानी से *चलने वाली* चक्की)

अन्य सामान्य उदाहरण हैं :

मालगाड़ी = माल + गाड़ी (माल *ढोनेवाली* गाड़ी)

रेलगाड़ी = रेल + गाड़ी (रेल = पटरी) (*पर चलने वाली* गाड़ी)

दहीबड़ा = दही + बड़ा (दही *में डूबा हुआ* बड़ा)

बनमानुष = वन + मानुष (वन में *रहनेवाला* मानुष)

तत्पुरुष के अंतर्गत दो प्रमुख उपभेद हैं (इन्हें संस्कृत में पृथक् भेद माना जाता है) –

कर्मधारय और *द्विगु*।

कर्मधारय: कर्मधारय तत्पुरुष का इस कारण एक भेद है, क्योंकि इसकी रचना में भी *उत्तर पद* प्रधान होता है (जो कि तत्पुरुष का एक लक्षण है) विशेषतया भिन्नता यह है कि यहाँ *पूर्वपद विशेषण* होता है और *उत्तर पद विशेष्य*। उदाहरणार्थ :

नीलगाय = नील (विशेषण) + गाय (विशेष्य) *नीली गाय*

पीतांबर = पीत (विशेषण) + अंबर (विशेष्य) *(पीत = पीला, अंबर = वस्त्र) पीलावस्त्र*

महादेव = महा (विशेषण) + देव (विशेष्य) *महान् देवता*

कमलनयन = कमल (जिससे उपमा दी जा रही है) + नयन (जिसकी उपमा दी जा रही है) *कमल के समान नयन*

घनश्याम = घन (जिससे उपमा दी जा रही है), + श्याम (जिस गुण के संबंध में उपमा दी गई है) *घन के समान श्याम*

मुखचंद्र = मुख (जिसकी उपमा दी जा रही है) + चंद्र (जिससे उपमा दी जा रही है) *मुखरूपी चंद्र, चंद्र के समान मुख*

द्विगु: द्विगु समास भी रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ भी उत्तरपद प्रधान होता है जो तत्पुरुष का लक्षण है। *कर्मधारय* में आपने देखा था कि पूर्वपद *विशेषण* था और उत्तरपद *विशेष्य*। यदि संख्या (एक, दो, तीन) आदि को विशेषण की ही कोटि में रखें, तो द्विगु एक प्रकार का कर्मधारय है जहाँ विशेषण कोई संख्या है; अर्थ की दृष्टि से यह समास प्राय : समूहवाची होता है। जैसे –

चौमासा = चौ (चार) + मासा	*चार मासों का समूह*
तिराहा = ति (तीन) + राहा	*तीन राहों वाली स्थिति*
पंचवटी = पंच (पाँच) + वटी	*पाँच वट (वृक्षों) वाला स्थान*
शताब्दी = शत (सौ) + अब्दी	*सौ अब्दों (वर्षों) का संग्रह*

(2) बहुव्रीहि समास

जिस समास में न तो पूर्वपद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ ये दोनों *गौण* एक तीसरे *प्रधान* के संबंध में कहते हैं, जो समास शब्द मात्र से स्पष्ट नहीं होता, संदर्भ से स्पष्ट होता है। जैसे *पीतांबर* शब्द को लें। इसका एक विग्रह हो सकता है, पीत+अंबर (पीला कपड़ा), पर यदि संदर्भ से यह कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ जो पीले कपड़े ही पहनते हैं तो विग्रह करना पड़ेगा *पीला है कपड़ा जिसका वह* (कृष्ण)। इस विग्रह में *पूर्वपद* और *उत्तरपद* दोनों गौण हैं, प्रधान तीसरा पद *कृष्ण* आदि है। कुछ

अन्य प्रसिद्ध उदाहरण हैं :

नीलकंठ = नील + कंठ (दोनों गौण) *नील है कंठ जिसका (शिवजी)*

दशानन = दश + आनन (दोनों गौण) *दश हैं आनन (मुख) जिसके (रावण)*

त्रिलोचन = त्रि+लोचन (दोनों गौण) *तीन हैं लोचन (नेत्र) जिसके (शिवजी)*

चतुर्भुज = चतुर् + भुज (दोनों गौण) *चार है भुजा जिसकी (विष्णु)*

ध्यान दें : *कर्मधारय बहुव्रीहि समास* में एक से पद होते हैं, किंतु भेद यह है कि यदि उत्तरपद प्रधान है तो कर्मधारय, यदि कोई पद प्रधान नहीं है अर्थात् दोनों गौण है तो बहुव्रीहि। जैसे पीतांबर – (1) पीला अंबर (कर्मधारय) (2) कृष्ण (बहुव्रीहि)

(3) द्वन्द्व समास

जिस समास में दोनों पद समानरूप से *प्रधान* हों उसे द्वन्द्व (द्वन्द्व = जोड़ा, युग्म) समास कहते हैं, जैसे – माँ-बाप, भाई-बहन, घी-शक्कर आदि। इसके विग्रह में जोड़ने वाले *और* को लाया जाता है, जैसे *माँ और बाप, भाई और बहिन, घी और शक्कर*। कभी-कभी इस *और* का विस्तृत अर्थ होता है और समान वस्तुओं के समूह (समाहार) का अर्थ प्रकट होने लगता है (संस्कृत में इस उपभेद को समाहार-द्वन्द्व कहते थे) जैसे – नर-नारी (सभी लोग)।

(4) अव्ययीभाव समास

जब समास में पूर्वपद *अव्यय* होता है, तो समस्त पद की रचना को अव्ययीभाव समास रचना कहते हैं। बहुप्रचलित शब्द हैं – प्रतिदिन, यथासमय, आजन्म आदि। यहाँ *प्रति यथा आ* सभी अव्यय हैं।

प्रतिदिन = प्रति + दिन *दिन दिन*

यथासमय = यथा + समय *समय के अनुसार*

आमरण = आ + मरण (आ = मर्यादा, तक) *मरण तक*

बेखटके = बे (बिना) + खटके *बिना खटके (आशंका के)*

भरपेट = भर + पेट *पेट भर*

युग्म और पुनरुक्त शब्द

यौगिकों का एक भेद *युग्मी रचना* से उत्पन्न युग्मकों का है।

युग्म शब्दों के तीन भेद हैं – (1) आपस में मिले, पर्याय/पर्यायवत् शब्द।

(2) विरोधार्थी (विलोम/विपर्यय) शब्द।

(3) सार्थक + निरर्थक या निरर्थक + निरर्थक शब्द।

(1) *समानार्थी युग्म* : बाल-बच्चे, बड़े-बूढ़े, काम-काज, जान-पहचान, देख-भाल, सीधा-सादा, मोटा-ताजा, नहा-धोकर, सुना-सुनाया, जैसे-तैसे आदि ।

(2) *विरोधार्थी युग्म* : लेन-देन, सुख-दुख, पाप-पुण्य, जीवन-मरण, थोड़ा-बहुत, आना-जाना, इधर-उधर, दिन-रात, भला-बुरा आदि ।

(3) *निरर्थक पद* : पूछ-*ताछ, आस*-पास, *आमने*-सामने, *अता*-पता, कागज-*वागज*, मिठाई-*विठाई, अनाप-सनाप, अंट-संट* आदि ।

पुनरुक्त शब्द में एक ही शब्द दो बार आता है, जैसे घर-घर, नए-नए, आते-आते, हाय-हाय, अरे-अरे, कहीं-कहीं आदि । संस्कृत में भी ऐसी रचनाएँ थीं *दिने दिने, वने वने* आदि । पुनरुक्त शब्दों में भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं । प्रमुख हैं –

(i) प्रत्येक का भाव, वह *घर-घर* जाकर सूचना इकट्ठा कर रहा है । (प्रत्येक घर)

(ii) भिन्नता : देश-देश के लोग (भिन्न देशों के लोग),नए-नए खेल (भिन्न-भिन्न नये खेल)

(iii) अतिशयता (बहुत अधिक आदि) : हँसी-हँसी में (बहुत अधिक हँसी में), ऊँचे-ऊँचे मकान (बहुत अधिक ऊँचे मकान)

(iv) एकजातीयता (एक-सा होना) : छोटे-छोटे व्यापार(सभी छोटे हैं),पके-पके फल (सभी पके हैं) ।

प्रश्न और अभ्यास

(1) उपसर्ग की परिभाषा देते हुए उसके 3 उदाहरण दीजिए ।

(2) प्रत्यय किसे कहते हैं ? उसके तीन उदाहरण दीजिए ।

(3) नीचे दिए हुए प्रत्येक उपसर्ग से दो- दो शब्द बनाइए ।
अति, अधि, उप, परि, सु ।

(4) नीचे लिखे हुए शब्दों में से उपसर्ग बताइए ।
अभ्यास, उद्गम, परामर्श, निवास, प्रतिध्वनि, अवैज्ञानिक, स्वाधीनता, असुंदरता ।

(5) नीचे दो स्तम्भ दिए गए हैं । एक स्तम्भ में प्रत्यय है और दूसरे में शब्द । इनको जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए –

क	ख
कु	पाठी

पुनर (पुनः)	कर्म
स्व	एतिहासिक
प्राग	जन्म
सह	तंत्र

(6) तीन ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हों।

(7) कृत् प्रत्यय के चार- चार उदाहरण दीजिए।

(8) संस्कृत और हिंदी स्रोत वाले प्रत्ययों के दो- दो उदाहरण दीजिए।

(9) नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको अलग करते हुए उनके मूल शब्द बताइए –
भिक्षुक, भुलक्कड़, त्यागी, गवैया, अभिनेता, होनहार, खाऊ।

(10) (क) निम्नलिखित प्रत्ययों से संज्ञा शब्द बनाइए, जैसे –
नी, आई, आहट, ई
(ख) निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाइए, जैसे – सजाना से सजावट।
पढ़ना, मथना, बिछाना।

(11) (क) ऐसे चार शब्द लिखिए जिनमें तद्धित प्रत्यय लगा हो।
(ख) नीचे दो स्तंम्भ हैं – इनमें से उचित शब्द छाँटकर सार्थक शब्द बनाईए –

क	*ख*
इक्का	पन
लिपि	ता
लघु	ई
बंगाल	वाला

(12) हिंदी का खेलनहार प्रत्यय है इसी तरह के अन्य प्रत्यय को सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

(13) समास कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक के दो- दो उदाहरण दीजिए।

(14) (क) निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करते हुए समास का नाम भी दीजिए।
राजकुमार, नीलगाय, पंचवटी, दशानन, दूधदही।
(ख) नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनको मिलाकर शब्द (समस्त पद) बनाइए और समास का नाम भी दीजिए –
पथ भ्रष्ट, पीत अंबर, चौ मासा, युद्ध स्थिर, आ मरण

(15) नीचे स्तंभ *अ* में समास के नाम हैं और स्तंभ *ब* में शब्द दिए गए हैं, इन्हें क्रमानुसार लिखिए –

अ	*ब*
तत्पुरुष	त्रिलोचन
बहुब्रीहि	भरपेट
द्वन्द्व	विश्वंभर
अव्ययीभाव	घी शक्कर

(16) युग्म शब्द के भेद बताते हुए प्रत्येक के दो- दो उदाहरण लिखिए।

(17) पुनरुक्त शब्द के चार उदाहरण दीजिए।

(18) नीचे दिए गए शब्दों में से युग्म और पुनरुक्त शब्दों को अलग- अलग कीजिए –
घर- घर, बाल- बच्चे, इधर- उधर, देश- देश, पूछ- ताछ, छोटे- छोटे।

अध्याय 7

संज्ञा

निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए :

मोहन आज *लखनऊ* से *बनारस* जा रहा है।

गाय हमारे लिए एक उपयोगी पशु है।

गंगा हिमालय से निकलती है।

सभी मनुष्यों से *प्रेम* करना चाहिए।

योग्यता में *सोहन* सब से आगे है।

बचपन में मोहन की *सुंदरता* देखते ही बनती थी।

इन वाक्यों में तिरछे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। *मोहन* और *सोहन* शब्द व्यक्तियों के नाम हैं, *गाय* जानवरों की एक जातिविशेष का नाम है; *गंगा* नदियों में एक नदी विशेष का नाम है, *लखनऊ* और *बनारस* नगरों में नगर विशेष के नाम हैं; *हिमालय* पर्वत विशेष का नाम है; *प्रेम* भावविशेष का नाम है; *योग्यता, बचपन, सुंदरता* गुण-स्थिति का द्योतक हैं – इस प्रकार ये सब शब्द किसी के नाम को बताते हैं। व्याकरण में इन्हें *संज्ञा* कहते हैं। इस प्रकार *संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं।*

संज्ञा के भेद

संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं :

1. *व्यक्तिवाचक संज्ञा* – मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि।
2. *जातिवाचक संज्ञा* – लड़का, पहाड़, नदी, नगर आदि।
3. *भाववाचक संज्ञा* – बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि।

कुछ लोग जातिवाचक के उपभेद *द्रव्य (पदार्थ) वाचक* और *समूहवाचक* को भी पृथक् भेद मानते हैं। ऐसी स्थिति में पाँच भेद हो जाते हैं :

4. *द्रव्यवाचक संज्ञा* – सोना, चाँदी, लकड़ी, अन्न आदि।
5. *समूहवाचक संज्ञा* – सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा आदि।

इनके विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

1. **व्यक्तिवाचक संज्ञा** : जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष को बताता है अथवा उसके नाम के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे – मोहन, रमा (मनुष्यों के नाम), टामी (कुत्ते का नाम), कपिला (गाय का नाम), गंगा (नदी), हिमालय (पर्वत), डालडा (वनस्पति), दिल्ली (नगर), भारत (देश) आदि।
2. **जातिवाचक संज्ञा** : प्रत्येक व्यक्तिवाचक किसी-न-किसी जातिवाचक वर्ग का सदस्य होता है। *मोहन, रमा* मनुष्य है, *टामी* कुत्ता है, गंगा नदी है, *हिमालय* पर्वत है, *दिल्ली* नगर है। मोहन, रमा के अलावा अनेक मनुष्य हैं, टामी के अलावा अनेक कुत्ते हैं, गंगा के अलावा अनेक नदियाँ हैं! *मनुष्य* इस प्रकार एक जाति वाचक है, *कुत्ता* एक जाति है, *नदी* एक प्रकार का जातिवाचक शब्द है। अतएव जो संज्ञा शब्द किसी जाति को बताता है, अर्थात् प्राणियों, पदार्थों, क्रिया – व्यापारों आदि के सर्वसामान्य नाम को बताता है, वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे – लड़का, पहाड़, नदी, किताब, देश, संस्था, आदि। जातिवाचक के अंतर्गत निम्नलिखित दो भेद भी आते हैं:

   क. *द्रव्यवाचक संज्ञा* : जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो, जिससे कोई वस्तु बनी है, उस संज्ञा को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका माप-नाप तोल ही होता है। जैसे – सोना-चाँदी (आभूषणों के लिए), ताँबा- लोहा- स्टील (बर्तन आदि के लिए), ऊन (स्वेटर आदि के लिए) लकड़ी (फर्नीचर आदि के लिए)। ये संज्ञा शब्द अगणनीय हैं, इसलिए एकवचन हैं।

   ख. *समूहवाचक संज्ञा* : बहुत से संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह, समुदाय के वाचक हैं, जिसके सदस्य के रूप में अनेक व्यक्ति, वस्तुएँ उसमें समाविष्ट होती हैं, जैसे – पुलिस, सेवा, परिवार, कक्षा, सभा समिति आदि। इस प्रकार वे शब्द जो समूह, समुदाय या संग्रह के वाचक हैं, समूह वाचक संज्ञा कहे जाते हैं। सेना, पुलिस आदि संगठित समूह हैं; भीड़, झुंड, बूंद आदि असंगठित समूह; ये शब्द सजातीय वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में प्रकट करते हैं; अतएव एकवचन में होते हैं।

3. *भाववाचक संज्ञा* : जो संज्ञा शब्द किसी गुण-धर्म, शील-स्वभाव, भाव, संकल्पना दशा-अवस्था का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब अभूर्त मानसिक संकल्पनाएँ हैं। उदाहरणार्थ – सच्चाई, ऊँचाई, प्रेम, घृणा, बचपन, मुटापा, शीतलता, ईमानदारी, अंधकार, चढ़ाई, प्रार्थना आदि।

व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों को बताती हैं, जो अपने में विचित्र दूसरों में प्रायः दुर्लभ गुणों के कारण प्रतिनिधि रूप में माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है – जैसे, राजा हरिश्चंद्र (सत्य निष्ठा), भीष्म पितामह (भीष्म प्रतिज्ञा), जय चंद (विश्वासघात) आदि। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के समान प्रयोग होता है।

उसकी बात पर पूरा विश्वास करो, वह बिल्कुल *भीष्म पितामह* है।

हमको आजकल *जयचंदों* पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए।

कलियुग में भी *हरिश्चन्द्रों* की कमी नहीं है।

जातिवाचक के समान प्रयोग होने के कारण व्यक्तिवाचक का यहाँ बहुवचन रूप दिखाई पड़ रहा है।

जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग

कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और तब केवल एक को ही निर्दिष्ट करते हैं। जैसे, *पुरी* का सामान्य जातिवाचक अर्थ *नगरी* है, किंतु आजकल वह *जगन्नाथपुरी* के लिए रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक रूप बन गया। इसी प्रकार पंडित जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू के लिए रूढ हो गया है, जैसे –

पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।

इन स्थितियों में जातिवाचक संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध न कराकर किसी एक का, व्यक्तिवाचक के समान, बोध कराता है।

टिप्पणियाँ

(क) जब कभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है – यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। इसी प्रकार समूहवाचक जब बहुत-सी समूह-इकाइयों को प्रकट करते हैं, तब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं जैसे –

दोनों *सेनाएँ* आपस में बड़े ज़ोरों से लड़ीं।

इस मोहल्ले में ईसाइयों के चार *परिवार* रहते हैं।

(ख) जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, जैसे –

बुराइयों से सदा बचो।

आपस में उनकी *दूरियाँ* बढ़ती जा रही हैं।

(ग.) कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं, जैसे – प्रेम घृणा आदि, किन्तु अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं :

विशेषण से – अच्छाई, बुराई, मुटापा, लघुता, गरीबी, मिठास, गंदगी आदि।

संज्ञा से – लड़कपन, बुढ़ापा, मनुष्यता, दोस्ती, पंडिताई आदि।

सर्वनाम से – अपनापन, ममत्व, अहंकार, स्वत्व आदि।

क्रिया से – चढ़ाई, पढ़ाई, घबराहट, बनावट, आदि।

अव्यय से – धिक्कार, निकटता, दूरी आदि।

संज्ञा शब्दों की रूप रचना

निम्नलिखित वाक्यों को देखिए :

लड़का आ रहा है।	(*लड़का* मूल शब्द है)
दो *लड़का* आ रहा है।	(अशुद्ध वाक्य)
दो *लड़के* आ रहे हैं।	(शुद्ध वाक्य) *लड़का* का बहुवचन रूप
उस *लड़का* ने रोटी खाई।	(अशुद्ध वाक्य)
उस *लड़के* ने रोटी खाई।	(शुद्ध वाक्य) *लड़का* का परसर्ग के साथ आने वाला रूप
सभी *लड़का* को परिश्रम से पढ़ना चाहिए।	(अशुद्ध वाक्य)
सभी *लड़कों* को परिश्रम से पढ़ना चाहिए।	(शुद्ध वाक्य) *लड़का* का बहुवचन परसर्ग के साथ आने वाला रूप

ऐसे ही :

नदी बह रही है।	(*नदी* मूल शब्द है।)
प्रयाग में तीन *नदी* मिलती है।	(अशुद्ध)
प्रयाग में तीन *नदियाँ* मिलती हैं।	(शुद्ध वाक्य)

इस प्रकार आपने देखा कि वाक्य में संज्ञा शब्द कभी-कभी अपने मूल रूप में आता है, (जैसे – लड़का) और कभी अपने परिवर्तित रूप में (जैसे – लड़के। लड़कों)। ये

परिवर्तन रूप-रचना के नियमों के अंतर्गत होते हैं। रूप-रचना में यह बताया जाता है कि कहाँ शब्द अपने मूल रूप में आता है और कहाँ परिवर्तित रूप में; और, जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ यह परिवर्तन कैसे होता है। रूप-रचना के नियमों से प्राप्त शब्द के मूल और परिवर्तित रूपों को प्रायः सारणी (टेबिल) द्वारा दिखाया जाता है और इस सारणी को हम *रूपावली* कहते हैं। हिंदी के संज्ञा शब्दों की रूपावली में रूप (i) वचन (एकवचन – बहुवचन) तथा (ii) विभक्ति (परसर्गहीन अर्थात् *मूल* – परसर्ग सहित अर्थात् तिर्यक्) के अनुसार चलते हैं।

संज्ञा के *चार* रूपावली वर्ग हैं :-

वर्ग (1) – पुंलिंग आकारांत : लड़का, बच्चा, कमरा, खिलौना आदि।

वर्ग (2) – पुंलिंग आकारांत से भिन्न : घर, मुनि, माली, गुरु, चाक, चौबे, जौ आदि।

वर्ग (3) – स्त्रीलिंग इ/ई कारांत तथा – इया प्रत्ययांत : नदी, कोठरी, बेटी, विधि, रीति, बुढ़िया आदि।

वर्ग (4) – स्त्रीलिंग इ/ई कारांत आदि से भिन्न: माता, बहन, वस्तु, बहू, बालू, गौ आदि।

इन वर्गों के कुछ अपवाद भी हैं, जिनका वर्णन नीचे रूपावलियों के साथ किया जा रहा है। रूपावलियों में संबोधन में प्रयुक्त रूप भी दे दिए गए हैं।

रूपावली वर्ग (1) पुंलिंग आकारांत

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल (परसर्ग रहित)	लड़का, घोड़ा (∅)	लड़के, घोड़े (- ए)
तिर्यक् (परसर्ग सहित)	लड़के, घोड़े (- ए)	लड़कों, घोड़ों (- ओं)
संबोधन	हे लड़के (- ए)	हे लड़को (- ओ)

टिप्पणी : ( ) कोष्ठक में प्रत्यय दिए गए हैं जो मूल शब्द के साथ लगते हैं। (∅) का तात्पर्य शून्य है। अर्थात् यहाँ कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है।

अपवाद : निम्नलिखित प्रकार के आकारांत शब्द इस रूपावली वर्ग में नहीं आते हैं वे नीचे दी गई रूपावली- 2 के अंतर्गत आते हैं।

क. कुछ आकारांत संस्कृत शब्दः राजा, पिता, योद्धा, दाता, महात्मा, नेता, ब्रह्मा आदि।
ख. कुछ आकारांत रिश्ता-सूचक शब्दः नाना, बाबा, मामा, चाचा, दादा, जीजा आदि।
ग. कुछ आकारांत देशी/ तद्भव शब्दः मुखिया, अगुआ, आदि।

रूपावली वर्ग (2) पुंलिंग आकारांत से भिन्न

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल (परसर्गसहित)	घर, गुरु, माली, डाकू (∅)	घर, गुरु, माली, डाकू (∅)
तिर्यक् (परसर्गसहित)	घर, गुरु, माली, डाकू (∅)	घरों, गुरुओं, मालियों, डाकुओं (- ओं)
संबोधन	हे माली (∅)	हे मालियो (- ओ)

ऊपर बताए अपवाद शब्द इस वर्ग में आते हैं, जैसे –
वहाँ बहुत से *योद्धा* (या महात्मा) इकट्ठे हुए।
मेरे तीनों *मामा* आज यहाँ आए थे।
इस बैठक में सभी *मुखिया* आ रहे हैं।

रूपावली वर्ग (3) स्त्रीलिंग इ/ई कारांत और - इया प्रत्ययांत शब्द

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल (परसर्गरहित)	नदी, विधि, बुढ़िया (∅)	नदियाँ, विधियाँ, बुढ़ियाँ (- ओं)
तिर्यक् (परसर्गसहित)	नदी, विधि, बुढ़िया (∅)	नदियों, विधियों, बुढ़ियों (- ओं)
संबोधन	हे बुढ़िया (∅)	हे बुढ़ियो (- ओं)

टिप्पणी : इया प्रत्यय लगे स्त्रीलिंग शब्द, जैसे – बुढ़िया, तकिया, कुटिया, गुड़िया, डिबिया, चिड़िया आदि – इसी रूपावली वर्ग में आते हैं।

वर्ग (4) स्त्रीलिंग इकारांत, ईकारांत और - इया प्रत्ययांत से भिन्न

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल (परसर्गरहित)	बात, बहन, माता, वस्तु, बहू (∅)	बातें, बहनें, माताएँ, वस्तुएँ, बहुएँ (- एँ)
तिर्यक् (परसर्गसहित)	बात, बहन, माता, वस्तु, बहू (∅)	बातों, बहनों, माताओं, वस्तुओं, बहुओं (- ओं)
संबोधन	हे बहन !	हे बहनो (- ओ)

रूप-रचना में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है :

1. विभिक्ति प्रत्यय अकारांत शब्दों में (चाहे वे पुंलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग) मात्रा के रूप में (जैसे , रें, रों लगते हैं। जैसे, घर, घरों, बहन- बहनें- बहनों)।
2. विभक्ति प्रत्यय आकारांत पुंलिंग शब्दों में मात्रा के रूप में लगते हैं। जैसे घोड़े - घोड़ों। इया प्रत्यायांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी यही स्थिति है।
3. विभक्ति प्रत्यय आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बाद में अपने मूलरूप (- एँ, - ओं) में लगते हैं। जैसे – माताएँ- माताओं।
4. विभक्ति प्रत्यय अकारांत/आकारांत से भिन्न शब्दों के साथ अपने मूल रूप (- एँ - ओं) में लगते हैं, किंतु इकारांत और अकारांत शब्द ह्रस्व इकारांत और उकारांत हो जाते हैं तथा इकारांत/ ईकारांत के बाद प्रत्ययों के पहले - य का आगम भी होता है –
(पुं.) गुरूओं, डाकुओं; माली + ओं → मालि + यू + ओं = मालियों
(स्त्री) वस्तुओं, बहुओं; नदी + ओं → नदि + यू + ओं = नदियों।
5. संबोधन बहुवचन में '- ओ' लगता है। प्राय: 'ओं' लगा देते हैं, जो कि अशुद्ध है।

वचन

हिंदी में दो वचन होते हैं – *एकवचन* और *बहुवचन*। यदि केवल एक लड़का या एक किताब, या एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है, तो एकवचन है, और, यदि दो/ दो से अधिक लड़के, किताबें, या पेड़ हैं तो बहुवचन है।

वचन के साथ *गणनीय अगणनीय* वाला भेद जुड़ा है – कुछ संज्ञाएँ *गणनीय* होती हैं और कुछ *अगणनीय* : आदमी, मेज, किताब, पेंसिल आदि गिनी जा सकती हैं और गिन

कर बताया जा सकता है कि उनका कौन-सा समूह बड़ा है, किन्तु आटा, दूध, पानी, सोना को गिना नहीं जा सकता है, केवल माप-नाप-तोल से बताया जा सकता है कि कौन-सा नमूना अधिक है, कौन-सा कम। अतएव *गणनीय* संज्ञाएँ वे हैं, जो गिने जा सकने वाले व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं का बोध कराती हैं, इनके साथ संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग हो सकता है और जातिवाचक संज्ञाएँ इस भेद के अंतर्गत आती हैं। *अगणनीय* संज्ञाएँ वे हैं जो गिनी नहीं जा सकती हैं, जिन्हें केवल मापा-नापा-तोला जा सकता है, जिनके साथ परिमाण वाचक विशेषण लगते हैं और इस भेद के अंतर्गत एकवचन में प्रयुक्त समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक आते हैं।

वचन प्रयोग संबंधी कुछ नियम

1. बहुवचन की अभिव्यक्ति रूपावली में बहुवचन रूपों द्वारा होती है, जैसे – लड़के, लड़कों ने, माताएँ, माताओं ने आदि। बहुवचन बनाने की एक विधि वर्ग, वृंद, गण, जन, लोग आदि लगाने की है, जैसे – अधिकारी वर्ग, पक्षीवृंद, पाठकगण, स्त्रीजन, सभ्य लोग आदि।
2. बहुवचन रूपों का प्रयोग आदर दिखाने के लिए भी होता है, जैसे –
   गुरु जी आ रहे हैं (यद्यपि केवल एक गुरु आ रहे हैं)
   युधिष्ठिर सत्यवादी थे।
3. हिंदी के कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे – दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, बाल (केश) आदि। उदाहरणार्थ :
   मैं आपके *दर्शन* के लिए आया हूँ।
   कृपया प्रधानाचार्य जी के *हस्ताक्षर* करा लाइए।
   घरवालों के *समाचार* बहुत दिनों से नहीं मिले हैं।
   उसके *बाल* बहुत घुँघराले हैं।
   शेर देखते ही उसके *प्राण* निकल गए।
4. कुछ शब्द, इसके विपरीत, सदैव एकवचन में रहते हैं। जैसे – जनता, वर्षा, हवा, आग आदि।
   इस देश की *जनता* आजकल महँगाई से त्रस्त *है*।
   कितनी अच्छी *वर्षा* हो रही *है*।
   हवा कितने जोरों से चल रही *है*।
   आग ने मकान को चारों ओर से *घेर लिया*।

लिंग

हिंदी में दो लिंग – पुंलिंग और स्त्रीलिंग हैं । हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, प्रत्येक संज्ञा शब्द को पुंलिंग और स्त्रीलिंग – इन दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य है, क्योंकि संज्ञा के लिंग (व्याकरणिक लिंग) के अनुसार विशेषण और क्रिया के रूप चलते हैं (लड़का *पढ़ता है,* लड़की *पढ़ती है,* अच्छा *लड़का,* अच्छी *लड़की*) ।

लिंग की समस्या मुख्य रूप से जड़ वस्तुओं, जैसे – पहाड़, नदी, हवा, दही, घी आदि में है । इन सब में पुंलिंग (पुरुष जाति) या स्त्रीलिंग (स्त्री जाति) जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, किंतु व्याकरणिक रचना के लिए संज्ञा शब्द की पुंलिंग या स्त्रीलिंग में से किसी-न-किसी एक में होना आवश्यक है । मनुष्यों में तथा सुपरिचित जीवों में तो वास्तविक पुरुषभाव या स्त्रीभाव के अनुसार शब्द का लिंग निर्धारित हो जाता है, कुछ प्राणियों में *नर* या *मादा* पहले लगा कर पुंलिंग - स्त्रीलिंग रूप स्पष्ट किए जाते हैं, जैसे – नर भेड़िया - मादा भेड़िया । किंतु अधिकतर प्राणियों को रूढ़ि द्वारा किसी एक लिंग में निश्चित कर दिया जाता है चाहे जीवशास्त्र के अनुसार वह नर हो या मादा – कौआ पुंलिंग होता है जबकि कोयल स्त्रीलिंग, भेड़िया पुंलिंग होता है जबकि लोमड़ी स्त्रीलिंग ।

उभयलिंगी शब्द

वर्तमान समाज में कुछ पद – वाची शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पद पर स्थित व्यक्ति पुरुष-हो, चाहे स्त्री । जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर आदि ।

लिंग परिवर्तन में प्रयुक्त प्रत्यय

(क) जहाँ एक शब्द ही के दो रूप – पुंलिंग व स्त्रीलिंग रूप – मिलते हैं, वहाँ युग्मों (जोड़ों) में एक मूलशब्द होता है और दूसरा प्रत्यय से लगा हुआ मिलता है । सामान्यतया प्रचलित युग्म (जोड़े) इस प्रकार हैं :

– आ – ई – लड़का- लड़की, बेटा- बेटी, मामा- मामी, बकरा- बकरी आदि ।

– आ – इया – बूढ़ा- बुढ़िया, चूहा- चुहिया, कुत्ता- कुतिया आदि ।

– उन अनी/इन – (पशु -पक्षियों में) शेर- शेरनी, मोर- मोरनी, नाग- नागिन आदि।

– अ – आइन/– इन	व्यवसायबोधी	सुनार- सुनारिन, ठाकुर- ठकुराइन
– आ – आइन	शब्दों में	पंडा- पंडाइन
– ई – आइन/- इन		माली- मालिन, हलवाई- हलवाइन

– अ/ई आनी – जेठ- जिठानी, देवर- देवरानी; चौधरी- चौधरानी

संस्कृत युग्म –

– अ – आ – छात्र- छात्रा, शिष्य- शिष्या

– अ – ई – देव- देवी, ब्राह्मण- ब्राह्मणी

– अक – इका – बालक- बालिका

(ख) कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द मूलशब्द होता है और उससे बना पुंलिंग युग्म में दिखाई देता है। जैसे जीजी-जीजा, मौसी-मौसा, बहन-बहनोई, ननद-ननदोई, भैंस-भैसा । "बुआ-फूफा" भी इसी कोटि का युग्म है ।

(ग) संस्कृत के कुछ प्रचलित प्रत्यय

– वान, मान : वती, मती – श्रीमान- श्रीमती आदि ।

– अ आ – प्रियतम- प्रियतमा आदि ।

– अक इका – बालक- बालिका, अध्यापक- अध्यापिका, नायक- नायिका आदि ।

लिंग संबंधी शब्द युग्म

कुछ पुंलिंग तथा उसके स्त्रीलिंग रूपों के लिए पृथक- पृथक शब्द प्रचलित हैं । जैसे – गाय- बैल, वर- वधू, पिता- माता, पुरुष- स्त्री, विद्वान- विदुषी, सम्राट- सम्राज्ञी, विधुर- विधवा, राजा- रानी युग्मों में पर्याप्त भिन्नता है । किन्तु मूल में एक ही शब्द है ।

संस्कृत में प्रचलित लिंग से हिंदी में भिन्नता

कुछ संस्कृत शब्दों में संस्कृत में प्रचलित लिंग से भिन्न लिंग हिंदी में मिलता है । संस्कृत में *आत्मा, महिमा* आदि पुंलिंग हैं, किंतु हिंदी में ये स्त्रीलिंग हैं, *अग्नि* शब्द भी इसी कोटि में आता है । इसके विपरीत संस्कृत में *व्यक्ति* स्त्रीलिंग है, किंतु हिंदी में यह पुंलिंग है ।

कारक

कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है *क्रिया को करने वाला* अर्थात् क्रिया को पूरी करने में किसी-न-किसी भूमिका को निभाने वाला । व्याकरण में भी बिल्कुल ऐसा ही अर्थ है । किसी भी *क्रिया* को संपन्न अथवा पूरा करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग-अलग प्रकार की भूमिकाओं के अनुसार अलग-अलग *कारकों* में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं । जैसे –

मोहन बल्ले से गेंद खेल रहा है ।

इस वाक्य में *खेलना* क्रिया से संज्ञा शब्द *मोहन बल्ला गेंद* संलग्न हैं । क्रिया *खेलना* की संपन्नता अर्थात् पूरे होने में इन तीनों का महत्त्वपूर्ण योगदान है । *खेलना* क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जैसे – *मोहन* खेलने वाला हो, कोई वस्तु जैसे – गेंद हो

जिसे खेला जाए और कोई साधन जैसे – बल्ला (या हाथ हो) जिससे गेंद खेला जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग-अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएँ कारकों के अलग-अलग भेदों जैसे – कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। (ऊपर दिए वाक्य में *मोहन* कर्ता, *गेंद* कर्म, *बल्ला* करण है।)

क्रिया से संलग्न शब्दों को, इस प्रकार, इन भूमिकाओं में से किसी-न-किसी भूमिका को निभाना आवश्यक होता है; दूसरे शब्दों में, वाक्य स्थित संज्ञा के लिए *कारक* एक अनिवार्य *व्याकरणिक कोटि* है। अर्थात् *कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह स्पष्ट करती है कि संज्ञा आदि शब्द वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका से संबद्ध हैं।*

कारक के भेद

कारक के मुख्य भेद छह माने जाते हैं :

1. *कर्ता* – (क्रिया को करने वाला)
2. *कर्म* – (जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े)
3. *करण* – (जिस साधन से क्रिया हो)
4. *संप्रदान* – (जिस की हित-पूर्ति क्रिया से हो)
5. *अपादान* – (जिससे अलगाव हो)
6. *अधिकरण* – (क्रिया-प्रक्रिया संचालन का आधार)

कुछ लोग निम्नलिखित दो भेदों को भी कारक के अंतर्गत रखते हैं :

7. *संबंधकारक* – (क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करने वाला)
8. *संबोधन कारक* – (जिस संज्ञा को पुकारा जाए)

इनका विवरण क्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है :

1. **कर्ता** : प्रत्येक क्रिया के साथ *कर्ता* अवश्य होता है, बिना कर्ता के क्रिया हो ही नहीं सकती। कर्ता प्रायः चेतन होता है, जैसे कोई मनुष्य या कोई प्राणी। उदाहरणार्थ – लड़का खेल रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। *कर्ता* कोई प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य चमकता है, बादल गरजते हैं, पत्थर लुढ़क रहा है, नदी बह रही है आदि। इस प्रकार *क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं।*

जैसा कि आपने ऊपर के उदाहरणों में देखा *कर्ता* में कोई परसर्ग प्रायः नहीं लगता। परसर्ग *ने* का प्रयोग सीमित क्रिया रूपों के साथ (सकर्मक पूर्णकृदंती समापिका क्रिया के साथ) होता है, जैसे – मोहन ने बड़े आराम से पूरी किताब पढ़ ली। परसर्ग *से* का प्रयोग कर्मवाच्य/भाववाच्य में होता है, जैसे – *मोहन से मारे दर्द के खाया नहीं जा रहा है।* परसर्ग

को वाक्य – *मोहन को कल दिल्ली जाना है* , आदि में मिलता है। इस प्रकार कर्ता के परसर्ग ∅ ने, से, को हैं।

2. **कर्म** : *मोहन दूध पी रहा है। श्याम किताब पढ़ रहा है। गोविंद गेंद खेल रहा है।* इन वाक्यों में *मोहन क्या पी रहा है?* का उत्तर होगा *दूध,* श्याम क्या पढ़ रहा है ? का उत्तर होगा *किताब.* गोविंद क्या खेल रहा है ? का उत्तर होगा *गेंद*। इन वाक्यों में *दूध, किताब, गेंद* कर्म हैं। इनके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो पाती।

ऊपर के उदाहरणों से आप को स्पष्ट हुआ होगा कि कर्म के साथ प्रायः परसर्ग नहीं मिलता है। कभी-कभी *को* परसर्ग का प्रयोग अवश्य दिखाई पड़ता है जैसे – उस किताब को ज़रा उठा दीजिए। राम ने रावण *को* अन्ततः मार डाला।

3. **करण** : कर्म के समान ही *करण* महत्त्वपूर्ण है। आप किसी क्रिया-प्रक्रिया को कर ही नहीं सकते जब तक उस क्रिया को पूरी करने के लिए आप के पास आवश्यक साधन न हों जैसे – यदि आप लिखना चाहते हैं, किंतु आपके पास *कलम* आदि न हों, तो लिखेंगे कैसे। इस प्रकार *करण* साधनरूप होने के कारण *कारक* होता है।

करण के सूचक परसर्ग *से* और संबंध बोधक अव्यय *के द्वारा* प्रमुख रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे – मोहन चाकू *से* फल काट रहा है। मोहन ने यह किताब नौकर *द्वारा* भिजवाई है।

4. **संप्रदान** : प्रत्येक क्रिया किसी-न-किसी प्रयोजन से तथा किसी-न-किसी की हितपूर्ति के लिए की जाती है। जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक में होता है। संप्रदान के सूचक परसर्ग *को, के लिए* तथा संबंध बोधक अव्यय *के वास्ते, के हेतु* आदि हैं। जैसे –

मोहन ने सोहन *को* अपनी पुस्तक दे दी है।

मैं अपनी माता *के लिए* दवा ले आया हूँ।

वह इलाज *के लिए* दिल्ली आ रहा है।

टिप्पणी : *को* परसर्ग *कर्म कारक* और *संप्रदान कारक* दोनों में आता है। इसलिए ध्यान-पूर्वक वाक्य पढ़ें और निश्चय करें कि *को* किस कारक में है। यदि *देना* आदि द्विकर्मी क्रियाएँ हैं, तो *को* संप्रदान में होगा।

5. **अपादान** : अपादान कारक उस स्थिति की ओर इशारा करता है, जो क्रिया चालू होने के पूर्व थी और क्रिया के कारण जिससे अलगाव हुआ। जैसे – *पेड़ से पत्ता गिरा,* वाक्य में पत्ता पहले पेड़ पर लगा था, *गिरना* क्रिया से उसका पेड़ से अलगाव हुआ। *अपादान* कारक मुख्यतया गत्यर्थक क्रियाओं में स्रोत (मूलस्थान) के साथ लगता है। जैसे –

मोहन दिल्ली *से* आज ही आया है।

गंगा हिमालय *से* निकलती है।

अपादान का मुख्य परसर्ग *से* है।

टिप्पणी : *से* परसर्ग *करण कारक* और *अपादान कारक* दोनों में आता है। अतः ध्यानपूर्वक वाक्य को पढ़ें और देखें कि वहाँ साधन/करण का अर्थ है या अलगाव का।

6. **अधिकरण** : प्रत्येक क्रिया किसी-न-किसी स्थान पर होती और किसी-न-किसी काल से संबद्ध होती है। इस स्थान संबंधी या काल संबंधी आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण के सूचक परसर्ग *में, पर* तथा स्थान-कालवाची संबंध बोधक अव्यय *के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले* आदि हैं। जैसे –

मेज *पर/ के ऊपर* किताब रखी है।

पिताजी घर पर कमरे *में* हैं।

चारपाई *पर* चादर बिछा दीजिए।

समय के साथ *में पर* के अतिरिक्त *को* भी आता है।

वह अगले *साल* आयेगा।

मैं शाम *को* आऊँगा।

परीक्षा मार्च *में* होगी।

गाड़ी दस बजकर दस मिनट *पर* छूटती है।

7. **संबंध कारक** : संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा *का* संबंध स्थापित करता है। इस में संबंधवाचक रूप (- का, - की, - के) लगता है। जैसे –

यह राम *की* किताब है।

इन फूलों *का* रंग बहुत सुहावना है।

8. **संबोधन कारक** : यह ध्यान आकर्षित करते समय अथवा चेतावनी देते समय प्रयुक्त होता है। शब्द के पूर्व प्रायः विस्मबादि बोधक अव्यय है। अरे ! आदि लगते हैं, जैसे –

अरे मोहन ! यहाँ आना।

सज्जनो और देवियो ...

यहाँ यह ध्यान रखें कि प्रत्यय *ओ* है , *-ओं* नहीं।

प्रश्न और अभ्यास

1. संज्ञा किसे कहते हैं ? कोई तीन उदाहरण लिखिए ।
2. संज्ञा के कौन से तीन भेद हैं ? प्रत्येक भेद का एक- एक उदाहरण दीजिए ।
3. नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और संज्ञा शब्दों को छाँट कर तीनों भेदों के दो- दो उदाहरण दीजिए ।
   "मोहन एक अच्छा लड़का है । एक दिन वह पहाड पर गया । उस पहाड़ को हिमालय पर्वत कहा जाता है । गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है । मोहन की बचपन से ही यह इच्छा थी कि वह पहाड़ों की ऊँचाई और नदियों की गहराई को निकट से देखे । उसने इनको हरिद्वार में देखा । इनकी सुंदरता देख कर वह प्रसन्न हो गया ।"
4. द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के दो- दो उदाहरण देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए ।
5. नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए :
   अच्छा, लड़का, सुंदर, शत्रु, बच्चा, लड़ना, बुरा, बूढ़ा, कछुआ, गर्म, अपना, मीठा, पंडित, चतुर, बुनना ।
6. निम्नलिखित पुंलिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए :
   बेटा, चूहा, लड़का, बंदर, नाती, धोबी, नौकर, मोर, शेर, सदस्य, लेखक, कवि, देवर, माली, श्रीमान ।
7. निम्नलिखित शब्दों के मूल विभक्ति में बहुदचन रूप लिखिए :
   जाति, बहन, रोटी, पुस्तक, माला, कक्षा, बस, कहानी, महिला, राज, गुड़िया, बहू , कमरा, चिड़िया, परछाई ।
8. नीचे दिए गए वाक्यों में बहुवचन के गलत प्रयोगों को पहचानिए और उन्हें सही रूप में लिखिए :
   1. उन स्त्री ने खाना खा लिया ।
   2. दो लड़के आ रहे हैं ।
   3. महिलाओं लड़ रही हैं ।
   4. उन कमरे में बिजली नहीं है ।
   5. उसकी रुचिएँ फिल्म देखना और कहानी पढ़ना हैं ।
   6. भारत में कई पवित्र नदियां हैं ।
9. कारक किसे कहते हैं ? कारक के भेदों का परिचय दीजिए ।
10. ने परसर्ग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए :
    1. राम खाना खा रहा है ।
    2. श्याम मोहन को पुस्तक देता है ।
    3. गोपाल रोटी खा चुका ।
    4. आप यह क्यों कह रहे हैं ?
    5. प्रधानमंत्री सूखा- क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं ।
11. निम्नलिखित वाक्यों से कारकों को छाँटकर उनके [illegible] लिखिए :
    1. मोहन चाकू से फल [illegible] रहा है ।

2. मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक दे दी है।
3. रमेश को स्कूल जाना है।
4. वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है।
5. गंगा हिमालय से निकलती है।
6. मैं कलम से पत्र लिखूँगा।
7. वह दुकान पर नहीं है।
8. वह कल घर पर था।
9. परीक्षा मार्च में होगी।
10. मैं शाम को आऊँगा।

12. निम्नलिखित शब्दों में से गणनीय और अगणनीय संज्ञा- शब्दों की अलग- अलग सूची बनाइए :
पेड़, कुर्सी, पानी, किताब, हवा, नदी, गेहूँ, आटा, दूध, घर।
13. दो वाक्य ऐसे बनाइए, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई हो।
14. कर्म और संप्रदान अथवा करण और अपादान कारकों का अंतर स्पष्ट करते हुए दो उदाहरण दीजिए।

अध्याय 8

सर्वनाम

सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है – सर्व (- सब) का *नाम*। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं, जिनका प्रयोग सब प्रकार के *नामों* (- संज्ञाओं) के लिए अथवा उनके स्थान पर हो सके। सर्वनामों का सबसे अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार-बार उसी रूप में आने से बचाने के लिए होता है।

उदाहरणार्थ इन वाक्यों को देखिए :

मोहन सुबह आया था। *मोहन* व्याकरण की पुस्तक आज ही दे गया है, क्योंकि *मोहन* कल दिल्ली चला जाएगा।

यहां *मोहन* तीन बार आया है। *मोहन* शब्द का बार-बार आना अट-पटा सा लगता है। अतएव *सर्वनाम* का प्रयोग करने के बाद ये वाक्य इस प्रकार बन जाएंगे :

मोहन सुबह आया था। *वह* व्याकरण की पुस्तक आज ही दे गया है, क्योंकि *वह* कल दिल्ली चला जाएगा।

इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य:

मोहिनी सुबह आई थी। *मोहिनी* व्याकरण की पुस्तक आज ही दे गई है, क्योंकि *मोहिनी* कल दिल्ली चली जाएगी।

सर्वनाम के प्रयोग के बाद निम्न बन जाएँगे :

मोहिनी सुबह आई थी। *वह* व्याकरण की पुस्तक आज ही दे गई है, क्योंकि *वह* कल दिल्ली चली जाएगी।

ऊपर सर्वनाम *वह मोहन* के लिए भी आया है, *मोहिनी* के लिए भी। व्यवहार में वह अन्य संज्ञाओं (नामों) के लिए आ सकता है। सभी संज्ञाओं के लिए आ सकने के कारण

वह *सर्वनाम* है।

सर्वनाम का संकेतार्थ उस प्रकार स्थिर नहीं होता है, जिस प्रकार संज्ञा, क्रिया या विशेषण का। *गाय* सुनते ही आप के मन में एक प्राणि-विशेष का बिंब आ जाता है, *कूद रही है* सुनते ही आपके मन में किसी के ऊपर उछलने और फिर जमीन पर बार-बार आने का चित्र आ जाता है, विशेषण *भूरी* सुनते ही कुछ रंगविशेष के गुण का आभास मिलता है। किन्तु *मैं, तुम, वह, यह, कौन* आदि सर्वनाम शब्द कोई चित्र नहीं प्रस्तुत करते। उनका अर्थ कथन से या बातचीत के संदर्भ से निकलता है – मोहन यदि कहता है कि *मैं जा रहा हूँ* तो *मैं* का अर्थ *मोहन* है; किंतु यदि इसी वाक्य को सोहन बोलता है तो *मैं* का अर्थ *सोहन* है। इस प्रकार सर्वनाम व्याकरणिक - शब्द होते हैं।

सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं।

ये कभी-कभी पूरे वाक्य या पूरे कथन के स्थान पर भी आते हैं, विशेषतः निश्चय-वाचक *यह*, जैसे –

तुम अवश्य आओगे, *यह* मुझे मालूम था।

मैं *यह* चाहता हूँ कि आप अवश्य मेरे यहाँ आएँ।

यहाँ पहले वाक्य में *यह, तुम अवश्य आओगे* का प्रतिनिधि शब्द है, जब कि वाक्य *यह, आप अवश्य मेरे यहाँ आएँ* का प्रतिनिधि शब्द है।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के छह प्रमुख भेद माने जाते हैं :

1. पुरुषवाचक : मैं (हम) ; तुम (तू , आप); वह (यह) (आप)
2. निश्चयवाचक : यह (समीपवर्ती); वह (दूरवर्ती)
3. अनिश्चयवाचक : कोई (प्राणीवाची); कुछ (अप्राणीवाची)
4. प्रश्नवाचक : कौन (प्राणीवाची); क्या (अप्राणीवाची)
5. संबंधवाचक : जो... सो (वह)
6. निजवाचक : आप (स्वयं, खुद)

1. पुरुषवाचक सर्वनाम

बातचीत, वक्तव्य आदि में यह भेद सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह भेद वक्ता को केन्द्र में रखकर किया जाता है। वक्ता कभी अपने लिए भी सर्वनाम का प्रयोग करता है (उत्तम पुरुष सर्वनाम) कभी उस सामने उपस्थित, व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, जो बात सुन रहा है (मध्यम पुरुष सर्वनाम) और कभी ऐसे व्यक्ति प्राणी

या वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है जो अनुपस्थित या दूरस्थित हो और जिसकी चर्चा हो रही हो (अन्य पुरुष सर्वनाम), इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं :

(क) *उत्तम पुरुष* : वक्ता/लेखक अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। *मैं* और *हम* उत्तम पुरुष सर्वनाम है।

(ख) *मध्यम पुरुष* : श्रोता/पाठक के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। *तुम* मध्यम पुरुष सर्वनाम है। *तू* और *आप* (सामने उपस्थित आदरणीय व्यक्ति के लिए भी) मध्यम पुरुष है।

(ग) *अन्य पुरुष* : वक्ता/लेखक तथा श्रोता/पाठक से भिन्न व्यक्ति प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। *वह* अन्य पुरुष का मुख्य सर्वनाम है; समीपस्थ के लिए *यह* और आदरणीय के लिए प्रयुक्त *आप* भी अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं।

आदर के अर्थ में प्रयुक्त *आप* प्रायः मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे – *आप कृपया यहाँ बैठिए,* किंतु कभी-कभी यह अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे – *महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका (= उनका) जन्म पोरबंदर में हुआ था।* आपका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है।

तू (मध्यम पुरुष एकवचन) का विशेष प्रयोग (1) प्यार दुलार और अति आत्मीयता और (2) निरादर तथा हीनता दिखाने के लिए होता है। सामान्य व्यवहार में श्रोता/पाठक के लिए-*तुम* का ही प्रयोग होता है।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना-व्यापारों का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूरवर्ती के लिए *वह* तथा समीपवर्ती के लिए *यह* का प्रयोग होता है। जब अंगुली उठाकर या अन्य इशारे से किसी के प्रति संकेत देते हैं तब इसे संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे – क्या गड़बड़ कर रहे हो ? तुम्हारी कलम तो *वह* है और मेरी कलम *यह*। रूप-रचना की दृष्टि से अन्य पुरुष और निश्चयवाचक/संकेतवाचक में कोई भेद नहीं है, तीनों में एकसमान *यह, वह* ... है।

सर्वनाम *यह* का प्रयोग कुछ पहले कहे (और कभी-कभी बाद में कहे जानेवाले) वाक्य या कथन के संकेतित करने में भी होता है। जैसे –

भारत कृषि प्रधान देश है, *यह* सब जानते हैं।

मैं *यह* चाहता हूँ कि आप सब बड़े होकर समाज में ऊँचा स्थान पाएँ।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाषा-व्यवहार में ऐसी स्थिति तब आती है, जब किसी व्यक्ति आदि का आभास तो आप को है, किंतु आप उसके संज्ञा - नाम के संबंध में निश्चित नहीं हैं। इस स्थिति में *व्यक्ति* के लिए *कोई* का और *अप्राणी* आदि के लिए *कुछ* का प्रयोग करते हैं, जैसे –

दरवाजा खटका है, *कोई* आ रहा है।

दूध में *कुछ* पड़गया है, उसे निकाल कर पीना।

मोहन का *कुछ* खो गया है, तभी टॉर्च से ढूँढ़ रहा है।

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया-व्यापार आदि के विषय मे प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप यदि व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं तो *कौन* का प्रयोग करते है, अन्यथा *क्या* का। जैसे –

देखो, *कौन* आया है।

हम सब तो जा रहे हैं, पर घर पर *कौन* रहेगा।

आप खाने में *क्या* लेंगे ?

कौन- सा का प्रयोग अप्राणियों के साथ भी होता है। जैसे –

यहाँ कई कमरे हैं, आप *कौन- सा* पसंद करेंगे ?

5. संबंधवाचक सर्वनाम

मिश्र वाक्य की रचना में जिस सर्वनाम से अन्य उपवाक्य में आई संज्ञा या सर्वनाम से सबंध स्थापित होता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। *जो* संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रयोग के उदाहरण:

1. मेरी वह कलम खो गई *जो* मुझे जन्म दिन पर मिली थी।
2. यह मेरे (वह) *भाई* हैं *जो* पिछले साल अमेरिका गए थे।
3. *जो* मेहनत करेगा *वह* सफल होगा।
4. *जिसको* आपने बुलाया था, *वह* आया है।

यहाँ पहले दो वाक्यों में जो सर्वनाम से पूर्ववर्ती उपवाक्य में आए संज्ञा शब्द *कलम* या *भाई* से संबंध स्थापित होता है, जबकि बादवाले दोनों वाक्यों में *जो* या *जिस* से परवर्ती उपवाक्य में आए सर्वनाम *वह* से संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार *जो, जिस* संबंधवाच

सर्वनाम रूप हैं। *जो* जिस अन्य उपवाक्य स्थित *वह* से संबंध स्थापित करता है, उसे अर्थात् वह को नित्य संबंधी सर्वनाम कहते है। पहले यहाँ *सो* सर्वनाम प्रयुक्त हुआ करता था।

उदाहरणार्थ :

जो सोएगा *सो* खोएगा।

6. निजवाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम निज के लिए अर्थात् स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका संबंधवाची रूप *अपना, अपनी, अपने* है। उदाहरणार्थ – मैं *अपनी* किताब ले जा रहा हूँ। हम *अपने* देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। *आप* का प्रयोग *अपने* आप स्वयं खुद के स्थान पर भी होता है – *आप* किसी को भेजिए नहीं, मैं *आप* (स्वयं/खुद) आ जाऊँगा।

सर्वनाम की रूप रचना

सर्वनाम के चार रूपावली वर्ग हैं :

रूपावली वर्ग – 1 : पुरुषवाचक *मैं तुम*

रूपावली वर्ग – 2 : निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक

रूपावली वर्ग – 3 : अनिश्चयवाचक

रूपावली वर्ग – 4 : निजवाचक

रूपावली वर्ग-1 : पुरुषवाचक

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल	मैं, तू	हम, तुम
तिर्यक् (ने)	मैं, तू -	हम, तुम
तिर्यक् (से, में, पर)	मुझ - तुझ	हम, तुम -
तिर्यक् (को)	मुझ, मुझे; तुझ, तुझे	हम, हमें, तुम, तुम्हें
संबंधवाची	मेरा/मेरी/मेरे; तेरा/तेरी/तेरे	हमारा/री/रे तुम्हारा री/रे

रूपावली वर्ग – 2 : निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल	यह, वह,कौन/क्या,जो	ये,वे ,कौन/क्या,जो
तिर्यक् (ने)	इस - उस - किस - जिस -	इन्हों - उन्हों - किन्हों - जिन्हों -
तिर्यक् (से, में, पर)	इस - उस - किस - जिस -	इन - उन - किन - जिन -
तिर्यक् (को)	इस - उस - किस - जिस -	इन - उन - किन - जिन -
	इसे - उसे - किसे - जिसे -	इन्हें - उन्हें - किन्हें - जिन्हें -
संबंधवाची (का/की/को)	इस - उस - किस - जिस -	इन - उन - किन - जिन -

रूपावली वर्ग – 3 : अनिश्चयवाचक

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल	कोई	कोई
तिर्यक्/संबंधवाची	किसी	किन्हीं

रूपावली वर्ग – 4 : निजवाचक

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल/तिर्यक्/संबंधवाची	(अपने) आप	(अपने) आप

नोट – *कुछ* का रूप सदा वही रहता है।

टिप्पणी

(1) सर्वनाम में लिंग के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे –

गाय भीतर आ गई है, *वह* पौधे तोड़ देगी।

गधा भीतर आ गया है, *वह* पौधे तोड़ देगा।

लिंग का पता *क्रिया रूपों* से लगता है, न कि सर्वनाम रूपों से।

(2) रूपावली के अनुसार उत्तम पुरुष एकवचन *मैं* है, किंतु कुछ क्षेत्रों में तथा कुछ स्थितियों में वक्ता अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे – *हम* कल दिल्ली जा रहे हैं, *मैं* कल दिल्ली जा रहा हूँ। इस कारण रूपावली में बहुवचन बताए, *हम* रूप के स्थान पर *हम लोग* (हम सब) का प्रचलन है।

(3) रूपावली के अनुसार मध्यम पुरुष एकवचन तू है, किन्तु इसका विशेष प्रयोग प्यार- दुलार, अधिक आत्मीयता और कभी- कभी निरादर अथवा हीनता दिखाने के लिए होता है। अतः श्रोता/पाठक (एकवचन) के लिए तुम का ही सामान्य प्रयोग है। आदर प्रदर्शित करते समय *आप* का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष की तरह यहाँ भी बहुवचन में रूपावली में दिखाए *तुम* रूप के स्थान पर *तुम लोग* (तुम सब) का प्रचलन है।

(4) एकवचन *कुछ* परिणाम बोधक है और बहुवचन *कुछ* संख्याबोधक है।

(5) मुझ, हम, तुझ, तुम, इस, इन, उस, उन, किस, किन में निश्चयार्थी – ई (ही) के योग से निश्चयार्थक रूप बनते हैं – मुझी, हमीं, तुझी, तुम्हीं, इसी, इन्हीं, उसी, उन्हीं, किसी, किन्हीं।

सर्वनामों के पुनरुक्ति -रूप

कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आते हैं और तब उनके अर्थ में कुछ विशिष्टता भी होती है। कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में भी आते हैं, जैसे – जो कोई।

जो – जो: जो आए, उसे खिलाओ।

कोई – कोई : कोई- कोई तो बिना बात बहस करते हैं।

क्या – क्या : आपने वहाँ क्या- क्या देखा।

कौन – कौन : कौन- कौन आ रहा है। किस- किस कमरे में छात्र बीमार है।

कुछ – कुछ : अब कुछ- कुछ याद आ रहा है।

कोई – न – कोई : जाओ, वहाँ कोई- न- कोई तो मिल ही जाएगा।

कुछ – न – कुछ : कुछ- न- कुछ करते ही रहना चाहिए।

जो कोई – जो कुछ : जो कोई आए, उसे रोक लो। जो कुछ मिले, रख लो।
अपना – अपना : अपना-अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ।

प्रश्न और अभ्यास

1. सर्वनाम किसे कहते हैं ? सोदाहरण लिखिए।
2. सर्वनाम के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए।
3. "मेरा बेटा अभी दिल्ली में है। उसका मकान बहुत बड़ा है। तुम दिल्ली जाना तो उससे जरूर मिलना। वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। मैं दिल्ली जाकर मोहन से मिला। उसने मुझे अपना घर दिखाया। उसकी पत्नी ने मुझसे पूछा "नमस्ते आप कैसे हैं ? मोहन ने पूछा, "आप कौन-से कमरे में रहेंगे। घर में कुछ कमरे ही हवादार हैं।" मैने कहा, "हमारा शहर छोटा है। हमारे घर में तो कोई भी कमरा हवादार नहीं है।"
   इस गद्यांश से पुरुषवाचक सर्वनाम छाँटिए और उन्हें पुरुषवाचक के भेदों के अनुसार लिखिए।
4. नीचे दिए गए वाक्यों में क्रियारूप को शुद्ध मानते हुए सही सर्वनाम का प्रयोग कीजिए :
   1. क्या तुम पत्र लिख चुके हैं ?
   2. तू आज मेरे साथ फिल्म देखने चलो।
   3. आप सब कुछ भूल चुका हूँ।
   4. तू परीक्षा दे चुके हैं।
   5. क्या आप दूध लाए हो ?
5. "आप" शब्द का प्रयोग आदरार्थ मध्यम परुष, अन्य पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में कीजिए।
6. नीचे के वाक्यों में तिरछे छपे सर्वनाम का नाम दीजिए और अपने वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए -
   1. *वह* घर पर नहीं है।
   2. *यह* मेरा घर है।
   3. बाहर देखो, शायद *कोई* आ रहा है।
   4. दूध में *कुछ* पड़ गया है, निकाल दो।
   5. मेरे पास एक घड़ी है *जो* मुझे शादी में मिली थी।
7. "तू" और "आप" का प्रयोग मध्यमपुरुष में आप कब करते हैं ?
8. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए :
   1. कुछ बाहर आया है, उसे अंदर बैठाओ।
   2. तुम तुम्हारी किताब लाओ।
   3. तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता।
   4. हम हमारे घर जा रहे हैं।
   5. मैं तुम्हारे घर गया था पर आप वहाँ नहीं थे, इसलिए हम लौट आए।

9. नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए
   1. मैं आपको मेरा पता दूँगा।
   2. तुम मुझे तुम्हारा पता दो।
   3. मैं मेरा किताब पढ़ रहा हूँ।
   4. मुझे मेरे से प्यार था।
   5. हम हमारे देश के लिए जान दे देंगे।
10. नीचे दिए गए संयुक्त सर्वनामों का वाक्यों मे प्रयोग कीजिए
   अपना- अपना, अपने- आप, जो कुछ, कुछ और, कुछ- न- कुछ, कोई- न- कोई, कोई और।

अध्याय 9

विशेषण

लाल कपड़ा, मोटा लड़का, ऊँचा मकान, काली गाय आदि रचनाओं पर ध्यान दें।

कपड़ा में *लाल* शब्द कपड़े की एक विशेषता *लाल* रंग बताता है, *मोटा लड़का* मोटा शब्द लड़के की एक विशेषता *मुटापा* बताता है और *ऊँचा मकान* में *ऊँचा* शब्द मकान एक विशेषता *ऊँचाई* बताता है। व्याकरण में इन-लाल और मोटा, ऊँचा आदि काली शब्दों इन रचनाओं में, विशेषण कहा जाता है। *विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा (अथवा सर्वनाम) की विशेषता बताता है।* विशेषण जिस संज्ञा (या सर्वनाम) की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर की रचनाओं में *कपड़ा, गाय, लड़का, मकान* आदि विशेष्य हैं।

विशेषणों के भेद

हिंदी विशेषणों के सामान्यतया चार भेद माने गए हैं –

1. गुणवाचक विशेषण
2. परिमाणवाचक विशेषण
3. संख्यावाचक विशेषण
4. सार्वनामिक विशेषण

1. गुणवाचक विशेषण

गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है, जो विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील- स्वभाव आदि से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है। *विशेष्य* के साथ *कैसा/ कैसी/ कैसे* लगे प्रश्न के उत्तर रूप में यह विशेषण मिल जाता है। जैसे – कैसा कपड़ा ? लाल कपड़ा।

गुणवाचक के उदाहरण हैं – (गुणवाची) भला, बुरा, उचित, पवित्र आदि (रूप- रंग वाची) उजला, मैला, लाल, पीला आदि (आकार वाची), गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि (दशा, अवस्था वाची), बलवान, रोगी, कमजोर, पतला, गाढ़ा आदि, (स्थान- काल वाची), भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताजा, टिकाऊ, आगामी, बासी, आदि (अन्य), मुलायम, चिकना, मीठा- नमकीन, भारी- हलका, गर्म- ठंडा, वीर- कायर, पालतू, जंगली आदि ।

2. परिमाणवाचक विशेषण

परिमाण वाचक विशेषण वह विशेषण होता है, जो विशेष्य के परिमाण या मात्रा आदि से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है । जैसे – *बहुत मिठाई, दो मीटर* कपड़ा आदि में मिठाई की मात्रा *बहुत* विशेषण से और कपड़े की लंबाई *दो मीटर* विशेषण से प्रकट होती है । विशेष्य प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाएँ होती हैं और ये संज्ञाएँ एकवचन में होती हैं ।

इसके दो मुख्य भेद होते हैं – (क) निश्चित परिमाणवाचक और (ख) अनिश्चित परिमाणवाचक ।

(क) *निश्चित परिमाणवाचक विशेषण* – इसके द्वारा विशेष्य के परिमाण या मात्रा का निश्चित अर्थात् ठीक- ठीक बोध होता है । जैसे – *एक लिटर* दूध, *ढाई मीटर* कपड़ा, *किलो भर* चीनी । यहाँ दूध की मात्रा, कपड़े की लंबाई, चीनी का भार निश्चित रूप से अभिव्यक्त है । यह निश्चय बोधक या तो पहली लगी संख्याओं (एक, ढाई आदि) के योग से या बाद में लगे *भर* आदि के योग से होता है ।

(ख) *अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण* – इसके द्वारा विशेष्य के परिमाण या मात्रा का पता तो लगता है, किंतु वह ठीक- ठीक नापा- मापा- तौला हुआ नहीं होता है – वह अनिश्चित होता है, अन्दाजा मात्र होता है । बहुत, अधिक, ज़रा, तनिक, इतना, उतना, जितना, कितना, ढेर सारा, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा आदि । जैसे –

थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए ।

बिल्ली *कुछ* दूध पी गई ।

उसका *सारा* परिवार आज मिलने आया था ।

बहुत थोड़ा आदि के साथ – सा/सी – से लगा कर (बहुत- सी मिठाई, थोड़ा- सा नमक आदि) परिमाण के *लगभग* भाव को प्रकट करते हैं ।

3. संख्या वाचक विशेषण

संख्या वाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो विशेष्य की संख्या से संबद्ध

विशेषता का बोध कराता है, जैसे–

कक्षा में *साठ* छात्र पढ़ते हैं।

मोहन ने दौड़ में *तीसरा* स्थान प्राप्त किया।

मारपीट में *कई* लड़के घायल हो गए।

यहाँ *साठ, तीसरा, कई* विशेषण *छात्र, स्थान, लड़के* की संख्या विषयक कुछ विशेषता प्रकट करते हैं। विशेष्य प्रायः जातिवाचक संज्ञाएँ होती हैं।

इसके दो मुख्य भेद हैं – (क) निश्चित संख्यावाचक और (ख) अनिश्चित संख्या-वाचक।

(क) *निश्चित संख्यावाचक विशेषण* : इसके द्वारा विशेष्य की संख्याविषयक विशेषता का निश्चित बोध होता है जैसे कि ऊपर के उदाहरणों में *साठ, तीसरा*। इन विशेषणों के भेद-उपभेद कई हैं, अतएव उन सबको मुख्य शीर्षक संख्या के अंतर्गत इस अध्याय के अंतिम भाग में दे रहे हैं।

(ख) *अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण* : इसके द्वारा विशेष्य की संख्या विषयक विशेषता का निश्चित बोध नहीं होता है, बल्कि अस्पष्ट संख्या का अंदाजा देने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे – *कुछ, कई, काफी* विशेष्य गणनीय संज्ञाएँ होती हैं। उदाहरणार्थ :

कुछ बच्चे चंदा माँगने आए हैं।

तुम्हारी थैली में *बहुत* संतरे हैं, मेरी में *थोड़े*।

किताब लगभग पूरी पढ़ ली है, बस *थोड़े* पन्ने बाकी हैं।

अन्य रीतियाँ ये हैं – लगभग (बीस), कोई (पांच सौ), सैकड़ों, हजारों, दस- बीस, पचास-एक आदि।

4. सार्वनामिक विशेषण

जो सर्वनाम, अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं –

(क) निश्चयवाचक/ संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण

उस किताब को यहाँ ले आइए।

क्या *यह* कलम तुम्हारी है ?

(ख) अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण

कोई सज्जन आए हुए हैं।

घर में *कुछ भी* खाने को नहीं है।

(ग) प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण

कौन आदमी आया है ?

कौन- सी किताब तुम्हें चाहिए ?

किस लड़के ने तुम्हें भगाया है ?

इनमें से *क्या* चीज़ तुम लोगे ?

(घ) संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण

जो आदमी कल आया था, *वह* (आदमी) बाहर खड़ा है।

वह बच्चा सामने जा रहा है *जिसने* तुम्हारी किताब फाड़ दी थी।

विशेषण की रूप-रचना

विशेषण की रूप-रचना संज्ञा की रूप-रचना से पर्याप्त मिलती है। दोनों में रूपावली वर्ग निर्धारण लिंग (पुंलिंग- स्त्रीलिंग) और शब्द के ध्वन्यात्मक स्वरूप (आकारांत, ईकारांत आदि) पर होता है, तथा रूपावली वचन (एकवचन- बहुवचन) तथा विभक्ति (मूल= परसर्ग रहित, तिर्यक्= परसर्ग सहित) के अनुसार चलती है। नीचे विशेषणों रूपावलियाँ दी जा रही हैं।

रूपावली वर्ग – 1 : पुंलिंग आकारांत

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल (परसर्ग रहित)	अच्छा (लड़का)	अच्छे (लड़के)
तिर्यक (परसर्ग सहित)	अच्छे (लड़के को)	अ च्छे (लड़ कों को)

संज्ञा के रूपावली वर्ग - 1 के समान यहाँ रूप चल रहे हैं, किंतु यह ध्यान रखना है कि संज्ञा तिर्यक् बहुवचन में *ओं* विभक्ति प्रत्यय लगता है, यहाँ – ए। ये प्रत्यय मात्रा के रूप में "ॆ" लगते हैं।

रूपावली वर्ग – 2 : पुंलिंग आकारांत से भिन्न

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल	सुंदर (घर)	सुंदर (घर)
तिर्यक्	सुंदर (घर में)	सुंदर (घरों में)

स्त्रीलिंग विशेषण

विभक्ति	एकवचन	बहुवचन
मूल	अच्छी/सुंदर (लड़की)	अच्छी/सुंदर (लड़कियाँ)
तिर्यक्	अच्छी/सुंदर (लड़की ने)	अच्छी/सुंदर (लड़कियों ने)

ऊपर की रूपावलियों पर गौर करने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केवल पुंलिंग आकारांत विशेषणों में मूलरूप (जैसे – अच्छा, मोटा आदि) से भिन्न एक परिवर्तित रूप (जैसे – अच्छे, मोटे आदि) होता है, अन्यथा पुंलिंग आकारांत भिन्न तथा स्त्रीलिंग, सभी विशेषणों के मूलरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः यह सरल नियम बना सकते हैं कि विशेषण को ज्यों-का-त्यों प्रयुक्त कीजिए, केवल आकारांत पुंलिंग में मूल विभक्ति एकवचन के अतिरिक्त सर्वत्र- *ए* लगा रूप प्रयुक्त कीजिए।

आकारांत विशेषण के स्त्रीलिंग रूप *ई* लगा कर बनते हैं, जैसे अच्छा-अच्छी, मोटा-मोटी। किंतु कुछ फारसी विशेषण तथा-इया शब्द उर्दू शैली में स्त्रीलिंग रूप (ईकारांत रूप) नहीं लेते हैं – ये आकारांत विशेषण रूपावली वर्ग-2 के समान चलते हैं, न कि रूपावली वर्ग-1 के। उदाहरणार्थ – 'ताज़ा फल' 'ताजा रोटी' 'ताज़ा फलों को', 'ताजा रोटियों को' आदि। इसके अन्य उदाहरण हैं – ज़्यादा, उमदा, घटिया, बढ़िया, (अपूर्ण संख्याबोधक) सवा।

विशेषण की उद्देश्य और विधेय स्थिति

विशेष्यों के पूर्वविशेषणों के प्रयोग, जैसे – *अच्छा लड़का, अच्छी लड़की* से आप भली भाँति परिचित हैं। व्याकरण में इन विशेष्य से पहले लगने वाले विशेषणों को *उद्देश्य विशेषण*

कहते हैं। किंतु विशेषणों का एक भिन्न प्रयोग भी होता है। वह लड़का कितना *सुंदर* है। उसका पेन *नीला* है आदि वाक्यों में *सुंदर/ नीला* विशेषण शब्द अपने विशेष्य *लड़का/ पेन* की विशेषता तो बताते हैं, किंतु ये वाक्य के विधेय अंश में क्रिया होने के ठीक पहले आते हैं। अतएव व्याकरण में इस प्रकार के विशेषणों को *विधेय विशेषण* कहते हैं।

उद्देश्य और विधेय दोनों स्थितियों में विशेषण संज्ञा से *अन्विति* करता है। अन्विति का शाब्दिक अर्थ है – अनु (पीछे)+इ (जाना) अर्थात् अनुसरण करना। यह अनुसरण लिंग/वचन-विभक्ति की दृष्टि से होता है अर्थात् विशेषण का वही लिंग होगा, वही वचन होगा, वही विभक्ति होगी जो विशेष्य संज्ञा की है। उदाहरणार्थ –

(मूल एकवचन)	*मोटा/ लड़का* कूद रहा है।
(मूल बहुवचन)	*मोटे/ लड़के* कूद रहे हैं।
(तिर्यक् एकवचन)	उस *मोटे/ लड़के* को देखो।
(तिर्यक् बहुवचन)	उन *मोटे/ लड़कों* को देखो।

इसी प्रकार –

(मूल एकवचन)	*मोटी लड़की* कूद रही है।
(मूल बहुवचन)	*मोटी लड़कियाँ* कूद रहीं हैं।
(तिर्यक् एकवचन)	उस *मोटी लड़की* को देखो।
(तिर्यक् बहुवचन)	उन *मोटी लड़कियों* को देखो।

यहाँ *मोटा/ मोटी* विशेषण शब्द वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति (मूल- तिर्यक्) ले रहे हैं जो विशेष्य संज्ञा की है। विधेयगत विशेषण भी लिंग वचन में अनुसरण करता है, जैसे –

"वह *लड़का* कितना *मोटा* है"

"वह *लड़की* कितनी *मोटी* है"

"वे *लड़के* कितने *मोटे* हैं" आदि।

विशेषणों का तुलना में प्रयोग

विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है और वह विशेषता गुण, परिमाण अथवा संख्या की दृष्टि से होती है। दो या अनेक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि में बिल्कुल एक से गुण आदि हों ऐसा कम होता है और इस कारण विशेषण तुलना की अभिव्यक्ति में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

तुलना-अवस्था तीन प्रकार की हो सकती हैं :

(1) *मूलावस्था* – जब एक ही व्यक्ति, प्राणी आदि की विशेषता तो प्रकट की जा रही है, किंतु उसकी विशेषता की तुलना किसी अन्य व्यक्ति आदि से नहीं हो रही है । यहाँ विशेषता का सामान्य, अर्थात् तुलनाहीन, कथन मात्र होता है और विशेषण अपनी मूलावस्था में होता है। जैसे–

यह आम बहुत *मीठा* है ।

मोहन पढ़ने में बहुत *निपुण* है ।

(2) *उत्तरावस्था* : यहाँ दो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि की विशेषता की तुलना की जाती है और दो विशेष्य होते हैं । जिस विशेष्य से तुलना करते हैं, उसके बाद *से, से बढ़कर, से घटकर, की अपेक्षा, की बनिस्बत, की तुलना में, के मुकाबले, से अधिक, से कम* आदि आते हैं । यहाँ विशेषण अपनी उत्तरावस्था में होता है । उदाहरणार्थ :

मेरी मेज़ तुम्हारी मेज *से काफी* बड़ी है ।

मोहन श्याम *से अधिक* बलवान है ।

मोहन श्याम *से बढ़कर* बलवान है ।

मोहन श्याम की *अपेक्षा/ अधिक* बलवान है ।

मोहन श्याम *की तुलना में (अधिक)* बलवान है ।

(3) *उत्तमावस्था* – यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों की विशेषता की तुलना की जाती है अथवा समूह में किसके पास सबसे अधिक विशेषता है, इसका निर्धारण किया जाता है । यहाँ *सब से अधिक, सर्वाधिक, सभी में, सभी से, इन सब में,* "समूहवाची शब्द के बाद" *में से* आदि लगता है । यहाँ विशेषण अपनी उत्तमावस्था में होता है । उदाहरणार्थः

मोहन कक्षा के *सभी* बच्चों *से* बलवान है ।

मोहन कक्षा *में सबसे अधिक* बलवान है ।

मोहन कक्षा के बच्चों *में सर्वाधिक* बलवान है ।

तुलना प्रत्यय

संस्कृत में विशेषण की उत्तरावस्था अथवा उत्तमावस्था बताने के लिए प्रत्यय भी हैं, जो विशेषण के बाद लगते हैं। मुख्य प्रत्यय–तर (उत्तर) और--तम (उत्तम) हैं। कभी-कभी - ईयस् (श्रेयांस्) तथा - इष्ठ (श्रेष्ठ) भी लगते हैं । हिंदी में बहुधा प्रचलित कुछ संस्कृत तत्सम शब्द उदाहरणार्थ दिए जा रहे हैं –

शब्द (मूलावस्था)	तुलना भाव का द्योतन (उत्तरावस्था)	सर्वोत्तमता का द्योतन (उत्तमावस्था)
लघु/दीर्घ	लघुतर/दीर्घतर	लघुतम/दीर्घतम
निम्न/उच्च	निम्नतर/उच्चतर	निम्नतम/उच्चतम
निकट/समीप	निकटतर/समीपतर	निकटतम/समीपतम
महान्	महत्तर	महत्तम
अधिक	अधिकतर	अधिकतम
(बलवान्) आदि	—	बलिष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ वरिष्ठ आदि।

संस्कृत में श्रेष्ठ सर्वोत्तमता का द्योतन करता है, किंतु हिंदी में *श्रेष्ठतम* का (कभी- कभी श्रेष्ठतर का) प्रयोग भी बहुलता से मिलता है। फारसी तुलनापरक शब्द भी हिंदी की उर्दू शैली में मिलते हैं, जैसे — अच्छा- बेहतर- बेहतरीन; बद- बदतर आदि।

प्रविशेषण

मोहन *बहुत चतुर* है, सोहन *बड़ा परिश्रमी* है, आदि वाक्यों को देखिए। यहाँ *बहुत बड़ा* आदि शब्द विशेषण के पहले लगे हैं तथा विशेषण की विशेषता, जैसे अधिकता, न्यूनता आदि को बता रहे हैं। चूँकि ये विशेषण के विशेषण हैं अतएव उन्हें *प्रविशेषण* कहते हैं। इस प्रकार *प्रविशेषण* वे विशेषणात्मक शब्द हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। उदाहरणार्थ—

मोहन *बहुत* चतुर है।

मोहन *बहुत अधिक* चतुर है।

मोहन *अत्यधिक/ अत्यंत* चतुर है।

सोहन *बड़ा* परिश्रमी है।

सोहन अब *बिल्कुल* स्वस्थ है।

वह शाम को *ठीक* सात बजे आएगा।

वहाँ *लगभग* बीस आदमी थे।

सामान्यतया प्रचलित प्रविशेषण हैं — बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, पूर्ण, लगभग आदि।

विशेषण का संज्ञावत् प्रयोग

विशेषणों का संज्ञावत् (संज्ञा की तरह) प्रयोग प्रायः मिलता है। "उस *मोटे* को देखो" में मोटा शब्द मोटे व्यक्ति के लिए आया है। "बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए" में *बड़ों* से बड़े आदमियों का बोध होता है। "*अमीरों* और *गरीबों* के बीच की खाई बढ़ती जा रही है" में *अमीर व्यक्तियों* और *गरीब व्यक्तियों* के लिए *अमीरों, गरीबों* का प्रयोग हो रहा है। ध्यान रखें कि जब इनका प्रयोग संज्ञा की तरह होता है तब इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, न कि विशेषण के समान। जैसे –

इन *गरीबों* को देखिए : इन *गरीब* आदमियों को देखिए।

बड़ों का कहना मानना चाहिए : *बड़े* लोगों का कहना मानना चाहिए।

विशेषणों की रचना

कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे – सुंदर, निपुण, किंतु कुछ यौगिक रचना अर्थात् प्रत्यय, उपसर्ग आदि लगाने के बाद विशेषण बनते हैं, जैसे –

संज्ञा से – बनारसी, घरेलू आदि।

सर्वनाम से – इतना, उतना आदि; ऐसा, वैसा आदि; मुझ- सा आदि।

क्रिया से – भुलक्कड़, चालू आदि।

अव्यय से – बाहरी, ऊपरी आदि।

संज्ञा आदि के संबंधवाची रूप – मोहन की (किताब), मेरी (किताब) आदि, तथा क्रिया के क्रिया से बने हुए (कृदन्ती रूप) – बहता हुआ (पानी), थका हुआ (आदमी) आदि विशेषण होते हैं। इन्हें क्रमशः संबंधवाची विशेषण तथा कृदंती विशेषण कहते हैं। तुलना– प्रयोग में- सा, - जैसा, – के समान से बने शब्द भी विशेषण होते हैं और इन्हें सादृश्यवाची विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन- सा/मोहन जैसा/मोहन के समान व्यक्ति मुश्किल से मिलता है।

संख्या

निश्चित संख्या बोधक विशेषणों के मूल में संख्याएँ (1,2,3,आदि) होती हैं। व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद हैं :

(क) (1) पूर्ण संख्याबोधक विशेषण : 1,2,3 आदि पूर्णांक संख्याएँ यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें गणनावाचक विशेषण भी कहते हैं।

(क) (2) अपूर्ण संख्याबोधक विशेषण : $\frac{1}{4}$ (पाव), $\frac{1}{2}$ (आधा), $\frac{3}{4}$ (पौन), $1\frac{1}{4}$

(सवा), $1\frac{1}{2}$ (डेढ़), $1\frac{3}{4}$ (पौन दो), $2\frac{1}{2}$ (ढाई), $3\frac{1}{2}$ (साढ़े तीन, हूँठा), (पुराना माप तोल) आदि। यहाँ भिन्न संख्याएँ विशेष रूप में आई हैं।

(ख) क्रमवाचक विशेषण : पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ आदि। ये शब्द क्रमानुसार किस स्थान पर आया है इसकी सूचना देते हैं।

(ग) आवृत्तिवाचक विशेषण : दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि। दुहरा, तिहरा, चौहरा आदि कितने तह हैं इसको बताता है।

(घ) समुदायवाचक विशेषण : दोनों, तीनों, चारों (समुदाय के रूप में चार), विशेष बल देने पर – तीनों के तीनों, दोनों के दोनों।

(ङ) समुच्चयवाचक विशेषण: दर्जन (=12), जोड़ा/युग्म (=2), पच्चीसी, बतीसी, चालीसा, सतसई (700) आदि समुच्चय बताते हैं।

(च) प्रत्येक बोधक विशेषण : हर, प्रत्येक आदि लगाकर, कई वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता है।

प्रश्न और अभ्यास

1. विशेषण क्या है ? विशेषण के तीन उदाहरण लिखिए।
2. विशेषण के कौन- कौन से चार भेद हैं ? प्रत्येक भेद का एक- एक उदाहरण दीजिए।
3. नीचे दिए गए वाक्यों में से निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को अलग- अलग पहचानिए :
    1. वह कक्षा में प्रथम आया।
    2. कुछ फल लाओ।
    3. मेरी कमीज़ में दो मीटर कपड़ा लगेगा।
    4. थोड़ी मिठाई ले आओ।
    5. एक लिटर दूध आठ रुपए का मिलता है।
4. सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. नीजे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम प्रयोग सार्वनामिक विशेषण प्रयोग को पहचानिए :
    1. घर में कोई है।
    2. कोई सज्जन आए हुए हैं।
    3. वह थोड़ा दौड़ रहा है।
    4. वह विद्यालय गया।
    5. यह मेरा घर है।
    6. क्या यह किताब तुम्हारी है।

6. विशेषण की तुलना के तीनों प्रकारों के नाम लिखिए और दो-दो उदाहरण दीजिए।
7. नीचे दिए गए विशेषणों को उनके सामने दी गई अवस्थाओं से मिलाकर उचित स्थान पर लिखिए :
उच्चतर, गुरूतम, कठोर, लघु, तीव्रतर, अधिकतर, कुटिलतर, उत्कृष्ट, न्यूनतम, निकृष्टतम
मूलावस्था :
उत्तरावस्था :
उत्तमावस्था :
8. निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए :
धर्म, भारत, वह, रोज, दिन, पूजा, पढ़ना, रक्षा, अपमान, पाप, बहना, नगर, बीतना, लखनऊ।
9. नीचे दिए गए वाक्यों का उत्तर हाँ/नहीं में दीजिए :
(i) विशेषण क्रियाओं की विशेषता बताता है।
(ii) जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके, उनके वाचन शब्दों को परिभाषणवाचक विशेषण कहते हैं।
(iii) "कुछ", कई, काफी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं।
(iv) मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है।
(v) जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में किया जाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
(vi) जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके, उनके वाचक शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
10. प्रविशेषण किसे कहते हैं ? कुछ उदाहरण देकर समझाइए।
11. नीचे दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए :
(i) अच्छा लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।
(ii) बड़े दूकानों में अच्छा सामान नहीं मिलता।
(iii) कागज़ और पेंसिलें सस्ते हैं।
(iv) हरा वाली साड़ी दिखाओ।
(v) मैं और सीता बूढ़ा हूँ।
(vi) क्या किताबें इस काला संदूक में है ?
12. नीचे दिए गए संख्यावाचक शब्दों को पहचान कर उनके नाम लिखिए।
द्वितीय, बीस, तिगुना, तीनों, दर्जन, प्रथम, दुगुना, पाँचों, पाव, पच्चीसी, ढाई।

अध्याय 10

क्रिया

नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए :

1. चिड़िया आकाश में *उड़ रही* है।
2. मोहन सुबह पार्क में *दौड़ता* है।
3. विनोद रात को दूध अवश्य *पीता* है।
4. तुमको श्याम ने कौन-सी किताब *दी थी*।
5. बर्फ धीरे- धीरे *पिघल रही* है !
6. तुम्हारी किताब मेज पर *है*, बस्ते में नहीं।

इन वाक्यों में चिड़िया क्या कर रही है, इसका बोध *उड़ रही है* से होता है। मोहन सुबह क्या करता है, इसका बोध *दौड़ता है* से होता है। विनोद रात में क्या करता है, इस का बोध *पीता है* से होता है ! इसी प्रकार चौथे वाक्य में श्याम की क्रिया *देना* द्वारा स्पष्ट होती है। पाँचवे वाक्य में बर्फ के *पिघलने* की प्रक्रिया का संकेत होता है। और छठे वाक्य में किताब की स्थिति होना (= है) से स्पष्ट होती है। अतएव ये तिरछे छपे अंश वाक्यों के *क्रिया पद* हैं। *क्रिया वह शब्द (पद) है, जिससे किसी कार्य करने का, या किसी प्रक्रिया में अथवा किसी स्थिति में होने का बोध होता है।*

धातु

पढ़ूँगा, पढ़ता है, पढ़ रहा होगा, पढ़ा था, पढ़ना चाहिए, पढ़िए आदि हिंदी क्रियारूपों में यह देखने पर कि कौन- सा अंश इस सब में समान रूप से मिलता है, आपको पता लगेगा कि पढ़ एक ऐसा अंश है, जो सभी रूपों में मिल रहा है। इस समान रूप से मिलने वाले अश को धातु (या क्रियाधातु) कहते हैं। इस प्रकार ऊपर दिए क्रिया रूपों के मूल में *पढ* धातु है।

धातु में *ना* लगा रूप, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि क्रिया का *सामान्य रूप* कहा जाता है।

धातु के भेद

धातु के मुख्य भेद निम्नलिखित माने जाते हैं :

1. सामान्य (मूल) धातु
2. व्युत्पन्न धातु
3. नाम धातु
4. संमिश्र धातु
5. अनुकरणात्मक धातु

(1) सामान्य (मूल) धातु : वे क्रियाधातुएँ जो भाषा में *रुढ़ शब्द* के रूप में प्रचलित हैं, मूल या रूढ़ धातु कही जाती हैं। चूँकि ये यौगिक या व्युत्पन्न नहीं होती हैं, अतएव इन्हें सरल धातु भी कहते हैं। उदाहरण हैं – सोना, लिखना, देखना, खेलना, पढ़ना, सुनना, जाना आदि।

(2) व्युत्पन्न धातु : जो धातुएँ किसी मूल धातु में प्रत्यय लगा कर अथवा मूल धातु को अन्य प्रकार से परिवर्तित कर बनाई जाती हैं, उन्हें *व्युत्पन्न धातु* कहते हैं, जैसे – पीना → पिलाना, करना → करवाना, देखना → दिखाना, खोलना → खुलना, फाड़ना → फटना, बेचना → बिकना आदि।

मूल धातुएँ अकर्मक होती हैं या सकर्मक। मूल अकर्मक धातुओं से प्रेरणार्थक अथवा सकर्मक धातुएँ व्युत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत कभी-कभी मूल सकर्मक धातु से अकर्मक धातुएँ व्युत्पन्न होती हैं। कुछ धातुओं के व्युत्पन्न रूप नीचे तालिका में दिए जा रहे हैं।

व्युत्पन्न अकर्मक	मूल धातु		व्युत्पन्न प्रेरणार्थक
	अकर्मक	सकर्मक	
		पीना →	→ पिलाना, पिलवाना
	रोना →		→ रुलाना, रुलवाना
		देना →	→ दिलाना, दिलवाना
	सोना →		→ सुलाना, सुलवाना
कटना		काटना →	→ कटवाना

खुलना		खोलना →	→ खुलवाना
		खाना →	→ खिलाना, खिलवाना
	उड़ना →		→ उड़ाना
उड़ना		← उड़ाना	
	उठना →		→ उठाना
उठना		← उठाना	

उपर्युक्त *उड़ना उठना* धातु के संबंध में नीचे लिखे वाक्य देखिए :

1. चिड़िया *उड़* रही है। (मूल अकर्मक *उड़ना*)
   श्याम ने चिड़िया को *उड़ा* दिया। (मूल अकर्मक *उड़ना* का व्युत्पन्न प्रेरणार्थक)
   मोहन पतंग उड़ा रहा है। (मूल सकर्मक *उड़ाना*)
   पतंग आकाश में *उड़* रही है। (मूल सकर्मक *उड़ाना* का व्युत्पन्न अकर्मक)
2. बच्चा उठ गया है। (मूल अकर्मक *उठना*)
   माँ बच्चे को उठा रही है। (मूल अकर्मक *उठना* का व्युत्पन्न प्रेरणार्थक)
   कुली सामान उठा रहा है। (मूल सकर्मक *उठाना*)
   कुली से सामान नहीं उठ रहा है। (मूल सकर्मक *उठाना* का व्युत्पन्न अकर्मक)

यहाँ कभी धातु की अकर्मक क्रिया मूल में है, और कभी सकर्मक क्रिया।

(3) नाम धातु : संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया धातुएँ प्रत्यय लगा कर बनती हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। यहाँ मुख्य प्रत्यय – आ है। उदाहरण हैं :

संज्ञा शब्दों से – लालच → ललचाना, शर्म → शरमाना, लाज → लजाना, टक्कर → टकराना, फिल्म → फिल्माना आदि।

विशेषण शब्दों से– चिकना → चिकनाना, गर्म → गरमाना, साठ → सठियाना, लंगड़ा → लँगड़ाना, दुहरा → दुहराना आदि।

अन्य शब्दों से – अपना (सार्वनामिक शब्द) → अपनाना,

(4) संमिश्र / मिश्र धातु : कुछ संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद मुख्यतया *करना* अथवा *होना* के संयोग से जो धातुएँ बनती हैं, उन्हें संमिश्र धातु कहते हैं जैसे :

1. करना/होना : काम करना/होना, दर्शन करना/होना, पीछा करना/होना, प्यार करना/होना आदि। यही उपभेद सर्वाधिक प्रचलित हैं।

2. देना : कष्ट देना, धन्यवाद देना, उधार देना
3. खाना : मार खाना, हवा खाना, धक्का खाना, रिश्वत खाना
4. मारना : गोता मारना, डींग मारना, झपट्ट्य मारना
5. आनाः पंसद आना, नज़र आना, याद आना ।

(5) अनुकरणात्मक धातु : जो धातुएँ किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं, उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं, जैसे – भनभन-भनभनाना, टनटन-टनटनाना, हिनहिन-हिनहिनाना, झनझन-झनझनाना, खटखट-खटखटाना आदि । खटकना, पटकना, चटकना आदि भी इसी कोटि की धातुएँ हैं । यहाँ मुख्य प्रत्यय – आ या – क है ।

(हिनहिन + आ = हिनहिना-ना) (खट + क = खटक-ना)

क्रिया के प्रकार

मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है –

क. अकर्मक

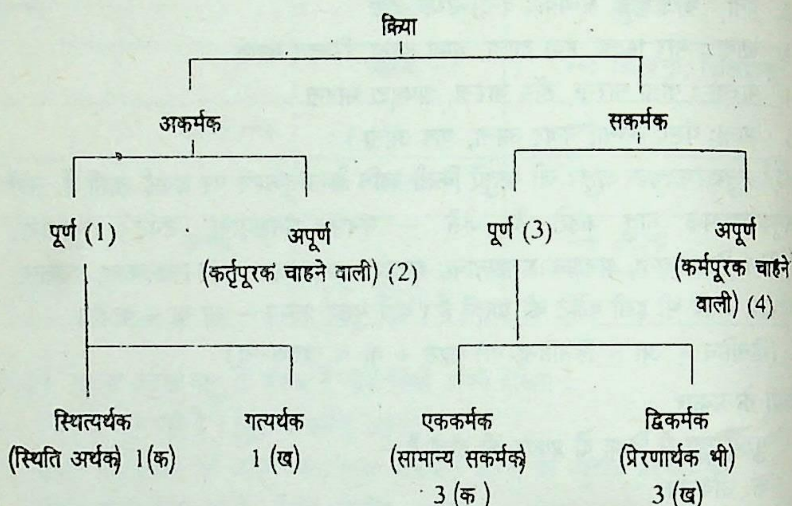
ख. सकर्मक ।

क. अकर्मक क्रिया : वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में *कर्म* की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं । जैसे दौड़ना, सोना, हँसना, रोना, उठना, आना, जाना आदि। यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है । जैसे – *श्याम मैदान में दौड़ रहा है।* वाक्य में *दौड़ना* क्रिया का कर्ता श्याम है और *दौड़ने* क्रिया के परिणाम या फल या प्रभाव का पात्र भी श्याम है । यह प्रभाव कर्ता से भिन्न किसी अन्य पर नहीं पड़ता है ।

ख. सकर्मक क्रिया : सकर्मक क्रिया के प्रयोग में *कर्म* की आवश्यकता होती है । सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा- पूरा नहीं कर पाती है । जैसे, पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि । यदि वाक्य में कर्म न हो, और न प्रसंग से कर्म का पता लगता हो, जैसे – *मोहन देख रहा है* तो अर्थ में कुछ कमी रहती है, और सहज प्रश्न उठता है कि *क्या देख रहा है*। यदि कर्म साफ़- साफ़ हो या प्रसंग से तुरंत मालूम हो जाए, जैसे – *मोहन पेड़ देख रहा है* तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ।

अकर्मक - सकर्मक के भेद

अकर्मक-सकर्मक के भेद-उपभेद नीचे आरेख में दिए जा रहे हैं और उसके बाद उनका विवरण दिया जा रहा है :



1. क. स्थित्यर्थक / अवस्था बोधक (पूर्ण) अकर्मक क्रियाएँ :

ये क्रियाएँ अकर्मक हैं अर्थात् इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है; ये पूर्ण अकर्मक हैं अर्थात् यह अपूर्ण (पूरक के बिना अपूर्ण लगने वाली) नहीं हैं; और ये कर्ता की *अवस्था* दशा को बताती हैं। जैसे, सोना, हँसना, खिलना, रोना, अनुभव होना आदि। उदाहरणार्थ-

श्याम इस समय *सो* रहा है। (*सोने* की अवस्था)

मोहन *हँस* रहा है। (*हँसने* की अवस्था)

टिप्पणी - अस्तित्ववाची क्रिया *होना* भी एक विशेष स्थिति (सत्ताभाव) दिखाती है, *अतएव* वह भी इसी उपभेद के अंतर्गत है। जैसे, ईश्वर *है*।

ख. गत्यर्थक (पूर्ण) अकर्मक क्रियाएँ

ये क्रियाएँ भी अकर्मक हैं, अर्थात् इन्हें *कर्म* की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्ण अकर्मक हैं अर्थात् यह अपूर्ण (पूरक के बिना अपूर्ण लगने वाली) नहीं हैं; और इन क्रियाओं को करते समय करने वाला गतिमान होता है। जैसे – जाना, आना, दौड़ना, भागना, घूमना, तैरना, उड़ना, उठना, गिरना आदि। इन क्रियाओं के साथ स्थान की सूचना देने वाले तत्व प्रायः होते हैं; चाहे स्थानवाची अधिकरणकारक में, चाहे अपादान कारक में (– से द्वारा प्रकट) चाहे गंतव्य सूचक में (– तक, की आदि द्वारा प्रकट) उदाहरणार्थ –

मोहन *आगरा जा* रहा है।

चिड़िया आकाश *में उड़* रही है।

सोहन इस समय गेट *से* निकल रहा है।

2. *अपूर्ण (पूरकाकांक्षी) अकर्मक क्रियाएँ :*

अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ वे अकर्मक क्रियाएँ हैं, जिनके प्रयोग के समय अर्थ की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती है। *होना* इस कोटि की सबसे प्रमुख क्रिया है, अन्य क्रियाएँ हैं – बनना, निकलना आदि। उदाहरणार्थः

मैं *बीमार* हूँ इसलिए आ नहीं सकूँगा।

मोहन बहुत *होशियार* है।

श्याम बड़ा होकर *इंजीनियर* बनेगा।

मेरा पड़ोसी बहुत *चालाक* निकला।

यहाँ पूरक (बीमार, होशियार आदि) का लोप कर देखें कि वाक्य कितना अपूर्ण तथा अधूरा लगता है। यहाँ *बीमार* शब्द का संबंध वाक्य के कर्ता "मैं" से है; *होशियार* का संबंध वाक्य के कर्ता *मोहन* से है; *इंजीनियर* का संबंध वाक्य के कर्ता, *श्याम* से है – इस कारण यह रचना कर्तृपूरक या *उद्देश्य पूरक* रचना कही जाती है। कर्तृपूरक शब्द सामान्य तथा विशेषण (जैसे बीमार) होते हैं; किंतु कभी- कभी संज्ञा भी (जैसे इंजीनियर) होते हैं।

3. *(क) पूर्ण एककर्मक (सकर्मक) क्रियाएँ*

पूर्ण एककर्मक (सकर्मक) क्रियाएँ (सामान्यतया *सकर्मक क्रिया* नाम से प्रसिद्ध) वे क्रियाएँ हैं, जो एक कर्म अवश्य लेती हैं, जैसे –

कुत्ते ने बकरी को *काट* लिया।

सीमा खाना *खा* रही है।

दर्जी *कपड़ा सी* रहा है।

(ख) पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएँ

पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं, जिन्हें दो कर्मों की आवश्यकता होती है देना, लेना, बताना तथा सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ इसी कोटि के अंतर्गत आती हैं। उदाहरणार्थ :

रेखा ने अपने *साथी* को अपना पूरा *पता* बताया।

मालिक ने *नौकर* से तरह-तरह के *सवाल* पूछे।

राम ने *मोहन* को अपनी नई *किताब* दे दी।

विनोद ने *अशोक* को अपनी *पुरानी कार* बेच दी।

देना क्रिया में वस्तुतः दो कर्म नहीं होते – एक संप्रदान होता है (जिसे दिया जाता है) और एक कर्म होता है (वह वस्तु आदि जो दी जाती है), किंतु मोटे तौर पर दोनों को कर्म की कोटि के भीतर रखते हुए *द्विकर्मक* कहा जा सकता है।

4. अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ : (कर्म पूरकाकांक्षी सकर्मक क्रियाएँ)

ये वे क्रियाएँ हैं, जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है और उसे पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले एक अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। चुनना, मानना, समझना, बनाना आदि अनेक क्रियाएँ इस कोटि में आती हैं। नीचे के उदाहरण देखिए :

अमित *श्याम* को बिल्कुल मूर्ख समझता है।
रंगरेज ने *कपड़े* को लाल रंगा।
छात्रों ने *दीपक* को अपना प्रतिनिधि बनाया / चुना।
मैं *तुम्हें* अपना *भाई* मानती हूँ।

यहाँ पूरक (मूर्ख, लाल, प्रतिनिधि, भाई आदि) का लोप कर देखें कि वाक्य कितना अपूर्ण तथा अधूरा लगता है। यहाँ *मूर्ख* का संबंध कर्म *श्याम* से हैं, *लाल* का संबंध कर्म *कपड़े* से है *प्रतिनिधि* का संबंध कर्म *दीपक* से है और *भाई* का संबंध कर्मरूप *तुम्हें = तुम को* से है। इस कारण ये पूरक *कर्मपूरक* कहे जाते हैं। ये विशेषण (जैसे – लाल) तथा संज्ञा (जैसे – भाई) हो सकते हैं।

अकर्मक – सकर्मक में परिवर्तन (अंतरण)

क्रियाओं का अकर्मक अथवा सकर्मक होना, धातु के अर्थ से सीधे न होकर, प्रयोग पर निर्भर करता है। इस कारण कभी-कभी अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक प्रयोग में और सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक प्रयोग में मिलती हैं। जैसे –

पढ़ना (सकर्मक) : श्याम किताब पढ़ रहा है।
पढ़ना (अकर्मक) : श्याम आजकल आठवीं में पढ़ रहा है।
खेलना (सकर्मक) : बच्चे गेंद खेल रहे थे।
खेलना (अकर्मक) : बच्चे दिन भर खेलते रहे।

इसके विपरीत *हँसना, लड़ना* आदि अकर्मक क्रियाएँ हैं, फिर भी सजातीय कर्म लगने पर सकर्मक रूप में मिलती हैं, जैसे –

बाबर ने बहुत सी *लड़ाइयाँ* लड़ीं।
वह बड़ी मस्तानी *चाल* चल रहा है।

ऐंठना आदि क्रियाओं के दोनों रूप मिलते हैं –

पानी में रस्सी ऐंठती है।

नौकर रस्सी ऐंठ रहा है।

उसका सिर खुजलाता है।

वह अपना सिर खुजलाता है।

समापिका और असमापिका क्रियाएँ

समापिका क्रियाएँ : इस अध्याय के आरंभ में दिए गए चारों वाक्यों पर फिर एक दृष्टि डालिए। *रेखांकित अंश* यह बता रहा है कि चिड़िया क्या कर रही है, मोहन सुबह क्या करता है, श्याम ने क्या किया या किताब की स्थिति क्या है; अर्थात् ये व्याकरणिक कर्ता की *क्रिया* के संबंध में बता रहे हैं। ये वाक्य के अंत में हैं। ये व्याकरणिक कर्ता के अनुसार लिंग (लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है), वचन (लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं) पुरुष (मैं पढूँगा, तुम पढ़ोगे) आदि रूपांतरणों में मिलते हैं। इन अंशों को क्रिया का *समापिका रूप* कहते हैं। कोई भी सरल वाक्य ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें क्रिया का समापिका रूप न हो। ये वाक्य को समाप्त करते हैं और अंत में रहते हैं।

असमापिका क्रियाएँ : अब निम्नलिखित वाक्यों को देखिए :

वह सामने *बहता हुआ* कमल कितना अच्छा लग रहा है।

डाल पर *चहचहाती* हुई छोटी- सी चिड़िया कितनी सुंदर है।

कुर्सी पर *बैठे हुए* अध्यक्ष को प्रवेश *करते ही* नमस्कार करना।

बड़ों के *कहने पर* चला करो।

मेज पर *पड़े* कलम को उठा लाओ।

मैं गुरू जी से *मिलकर* अभी लौटा हूँ।

बड़ों को *खड़े होकर* प्रणाम किया करो।

मोहन ने बीमारी के कारण *लेटे- ही- लेटे* गुरु जी को प्रणाम किया।

उपरिलिखित तिरछे छपे क्रियारूप वाक्य में विधेयगत क्रिया स्थान (समापिका क्रिया रूप के लिए निर्धारित स्थान) पर प्रयुक्त न होकर अन्यत्र प्रयुक्त हो रहे हैं। ये क्रिया के *असमापिका* रूप के उदाहरण हैं। इन्हें क्रिया का कृदंती रूप भी कहते हैं। इनका विवेचन निम्नलिखित दृष्टियों से किया जाता है –

(क) रचना की दृष्टि से, (ख) शब्द भेद की दृष्टि से और (ग) प्रयोग की दृष्टि से।

क. *रचना की दृष्टि से* : कृदंती रूपों की रचना चार प्रकार के प्रत्ययों के लगाने से होती है।

1. अपूर्णकृदंत : — ता (ती/ति) : जैसे — बहता/बहते फूल, बहती नदी, आते ही
2. पूर्ण कृदंत : — आ (ई/ए) : जैसे — बैठा/बैठे पशु, बैठी स्त्री, बैठे, ही — बैठे
3. क्रियार्थक कृदंत : — ना(नी/ने) : जैसे — पढ़ना/पढ़नी/पढ़ने (हैं), पढ़ने के लिए
4. पूर्वकालिक कृदंत : — ∅ + कर : जैसे — बैठकर, खड़े होकर,

ख. शब्द भेद की दृष्टि से : कृदंती शब्द संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण होते हैं।

1. संज्ञा : — ना : पार्क में सुबह *दौड़ना* / *टहलना* अच्छी चीज़ है।
— ने : मोहन *मिलने* (को/ के लिए) आया था। गाड़ी आने को है।

2. विशेषण : — ता /ती/ति : *चलती* गाड़ी पर कृपया न चढ़ें।
खिलते फूलों को कृपया न तोड़ें।
— आ/ई/ए : मरा (हुआ) शेर, *खिला* (हुआ) फूल, *खिली* (हुई) कली, *गिरे* हुए पत्ते।

3. क्रियाविशेषण : — ते ही : बंदर *गिरते* ही मर गया।
— ते-ते : वह *पढ़ते-पढ़ते* सो गया।
— कर : *जाकर, खाकर, पढ़कर* आदि,
— ए-ए : वह *बैठे-बैठे* थक गया।

ग. प्रयोग की दृष्टि से : इन कृदंतों का प्रयोग की दृष्टि से विवेचन इस प्रकार है :

1. क्रियार्थक कृदंत : भाववाचक संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग प्रमुख है। जैसे—लिखना, पढ़ना। उदाहरणार्थ :
सुबह अवश्य *टहलना* चाहिए।

2. कर्तृवाचक कृदंत : धातु+ने+वाला /वाली /वाले। इस कृदंत रूप से कर्तृवाचक संज्ञा बनती है, जैसे— भागने वालों को पकड़ो।

3. वर्तमान कालिक कृदंत: बहता (हुआ) पानी आदि। ये विशेषण हैं। विशेषण में यह भाव बताते हैं कि क्रिया उस समय हो रही है।

4. भूतकालिक कृदंत : पका (हुआ) फल आदि। ये भी विशेषण है। विशेषण में यह भाव बताते हैं कि क्रिया उस समय तक पूरी हो चुकी है।

5. तात्कालिक कृदंत : *धातु+ते ही* रचना वाले इन कृदंतों से कृदंती क्रिया (जैसे— उदाहरण में *आना*) के समाप्ति के क्षणों के साथ ही मुख्य क्रिया (जैसे— उदाहरण में *कहना*) का होना सूचित होता है
उदाहरण: *वे आते ही कहने लगे*। अन्य उदाहरण —

चाकू लगते ही वह मर गया आदि।

6. *पूर्वकालिक कृदंत :* *धातु+कर* रचना वाले इन कृदंतों से मुख्य क्रिया (जैसे– उदाहरण में सोना) से पूर्व कृदंती क्रिया जैसे– उदाहरण में पढ़ना के होने या किए जाने की सूचना मिलती है। उदाहरण *मोहन पढ़कर सो गया* आदि।

क्रिया की रूप रचना

संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की भाँति क्रिया की रूप-रचना भी रूपावलियों द्वारा प्रकट होती है। जैसे :

	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ूँ	हम पढ़ें
मध्यम पुरुष	तू पढ़े	तुम पढ़ो
अन्य पुरुष	वह पढ़े	वे पढ़ें

	एकवचन	बहुवचन
पुंलिंग	वह गया	वे गए
स्त्रीलिंग	वह गई	वे गईं

संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की रूपावलियों में एक ओर (बाएँ से दाएँ) *वचन* (जैसे– एकवचन और बहुवचन) और दूसरी ओर (ऊपर से नीचे) *कारक* विभक्ति (जैसे – मूल और तिर्यक्) के अनुसार रूप चलते हैं; क्रिया में *वचन* की अभिव्यक्ति तो पूर्ववत् बाएँ से दाएँ है, किन्तु ऊपर से नीचे रूप या तो *पुरुष* (उत्तम पूरुष, मध्यम पुरुष) या *लिंग* (पुंलिंग, स्त्रीलिंग) के अनुसार रूप चलते हैं जैसा कि ऊपर दी गई दो रूपावली-नमूनों से स्पष्ट है। इस प्रकार क्रिया रूपावलियाँ दो प्रकार की हैं।

(1) वचनपुरुष-अनुसारी और (2) वचनलिंग-अनुसारी।

वचन पुरुष-अनुसारी रूपावलियों में विशिष्ट प्रत्ययों का संयोजन होता है। (पढ़ूँ = पढ़ +ऊँ), वचनलिंग – अनुसारी रूपावलियों में क्रियाधातु के बाद वर्तमान कृदंती प्रत्यय (– ता– ती– ते) या भूतकृदंती प्रत्यय (– आ– ई– ए) लगते हैं। क्रिया रूपावलियों की एक विशेषता यह है कि कृदंती प्रत्यय से बने रूपों के बाद सहायक क्रिया *होना* के रूप (जाता है, गया है, जाता था, गया था आदि) आते हैं।

रूपावली वर्गों की रचना

हिंदी में 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग होता है। इनकी रचना के दो मुख्य भेद हैं :

क *बिना सहायक क्रिया 'होना' के*

1. धातु + विशिष्ट प्रत्यय वचन (पुरुषानुसारी) : जैसे – मैं पढ़ूँ, हम पढ़ें आदि (रूपावली वर्ग) (1)(3)(4)
2. धातु + वर्तमान कृदंत / भूतकृदंत वचन (लिंगानुसारी) : जैसे – पढ़ता, पढ़ते; गया, गए आदि। (रूपावली वर्ग) (5)(6)
3. धातु के वचन पुरुषानुसारी रूप के बाद गा/गी/गे (पुरुष - लिंगानुसारी) : जैसे– मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगी, हम पढ़ेंगे आदि। (रूपावली वर्ग) (2)

ख. *सहायक क्रिया 'होना' के साथ*

यहाँ सहायक क्रिया *होना* के पूर्व या तो वर्तमान कृदंत (– ता– ती– ते) लगा रूप या भूतकृदंत (– आ– ई– ए) लगा रूप होता है। सहायक क्रिया *होना* के पाँच विभिन्न रूपावली रूप प्रयुक्त होते हैं।

रूपावली वर्ग

धातु	-ता-ती-ते -आ-ई-ए	X	है = हूँ, हैं, है, हो, है, हैं (7, 8) था = था, थी, थे, थीं (9, 10) हों = होऊँ, हो, हो, होओ, हो हों (11, 12) होगा = (होऊँगा, होंगे, होगा, होगे, होगा, होंगे) होऊँगी, होंगी, होगी, होगी, होगी, होंगी (13, 14) होता = होता, होती, होते, होतीं (15, 16)

रूपावली वर्ग

क. *बिना सहायक क्रिया होना के :*

रूपावली वर्ग (1) संभाव्य भविष्यकाल		
पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ूँ (– ऊँ)	हम पढ़ें (– एँ)
मध्यम पुरुष	तू पढ़े (– ए)	तुम पढ़ो (– ओ)
अन्य पुरुष	वह पढ़े (– ए)	वे पढ़ें (– एँ)

रूपावली वर्ग (2) सामान्य भविष्यत्काल		
पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष	मैं पढूंगा (– ऊँ+गा/गी) तू पढ़ेगा (– ए+गा/गी) वह पढ़ेगा (– ए+गा/गी)	हम पढ़ेंगे (– एँ+गे/गी) तुम पढ़ोगे (– ओ+गे/गी) वे पढ़ेंगे (– एँ+गे/गी)

रूपावली वर्ग (3) "प्रत्यक्ष विधि"		
पुरुष	एकवचन	बहुवचन
मध्यम पुरुष मध्यम पुरुषी (*आप*)	तू पढ़ (∅) आप पढ़िए (– इए–गा)	तुम पढ़ो (– ओ) आप पढ़िए (– इए–गा)

रूपावली वर्ग (4) "परोक्ष विधि"		
पुरुष	एकवचन	बहुवचन
मध्यम पुरुष मध्यम पुरुषी (*आप*)	तू पढ़ना (– ना) आप पढ़िए (– इएगा)	तुम पढ़ना (– ना) आप पढ़िए (– इएगा)

रूपावली वर्ग (5) "सामान्य संकेततार्थ हेतुहेतुमद् भूत"	
मैं पढ़ता/ती तू पढ़ता/ती वह पढ़ता/ती	हम पढ़ते/तीं तुम पढ़ते/तीं वे पढ़ते/तीं

रूपावली वर्ग (6) सामान्यभूत	
मैं चला/चली तू चला/चली वह चला/चली	हम चले/चलीं तुम चले/चलीं वे चले/चलीं

टिप्पणी

1. रूपावली वर्ग – 1 में धातु *लेना देना* में दे → द और ले → ल होता है और रूप दूँ, दें, दे दो, दे दें आदि बनते हैं। *होना* धातु का न केवल – एँ, → ए के पूर्व हो → ह बनता है; बल्कि प्रत्यय – एँ, ए → ओं, ओ, इस प्रकार रूप होते हैं – मैं होऊँ, हम हों, तू हो, तुम होओ, वह हो, वे हों।

2. रूपावली वर्ग – 3 और – 4 में '-इए (गा)' ... करना, लेना, देना, पीना के साथ '–जिए (गा)' बन जाता है, और कर → की, ले → ली, दे → दी। इस प्रकार रूप होते हैं – कीजिए, लीजिए, दीजिए, पीजिए।

3. '–इए' विनम्रता के कारण लगता है, वहाँ आज्ञा का भाव न होंकर निवेदन या परामर्श का भाव होता है। '-इएगा' अतिविनम्रता दिखाता है।

ख. सहायक क्रिया "होना" के साथ

रूपावली वर्ग (7) "सामान्य वर्तमान"	
मैं पढ़ता/ती हूँ	हम पढ़ते/ती हैं
तू पढ़ता/ती है	तुम पढ़ते/ती हो
वह पढ़ता/ती है	वे पढ़ते/तीं हैं

रूपावली वर्ग (8) पूर्ण वर्तमान आसन्नभूत	
मैं चला/चली हूँ	हम चले/चली हैं
तू चला/चली है	तुम चले/चली हो
वह चला/चली है	ने चले/चली हैं

रूपावली वर्ग (9) अपूर्ण भूतकाल	
मैं पढ़ता/ती था/थी	हम पढ़ते/ती थे/थीं
तू पढ़ता/ती था/थी	तुम पढ़ते/ती थे/थीं
वह पढ़ता/ती था/थी	वे पढ़ते/ती थे/थीं

रूपावली वर्ग (10) पूर्ण भूतकाल	
मैं चला/ली था/थी	हम चले/लीं थे/थीं
तू चला/ली था/थी	तुम चले/लीं थे/थीं
वह चला/ली था/थी	वे चले/लीं थे/थीं

रूपावली वर्ग (11) संभाव्य वर्तमान	
मैं पढ़ता/ती होऊँ	हम पढ़ते/ती हों
तू पढ़ता/ती हो	तुम पढ़ते/ती होओ
वह पढ़ता/ती हो	वे पढ़ते/ती हों

रूपावली वर्ग (12) संभाव्य भूतकाल	
मैं चला/ली होऊँ	हम चले/लीं हों
तू चला/ली हो	तुम चले/लीं होओ
वह चला/ली हो	वे चले/लीं हों

रूपावली वर्ग (13) संदिग्ध वर्तमान	
मैं पढ़ता/ती होऊँगा/गी	हम पढ़ते/ती होंगे/गी
तू पढ़ता/ती होगा/गी	तुम पढ़ते/ती होंगे/गी
वह पढ़ता/ती होगा/गी	वे पढ़ते/ती होंगे/गी

रूपावली वर्ग (14) संदिग्ध भूतकाल	
मैं चला/ली होऊँगा/गी	हम चले/ली होंगे/गी
तू चला/ली होगा/गी	तुम चले/ली होंगे/गी
वह चला/ली होगा/गी	वे चले/ली होंगे/गी

रूपावली वर्ग (15) अपूर्ण संकेतार्थ	
मैं पढ़ता/ती होता/ती	हम पढ़ते/ती होते/तीं
तू पढ़ता/ती होता/ती	तुम पढ़ते/ती होते/ती
वह पढ़ता/ती होता/ती	वे पढ़ते/ती होते/तीं

रूपावली वर्ग (16) पूर्ण संकेतार्थ	
मैं चला/ली होता/ती	हम चले/लीं होते/तीं
तू चला/ली होता/ती	तुम चले/लीं होते/ती
वह चला/ली होता/ती	वे चले/लीं होते/तीं

टिप्पणी

1. धातुएँ स्वरांत होती हैं या व्यंजनांत। व्यंजनांत धातु के बाद क्रियारूप- प्रत्यय *मात्रा* रूप में लगते हैं, और स्वरांत के बाद स्वतंत्र स्वर के रूप में, जैसे – पढ़+ओ = पढ़ो, गा+ओ = गाओ।

2. ईकारांत और ऊकारांत धातुएँ ह्रस्व अर्थात् इकारांत और उकारांत हो जाती हैं। इसी के साथ इ-ईकारांत के बाद *य* का आगम होता है। जैसे – छुएगा, (छुयेगा) पिएगा आदि।

3. अभी हाल तक आकारांत, ऊकारांत, और ओकारांत धातुओं के बाद *व* का आगाम होता था। जैसे – होवे, होवेगा, ... सोवेगा आदि।

4. पूर्णकृदंत रूप रचना में दे → दी, ले → ली, कर → की, हो → हु में परिवर्तित होता है। जैसे – दिया, लिया, किया, हुआ। *जाना* ... धातु का सामान्यभूत में *गया* रूप होता है।

वृत्ति, काल और पक्ष

वृत्ति

वृत्ति को *क्रियार्थ* भी कहते हैं। *क्रियार्थ* का तात्पर्य है *क्रिया* का *अर्थ* (= प्रयोजन) अर्थात् क्रिया रूप कहने वाले या लिखने वाले के किस प्रयोजन या वृत्ति की ओर संकेत करता है। वाक्य में अर्थ इंगित करने का मुख्य साधन क्रिया रूप होते हैं, यद्यपि कुछ अव्यय, जैसे– शायद, मानो, संभवतः, यदि ... तो आदि, भी क्रिया रूप की सहायता करते

हैं। हिंदी में क्रियार्थ मुख्यतः पाँच हैं –

1. विध्यर्थ, 2. निश्चयार्थ, 3. संभावनार्थ 4.संदेहार्थ, 5. संकेतार्थ।

1. विध्यर्थ : जब आप यह चाहते हैं कि आपकी बात सुनकर सुननेवाला कुछ क्रिया करे या करने की योजना बनाए तो आपका क्रिया अर्थ *विधि* (*ऐसा करो*) - प्रधान होता है और आप विध्यर्थ (विधि + अर्थ) क्रिया रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि *ज़रा समय बताइए*,तो आपकी मंशा (अर्थ) यह है कि वह व्यक्ति घड़ी आदि देखकर आपको समय बताए। यहाँ *बताइए* क्रिया रूप से *विध्यर्थ* प्रकट होता है।

2. निश्चयार्थ : यदि आप श्रोता से कोई कार्य करने की अपेक्षा नहीं करते हैं तो आपका कथन सूचनात्मक होता है। मान लीजिए आपने कहा कि *मोहन फुटबाल खेल रहा है* – यह सुनने वाले के लिए सूचना-प्रधान कथन है। यह कथन *निश्चयार्थक* है, अर्थात् यह सत्य है या असत्य इसकी जाँच की जा सकती है। *खेल रहा है* क्रिया रूप से निश्चयार्थ प्रकट होता है।

3. संभावनार्थ : निश्चयार्थ में दिए सूचनात्मक कथन के संबंध में यह बताया जा सकता है कि यह *सत्य* है या *असत्य*। परंतु कथन निश्चित न होकर अनिश्चित भी हो सकता है जैसे– *आज शाम को शायद पानी बरसे*। यहाँ कथन अनिश्चित है, क्योंकि पानी बरस भी सकता है, नहीं भी बरस सकता है। अर्थात् यहाँ कथन की संभावना तो है, पर निश्चय नहीं। ऐसे कथन में क्रिया का *संभावनार्थ* प्रयुक्त होता है।

4. संदेहार्थ : संभावना कभी-कभी काफ़ी अधिक होती है अर्थात् आपको लगभग यकीन है कि कथन सत्य (या असत्य) निकलेगा। थोड़ा-सा भी संदेह होने के कारण कुछ अनिश्चय होता है, ऐसी स्थिति में *संदेहार्थ* का प्रयोग होता है, *मोहन इस समय स्टेशन पर आ गया होगा* से *मोहन इस समय स्टेशन पर आ गया है*। इस बात का लगभग पूरा-पूरा यकीन है पर साथ में कुछ संदेह भी है। यहाँ क्रिया के संदेहार्थी रूप *आ गया होगा* से संदेहार्थ – भाव स्पष्ट होता है।

5. संकेतार्थ : कार्य-सिद्धि के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक हो जाता है। *अगर पानी नहीं बरसेगा तो मैं ठीक समय पर आजाऊँगा* में *अगर तो* से संकेतार्थ भाव स्पष्ट है । ... "मैं पढ़ता *होता* तो अवश्य पास हो गया *होता*" में क्रियारूप *पढ़ता होता, पास हो गया होता संकेतार्थ* प्रकट कर रहे हैं। 'मैं पास हो गया हूँ'। इसके लिए *मैं पढ़ता था* की शर्त की सत्यता आवश्यक है।

काल

क्रिया या घटना किस *समय* हुई, इसको बताने का दायित्व *काल* का है; और समयवाची काल तीन होते हैं – वर्तमान, भूत और भविष्य। किंतु व्याकरणिक अर्थ की दृष्टि से *काल कथन के क्षण और क्रिया, घटना करनें होने के क्षण का समयपरक संबंध है।* यह संबंध तीन प्रकार का होता है :

1. *वर्तमान :* कथन के क्षण के *साथ- साथ* क्रिया-व्यापार का होना।
2. *भूत :* कथन के क्षण के *पूर्व* क्रिया-व्यापार का होना।
3. *भविष्य :* कथन के क्षण के *बाद* क्रिया-व्यापार का होना।

उदाहरण क्रमशः हैं – मोहन पढ़ रहा है / मोहन कल दिल्ली गया था / मोहन अगले वर्ष अमेरिका जाएगा।

ऊपर दिए सोलह रूपावली वर्ग के शीर्षकों के मूल में संयुक्त रूप से *काल* और *वृत्ति अर्थ* हैं। नीचे चार्ट में इन्हें स्पष्ट किया जा रहा है :

	वर्तमान	भूत	भविष्यत्
निश्चयार्थ	सामान्य वर्तमान (7) पूर्ण वर्तमान (8)	सामान्य भूत (6) अपूर्ण भूत (9) पूर्ण भूत (10)	सामान्य भविष्यत् (2)
विधि- अर्थ	प्रत्यक्ष विधि (3)		परोक्ष विधि (4)
संभावनार्थ	संभाव्य वर्तमान (12)	संभाव्य भूत (12)	संभाव्य विषय (1)
संदिग्धार्थ	संदिग्ध वर्तमान (13)	संदिग्ध भूत (14)	
संकेतार्थ		सामान्य संकेतार्थ (5) अपूर्ण संकेतार्थ (15) पूर्ण संकेतार्थ (16)	

टिप्पणी : *अभी आया* में रूपावली काल *सामान्य भूत* है किंतु क्रिया भविष्यकाल में संपन्न होने जा रही है, या *वह कल लखनऊ जा रहा है* में रूप रचना की दृष्टि से वर्तमान है, जबकि क्रिया भावी समय में होगी।

पक्ष

क्रियाप्रक्रिया (क्रिया व्यापार) को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। पहली दृष्टि में हम देखते हैं कि क्रिया की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है या आरंभ हो चुकी है, या वर्तमान में

चालू है या पूरी हो चुकी है। जैसे– पानी बरसने की क्रिया- प्रक्रिया को इस दृष्टि से देख सकते हैं कि पानी बरसने वाला है या बरस रहा है या बरसने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है आदि। इस दृष्टि का आधार यह है कि प्रत्येक क्रिया को समय की दृष्टि से आरंभ होने से अंत होने तक कुछ समय लगता है और प्रक्रिया को विभिन्न चरणों-सोपानों से गुजरना होता है। दूसरी दृष्टि में हमें आंतरिक समय या चरणों-सोपानों में कोई रुचि नहीं है; हम पूरी क्रियाप्रक्रिया को एक इकाई में देखते हैं। उदाहरणार्थ जब हम कहते हैं कि *वर्षा ऋतु में पानी बरसता है* तो हमारी रुचि पानी बरसने के विविध चरणों-सोपानों से नहीं है। बल्कि हम *पानी बरसना* को एक स्वायत्त इकाई मानते हैं।

उपर्युक्त बताई गई दोनों दृष्टियों से प्रमुख पक्ष सोदाहरण दिए जा रहे हैं :

1. क. *आरंभद्योतक पक्ष :* यहाँ क्रिया आरंभ होने की सूचना मिलती है।
   अब वह *पढ़ने लगा* है।
   वह पढ़ने *को जा ही रहा* है।

   ख. *सातत्यद्योतक पक्ष :* यहाँ क्रिया की प्रक्रिया इस क्षण चालू है, यह सूचना मिलती है।
   वह बच्चा कितना अच्छा *खेल रहा है*।
   उस समय मोहन बहुत *रो रहा था*।

   ग. *प्रगतिद्योतक पक्ष :* यहाँ क्रिया निरंतर प्रगति कर रही है यह प्रकट होता है।
   भीड़ बढ़ती *जा रही थी*।
   वह कितनी तेजी से *बढ़ता चला आ रहा है*।

   घ. *पूर्णताद्योतक पक्ष :* यहाँ क्रिया पूरी या समाप्त हो चुकी है यह स्पष्ट होता है।
   मैं अब तक काफी *पढ़ चुका* हूँ।
   उसने तो काफी *पढ़ रखा* है।

2 क. *नित्यताद्योतक पक्ष :* यहाँ क्रिया नित्य (- सदा बनी) रहती है, उसका आदि अंत नहीं होता।
   पृथ्वी सूर्य के चारों ओर *घूमती* है।
   सूरज पूरब में *निकलता* है।

   ख. *अभ्यासद्योतक पक्ष :* यहाँ क्रिया आदत (स्वभाव) के कारण (अभ्यास से) हुआ करती है।

मोहन रोज सुबह तड़के *उठता* है और मंदिर जाता है।
वह रातभर *पढ़ता* था तब पास हुआ।
सर्दियों में बहुत जाड़ा *लगता* है।
वह तो ऐसा *लिखता ही रहता* है।
मैं प्रायः यह किताब *पढ़ लिया करता* हूँ।

संयुक्त क्रिया

जैसा कि अभी आपने देखा है, क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएँ भी आती हैं, जैसे – *पढ़ लिया करता हूँ। बढ़ता चला आ रहा है। उसे अब आने दिया जा सकता है* आदि। यहाँ एक क्रिया तो मुख्य होती है जैसे – कि उदाहरणों में पढ़ना, बढ़ना, आना आदि और अन्य *संयोजी* जो संयोजन कर संयुक्त क्रिया बनाती हैं, जैसे कि उदाहरणों मे लेना, करना, आना, रहना, देना, जाना, सकना आदि।

यहाँ ध्यान दें कि *पढ़ लिया करता हूँ / बढ़ता चला आ रहा है, आने दिया जा सकता है,* में हूँ, है आदि होना क्रिया के काल सूचक रूप है। *होना* क्रिया *संयोजी क्रिया* नही है – यह काल (रूपावली) रचना में मुख्य क्रिया के वर्तमान / भूतकृदंती रूपों के साथ आती है और इसलिए सहायक क्रिया कही जाती है, क्योंकि यह रूप रचना में सहायक है।

संयोजी क्रियाएँ - संयोजी क्रियाएँ मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति वाच्य आदि की सूचना देती है।

(क) क्रिया की प्रक्रिया चालू है, या आरभ हुई है आदि भाव की सूचना देने में निम्नलिखित संयोजी क्रियाएँ मुख्य क्रिया के बाद आती हैं :

1. आरंभ द्योतक :	–ने + ✓ लग	लड़का पढ़ने *लगा* है।
2. सातत्यद्योतक :	∅ + ✓ रह	लड़का पढ़ *रहा* है।
3. अभ्यास द्योतक :	–ता + ✓ रह	लड़का *पढ़ता रहता है*।
	–आ + ✓ कर	लड़का *सोया* करता है।
4. पूर्णता द्योतक :	∅ + ✓ चुक	लड़का सो *चुका* है।
	∅ + ✓ रख	लडके ने पढ़ *रखा* है।

टिप्पणी : सातत्यद्योतक में ✓ रह वस्तुतः संयोजी क्रिया नहीं है। यह पक्ष को सूचित करने वाला *सूचक* या *चिह्नक* है। अभ्यासद्योतक का ✓ रह संयोजी क्रिया है।

वह दिल्ली के प्रीतमपुरा में रहता है ✓ में ✓ रह धातु मुख्य क्रिया है। इस प्रकार *रहना* (1) मुख्य क्रिया (2) संयोजीं क्रिया और (3) पक्षचिह्नक तीन स्थितियों मे आती है।

(ख) उपरिलिखित संयोजी क्रियाएँ *पक्ष* के द्योतन में सहयोग देती है। इसके अतिरिक्त कुछ

संयोजी क्रियाएँ यह बताती हैं कि कर्ता को क्रिया करने की इच्छा है या नहीं, और इच्छा न होने पर क्या उसे *विवशता* वश क्रिया करनी पड़ रही है। कुछ यह भी बताती है कि कर्ता में क्रिया करने की समर्थता *शक्यता* है या नहीं :

5. इच्छा द्योतक :	ना + ✓ चाह	मैं पढ़ना चाहता हूँ।
6. विवशता द्योतक :	ना + ✓ पढ़	मुझे पढ़ना पडता है।
7. शक्यता द्योतक :	∅+ ✓ सक	मैं अब पढ़ सकता हूँ।
8. असमर्थता द्योतक :	ते + ✓ (नहीं)+बन	मुझ से पढते नहीं बनता।
	∅ + ✓ (नहीं)+पा	मैं अब पढ़ नहीं पाऊँगा।

(ग) वाच्य का द्योतक हिंदी में मुख्यतया संयोजी क्रिया ✓ जा के सहयोग से होता है।

9. कर्म/भाववाच्य द्योतक :	– आ + ✓ जा	किताब पढ़ी जा रही है। उससे अब दौड़ा नहीं जाता।

(घ) अनुज्ञा (अनुमति) देने में भी हिंदी में संयोजी क्रिया दे की अपेक्षा होती है :

10. (×) अनुज्ञाद्योतक :	ने + ✓ दे	उसे चुपचाप पढ़ने दो।

उपरिलिखित ये सभी संयोजी क्रियाएँ अधिकांश क्रियाओं के साथ आ सकती है और ऊपर बताए भावों का द्योतन करती हैं। ये अगले अनुच्छेद में दी गई *रंजक क्रियाओं* से भिन्न हैं, क्योंकि वे सीमित मुख्य क्रियाओं के साथ लगती हैं तथा लगने पर मुख्यक्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्ट अर्थ-छवि देती हैं और इसीलिए रंजक (कुछ विशेष रंग अर्थात् अर्थ-विशिष्टता देने वाली) कही जाती है।

रंजक क्रियाएँ

रजक क्रियाएँ मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है अर्थात् विशिष्ट अर्थ छवि देती हैं। सामान्यः ये आठ हैं – आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पड़ना, डालना। नीचे इनके उदाहरण दिए जा रहे हैं –

आना :	रो आना, कर आना, बन आना	अनायासता का भाव
जाना :	पी जाना, आ जाना, खा जाना	क्रियापूर्णता/शीघ्रता का भाव
उठना :	रो उठना, गा उठना, चिल्ला उठना	आकस्मिकता का भाव
बैठना :	मार बैठना, खो बैठना, चढ़ बैठना	आकस्मिकता का भाव
लेना :	पी लेना, सो लेना, ले लेना	क्रियापूर्णता/विवशता का भाव
देना :	चल देना, रो देना, फेंक देना	क्रियापूर्णता/विवशता का भाव
पड़ना :	रो पड़ना, हँस पड़ना, चौक पड़ना	स्वतः/शीघ्रता का भाव
डालना :	मार डालना, तोड़ डालना, काट डालना	बलात्‌भाव/क्रियापूर्णता का भाव

कुछ अन्य कम प्रचलित रंजक क्रिया प्रयोग हैं – डूब *मरना*, लिख *मारना*, चल *निकलना*, चल *बसना* आदि ।

वाच्य और अन्विति

वाच्य

हम जब कभी भाषा का प्रयोग करते हैं तब हमारे पास कुछ *कथ्य*, अर्थात् कहे जाने वाली बात होती है । कथ्य एक वाक्य से भी कहा जा सकता है और अनेक वाक्यों से भी; किंतु हर वाक्य में कथ्य का कोई-न-कोई बिंदु अवश्य होता है, जिसे वक्ता कुछ प्रधानता दे कर स्पष्ट करना चाहता है । *वाच्य* (शाब्दिक अर्थ – बोलने का विषय) की भूमिका यहीं आती है : वाच्य इस बात का संकेत देता है कि वक्ता इस वाक्य में किस कथ्यबिंदु को प्रधानता दे रहा है । उदाहरणार्थ – *नेहा पढ़ रही है*। वाक्य से स्पष्ट होता है कि कथ्यबिंदु *नेहा* के विषय में कुछ बोला जा रहा है । इसी प्रकार मान लीजिए कि बगल के कमरे में अमित पढ़ रहा है और बिल्ली भी वहाँ घूम रही है; अचानक माँ को गिलास टूटने की आवाज़ आई । माँ का वाच्यबिंदु यदि अमित है तो कहेगी *अरे ! अमित ने गिलास तोड़ दिया;* यदि वाच्यबिंदु बिल्ली है तो कहेगी *अरे ! बिल्ली ने गिलास तोड डाला* और यदि वाच्यबिंदु गिलास है तो कहेगी *अरे ! गिलास टूट गया* । इस प्रकार वाक्य-रचना में *'वाच्य' यह बताता है कि वाक्य में स्थित कर्ता कर्म या क्रिया – इनमें से किसे वक्ता ने कथ्यबिंदु बनाया है तथा प्रधानता दी है*। चूँकि *वाच्य*, कर्ता, या कर्म या क्रिया भाव के संबंध में ही बताता है इसलिए वाच्य के तीन भेद होते हैं :

1. *कर्तृवाच्य :* जहाँ वाच्य केंद्र, अर्थात् वक्ता का कथ्य बिंदु, कर्ता है । जैसे –
   बच्चे खेल रहे हैं ।
   रमेश ने किताब पढ़ ली है ।
   श्याम को ज्वर आ रहा है ।
2. *कर्मवाच्य* जहाँ वाच्य केंद्र, अर्थात् वक्ता का कथ्यबिंदु, कर्म है; जैसे –
   रमेश से अब *दूध* पिया नहीं जा रहा है ।
   दवाई दे दी गई है ।
   पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है ।
3. *भाववाच्य* : जहाँ वाच्य केंद्र अर्थात् वक्ता का कथ्यबिंदु, क्रिया है । जैसे –
   मुझ से अब *चला नहीं जाता*।
   गर्मियों में खूब *नहाया जाता है*।

कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि

कर्मवाच्य में कर्ता को प्रधानता नहीं दी जाती है अतएव उसे गौण स्थान मिलता है। यह गौणता दो प्रकार से हो सकती है –(क[1]) कर्ता को करण या माध्यम के रूप में *से, के द्वारा, द्वारा* आदि लगा कर व्यक्त किया जाए। या (क[2]) कर्ता का लोप ही कर दिया जाए। रमेश से अब दूध पिया नहीं जा रहा है। में रमेश के साथ परसर्ग *से* लगा कर उसे कर्ता की भूमिका से दूर कर दिया गया है, और "पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है।" में पतंग उड़ाने वाले का उल्लेख तक नहीं है।

(ख[1]) इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया *जाना* का प्रयोग किया जाता है और जाना के पूर्व मुख्य क्रिया का पूर्णकृदंती रूप – आ – ई – ए – ई आता है। जैसे कि *दूध पिया नहीं जा रहा है। दवाई दे दी गई है।*

2. कर्तृवाच्य में प्रयुक्त मूल सकर्मक के व्युत्पन्न अकर्मक का प्रयोग किया जाता है, जैसे– पतंग उड़ रही है।
   रमेश अब दूध पी नहीं रहा है → रमेश[से (क)(1) द्वारा] + अब + दूध (कर्म) + पीना मुख्य क्रिया (कर्तृवाच्य,+ जा (= पिया जा) + रहा है। = रमेश से अब दूध पिया (नही) जा रहा है।
   (मोहन) पतंग उड़ा रहा है → मोहन का लोप[(क) 2. द्वारा] + मूल सकर्मक *उड़ाना* का व्युत्पन्न अकर्मक रूप[(ख) 2.]द्वारा + रही है। = पतंग उड़ रही है।

कर्तृवाच्य से भाव वाच्य बनाने की विधि–

भाव वाच्य में कर्म होता ही नहीं है। मूलकर्ता की दो स्थितियाँ होती हैं –

(क) 1. उसके आगे *से* आदि लगता है, 2. उसका उल्लेख ही नहीं होता। उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता जन सामान्य (लोग) हो। और मुख्य क्रिया के पूर्णकृदंती क्रमों के बाद संयोजी क्रिया ✓ जा लगती है।
   मैं अब चल नहीं पाता →[मैं →] मुझ से + अब + (चला (नहीं) + जा) ता
   गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं → गर्मियों में (लोग → लोगों से → लोप) + खूब + (नहा – या + ✓ जा) ता है।

कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल

(क) जब आप को स्वय पता न हो कि निश्चित रूप से कर्ता कौन है या आपको पता तो

हो पर भयवश, संकोचवश या अन्यथा बताना नहीं चाहते। जैसे –
डाकपेटी मे चिट्ठी *डाल दी गई* है।
उसकी घड़ी मेज पर से *चुरा ली गई* है।

(ख) जब आपने स्वयं किया है,किंतु वह अचानक बिना आपके चाहे हुआ हो, जैसे –
शीशा *गिर गया* और *टूट गया*।
शीशे का गिलास *छूट गया*।

(ग) जब कर्ता कोई स्वतंत्र रूप से व्यक्ति न हो बल्कि कोई व्यवस्था या तंत्र (सभा, समिति, सरकार आदि) हो, जहाँ व्यक्ति ने जो किया है, वह व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है बल्कि पदेन किया है:
सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम *किए जा रहे हैं*।
आपको सूचित *किया जाता* है कि...
दंगाग्रस्त लोगों की आर्थिक सहायता पार्टी द्वारा की *जा रही है*।

(घ) सूचना विज्ञप्ति आदि मे जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे –
पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी।

(ड) असमर्थता बताने के लिए *नहीं* के साथ, जैसे –
अब अधिक दूध नहीं *पिया* जाता।

भाववाच्य के प्रयोग स्थल

(क) प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए *नहीं* के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे इतना चल कर आए हैं कि अब खड़ा तक *नहीं* हुआ जाता।

(ख) जब *नहीं* प्रयोग नहीं होता है, तो मूल कर्ता जन सामान्य होता है, जैसे –
गर्मियों में छत पर *सोया जाता* है।

अन्विति (प्रयोग)

जिस प्रकार विशेषण में विशेष्य के साथ अन्विति होती है, उसी प्रकार क्रिया रूपों की अन्विति *कर्ता/उद्देश्य* में स्थित संज्ञा/संज्ञावत् विशेषण सर्वनाम से होती है। यह अन्विति (अनु – पीछे-पीछे + इति < इ= गमन) (अनुगमन) वचन (एकवचन-बहुवचन) पुरुष (उत्तम, मध्यम, अन्य) तथा लिंग (पुंलिंग-स्त्रीलिंग) में होती है। अर्थात् क्रियारूप आवश्यकतानुसार वही वचन - पुरूष लिंग का रूप लेता है जो उद्देश्यस्थित कर्ता का है।

हिंदी में अन्विति के निम्नलिखित नियम हैं :

कर्ता- क्रिया अन्विति : यदि कर्ता में कोई परसर्ग न लगा हो तो क्रिया उसके अनुसार क्रियारूप लेती है। जैसे – लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है, लड़का गया, लड़की गई, मैं *जाऊँगा*, हम *जाएँगे*, वह *जाएगी*, वे *जाएँगी*।

कर्म- क्रिया अन्विति : यदि कर्ता में कोई परसर्ग *ने को से* लगा है, और कर्म में कोई परसर्ग न लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। जैसे –

राम ने *रोटी खाई। फल खाया।*

राम से *रोटी खाई नहीं गई। फल खाया नहीं गया।*

राम को *हिंदी आती है। गणित आता है।*

क्रिया में अन्विति हीनता : यदि *कर्ता* में भी परसर्ग लगा है और *कर्म* में भी *को* परसर्ग लगा है, तो क्रिया अन्वितिहीन स्थिति में रहती है। इस स्थिति में क्रिया में पुंलिंग एकवचन रूप आता है। जैसे –

कर्तृवाच्य में – जब राम ने/सीता ने फल को / रोटी को खाया तब...

भाववाच्य में – राम से / सीता से चला/गाया नहीं जाता।

इन तीनों अन्विति-स्थितियों को कुछ लोग क्रमशः *कर्तरि प्रयोग कर्मणि प्रयोग भावे प्रयोग* भी कहते हैं।

वाच्य और प्रयोग में अंतर

वाच्य और *प्रयोग* भिन्न-भिन्न व्याकरणिक संकल्पनाएँ हैं। प्रयोग का आधार *रूप रचना* है अर्थात् उस रूप में जो लिंग - वचन आदि आए हैं, उनका अनुसरण करना है। रूप रचना पर गौर करते ही प्रयोग का निर्धारण हो जाता है, किंतु *वाच्य* का आधार वक्ता द्वारा दी प्रधानता है, जो अर्थ परक है। ये दोनों एक ही संकल्पना नहीं हैं, इसका प्रमाण यह भी है कि कर्मणि प्रयोग में कर्तृवाच्य (राम ने रोटी खाई) भी आ सकता है और कर्मवाच्य भी (राम से रोटी खाई नहीं गई)। भावे प्रयोग में भी इसी प्रकार कर्तृवाच्य (जैसे, जब राधा ने उस गिरते हुए बच्चों को देखा) और भाववाच्य, जैसे सीता से अब चला नहीं जाता। मिलते हैं।

अतः वाच्य और प्रयोग भिन्न-भिन्न व्याकरणिक संकल्पनाएँ हैं।

क्रिया-अध्याय का परिशिष्ट

रूपावली वर्गों के प्रयोगों के उदाहरण

रूपावली वर्ग (1): संभाव्य भविष्यकाल

आज शायद, पानी *बरसे*। (संभावना)

ईश्वर आपको समृद्ध *बनाए*। (इच्छा, आशीर्वाद)

क्या मैं अब *जाऊँ*। (अनुमति माँगना)

वह ऐसी बातें करता है,मानों सब कुछ उसके हाथ में हो। (उत्प्रेक्षा)

रूपावली वर्ग (2) : सामान्य भविष्यत् काल

ऐसा घर इतने पैसे में अन्यत्र नहीं *मिलेगा* (सामान्य भविष्य)

मैं कल आपके यहाँ *आऊँगा*। (निश्चयात्मक भविष्य)

अगर तुम *पढ़ोगे* तो उत्तीर्ण होगे। (शर्तयुक्त क्रियाकार्य)

वह उसके पिता जी *होंगे*। (संदेह)

रूपावली वर्ग (3) : प्रत्यक्षविधि

अब घर चलो, देर न *करो*। (विधि) (आग्रहात्मक)

किसी की बुराई न *करो*। (उपदेशात्मक आज्ञा)

आप यहाँ *बैठिए*। (निवेदन)

रूपावली वर्ग (4) : परोक्ष विधि

कल निबंध लिखकर ही *आना* (भावी आज्ञा)

उधर *न जाना,* फिसल जाओगे (निषेध)

रूपावली वर्ग (5) : सामान्य संकेतार्थ हेतुहेतुमदभूत

अगर कल शाम तुम *आते तो* पिताजी से मुलाकात हो *जाती*।

ये प्रायः 'अगर:. तो से जुड़े होते हैं।' क्रिया की असिद्धता (= न होने) का संकेत

रूपावली वर्ग (6) सामान्य भूत

शिवाजी समर्थ गुरू रामदास के शिष्य *थे*। (अतीत के तथ्य /स्थिति की सूचना)

आप चलिए, मैं अभी *आया*। (भावी क्षण में पूरा किये जाने वाले कार्य की सूचना)

रूपावली वर्ग (7) : सामान्य वर्तमान काल

प्रधानाध्यापक जी आप को *बुलाते* हैं।(कार्य की वर्तमानता)

वह बहुत अच्छा *नाचती* है। (आदत /स्वभाव की सूचना)

वह आठवीं कक्षा में *पढ़ता है*। (दीर्घ व्यापी कार्य की सूचना)

पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा *करती है*। (नित्य सत्य की सूचना)

रूपावली वर्ग (8) : पूर्ण वर्तमान /आसन्नभूत

तुलसी ने रामचरितमानस *लिखा* है। (भूतकालिक क्रिया जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान में है)

बगीचे में सुंदर-सुंदर फूल *खिले* हैं। (स्थिति सूचना)

ट्रेन आ *गई है*। (आसन्न भूतकाल)

रूपावली वर्ग (9) : अपूर्ण भूतकाल

पहले मैं बहुत *सोता था*। (आदत, दीर्घ व्यापी क्रिया)

वकील जो-जो *पूछता था,* गवाह उसका उत्तर *देता था*। (बारंबारता सूचना)

रूपावली वर्ग (10) पूर्ण भूतकाल

आज सबेरे मैं आपके यहाँ *गया था*। (बोलने या लिखने के बहुत पहले की क्रिया)

हम स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन *चल दी*। (साथ- साथ घटित होना)

डाक्टर के आने से पूर्व ही रोगी *मर गया था*। (पूर्व संपन्न कार्य की सूचना)

रूपावली वर्ग (11) : संभाव्य वर्तमान

हम ऐसा घर ढूँढ रहे हैं, जहाँ दिन भर पानी *आता हो*। (स्वाभाविक स्थिति)

शायद आज पिताजी *आते हों*। (वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना)

मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात *सुनता न हो*। (आशंका सूचना)

रूपावली वर्ग (12) : संभाव्य भूतकाल

हो सकता है किसी ने हमारी बातें *सुनी हों*। (भूतकाल की पूर्ण क्रिया की संभावना)

दुष्टों ने कुत्ते को कहीं मार न *डाला हो*। (आशंका सूचना)

रूपावली वर्ग (13) : संदिग्ध वर्तमान

पिताजी आते होंगे। (वर्तमान काल की क्रिया का संदेह)

रूपावली वर्ग (14) : संदिग्ध भूत

तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी। (भूतकालिक क्रिया का संदेह)

शायद वह बीमार *रहा होगा*। (संदेह सूचना)

रूपावली वर्ग (15) : अपूर्ण संकेतार्थ

अगर वह अच्छी तरह *पढ़ता होता,* तो अब तक हाई स्कूल पास कर लिया होता।

रूपावली वर्ग (16) : पूर्ण संकेतार्थ

अगर तुम ने पढ़ *लिया होता,* तो आज पास हो *चुके होते*।

प्रश्न और अभ्यास

1. क्रिया की परिभाषा दीजिए। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के दो- दो उदाहरण देते हुए इन्क अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. स्थित्यर्थक/ अवस्था बोधक अकर्मक धातुओं का दो- दो वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
3. निम्नलिखित धातुओं से क्रिया शब्द निर्मित कीजिए :
   पढ़, लिख, शर्म, गर्म, दुहरा, टक्कर, अपना, लाज।
4. काल कितने होते हैं ? भेद उदाहरण देकर समझाइए।
5. क्रिया अर्थ कितने प्रकार का होता है ? प्रत्येक का एक- एक उदाहरण दीजिए।
6. नीचे लिखे कथनों में जो सही हैं उनके आगे (✓) और जो गलत है उनके आगे (×) चिह्न लगाइ
   1. धातु के मुख्य सात भेद हैं।
   2. काल के तीन भेद होते हैं।
   3. अवस्थाएँ पाँच होती हैं।
   4. वह गया था– इसमें अपूर्ण अवस्था है।
   5. चलो चलें– इसमें वर्तमान काल है।
7. नीचे दिए गए वाक्यों को मॉडल अनुसार बदलिए :
   मॉडल : उसने मुझसे सवाल पूछा → सवाल पूछा गया।

1. उसने काम कर लिया।	काम- - - - - - - - - - -
2. उर्मिला रोटी खाएगी।	रोटी खाई- - - - - - - - - - -
3. मैं सवाल पूछ रही हूँ।	सवाल - - - - - - - - - - - रहा है।
4. माँ दीदी को खूब मारती है।	दीदी को खूब - - - - - - - - - है।
5. वे मुझे फ़ौरन पहचान लेंगे।	मुझे - - - - - - - - - - - - - - जाएगा।

8. संरचना की दृष्टि से निम्नलिखित क्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए :
   लजाना, मुटाना, हँसाना, चलवाना, लड़ाना, जागना, लिटाना, सुनना, कटाना, रखवाना।
9. नीचे दिए गए सही क्रिया भेद पर (✓) चिह्न लगाइए :
   हँसाना (प्रथम प्रेरणार्थक/नाम धातु/द्विकर्मक)

कटवाना	(द्वितीय प्रेरणार्थक/प्रथम प्रेरणार्थक/सकर्मक)
सोकर	(नाम धातु/संयुक्त, क्रिया)
मर गया	(संयुक्त क्रिया / सकर्मक)
पढ़ाना	(प्रथम प्रेरणार्थक/सकर्मक/संयुक्त क्रिया)

10. निम्नलिखित में से अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक बनाइए :

क. पढ़ना -------------

ख. सोना -------------

ग. करना -------------

घ. दौड़ना -------------

ङ. जीतना -------------

च. छूटना -------------

11. नीचे के वाक्यों में पक्ष को पहचानिए और उन्हें सामने दिए गए प्रश्न- नामों के सामने लिखिए :

वाक्य	पक्ष- उपपक्ष
1. हवा बहती है।	आरंभद्योतक- - - - - - - - -
2. राम स्नान करता है।	सातत्यद्योतक- - - - - - - - - -
3. वह गाना गाता था।	प्रगतिद्योतक- - - - - - - - - -
4. वे जा रहे थे।	पूर्णताद्योतक- - - - - - - - -
5. अब वह पढ़ने लगा है।	नित्यताद्योतक- - - - - - - - - - - - - -
6. भीड़ बढ़ती जा रही थी।	अभ्यासद्योतक- - - - - - - - - - - - -
7. सर्दियों में बहुत जाड़ा लगता है।	- -
8. संगीता ने गाना गाया।	- -

12. सहायक क्रिया किसे कहते हैं ? नीचे दिए वाक्यों को कोष्ठक में दिए क्रियारूप का सही प्रयोग करते हुए निर्मित कीजिए :

मॉडल : मोहन कमरे में आया (जाना) मोहन कमरे में आ गया।

1. मुझे आपकी चिट्ठी मिली। (जाना)
2. मैं 1956 में हाईस्कूल पास हुआ। (जाना)
3. मैं तस्वीर बनाता हूँ। (लेना)
4. मैंने उसे मनाया। (लेना)
5. आप बैठिए। (जाना)
6. उसका पैर जला, मुँह नहीं। (हो जाना)
7. कल रात मेरे घर चोरी हुई। (हो जाना)
8. मैंने कल बाल कटाए। (लेना)
9. वह मुझे अक्सर किताब देती है। (दे देना)
10. तुम जल्दी दिल्ली पहुँचो। (जाना)

13. नीचे दिए प्रयोगों में से रंजक क्रिया छाँटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

ले आना, चीक उठना, वह खा चुका है, उसे मार डाला
चिट्ठी पढ़ लो, गिर पड़ा, जाता रहता है, वह ऐसा कर बैठा।

14. नीचे दिए गए वाक्यों को मॉडल के अनुसार बदलिए।
मॉडल : पुत्री सो गई (पुत्री, माँ) माँ ने पुत्री को सुला दिया।
   1. छात्र पढ़ रहे हैं। (मास्टर)
   2. सामान अब पहुँचना चाहिए। (महेश)
   3. बच्चियाँ लाएंगी। (यह कहानी)
   4. हमने कहानी सुन ली। (बड़ी बहन)
   5. हमें बहुत देर हुई। (रिक्शे वाला)
15. वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के तीनों भेदों के समझाने वाले एक- एक वाक्य लिखिए।
16. नीचे लिखे कथनों में जो सही है उन पर (✓) का तथा जो गलत हैं उन पर (×) का चिह्न लगाइए-
   1. संयुक्त क्रियाएँ पक्ष, वृत्ति, वाच्य की सूचना देती हैं।
   2. रंजक क्रियाएँ क्रिया करने की असमर्थता व्यक्त करती हैं।
   3. वाच्य कर्ता, कर्म, क्रिया के संबंध में बताता है।
   4. भाव वाच्य में वक्ता का कथ्यबिंदु कर्म होता है।
   5. कर्तृवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है।
   6. क्रियारूप 'उद्देश्य' के वचन- पुरुष- लिंग का रूप लेता है।
17. नीचे लिखे वाक्यों का वाच्य बदलिए, उनके सामने वाच्य का नाम भी लिखिए।
   1. मैं मैदान में खेल रहा हूँ।
   2. शीला पुस्तक पढ़ती है।
   3. रेखा नहीं गाती।
   4. सोहन नहीं खेलेगा।
   5. मोहन पतंग उड़ा रहा है।
18. कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में क्रिया अन्विति की क्या स्थिति होती है? तीनों के एक- एक उदाहरण अन्विति के नियम को समझाते हुए दीजिए।
19. कृदंती रूप किसे कहते हैं? रचना की दृष्टि से इसके चारों प्रकारों के एक- एक उदाहरण दीजिए।
20. निम्नलिखित वाक्यों में से समापिका क्रियाएँ छाँटिए तथा उनके नाम भी लिखिए।
   1. चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय।
   2. बहता जल शुद्ध होता है।
   3. मुझे कई किताबें पढ़नी हैं।
   4. खा- पीकर चले जाना।
   5. चलती गाड़ी पर न चढ़ें।
   6. पका हुआ फल मीठा होता है।

अध्याय 11

अव्यय

पिछले चार अध्यायों में आपने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इन सब में एक समानता यह है कि प्रत्येक की रूपावलियाँ चलती हैं और एक ही शब्द वचन- लिंग- पुरुष- काल आदि के अनुसार भिन्न- भिन्न रूप लेता है। इस अध्याय में अब हम उन शब्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनमें रूपावली नहीं चलती अर्थात् जिनका एक ही रूप बना रहता है। एक ही रूप बने रहने के कारण इन्हें अव्यय (अ- व्यय = न व्यय होता है जिसका) कहते हैं। *अव्यय वे शब्द हैं, जिनमें लिंग- वचन- पुरुष- काल आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन (= व्यय) नहीं होता है*। आपके पूर्व परिचित उदाहरण हैं — यहाँ, कैसे, कब, और, लेकिन, में, केवल, ओह ! आदि। अव्यय के निम्नलिखित पाँच भेद हैं —

1. क्रियाविशेषण
2. संबंध बोधक
3. समुच्चय बोधक
4 विस्मयादि बोधक
5 निपात

क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण वह अव्यय शब्द है जो क्रिया की किसी विशेषता को बताता है, जैसे— मोहन *धीरे- धीरे* चल रहा है में *धीरे- धीरे* क्रिया चलने की एक रीतिविषयक विशेषता बताता है या मोहन *बिल्कुल*/बहुत थक गया है में *बिल्कुल* क्रिया *थकने* की मात्रा विषयक विशेषता बताता है। क्रिया के विशेषण होने के नाते इन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं। इन के चार प्रकार हैं—

1. रीतिवाचक क्रियाविशेषण
2. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण
3. कालवाचक क्रियाविशेषण
4. स्थानवाचक क्रियाविशेषण

1. *रीतिवाचक क्रियाविशेषण* : रीतिवाचक क्रियाविशेषण वह क्रियाविशेषण है, जो क्रिया की रीति या विधि से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है। यह बताता है कि क्रिया कैसे या किस प्रकार हो रही है, जैसे –

प्रथम आने के लिए मोहन *तेजी* से दौड़ा।

आप कहते जाइए, मैं *ध्यानपूर्वक* सुन रहा हूँ।

अब वह वहाँ *भलीभाँति* रह रहा है।

2. *परिमाणवाचक क्रियाविशेषण* : परिमाणवाचक क्रियाविशेषण वह क्रियाविशेषण है, जो क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है। यह बताता है कि क्रिया मात्रा में कितनी हुई, जैसे –

वह *थोड़ा- बहुत/ बिल्कुल/ बहुत* थक गया था।

मैं *ज़रा/ थोड़ा* चला ही था कि रिक्शा आ गया।

वह *उतना ही* खाता है, जितना कि डाक्टर ने बताया था।

3. *कालवाचक क्रियाविशेषण* : कालवाचक क्रियाविशेषण वह क्रियाविशेषण है जो क्रिया के काल से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है। यह तीन प्रकार का होता है –

क. कालबिंदुवाचक :	आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, सायं, प्रातः आदि।
ख. अवधिवाचक :	सदैव, दिनभर, आजकल, नित्य, लगातार आदि।
ग. बारंबारतावाचक :	प्रतिदिन, रोज, हर बार, बहुधा आदि।

4. *स्थानवाचक क्रियाविशेषण* : स्थानवाचक क्रियाविशेषण वह क्रियाविशेषण है, जो क्रिया के स्थान से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है। यह दो प्रकार का होता है –

क. स्थितिवाचक :	आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, दूर, आरपार, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र आदि।
ख. दिशावाचक :	इधर- उधर, ...दाहिने, बाएँ, ऊपर, नीचे, – की तरफ, – की ओर, – के दोनों/चारों ओर आदि।

क्रियाविशेषणों की रचना

कुछ शब्द तो अपने मूल/सरल रूप में क्रियाविशेषण होते हैं (जैसे – आज, ऊपर आदि) और कुछ शब्द प्रत्यय लगाने से या समास- रचना द्वारा क्रियाविशेषण बनते हैं (जब

कि उनका मूल शब्द संज्ञा आदि होता है जैसे – अनुमानतः, अनजाने आदि)

क. मूल क्रियाविशेषण : ये मूलरूप में ही क्रियाविशेषण होते हैं, जैसे – आज, अब, यहाँ, इधर, नीचे आदि।

ख. यौगिक क्रियाविशेषण : ये मूलरूप में संज्ञा आदि होते हैं और किसी- न- किसी प्रत्यय या निपात का सहारा लेते हैं या किसी शब्द के साथ मिलकर समास/युग्मक बनकर आते हैं। जैसे – ध्यानपूर्वक, स्वभावतः, वस्तुतः, अनजाने, धीरे- धीरे, दिन- रात, रातभर आदि।

प्रविशेषण

विशेषण के अध्याय में विशेषणों की विशेषता (अधिकता/न्यूनता) बताने वाले प्रविशेषणों का उल्लेख हुआ है, जैसे – वह बहुत चतुर है, सोहन बड़ा होशियार है। इन प्रविशेषणों का प्रयोग क्रियाविशेषणों के साथ भी होता है। उदाहरणार्थ :

पी. टी. ऊषा *बहुत तेज* दौड़ती है।

आपने आज *बहुत ही मधुर* गाया।

वे बहुत बीमार हैं,इसलिए *इससे भी धीरे* चलिए।

यहाँ बहुत, बहुत ही इससे भी क्रियाविशेषणों *तेज*, मधुर, *धीरे* की विशेषता बता रहे हैं।

संबंध बोधक

निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश देखिए :

रहीम सलमा के साथ अपने घर जाएगा।

आओ, आज तुम्हें सम्राट अशोक के बाबत पढ़ाएँ।

राम घर के बाहर है।

धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है।

मोहन की ओर क्या देखे जा रहे हो।

यहाँ एक रेखा से अंकित *अंश* अपने पूर्व स्थित दुहरी रेखा से अंकित अंशों से संबद्ध (जुड़ा हुआ) है। इस कारण इन अंशों – के साथ, – के बाबत, – के बाहर, – के बिना, – की ओर – को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये बाद में आए अंश (संबंध बोधक अव्यय) पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं।

1. क्रियाविशेषणात्मक संबंध बोधक : क्रियाविशेषण के समान यह काल, स्थान या दिशा का द्योतन करते हैं। उदाहरणार्थ : मोहन घर *के बाहर* सो रहा है में के बाहर संबंधबोधक

है, जबकि मोहन *बाहर* सो रहा है में *बाहर* क्रियाविशेषण है, क्योंकि पहले में *बाहर घर* के साथ संबद्ध है, जबकि दूसरे में *बाहर* क्रिया कहाँ हो रही है इसका उत्तर है। इस प्रकार के कुछ प्रमुख अव्यय हैं – से पहले, के बाद, के ऊपर, के भीतर, की ओर, की तरफ़ आदि।

2. *अन्य संबंधबोधक* : ये भाँति- भाँति के अर्थ द्योतित करते हैं –
   1. के कारण, की वजह से, के द्वारा/द्वारा, के मारे, के हाथ (से-) ...
   2. के लिए, के वास्ते, के ख़ातिर, के हेतु, के निमित्त ...
   3. से लेकर/तक, पर्यंत ...
   4. के साथ, के संग
   5. के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा ...
   6. की अपेक्षा, की तुलना में, के समान/सदृश, के जैसे ...
   7. के बदले, की जगह में/पर ...
   8. के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल ...
   9. के बाबत, के विषय में ...

समुच्चय बोधक योजक

और किन्तु या आदि शब्दों से आप भली-भाँति परिचित हैं। इनका कार्य दो शब्दों (*राम और श्याम* कल जाएँगे), दो पदबंधों या दो वाक्यों को आपस में संयोजित करना है; इसलिए इन्हें *योजक* या *संयोजक* भी कहते हैं। योजक के दो प्रमुख भेद हैं –

1. समानाधिकरण : वे योजक जो दो समान स्तर के परस्पर स्वतंत्र अंशों को संबद्ध करते हैं, जैसे – *और या किंतु* आदि।

2. *व्याधिकरण* : वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य है और अन्य एक/अनेक अंश गौण हैं। जैसे – *यद्यपि ... तथापि, कि, मानो, क्योंकि, इसलिए, कि,* आदि।

1. समानाधिकरण योजक

1. और, तथा, एवं आदि।

   न वह चाय पीता है, न काफी।

2. या, अथवा; या ... या; नहीं तो, अन्यथा; न कि

   तुमने किताब पढ़ी या/अथवा/कि नहीं।

   पढ़ाई करो नहीं तो/अन्यथा फ़ेल हो जाओगे।

   चाहे तुम चलो, चाहे न चलो – मैं तो चल रहा हूँ।

3. पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि ...

   मोहन न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल- कूद में भी तेज है।

4. अतः, फलतः आदि।

2. व्याधिकरण योजक

1. यदि ... तो, यद्यपि ... तथापि
2. क्योंकि, इसलिए ... कि, ताकि

मैं यहाँ इसलिए आया कि आपको आमंत्रित कर सकूँ।

मैं अब घर जा रहा हूँ,क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।

मैं घर जा रहा हूँ,ताकि वहाँ आराम कर सकूँ।

3. कि, अर्थात्, यानि ... यानि

उसने कहा कि मैं कल आऊँगा।

ईश्वर सर्वव्यापी, अर्थात्/यानि, सब जगह रहने वाला है।

विस्मयादिबोधक

विस्मयादिबोधक वे शब्द हैं, जो विस्मय (आश्चर्य), हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि मनोभावों के उद्गार को द्योतित करते हैं, जैसे – अरे, ओह, हाय आदि। ये उद्गार प्रायः अपने- आप मुँह से निकल जाते हैं और इनका उद्देश्य सुननेवाले को कोई सूचना देना नहीं होता है (इसलिए अकेले में भी ये बोले जाते हैं)। इन उद्गारों का वर्णन नीचे किया जा रहा है :

विस्मय (आश्चर्य) :	हैं, अरे, क्या
हर्ष- उल्लास :	वाह, आह, क्या खूब, बहुत अच्छा ...
प्रोत्साहन- प्रशंसा :	शाबाश, बहुत सुंदर ...
व्यथा- पीड़ा :	हाय, ओफ़, ओह, उफ़, हे राम ...
समवेदना :	हाय, राम ... राम, तौबा- तौबा ...
घृणा :	छिः, छिः छिः ...
तिरस्कार, दूर हटाना :	दुर, हट, हश, ओफ़, धिक्कार
चेतावनी :	बचो, होशियार, अरे, हटो ...
संबोधन, आह्वान :	हे, अजी ...

इनकी चर्चा आगे पाठ 12 में *लघु वाक्य* के रूप में भी की जाएगी।

निपात

हिंदी में कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल (= अवधारणा) दे देते हैं। इन्हें *निपात* या *अवधारक* या *अवधारणात्मक* शब्द भी कहते हैं। महत्त्वपूर्ण निपात ये हैं –

(1) *ही* : मोहन *ही* जा रहा है। वह दिल्ली *ही* जा रहा है। वह क्रिकेट *ही* खेलता है।

(2) *भी* : मोहन *भी* जा रहा है। वह दिल्ली *भी* जाएगा। वह क्रिकेट *भी* खेलता है।

(3) *तो* : मोहन *तो* गया ही था। मोहन पढ़ता *तो* है, पर अच्छे अंक नहीं लाता। मुझे जाने *तो* दो। (सभी क्रिया के साथ)

(4) *तक* : तुम आये *तक* नहीं। तुमने चिट्ठी *तक* नहीं लिखी।

(5) *मात्र* : शिक्षा *मात्र* मनुष्य को ऊँचा उठाती है। दस रुपए *मात्र* मिलेंगे। इसी अर्थ में *केवल* आता है, किंतु शब्द के पूर्व। *केवल* विद्या मनुष्य को ऊँचा उठाती है। *केवल* दस रुपए मिलेंगे। *मात्र* और *केवल* इन दोनों में एक लगाना चाहिए। दोनों लगाने से अशुद्धि हो जाती है, जैसे – *केवल* दस रुपए *मात्र* मिलेंगे वाक्य अशुद्ध है।

(6) *भर* : मैं उसे जानता *भर* हूँ। चार अक्षर *भर* पढ़ ले तो नाम हो जाए।

प्रश्न और अभ्यास

1. अव्यय शब्द की क्या विशेषता है ? पाँच अव्यय शब्द लिखिए।
2. अव्यय के पाँचों भेदों का नाम लिखिए और उनके दो- दो उदाहरण दीजिए।
3. ऊपर का, पूर्णतः, तक, शायद ही, दिनभर, हफ्ते भर, की ओर, का उचित प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थान को भरिए :
    1. मैं उसकी बात से ------- सहमत हूँ।
    2. वह आज ------- यहाँ आए।
    3. मकान का ------- कमरा गंदा है।
    4. मैं -------दफ़्तर में काम करता हूँ।
    5. मोहन महात्मा गाँधी मार्ग ------- रहता है।
    6. वह दिल्ली से ------- बाद वापस आया है।
    7. मैं कल देर रात ------- जागा।
4. कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रियाविशेषणों का प्रयोग करते हुए दो- दो वाक्य लिखिए।
5. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में उचित अव्यय शब्दों का प्रयोग कीजिए और यह भी बताइए

कि वे अव्यय किस भेद में आते हैं :

1. मैं एक ------- आगरा जाऊँगा ।
2. हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति ------- गर्व है ।
3. मुझे रेडियो ------- घड़ी चाहिए ।
4. यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो ------- श्रम करो ।
5. बाहर जाने ------- मुझसे मिलना ।
6. ------- आप मिल गए ।
7. वह जल्दी चला गया ------- ट्रेन पकड़ सके ।
8. ------- तो यह तुम्हारी शरारत है ।
9. तुम बकवास बंद करो ------- मुझे कुछ करना पड़ेगा ।
10. ------- तुमने यह क्या कर डाला ?

6. नीचे दिए वाक्यों से कौन- सा भाव प्रकट होता है ? वाक्यों के सामने लिखिए –

1. शाबाश ! तुमने बहुत अच्छा काम किया । -------
2. बाप रे ! मैं तो बर्बाद हो गया ! -------
3. छिः छिः ! तुम तो बड़े नीच आदमी हो ! -------
4. हाय ! अब मै क्या करूँ ? -------
5. अजी ! ले भी लो । -------
6. अबे हट ! नही तो मारूँगा । -------
7. बचो ! सामने से ट्रक आ रहा है । -------
8. वाह ! फिल्म देखकर मजा आ गया । -------

7. निपात किसे कहते हैं ? *ही, भी, तो, तक, मात्र, भर* का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए ।

8. संबंध बोधक अव्यय शब्दों से रिक्त स्थान भरिए :

1. सीता ------- दुख किसी ने नहीं सहा होगा ।
2. गंगा नदी वाराणसी ------- बहती है ।
3. हमें अंत ------- प्रयास करना चाहिए ।
4. घर के ------- से चारपाई लाओ ।
5. तुम्हारे ------- यह काम आसान है ।
6. धन ------- मनुष्य सुखी बनता है ।

अध्याय 12

पद-परिचय

वाक्य में प्रयुक्त *शब्दों* को *पद* कहते हैं। *उन शब्दों* का *व्याकरणिक परिचय पद- परिचय* कहलाता है।

पद-परिचय बताने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना भी आवश्यक है।

पद-परिचय के लिए आवश्यक संकेत –

संज्ञा संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध।

सर्वनाम सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध।

विशेषण विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य।

क्रिया अकर्मक/सकर्मक, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता और कर्म का संकेत।

क्रियाविशेषण भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश।

समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक

उन शब्दों के भेद तथा उनका संबंध, निर्देश आदि। उदाहरण –

(क) *हम* आज भी *देश पर* प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार *हो जाते हैं*।

हम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुंलिंग, कर्ता कारक।

देश पर संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक।

हो जाते हैं सकर्मक क्रिया, पुंलिंग, बहुवचन, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष, हम कर्ता की क्रिया।

(ख) *मोहन यहाँ दसवीं कक्षा में पढ़ता था।*

मोहन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, कर्ता, कारक, 'पढ़ता था' क्रिया का कर्ता।

यहाँ स्थान वाचक क्रिया विशेषण, पढ़ता था क्रिया का स्थान निर्देश।

दसवीं विशेषण, संख्यावाचक, क्रमसूचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कक्षा विशेष का विशेषण।

कक्षा में संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक। पढ़ना क्रिया से संबद्ध

पढ़ता था अकर्मक क्रिया, पढ़ धातु, पुंलिंग एकवचन, अन्यपुरुष, निश्चयार्थ कर्तृवाच्य, कर्तरि प्रयोग, इसका कर्ता मोहन।

(ग) *दौड़कर* जाओ और *बाज़ार* से *कुछ* तो लाओ।

दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण।

बाज़ार संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, अपादान कारक।

कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुंलिंग, एकवचन, कर्मकारक!

प्रश्न और अभ्यास

निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का परिचय दीजिए

1. *यह* किताब मेरी *छोटी* बहन की है, इसलिए मैं *तुम्हें* नहीं दे सकता!
2. *रमेश* यहाँ *नवीं कक्षा में* पढ़ता था।
3. *हम बनारस* घूमने गए थे।
4. वह *पढ़ता* है।
5. जल्दी करो, *वे सब* आते होंगे।

अध्याय 13

वाक्य-रचना

निम्नलिखित अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें :

लड़के गेंद *खेल रहे हैं*।

मेज पर तुम्हारी किताब *रखी हुई है*।

मोहन आज स्कूल नहीं *जाएगा*।

सबको अपनी मातृभूमि की *रक्षा करनी चाहिए*।

ये सब *सरल वाक्य* हैं और जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है, इनमें से प्रत्येक के अंत में समापिका क्रिया रूप हैं। ये सभी अभिव्यक्ति की दृष्टि से अपने में पूर्ण (स्वयंपूर्ण) और स्वतंत्र (आत्मनिर्भर) व्याकरणिक संरचना हैं। *लड़के/ गेंद/ खेल/ रहे/ हैं,* का अपना स्वतंत्र स्वयं पूर्ण अर्थ है, किंतु इसके अंश *लड़के/ गेंद/ खेल/ रहे/ हैं* पूरी अभिव्यक्ति नहीं देते – *लड़के* कहने पर कोई पूर्ण सूचना नहीं मिलती, *आकांक्षा* होती है कि "क्या कर रहे हैं", *गेंद* अकेले में कोई पूर्ण सूचनात्मक अर्थ नहीं रखता; *आकांक्षा* होती है कि *कौन क्या कर रहे हैं,* आदि। अर्थात् अकेले- अकेले में सदैव कुछ *आकांक्षा* रहती है; पूर्ण वाक्य होने पर आकांक्षा नहीं रहती।

सरल वाक्यों के अंश अभिव्यक्ति की दृष्टि से परस्पर *संगत* होते हैं। जैसे – कहें कि "लड़के *किताब* खेल रहे हैं।" या लड़के गेंद *पढ़* रहे हैं या "*बकरे* गेंद खेल रहे हैं।" तो अटपटा या असंगत लगेगा, क्योंकि ऐसा जीवन व्यवहार में होता नहीं है। इस प्रकार वाक्य के अंशों (संरचकों) के बीच योग्यता (= संगति) होती है; योग्यता के बिना वाक्य नहीं होता।

आकांक्षा और *योग्यता* की शर्त पूरी होने पर भी यदि अंश बहुत-बहुत देर में बोले जाएँ तो कोई इन अंशों को जोड़कर वाक्य नहीं बना सकते। अर्थ तभी निकलता है जब

अंश एक समुचित समय-सीमा में ही बोले जाएँ। इस शर्त को *संनिधि* (आसत्ति) कहते हैं। इस प्रकार वाक्य (सरल वाक्य) *आकांक्षा योग्यता- संनिधि* वाली संरचना है।

अर्थ की दृष्टि से वाक्य-भेद

किसी वाक्य का क्या अर्थ (प्रयोजन) है। अर्थात् वाक्य कहकर बोलने वाला सुनने वाले से क्या अपेक्षा रखता है। या बोलने वाला बोलता ही क्यों है – इसके अनुसार वाक्य के आठ भेद होते हैं। ये भेद निम्नलिखित हैं :

(1) *उद्‌गारवाचक वाक्य : कितना रमणीक दृश्य है !* ऐसे कथन उद्‌गार- मात्र हैं। यहाँ वक्ता अचानक बोल बैठता है, श्रोता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विस्मयादिबोधक अव्यय लग कर ये प्रायः बनते हैं।

(2) *विधि (= आज्ञा) वाचक वाक्य* : इस प्रकार के वाक्य बोलने के मूल में यह अपेक्षा रहती है कि श्रोता तत्काल या आगामी काल में कुछ करे। यह बड़ों के लिए अनुज्ञा-अनुमति-निवेदन आदि का भाव देता है। अनुदेशन या आदेश का भाव भी इससे प्रकट होता है। उदाहरणार्थः अब बैठ कर पढ़ो। कृपया मुझे वह किताब दीजिए। अब कढ़ाई में मसाला भूनिए, आदि।

(3) *प्रश्नवाचक वाक्य* : इनके मूल में जिज्ञासा होती है। अर्थात् श्रोता आपकी जिज्ञासा को दूर करेगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में *क्या, कौन, कब* आदि शब्द होते हैं, उदाहरणार्थ : आप कल कहाँ गये थे ? कल कौन आया था ? आदि।

(4) *इच्छावाचक वाक्य* : इनके मूल में अपनी संतुष्टि के लिए कुछ इच्छा या दूसरों के प्रति कामना होती है। सुझाव भी इसी कोटि में आते हैं। उदाहरणार्थ : मोहन, अब खेला जाए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आदि।

(5) *विधानवाचक (= निश्चयवाचक) वाक्य* : यहाँ कथन होता है। प्रयोजन कुछ सूचना देना होता है। सूचना *सत्य/ असत्य* हो सकती है, अतएव निश्चयार्थवृत्ति काम में आती है। यह विधान वर्तमान, भूत, भविष्य किसी काल में हो सकता है। जैसे – मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कल दिल्ली जाऊँगा। वह कल लौट आया था, आदि।

(6) *नकारात्मक वाक्य : विधानवाचक* वाक्य सकारात्मक व नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक में कथन न होने का भाव है। जैसे – मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा। वह कल नहीं लौटा।

(7) *संदेहवाचक वाक्य* : संदेहवाचक वाक्य में *विधान* होने में संदेह होता है। इसमें संदेहार्थी वृत्ति का प्रयोग होता है, जैसे – शायद वह कल यहाँ आए।

(8) *संकेतवाचक वाक्य* : संकेतवाचक वाक्य में *विधान* किसी शर्त की पूर्ति के बाद ही होता है, अन्यथा नहीं होता। यहाँ संकेतार्थी वृत्ति का उपयोग होता है। जैसे – अगर वह आएगा, तो मैं जाऊँगा। अगर तुमने पढ़ा होता, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते।

वाक्य के घटक

सरल वाक्य में क्रिया अपने समापिका क्रियारूप में अवश्य होती है, इस प्रकार सरलतम वाक्य का प्रमुखतम घटक *क्रिया* है। क्रिया के साथ कर्ता अर्थात् उस क्रिया को करने वाला हो, यह आवश्यक ही है। इस प्रकार लघुतम सरल वाक्य में दो घटक (1) क्रिया और (2) कर्ता अवश्य होते हैं।

अध्याय 10 में *क्रिया के प्रकार* के अंतर्गत यह बताया था कि क्रिया अकर्मक और सकर्मक होती है। अकर्मक और सकर्मक में अपूर्ण अकर्मक (कर्तृपूरकांक्षी) और अपूर्ण सकर्मक (कर्मपूरकांक्षी) उपभेद भी है, और सकर्मक (पूर्ण सकर्मक) का एक उपभेद द्विकर्मक होता है। इस प्रकार सरल वाक्य में स्थित क्रिया की प्रकृति के अनुसार वाक्य में निम्नलिखित घटक हो सकते हैं :

(पूर्ण) *अकर्मक* क्रिया के साथ – कर्ता, क्रिया (चिड़िया उड़ती है।)
अपूर्ण *अकर्मक* क्रिया के साथ – कर्ता, कर्तृपूरक, क्रिया (रमेश डाक्टर/बीमार है।)
(पूर्ण) सामान्य *सकर्मक* क्रिया के साथ – कर्ता, कर्म, क्रिया (रसीद फल खाता है।)
(पूर्ण) *द्विकर्मक* क्रिया के साथ – कर्ता, कर्म$_1$, कर्म$_2$, क्रिया (राधा ने ऊषा को साड़ी दी।)

अपूर्ण सकर्मक क्रिया के साथ – कर्ता, कर्म, कर्मपूरक, क्रिया (जैकब ने अहमद को अपना साथी चुना।)

ऊपर दिए घटक सरल वाक्य के *अनिवार्य घटक* कहे जाते हैं।

इन अनिवार्य घटकों के अलावा सरल वाक्य के कुछ ऐसे घटक आते हैं, जो *ऐच्छिक घटक* कहे जाते हैं। इनके आने से हमारी बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है, इनके न आने से कुछ अस्पष्टता बनी रहती है और इन्हें रखना वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है, किंतु व्याकरणिक रचना की दृष्टि से इनके न आने पर कोई अधूरापन नहीं रहता है, जैसा कि अनिवार्य घटकों के न आने से। उदाहरणार्थ निम्नलिखित वाक्य देखिए :

मोहन *श्याम के लिए* किताब लाया है।
वह *बीमारी के कारण आज* स्कूल नहीं जाएगा।
मोहन *श्याम के साथ कल सुबह* दिल्ली जाएगा।

यहाँ *श्याम के लिए, बीमारी के कारण, श्याम के साथ कल सुबह,* ऐच्छिक घटक हैं। (इनके हटा देने के बाद भी वाक्य में कोई अधूरापन नहीं रहता, जबकि किताब (कर्म), लाया है (क्रिया), वह (कर्ता) आदि के हटाते ही शेष रचना सरल वाक्य नहीं रह पाएगी। ये ऐच्छिक घटक होते हैं :

(i) करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारक में स्थित घटक

(ii) संबंधबोधक अव्ययों से बने घटक

(iii) क्रियाविशेषण घटक

ऊपर *कर्ता* का अनिवार्य घटक के रूप में उल्लेख हुआ है। कर्ता के पास प्रायः क्रिया आरंभ करने या न करने का सामर्थ्य होता है। किंतु बहुत-सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिनमें आपकी इच्छा या अनिच्छा की कोई भूमिका नहीं है। आपको खाँसी आ रही है। या आपको ज्वर है। या आपको जंगल में अचानक शेर मिल गया। या आपको किसी पर गुस्सा आ गया। यहाँ कहीं भी आप क्रिया करने वाले नहीं हैं। गहराई से देखा जाए तो आप *अनुभावक* (अनुभव करने वाले) हैं। इस *अनुभावक कर्ता* का हिंदी में विशेष महत्व है, क्योंकि इस प्रकार के कर्ता (उद्देश्य स्थित कर्ता) के साथ हिंदी में *को* लगता है। अनुभावक कर्ता मुख्यतया निम्नलिखित स्थितियों में मिलता है :

शारीरिक अनुभूतियाँ – मोहन को ज्वर/खाँसी/...आ रहा/रही है।

मनोभावात्मक अनुभूतियाँ – मोहन को गुस्सा आ रहा है।

बौद्धिक अनुभूतियाँ – मोहन को ऐसा लगा कि भूचाल आ गया।

मोहन को मालूम है कि ....

श्याम को गिनती आती है।

रुचिपरक क्रियाएँ – श्याम को मिठाई अच्छी लगती है।

आधारभूत वाक्य साँचे

आधारभूत वाक्य साँचों का आधार अत्यावश्यक घटकों की उपस्थिति है :

(1) ईश्वर है।------------------------------ अस्तित्व वाची रचना

(2) चिड़िया उड़ती है।-------------------- अकर्मक

(3) बच्चा दूध पीता है।-------------------- सकर्मक

(4) माँ ने बच्चे को टाफ़ी दी।-------------------- द्विकर्मक

(5) मोहन बहुत होशियार है।-------------------- कर्तृपूरक

(6) लड़कों ने मोहन को अपना कक्षा प्रतिनिधि चुना।-------- कर्मपूरक

(7) श्याम को तेज बुखार है। ----------------------- "को" कर्तृपूरक
(8) श्याम को (सड़क पर) दस रुपये मिले। ------------ "को" सकर्मक
(9) श्याम को मोहन अच्छा लगता है। ----------- "को" कर्म पूरक

टिप्पणी

(क) लड़ना आदि क्रियाओं में *कर्म* भी उतना ही *क्रियाकारक* होता है जितना कि *कर्ता,* इसे *सहकर्ता* भी कहा जा सकता है। यहाँ परसर्ग *से* का प्रयोग होता है। मोहन सोहन *से* लड़ रहा है।

(ख) **पूछना** आदि धातुओं में जिससे पूछा जाता है उसके साथ *से* लगता है। जैसे, गुरूजी ने मोहन से दो प्रश्न पूछे।

पदबंध

वाक्य के घटक अनुच्छेद के अंतर्गत आपने यह पढ़ा कि वाक्य के घटक इन कोटियों के होते हैं :

(क) (1) कर्ताघटक (इसी में *अनुभावक कर्ता* भी शामिल है)
(2) कर्मघटक
(3) पूरक (कर्तृपूरक/ कर्मपूरक) घटक
(4) क्रिया घटक

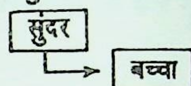
(ख) (5) करण-संप्रदान-अपादान-अधिकरण घटक
(6) क्रियाविशेषण घटक
(7) संबंधबोधक घटक (जिनकी चर्चा संबंधबोधक अव्यय के अंतर्गत हुई है)

इन घटकों की भाषिक अभिव्यक्ति एक या एकाधिक पदों से हो सकती है।(जैसे, मोहन *सुबह मैदान में गेंद खेलेगा*) या अनेक पदों से भी हो सकती है। (जैसे, मोहन *सुबह आठ बजे सामने वाले मैदान में अपने नये फुटबाल से* खेलेगा)। जब अनेक पद, परस्पर संबद्ध होकर, पद की तरह उपवाक्य (सरल वाक्य) के घटक बनते हैं तब पदबंध कहे जाते हैं।

(i) पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं (जैसे, सुंदर बच्चा, किलकिलाता हुआ वह सुंदर बच्चा, धीरे-धीरे चलेगा आदि); (ii) वे सब परस्परबद्ध होते हैं (इसी कारण पदबंध *शब्द* में *बंध* शब्द का प्रयोग किया गया है) और (iii) मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक इकाई के रूप में घटक बनते हैं। जैसे, ऊपर दिए वाक्य में "सामने वाले मैदान में" उपवाक्य (– सरल वाक्य – वाक्य) का अधिकरण घटक है। इसमें *सामने वाला मैदान* दो पद हैं, इन दोनों में आश्रित होने का भाव या विशेषता – द्योतन या विशेषणात्मक संबंध है – *मैदान*

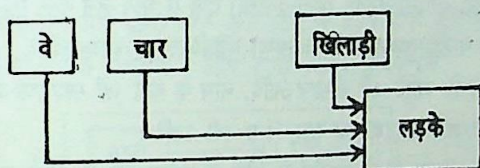
मुख्य पद या विशेष्य है और *सामने वाला* मुख्य पद पर आश्रित *विशेषण* है। संक्षेप में *पदबंध पदों का वह व्यवस्थित (– बद्ध) समूह है, जो पदवत् कार्य करता है।*

प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है, जिस पर अन्य पद आश्रित होते हैं। जैसे *सुंदर बच्चा* पदबंध में सुंदर पद



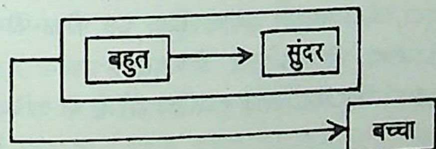
बच्चा पद पर आश्रित है। *सुंदर* पद *बच्चा* पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ विशेषण–विशेष्य संबंध है।

पदबंध में एक से अधिक शीर्षपद पर आश्रित पद हो सकते हैं। जैसे *वे चार खिलाड़ी लड़के* पदबंध में शीर्ष में *लड़के* पद हैं :



उस पर तीन पद *वे चार खिलाड़ी* आश्रित हैं। ये तीनों विशेषणात्मक हैं।

पदबंध में कभी-कभी आश्रित पद स्वयं एक पदबंध होता है। अर्थात् आश्रित पद किसी अन्य पद के लिए शीर्ष होता है, जैसे, बहुत सुंदर बच्चा पदबंध में *बच्चा* शीर्ष पद है। इस पर पदबंध *बहुत सुंदर* आश्रित है।



किंतु पदबंध *बहुत सुंदर* में *सुंदर* शीर्ष पद है और *बहुत* उसका विशेषण अर्थात् प्रविशेषण है।

इस प्रकार ऐसी रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें इससे गहरे स्तर पर भी पदबंध मिलते जाते हैं, जैसे –

आप एक अत्यंत साधु स्वभाव वाले समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के पुत्र हैं।

पदबंध अपने शीर्ष में स्थित पद के शब्द भेद के नाम पर होता है। जैसे, *सुंदर बच्चा* संज्ञा पदबंध है, *बहुत सुंदर बच्चा* में *बहुत सुंदर* पदबंध विशेषण पदबंध है, क्योंकि सुंदर विशेषण शब्द भेद में आता है। इस प्रकार पदबंध मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं :

1. संज्ञा पदबंध
2. विशेषण पदबंध
3. क्रिया पदबंध
4. क्रियाविशेषण पदबंध

1. संज्ञा पदबंध

संज्ञा पदबंध में शीर्ष में संज्ञा पद होता है। अन्य सभी पद उस पर आश्रित हैं। इसकी प्रमुख रचना रीतियाँ हैं :

(क) *विशेषण* :(गुणवाची विशेषण) सभ्य पुरुष; सुंदर फूल; (संख्यावाची) तीन मकान, चार घोड़े; (परिमाणवाची) दो किलो आटा, एक लिटर दूध; (सर्वनामिक) ये किताबें, कोई महिला; (कृदंती) बहता हुआ पानी, थका हुआ मजदूर; (संबंधवाची) मोहन की किताब, मेरा घर, अपना बस्ता; (कर्तृत्ववाची) दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी, बंगलूर जाने वाली गाड़ी;(तुलनावाची विशेषण) युधिष्ठिर-सा सत्यवादी।

(ख) *उपाधिसूचक* : नाम के पहले *श्री श्रीमान* आदि, नाम के बाद *जी महाराज* आदि।

(ग) *समानाधिकरण-सूचक* : दशरथ पुत्र राम, गंगा नदी आदि।

मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ, में पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम मैं है, किंतु सर्वनाम स्वयं संज्ञा के स्थान पर ही आता है। अतः संज्ञा पदबंध के भीतर ही यह उदाहरण रख दिया गया है।

2. विशेषण पदबंध

विशेषण पदबंध के शीर्ष में विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें प्रमुखतया प्रविशेषण लगता है :

(क) *प्रविशेषण* : बहुत सुंदर, थोड़ा नमकीन, ज्यादा मीठा; कुछ फीका-फीका, जरा खट्टा-खट्टा; लगभग हजार, कोई एक लाख, ठीक दस।

(ख) *तुलनात्मक / सादृश्यात्मक* : सिंह जैसा बलवान व्यक्ति। हीरे से भी अधिक कठोर।

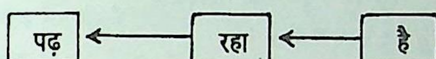
3. क्रिया पदबंध

क्रिया पदबंध के शीर्ष में क्रिया होती है जिस पर अन्यपद क्रिया पर आश्रित होते हैं। इसके दो प्रमुख भेद हैं :

(क) क्रिया विशेषणात्मक क्रिया पदबंध : यहाँ क्रिया पर क्रियाविशेषणात्मक पद या पदबंध आश्रित होता है जैसे, *धीरे- धीरे* चल रहा है, *तेजी से* दौड़ रहा है। *सुबह- सुबह* खेलता

है। *मैदान में* दौड़ रहा है।

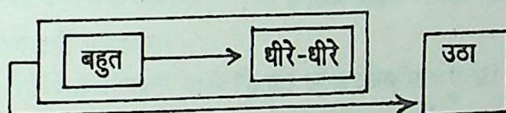
(ख) अंतः केंद्रित क्रिया पदबंध : यहाँ मुख्य क्रिया पर अन्य सहायक, संयोजी और रंजक क्रियाएँ आश्रित होती हैं। जैसे, मोहन किताब *पढ़* रहा है, में क्रिया पदबंध *पढ़ रहा है*। इस क्रियापदबंध का शीर्ष शब्द *पढ़* है।



अंतः केंद्रित क्रिया पदबंध में समापिका क्रिया के साथ नकारात्मक या अवधारणात्मक निपात भी आ सकते हैं – जैसे, गिर *ही* पड़ा, गिर *न* जाए, पढ़ा *भी* नहीं जाता

4. क्रियाविशेषण पदबंध

क्रियाविशेषण पदबंध में क्रियाविशेषण शीर्ष स्थान पर होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होता है। जैसे *बहुत धीरे-धीरे* उठा, में *बहुत धीरे-धीरे* क्रियाविशेषण पदबंध है। यहाँ *धीरे-धीरे* क्रिया विशेषण है और *बहुत* उसका प्रविशेषण।



टिप्पणी

यहाँ ध्यान रखें कि *कमरे में* या *कमरे के अन्दर* पदबंध नहीं है। संज्ञा आदि को पद बनने के लिए परसर्ग *में से* आदि लगाना होता है या संबंधबोधक अव्यय *के भीतर / के ऊपर / के बिना* आदि लगाना होता है।

संयुक्त तथा मिश्र वाक्य

जब एक से अधिक सरल वाक्य (उपवाक्य) किसी वाक्य में होते हैं, तब दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं – या तो दोनों समान स्तर के हैं (अर्थात्) कोई किसी पर आश्रित नहीं है, या एक प्रधान है और दूसरा उसका आश्रित। उदाहरणार्थ – *शाम को मोहन आएगा और सोहन भी आएगा*। वाक्य में शाम को मोहन का आना और शाम को सोहन का आना समान स्वतंत्र स्तर के हैं और एक घटना दूसरे पर आश्रित या निर्भर नहीं है, जबकि *मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे*। वाक्य में मेरे रहने के स्थान मकान के संबंध में ही दूसरा उपवाक्य बता रहा है और इस प्रकार आश्रित है। प्रथम को *संयुक्त वाक्य* और द्वितीय को *मिश्र वाक्य* कहते हैं।

संयुक्त वाक्य : संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसके कई उपवाक्यों में सभी समान स्तरीय होते हैं। अर्थात् उनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है। इसके उपवाक्य समानाधिकरण योजक अव्ययों से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ :

हम लोग पुणे घूमने गए *और* वहाँ चार दिन रहे।

वह आई तो थी *किंतु* उसने कुछ कहा नहीं था।

सत्य बोलो *परंतु* कटु सत्य न बोलो।

चुपचाप बैठो *या* यहाँ से चले जाओ।

वे बीमार हैं, *अतः* आने में असमर्थ हैं।

मिश्र वाक्य : मिश्र वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र (प्रधान) होता है और एक-या-एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं।

आश्रित वाक्य *तीन* प्रकार के होते है :

(क) संज्ञा उपवाक्य : मुख्य/ प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आने वाला उपवाक्य *संज्ञा उपवाक्य* कहा जाता है।

उर्दाहरणार्थ –

रहीम बोला कि *मैं कल कर्नाटक जा रहा हूँ*।

(*बोला* क्रिया का कर्म)

जान पड़ता है कि *माताजी कुछ अस्वस्थ हैं*।

(*जान पड़ता* क्रिया का उद्देश्य)

इनसे यह न पूछिए कि *ये कौन हैं*।

(*यह* का पूरक)

मुझे विश्वास है कि *आप अवश्य आएँगे*।

(*विश्वास* का समानाधिकरण)

(ख) विशेषण उपवाक्य : मुख्य/प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला उपवाक्य *विशेषण उपवाक्य* कहा जाता है।

उदाहरणार्थ –

आप की *वह* किताब कहाँ है, *जो* आप कल लाए थे।

वह घर कौन-सा है, *जहाँ* आपके पिता जी रहा करते थे।

तुम *जैसा* कलम अपने लिए लाए हो *वैसा* ही हमारे लिए खरीद दो।

(ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य : मुख्य/प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की

सूचना देने वाला उपवाक्य क्रियाविशेषण उपवाक्य कहा जाता है। इसके पाँच भेद हैं :

(i) **कालवाची उपवाक्य**

ज्योंही मैं स्टेशन पहुँचा, त्योंही गाड़ी ने सीटी बजाई।

जब पानी बरस रहा था, तब मैं घर के भीतर था।

जब-जब मैंने बाहर जाने की तैयारी की, तब-तब घर में कोई-न-कोई बीमार पड़ गया।

(ii) **स्थानवाची उपवाक्य**

जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था।

जिधर तुम जा रहे हो, उधर आगे रास्ता बंद है।

जहाँ तुम्हारे भाई गए हैं, वहीं तुम भी जाओ।

(iii) **रीतिवाची उपवाक्य**

मैंने वैसे ही किया है जैसे आपने बताया था।

वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं।

(iv) **परिमाणवाची उपवाक्य**

जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे महँगाई बढ़ती जाती है।

तुम जितना पढ़ोगे, उतना ही तुम्हारा लाभ होगा।

(v) **परिणाम (कार्य-कारण) वाची उपवाक्य**

वह जाएगा जरूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है।

यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता।

यद्यपि तुम मोटे ताजे हो तो भी मुझसे जीत नहीं पाओगे।

मैं आपके पास आ रहा हूँ ताकि कुछ योजना बन सके।

लघुवाक्य

निम्नलिखित स्थितियों पर ध्यान दीजिए :

(i) अनौपचारिक बातचीत में किसी ने पूछा , आप कल कहाँ जा रहे हैं ?

उत्तर : *हैदराबाद*

या किसी ने पूछाः बच्चा क्या कर रहा है ?

उत्तर : *पढ़ रहा है*

(ii) दो व्यक्ति मिलते हैं : पहला : *नमस्कार*

दूसरा : *नमस्कार*

(iii) आप ने रास्ते में किसी से समय पूछा । उसने कहा : *आठ*

और आपने कहा : *धन्यवाद*

और अपने रास्ते चल दिए ।

यहाँ '*हैदराबाद, पढ़ रहा है, नमस्कार, आठ, धन्यवाद*' व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य नहीं हैं, क्योंकि न्यूनतम सरल वाक्य में भी कर्ता-क्रिया तो होगी ही किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। परंतु, भाषा व्यवहार की दृष्टि से ये अभिव्यक्तियाँ अपने में पूर्ण हैं और इस कारण *वाक्य* हैं । इन्हें व्याकरण में *लघुवाक्य* कहते हैं । लघुवाक्य वह लघु (छोटी) अभिव्यक्ति है, जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण वाक्य न होते हुए भी, संप्रेषण की दृष्टि से पूरी है और इस कारण वाक्य का दर्ज़ा पाती है ।

लघुवाक्य दो प्रकार के होते हैं – (1) अध्याहार के कारण बने लघुवाक्य, (2) सामाजिक संप्रेषण में प्रयुक्त लघुवाक्य ।

(1) अध्याहार के कारण बने लघुवाक्य

ये लघुवाक्य पूर्ण वाक्य के किसी घटक या किन्हीं घटकों के अध्याहार अर्थात् लोप हो जाने के कारण अपूर्ण दिखाई पड़ते हैं और पहले कई वाक्यों के संदर्भ में लोप हुए अंशों को लाकर आसानी से लघुवाक्य को पूर्ण वाक्य बनाया जा सकता है । जैसे, ऊपर दिए लघु वाक्य *हैदराबाद* का पूर्ण वाक्य, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, सहज में बन जाता है ।

(2) सामाजिक संप्रेषण में प्रयुक्त लघुवाक्य

ये लघुवाक्य सामाजिक भाषा व्यवहार में काम आते हैं । समाज में उन्हें आप इसी लघुरूप में ही सीखते हैं । ये शिष्टाचार के अंग हैं । उदाहरणार्थ :

(क) *अभिवादन शब्द* : प्रणाम, नमस्कार, जयहिन्द आदि । विदाई के समय नमस्ते, बाई-बाई, फिर मिलेंगे आदि व्यंजक प्रयुक्त होते हैं ।

(ख) *संबोधन शब्द* : सर, हुजूर,-जी,-साहब, गुरु जी आदि ।

(ग) *ध्यानाकर्षक शब्द* : अजी, ए, सुनिए, देखिए, हलो, क्यों जी आदि ।

(घ) *कृतज्ञताज्ञापन, धन्यवाद आदि के शब्द* : धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया; कृपया; क्षमा करें, कष्ट तो होगा पर..., मेहरबानी होगी

(ङ) *सहमति / असहमति सूचक शब्द* : जी हाँ, हाँ, अवश्य, यस सर, नहीं, जी नहीं, नहीं-नहीं, अच्छा, ठीक है; जो हुकुम ।

पिछले अध्याय *अव्यय* के अंतर्गत बताए विस्मयादिबोधक अव्यय भी इसी कोटि में

आते हैं क्योंकि ये उद्‌गारात्मक शब्द, शब्द होते हुए भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण हैं। आजकल विज्ञापनों में (जैसे, सुंदर, सस्ते और टिकाऊ कपड़े) और समाचार पत्रों के शीर्षकों में (जैसे, बस और कार में भयानक टक्कर) प्रत्यक्ष क्रिया रूपों से रहित अभिव्यक्तियाँ खूब मिलती हैं, ये भी लघुवाक्य की कोटि में रखी जाती हैं।

पदक्रम और अध्याहार

पदक्रम

सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रियाविशेषण, संबंधबोधक आदि सामान्यतया जिस क्रम में आते हैं, उस क्रम (पूर्व/ पर स्थिति) को *पदक्रम* कहा जाता है। *पदक्रम* सभी भाषाओं में एक- सा नहीं होता है । इसकी जानकारी आपको होगी ही, क्योंकि अंग्रेजी में *कर्ता- क्रिया- कर्म* क्रम है जबकि हिंदी में *कर्ता- कर्म- क्रिया*।

हिंदी का पदक्रम निम्नलिखित सामान्य नियमों से बद्ध है –

1. लघुवाक्य के रूप में संबोधन और तथाकथित विस्मयादिबोधक, वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे, *अरे मोहन, इधर आओ*।
2. अन्यथा वाक्य के आरंभ में कर्ता पद आता है। क्रिया पद सदैव अंत में आता है। अपवाद रूप प्रश्नात्मक *क्या* आरंभ और अंत में आता है, आग्रहात्मक *ना, भी* अंत में आता है और पुष्टि अर्थक *न* अंत में आता है, जैसे –

   क्या आप वहाँ जा रहे हैं ?

   मिठाई खाइए *ना*।

   मिठाई खाइए *भी*।

   मिठाई खाएँगे *क्या* ?

   जा रहे हैं *न*।
3. वाक्य में *कर्म* सदैव *कर्ता* और *क्रिया* के बीच में रहता है।
4. पूरक, कर्तृपूरक स्थिति में, सदैव कर्ता के बाद और कर्मपूरक स्थिति में कर्म के बाद रहता है।
5. द्विकर्मक क्रिया में गौणकर्म (या संप्रदान) मुख्यकर्म के पहले रखा जाता है, जैसे –

   मोहन ने श्याम को फल दिया।
6. यदि कई कारक हों तो क्रम – अधिकरण-अपादान-संप्रदान-करण-होता है। जैसे–

   कुछ लोग दीवाली के पहले मिट्टी से, बेचने के लिए अपने हाथों से अच्छे खिलौने बनाते हैं।

7. *पदबंध संरचना* : संज्ञा पदबंध संरचना में विशेषकों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है – सार्वनामिक विशेषण – संबंधवाची विशेषण – कृदन्ती विशेषण – संख्या विशेषण – गुणात्मक विशेषण ।
8. *योजक* : मिश्र/संयुक्त वाक्यों में *योजक* दो उपवाक्यों के बीच में आता है ।
9. *मिश्रवाक्यी संरचना* : प्रधान वाक्य प्रायः आश्रित वाक्य के पहले आते हैं ।

अध्याहार

अध्याहार संस्कृत व्याकरण का शब्द है, जिसका अर्थ *अप्रकट पदों* को वाक्य में प्रकट रूप में लाना है। भाषा सदैव सामाजिक संदर्भ में प्रयुक्त होती है अतएव जो संरचक संदर्भ से स्वयं स्पष्ट हैं, उन्हें प्रायः प्रकट रूप में नहीं लाया जाता। उदाहरणार्थ :

1. *विधि (आज्ञा) में कर्ता का लोप* : चूँकि आज्ञा मध्यम पुरुष में ही होती है अतएव कर्ता के लोप का आसानी से अध्याहार हो जाता है । *अच्छा अब जल्दी से जाओ,* में तुम अप्रकट है ।
2. *'मैं' का लोप* : जहाँ *हूँ* से कर्ता *मैं* का आसानी से पता चलता है, वहाँ *मैं* का लोप होता है ।
3. *नकारात्मक वाक्य के साथ हूँ, हैं, आदि का लोप* : मैं नहीं जा रहा में "हूँ" का लोप है ।
4. *लोकोक्तियों में क्रिया का लोप* : घर की मुर्गी दाल बराबर – यहाँ पूरा वाक्य "होती है" लगा कर होता है ।
5. *वार्तालाप में* : विशेषतः प्रश्नोत्तर में, कई आसानी से स्पष्ट होने वाले अंशों का लोप मिलता है, जैसे –
   आप कल कहाँ जा रहे हैं ।
   लखनऊ (– मैं लखनऊ जा रहा हूँ) ।

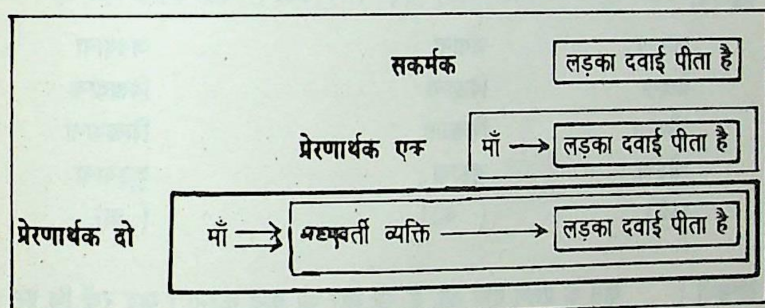
प्रेरणार्थक रचना

सामाजिक व्यवहार में कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि कोई प्राणी *क* किसी क्रिया/ प्रक्रिया विशेष को करने में असमर्थ या लगभग असमर्थ हो जाता है । वह असमर्थता इस कारण हो सकती है – (1) *क* को क्रिया करने की इच्छा नहीं है, (2) उपयुक्त साधन-सामग्री-क्रियाकौशल नहीं है, (3) भौतिक, शारीरिक, मानसिक व भावात्मक माहौल ऐसा नहीं है कि *क* उसे कर सके । ऐसी स्थिति में कोई दूसरा *ख* ऐसा करता है कि *क* वह काम कर सके। यह *प्रेरणाभाव* है। जैसे – आप कड़वी दवा नहीं पीना चाहते हैं, माँ

या तो समझा बुझाकर दवा पिला देगी या जबर्दस्ती मुँह में डालकर। यदि माँ जोर-जबर्दस्ती करने लायक नहीं है, तो आपके बड़े भाई को इस कार्य में लगा सकती है। इस प्रकार प्रेरणार्थक के दो भेद होते हैं :

(1) *प्रथम प्रेरणार्थक* : जब कर्ता क्रिया तो करता है, किंतु एक प्रेरक कर्ता भी होता है जो क्रिया निष्पादन का प्रेरक या क्रिया निष्पादन की पूरी व्यवस्था करने वाला भी होता है । उदाहरण – माँ लड़के को दवाई पिलाती है ।

(2) *द्वितीय प्रेरणार्थक* : जब उपरिकथित प्रेरक (प्रेरक-एक) एक भित्र व्यक्ति (प्रेरक-दो) को प्रेरणकार्य करने के लिए नियुक्त करता है और प्रेरक-दो *क* से कार्य करवाता है। ये स्थितियाँ नीचे चित्र में भी दी गई हैं : उदाहरण – माँ अपने बड़े बेटे से लड़के को दवाई पिलवाती है ।



सकर्मक : लड़का दवाई *पीता* है ।

प्रेरणार्थक एक: माँ लड़के को दवाई *पिलाती* है । (क्रियाकर्ता के साथ *को* और क्रिया प्रेरणार्थ रूप)

प्रेरणार्थक दो : माँ अपने बड़े बेटे *से* लड़के *को* दवाई *पिलवाती* है । (क्रियाकर्ता के साथ को प्रेरक दो के साथ से क्रिया का प्रेरणार्थक दो रूप)

प्रेरणार्थक धातुओं की रचना प्रक्रिया इस प्रकार है :

वर्ग (1)

मूल	**प्रेरणार्थक एक**	**प्रेरणार्थक दो**
करना	कराना	करवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना

उठना	उठाना	उठवाना
(∅)	(- आ)	(- वा)

वर्ग (2)

सीना	सिलाना	सिलवाना
धोना	धुलाना	धुलवाना
पीना	पिलाना	पिलवाना
(∅)	(- ला)	(- लवा)

टिप्पणी : धातु के प्रथम दीर्घ *ई* का *इ* (पी → पि) हो जाना।
धातु के प्रथम *ओ* का *उ* (धो → धु) हो जाना।

वर्ग (3)

जागना	जगाना	जगवाना
देखना	दिखाना	दिखवाना
सीखना	सिखाना	सिखवाना
जोड़ना	जुड़ाना	जुड़वाना
(∅)	(- आ)	(- वा)

टिप्पणी : धातु के प्रथम दीर्घ आ, ई, ऊ स्वर का ह्रस्व करना। याद रखें कि इस प्रक्रिया में प्रथम "*ए*/*ओ* स्वर का *इ*/*उ*" होता है।

वर्ग (4)

बेचना	बिकवाना	बिकवाना
बनाना	बनवाना	बनवाना
खोलना	खुलवाना	खुलवाना
(∅)	(- वा)	(- वा)

टिप्पणी : (1) बेच → बिक हो जाता है, आकारांत सकर्मक धातु का ह्रस्वीकरण होता है। अन्य प्रथम स्वरों का ह्रस्वीकरण वर्ग (3) के समान होता है।
(2) *जाना* क्रिया का प्रेरणार्थक रूप *भेजना* है।

बाध्यता बोधक वाक्य रचना

निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान दें :

श्याम *को* अन्ततः *जाना पड़ा*।

पेड़ बचाने का बहुत प्रयत्न किया था पर *उसे* काटना ही *पड़ा*।

श्याम *को* अब गंभीरता से दिन रात पढ़ना *चाहिए*।

हम सब *को* समाज की सेवा करनी *चाहिए*।

अब तो आपको चलना ही *होगा*।

इन सब में कर्ता को बाध्यता है। स्थिति ऐसी है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नैतिक परंपराओं का यह आग्रह है कि आप वह *क्रिया* करें। इन वाक्यों की रचना में *कर्ता* के साथ *को* लगता है, क्रिया के साथ – ना (क्रियार्थक संज्ञा रूप लगता है) और उसके बाद (i) होना, (ii) पड़ना, (iii) चाहिए का उपयुक्त क्रियारूप लगता है।

वाक्य रचना अध्याय का परिशिष्ट

परसर्ग

वाक्य रचना में वाक्य के संरचकों को परस्पर- संबद्ध करने में परसर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। परसर्गों का *कारकों* के भाव को प्रकट करना एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इस कारण *संज्ञा* के पाठ में कारकों के साथ उनका उल्लेख किया गया है; किंतु उनकी अन्य भूमिकाएँ हैं और वे भी कारकवत् महत्त्वपूर्ण हैं। इस कारण *परसर्ग* शीर्षक से आवश्यक सूचनाएँ दी जा रही हैं।

परसर्ग की प्रमुख भूमिकाएँ हैं:

(1) कारक के भाव को प्रकट करना : जैसे, *संप्रदान* के साथ *को*

(2) संबंधबोधक अव्ययों में दिए कुछ भावों को प्रकट करना: जैसे, कारण भाव के प्रकट करने में *से*

(3) कर्म या भाववाच्य की रचना में कर्ता के साथ *से*

(4) अनुभावक कर्ता के साथ *को* (मोहन को ज्वर है)

(5) प्रेरणार्थी संरचना में प्रयोज्यकर्ता के साथ *को*

(6) बाध्यता बोधी संरचना में *को*

परसर्गों में *ने* की स्थिति अन्य परसर्गों से भिन्न है, वह कर्ता मात्र का एक विशेष रचना में चिह्नक है।

नीचे इन परसर्गों के प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं :

परसर्ग ने

यह परसर्ग रूपावली वर्ग 6, 8, 10, 12, 14, व 16 के क्रियारूपों के साथ *सकर्मक* क्रिया के कर्ता के साथ लगता है। इनमें सर्वत्र पूर्ण कृदन्ती रूप लगता है। जैसे – 'लड़के ने फल खाया', 'भाई ने पत्र भेजा है', 'माँ ने खाना बनाया था' आदि। *नहाना, छींकना, खाँसना* आदि कुछ अकर्मक क्रिया के साथ भी "ने" लगता है। (उसने छींक दिया अब नहीं जाऊँगा) और *बोलना, भूलना, लाना* जैसी सकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं लगता है। (मैं तुम्हारा पता नहीं भूला।)

सरसर्ग "को"

यह परसर्ग निश्चित कर्म के साथ आता है। जैसे – लड़के को बुलाओ, मोहन उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। *कर्मपूरक वाले* वाक्यों में भी कर्म के बाद *को* अवश्य लगता है। इसके अन्य प्रयोग हैं :

(1) *संप्रदान (= लब्धा) के साथ* : किताब मोहन *को* दे दो।
(2) *अनुभावक कर्ता के साथ* : मुझ *को* भूख लगी है।
(3) *बाध्यता बोधी रचना में* : मुझ *को* पढ़ना है/चाहिए/पड़ा।
(4) *लक्ष्य / प्रयोजन के साथ* : वह लड़ने *को* आया है। वह कलकत्ते *को* जा रहा है।
(5) *रुचि/ अरुचि के साथ* : हम *को* मिठाई बहुत पसंद है।
(6) *समयवाचक के साथ* : रात *को*। शाम *को* आएगा।
(7) *अवधारणा में* : काहे *को* लड़ रहे हो।
(8) *प्रेरणार्थी संरचना में वास्तविक कर्ता के साथ* : माँ लड़के *को* दूध पिलाती है।

परसर्ग "से" (करण कारकीय)

(1) *साधन /करण के साथ* : चाकू से फल काटा। पेंसिल *से* लिखा।
(2) *सहकर्ता / सहभागी के साथ* : मोहन श्याम *से* लड़ा। मोहन ने श्याम *से* प्रश्न पूछे।
(3) *कर्मवाच्यी / भाववाच्यी रचना में कर्ता के साथ*: मोहन *से* किताब पढ़ी/नहीं पढ़ी गई।
(4) *द्वितीय प्रेरणार्थी में प्रेरक-दो के साथ* : माँ ने नौकर *से* बच्चे को दूध पिलवाया।
(5) *माध्यम के साथ* : डाक *से*/ तार *से* खबर भिजवा दो।
(6) *रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ* : ध्यान *से* सुनो। वह आसानी *से* आ गया।
(7) *सहचारिता के साथ (= साथ)* : मोहन केवल सब्जी *से* रोटी खाता है।

परसर्ग "से" (अपादान कारकीय)

(1) *अपादान (जिससे अलग हुए हैं) के साथ* : पेड़ *से* पत्ता गिरा है। वह शहर *से* चला गया।
(2) *उपादान (सामग्री) के साथ* : वह मिट्टी *से* खिलौने बना रहा है।
(3) *करण आदि के साथ* : वह कुत्ते *से* डरता है। वह हैजे *से* मरा। ससुर *से* लजाती है।
(4) *स्रोत के साथ* : हिमालय *से* गंगा निकलती है। नदी शहर *से* दूर है।

(5) *कालारंभ - कालावधि के साथ* : वह कल *से* बीमार है। वह चार साल *से* यहाँ है।

(6) *तुलना में* : राम मोहन *से* बड़ा है।

(7) *परिवर्तन की आदि स्थिति के साथ* : मनुष्य बालक *से* युवा और युवा *से* बूढ़ा होता है।

परसर्ग "में"

(1) *स्थानिक आधार के साथ* : घर *में*, कटोरी *में* आदि।

(2) *कालावधि के साथ* : तीन दिन *में*, दो घंटे *में* आदि।

(3) *स्थिति, दशा के साथ* : आनंद *में*, कष्ट *में* आदि।

(4) *विषय के साथ* : इतिहास *में*, साहित्य *में* होशियार है।

(5) *मूल्यनिर्धारण में* : यह पेंसिल एक रुपये *में* मिलती है।

(6) *तुलना (निर्धारण) में* : लड़कों *में* मोहन सब *से* तेज है।

परसर्ग "पर"

(1) *स्थानिक आधार के साथ* : मेज *पर*, पहाड़ *पर*

(2) *यथार्थ समयबिंदु के साथ* : ठीक समय *पर*, दस बजकर आठ मिनट *पर*

(3) *घटना के पूर्वापर भाव में* : उसके आने *पर* मैं जाऊँगा।

(4) *कारणभाव* : उसे चोरी करने *पर* निकाल दिया गया है।

(5) *दया, विश्वास आदि क्रियाओं के साथ* : जीवों *पर* दया करो। मुझ *पर* विश्वास करो।

प्रश्न और अभ्यास

1. वाक्य की परिभाषा लिखिए और तीन पूर्ण वाक्यों के उदाहरण दीजिए।
2. वाक्य के तीनों गुणों पर दो- दो पंक्तियाँ लिखिए।
3. उद्देश्य की परिभाषा लिखकर विधेय से उसका अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. नीचे लिखे गए कथनों में से जो सही हो उन पर (✓) तथा जो गलत हो उन पर (✗) चिह्न लगाइए :

(1) वाक्य के तीन गुण होते हैं।
(2) वाक्य का प्रयोजन शब्द है।
(3) वाक्य का प्रमुख घटक क्रिया है।
(4) अनुभावक कर्ता के साथ हिंदी में "से" लगता है।

5. संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।

6. *और, पर, या, अतः* का प्रयोग करते हुए चारों के दो-दो संयुक्त वाक्य बनाइए।

7. नीचे लिखे वाक्यों में कुछ साधारण वाक्य, कुछ मिश्रित वाक्य और कुछ संयुक्त वाक्य हैं। सामने कोष्ठकों में उनके ठीक- ठीक नाम लिखिए।

(1) मोहन ने कहा कि मैं जिस सिनेमाघर में गया उसमें टिकट नहीं मिला। (   )
(2) जो विद्वान होता है, उसे सभी आदर देते हैं। (   )
(3) मैं चाहता हूँ कि तुम परिश्रम करो और परीक्षा में सफल हो। (   )
(4) वह आदमी पागल हो गया है। (   )
(5) स्त्री कपड़े सीती है। (   )
(6) झूठ बोलना महापाप है। (   )
(7) हमारे जीवन का आधार केवल धन नहीं, बल्कि कई और पदार्थ भी हैं। (   )
(8) अपना काम देखो। (   )
(9) जब राजा नगर में आया तब उत्सव मनाया गया। (   )
(10) जो पत्र मिला है, उसे शीला ने लिखा होगा। (   )

8. आप कल कहाँ जा रहे हैं का उत्तर हैदराबाद, लघुवाक्य है। ऐसे लघुवाक्यों के पाँच उदाहरण लिखिए।

9. पदक्रम किसे कहते हैं ? पदक्रम के सामान्य नियम लिखिए।

10. नीचे दिए गए वाक्यों का पदक्रम ठीक कीजिए :

(1) यह कुत्ता मोहन का है।
(2) शीला गाती है गीत।
(3) यहाँ वत्स आओ।
(4) उसने बना दिया तुम्हें बेवकूफ।
(5) मैं खेलूँगा पढ़ कर।
(6) तुम फिल्म कौन- सी जा रहे हो देखने ?

11. प्रेरणार्थक किसे कहते हैं ? नीचे दी गई क्रियाओं के "क" भाग को प्रथम प्रेरणार्थक और "ख" भाग को द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलिए।

क	ख
चलना	दौड़ना

लड़ना	पीसना
खेलना	फाड़ना
भागना	सुलाना
हँसना	जिताना
डूबना	लिटाना
फूटना	घुलाना
पीना	सुनाना

12. नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया- रूप को कोष्ठक में दिए गए शब्द की सहायता से प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलिए :
    (1) बच्चा सो रहा है। (माँ)
    (2) खाना पक रहा है। (दीदी)
    (3) दर्जी कपड़ा सिलता है। (मैं)
    (4) लड़ाई मत करो। (लोगों के बीच)
    (5) महरी ने बर्तन माँज दिया। (माँ)
    (6) इस चिट्ठी की नकल कर दो। (किसी से)
13. नीचे लिखे कथनों में से जो सही हैं उन पर (✓) तथा जो गलत है उन पर (✗) का चिह्न लगाइए :
    (1) सरल और मिश्र वाक्यों में दोनों वाक्य हमेशा समान स्तर के होते हैं।
    (2) मिश्र वाक्य में एक वाक्य आश्रित होता है।
    (3) टिकाऊ लघुवाक्य है।
    (4) पदक्रम सभी भाषाओं में एक-सा होता है।
    (5) प्रेरणार्थक के चार भेद होते हैं।
    (6) जाना क्रिया का प्रेरणार्थक साथ भेजना है।
14. पदबंध किसे कहते हैं ?
15. पदबंध के प्रकार लिखिए। सभी के एक- एक उदाहरण दीजिए।
16. नीचे दिए गए पदबंधों में से मुख्य पद और आश्रित पद छाँटिए।
17. संज्ञा पदबंध की तीनों रचना रीतियों के दो- दो उदाहरण दीजिए।
18. नीचे लिखे वाक्यों में से पदबंध छाँटिए और उनके नाम लिखिए :
    (1) दूध ज्यादा मीठा है।
    (2) उसने सफेद शेर देखा।
    (3) अब पवनपुत्र हनुमान का प्रवेश हो गया।

(4) आप बहुत अच्छे आदमी हैं।
(5) शीला गाती हुई जा रही थी।

19. क्रिया पदबंध किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए।

20. नीचे लिखे कथनों में से जो सही हों उन पर (✓) का तथा जो गलत हों उन पर (X) का चिह्न लगाइए :
(1) पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं।
(2) सुंदर बच्चा विशेषण पदबंध है।
(3) क्रिया पदबंध के शीर्ष में विशेषण होता है।
(4) *बहुत सुंदर* में, *बहुत सुंदर* शीर्ष पद का विशेषण है।

अध्याय 14

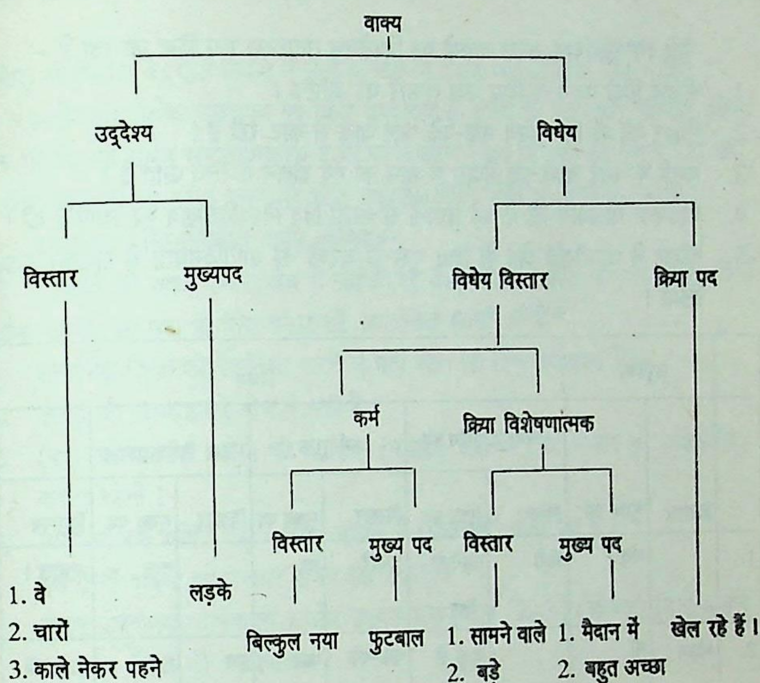
वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण और वाक्य रचनांतरण

वाक्य विश्लेषण

सरल वाक्यों का वाक्य विश्लेषण

पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि सरल वाक्य में *समापिका क्रिया* (- क्रिया) अवश्यमेव होती है और सरल वाक्य के घटक कर्ता, कर्म, पूरक आदि होते हैं। वहीं यह भी बताया गया है कि इन घटकों की अभिव्यक्ति एक शब्द से हो सकती है और अनेक शब्दों (पदबंध) से। वाक्य विश्लेषण में इन्हीं पदों या पदबंधों को, उनके व्याकरणिक संबंधों का ध्यान रखते हुए, पृथक्-पृथक् किया जाता है।

सरल वाक्य का सर्वप्रथम विभाजन *उद्देश्य* और *विधेय* इन दो खंडों में किया जाता है। *उद्देश्य* वाक्य में वह अंश है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। *विधेय* वाक्य का वह अंश है, जिससे उद्देश्य के संबंध में कुछ बताया जा रहा है। सामने वाले बड़े मैदान में वे चारों काले नेकर पहने लड़के बिल्कुल नया फुटबाल ..., बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस वाक्य में लड़कों (उद्देश्य) के संबंध में बताया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि वे खेल रहे हैं (विधेय)। यहाँ रचनाएँ विस्तार वाली हैं – उद्देश्य का विस्तार है (वे + चारों + काले नेकर पहने) और विधेय का विस्तार है (सामने वाले बड़े मैदान में, बिल्कुल नया फुटबाल; बहुत अच्छा)। इस विश्लेषण को इस तालिका से दिखाया जा सकता है।



ऊपर की तालिका, समझाने के लिए, शाखा-प्रशाखों में बाँट कर दी गई है। कक्षा-अभ्यास, परीक्षा आदि में ऊपर शीर्षक, उपशीर्षक आदि देकर, खाने बनाए जाते हैं और उन खानों में सरल-वाक्य के विश्लेषण से प्राप्त अंश दिए जाते हैं।

शीर्षक-उपशीर्षक आदि इस प्रकार होते हैं –

(क) उद्देश्य (1) मुख्य उद्देश्य पद (व्याकरणिक कर्ता)
(2) विस्तार

(ख) विधेय (1) क्रिया पद
(2) i. क्रिया विशेषणात्मक पद
ii. (उनका) विस्तार
(3) i. कर्म/पूरक
ii. (उनका) विस्तार
(4) i. अन्य कारकीय पद
ii. (उनका) विस्तार

नीचे निम्नलिखित सरल वाक्यों का विश्लेषण उदाहरण रूप दिया जा रहा है –

1. मोहन हिंदी पढ़ने के लिए कल तुम्हारे घर आएगा।
2. मोहन की माँ इस समय पके-पके फल चाकू से काट रही है।
3. बस्ती के सारे बच्चे इस मैदान में शाम को गेंद खेलने के लिए आते हैं।
4. महामना मालवीय जी ने बड़े प्रयत्नों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
5. कौत्स ने आशीर्वाद लेने के लिए गुरू के चरणों को अतिविनम्रता से झुककर पकड़ लिया।

	उद्देश्य		विधेय						
			अन्य कारकीय पद		कर्म/पूरक		क्रिया विशेषणात्मक		
	विस्तार	मुख्य पद	विस्तार	मुख्य पद	विस्तार	मुख्य पद	विस्तार	मुख्य पद	क्रियापद
1.		मोहन	हिंदी	पढ़ने के लिए	तुम्हारे	घर		कल	आएगा।
2.	मोहन की	माँ		चाकू से	पके-पके	फल	इस	समय	काट रही है।
3.	बस्ती के सारे	बच्चे	गेंद	खेलने के लिए			इस	मैदान में शाम को	आते हैं।
4.	महामना जी	मालवीय ने	बड़े	प्रयत्नों से	हिंदू काशी विश्वविद्या-लय की	स्थापना			की।
5.		कौत्स ने	आशीर्वाद	लेने के लिए	गुरु के	चरणों को	अति विनम्रता	झुककर	पकड़ लिया।

संयुक्त और मिश्र वाक्यों का विश्लेषण

विश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार है :

पहले इन वाक्यों के सरल वाक्यों (उपवाक्यों) को पहचान-पहचान कर अलग-अलग कीजिए। समापिका क्रिया की उपस्थिति उपवाक्य का सबसे अच्छा सूचक है, किंतु कभी-कभी संयुक्त-मिश्र आदि वाक्यों के बाद में आने वाले उपवाक्य में समापिका क्रिया का अध्याहार

(लोप) भी मिलता है; ऐसी स्थिति में उन्हें कोष्ठक में प्रकट रूप में लिख देना चाहिए।

इसके बाद प्रत्येक उपवाक्य का किस उपवाक्य से संबंध है, यह ज्ञात कीजिए और यह भी कि यह संबंध समानाधिकरण है या व्यधिकरण। तब योजकों को पृथक् रख कर प्रत्येक उपवाक्य का सरल वाक्य की भाँति उद्देश्य-विधेय रीति से विश्लेषण कीजिए।

उदाहरणार्थ निम्नलिखित वाक्य लीजिए –

"स्वामी जी आज हमारे बीच में *नहीं हैं* पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मशाल वे *जला गए हैं*, वह सदा के लिए संसार को *आलोकित करती रहेगी।*"

समापिका क्रिया को रेखांकित करने से पता चला कि तीन उपवाक्य हैं –

1. स्वामी जी आज हमारे बीच में नही हैं।
2. (पर) आध्यात्मिक ज्योति की <वह> (मशाल) सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी।
3. (आध्यात्मिक ज्योति की) <जो> मशाल वे (स्वामीजी) जला गए हैं।

इन तीनों वाक्यों का परस्पर संबंध इस प्रकार है :

प्रधान उपवाक्य : उपवाक्य 1 और उपवाक्य समुच्चय (2+3) (योजक) (पर) प्रधान उपवाक्य (2,3 में) : उपवाक्य 2

आश्रित उपवाक्य (2,3 में) : उपवाक्य 3 विशेषण उपवाक्य

प्रधान उपवाक्य स्थित मशाल का (योजकयुग्म <वह> <जो>)

	उद्देश्य		विधेय						
←	उपवाक्य		अन्य कारकीय पद		कर्म/पूरक		क्रिया विशेषणात्मक		क्रिया पद
1.		स्वामी जी		हमारे बीच में				आज	नहीं है।
2.	<वह> आध्यात्मिक ज्योति की	मशाल				संसार को		सदा के लिए	आलोकित करती रहेगी
3.		वे = स्वामी जी			<जो>	मशाल			जला गए हैं

वाक्य-संश्लेषण

किसी दृश्य या घटना आदि को संप्रेषित करते समय मन में विचार छोटे-छोटे सरल वाक्यों में आते हैं, किंतु अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में ये कभी सरल वाक्य (व्याकरणिक दृष्टि से) कभी संयुक्त वाक्य और कभी मिश्र वाक्य में तैयार होते हैं। जितना ही भाषा प्रयोग पर अधिकार बढ़ता जाता है, उतना ही वाक्य संश्लेषण द्वारा जटिल और जटिलतर वाक्य बनाने में व्यक्ति सफल होता जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने सामने के बड़े मैदान में कुछ लड़कों को काले नेकर पहने खेलते हुए देख रहे हैं। आप इसकी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। छोटे-छोटे सरल वाक्य, मान लीजिए, आठ हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं –

1. सामने एक मैदान है। (केवल पृष्ठभूमि स्थान की)
2. मैदान बड़ा है। (मैदान की विशेषता)
3. मैदान में लड़के खेल रहे हैं। (खेलने की क्रिया, खेलने वाले लड़के, स्थान मैदान)
4. लड़के गेंद खेल रहे हैं। (खेलने की क्रिया, कर्ता लड़के, कर्म गेंद)
5. लड़के संख्या में दो हैं। (लड़कों की संख्यात्मक विशेषता)
6. लड़के नेकर पहने हैं। (लड़कों की गुणात्मक विशेषता)
7. नेकर का रंग काला है। (नेकर की गुणात्मक विशेषता)
8. गेंद बिल्कुल नया है। (गेंद की गुणात्मक विशेषता)

विशेषता द्योतक शब्दों को विशेषण बनाकर तथा विशेष्य के पूर्व लगाकर तथा क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, क्रियाविशेषण आदि संबद्ध कर *वाक्य संश्लेषण* प्रक्रिया से इन आठ सरल वाक्यों के स्थान पर एक बड़ा वाक्य बन जाता है :

सामने वाले बड़े मैदान में काले नेकर पहने दो लड़के नया गेंद खेल रहे हैं।

वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया

(क) विशेषण बना कर : अध्याय ... में विशेषण के भेदों को समझाया गया है; उन्हें दोहरा लें। गुणात्मक विशेषण (काला, नया), संख्यात्मक विशेषण (दो), क्रिया मूलक विशेषण (नेकर पहने) के उदाहरण ऊपर आए हैं। वाक्यों को जोड़ने में क्रिया मूलक विशेषणों का बहुत महत्त्व है, क्योंकि सरल वाक्यों के समापिका क्रिया-रूप ही कृदन्ती बनकर विशेषण बनाते हैं। ये कृदन्ती असमापिका रूप हैं –

वर्तमान कृदन्त (- ता, - ती, - ते)
पूर्ण कृदन्त (- आ, - ई, - ए)

कर्तृ कृदन्ती (ने वाला)
अन्य कृदन्त (खिलाड़ी, पियक्कड़ आदि)

चिड़िया आकाश में उड़ रही है + चिड़िया कितनी सुंदर है → आकाश में उड़ती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है।

वह लड़का बहुत थक गया है + लड़का अब पेड़ के नीचे बैठा है → वह बहुत थका हुआ लड़का अब पेड़ के नीचे बैठा है।

यह लड़का मैदान में रोज खेला करता था + वह लड़का आज नहीं आया → मैदान में रोज खेलने वाला लड़का आज नहीं आया।

वाक्य रचनांतरण

1. वाक्य संरचना की दृष्टि से रचनांतरण

सरल वाक्य को *संयुक्त एवं मिश्र बनाना, संयुक्त को सरल एवं मिश्र बनाना तथा मिश्र को सरल बनाना इस प्रकार का रचनांतरण हैं।*... वाक्य संश्लेषण में बताया जा चुका है कि किस प्रकार समापिका क्रियाओं को असमापिका क्रियारूप में बदला जा सकता है। उसी प्रक्रिया के द्वारा अथवा ठीक उसकी विपरीत प्रक्रिया (असमापिका रूप से समापिका) द्वारा इस प्रकार का रचनांतर होता है। उदाहरण के लिए :

सरल से मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। →
मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। (मिश्र)
मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है, क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना है। (मिश्र)
मोहन को हिंदी पढ़ना है और इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। (संयुक्त)

मिश्र से जब तक मोहन घर पहुँचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। →
मोहन के घर पहुँचने के पूर्व उसके पिता चल चुके थे। (सरल)
मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। →
मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। (सरल)
मैंने एक आदमी देखा और वह बहुत बीमार था। (संयुक्त)

संयुक्त से मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। →
मोहन बहुत खिलाडी होने पर भी फेल कभी नहीं होता। (सरल)
यद्यपि मोहन बहुत खिलाडी है तथापि फ़ेल कभी नहीं होता। (मिश्र)

2. अर्थ की दृष्टि से रचनांतरण

अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के *आठ* भेद होते हैं। इसकी चर्चा अध्याय 12 में कर आए हैं। इन सब वाक्य भेदों में *विधान वाचक* को मूलाधार रचना माना जाता है, जिसमें कुछ अर्थ वैशिष्ट्य के कारण वाक्य भेद बनते हैं। इस रचनांतरण की प्रक्रिया इस प्रकार है—

विधिवाचक में अंतरण : क्रियारूपावली वर्ग (3) और (4) के क्रियारूपों के प्रयोग से यह अंतरण किया जाता है। जैसे – "मोहन किताब पढ़ता है" "मोहन, किताब पढ़ो"।

प्रश्नवाचक में अंतरण : प्रश्नवाचक की रचना में *क* आदि प्रश्नद्योती शब्दों *क्या, कौन, कब, कहाँ, किधर, कैसे, किसलिए, किस कारण* आदि का प्रयोग होता है। यदि पूरे कथन के संबंध में जिज्ञासा है तो वाक्य के आरंभ/अंत में *क्या* का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ:

मोहन किताब पढ़ रहा है → क्या मोहन किताब पढ़ रहा है ?
→ कौन किताब पढ़ रहा है ?
→ मोहन क्या पढ़ रहा है ?
→ मोहन क्या कर रहा है ?

इच्छावाचक में अंतरण : क्रिया रूपावली वर्ग (1) के क्रियारूपों के प्रयोग में यह अंतरण किया जाता है। जैसे – "मोहन किताब पढ़ता है"→ (मेरी इच्छा है कि) "मोहन किताब पढ़े"।

निषेधवाचक में अंतरण : निषेधवाचक के अव्यय हैं – *नहीं न* और *मत*। नहीं का प्रयोग सामान्य है – अपवाद है *मत* और *न*। *मत* का प्रयोग निषेधात्मक *विधि* का आज्ञा में होता है। *तू मत जा* का तात्पर्य *न जाने की आज्ञा* है। *न* का प्रयोग रूपावली वर्ग 1 के क्रियारूपों के साथ होता (वह पढ़े – वह न पढ़े) है। *न* का प्रयोग *यदि* वाले उपवाक्य में *नहीं* के स्थान पर होता है, जैसे, "यदि वह न आता तो..."

संदेहवाचक में अंतरण : इस अंतरण में रूपावली 13 और 14 का प्रयोग होता है और कभी-कभी *शायद* आदि का प्रयोग होता है। जैसे – मोहन किताब पढ़ता है → मोहन किताब पढ़ रहा होगा।

संकेतवाचक में अंतरण : इस अंतरण में रूपावली 15 और 16 का प्रयोग होता है। जैसे – मोहन किताब पढ़ता है → मोहन किताब पढ़ता तो/पढ़े तो ...

विस्मय उद्गार वाचक में अंतरण : मोहन किताब पढ़ता है –
→ अरे ! मोहन किताब पढ़ता है।
→ अरे ! मोहन किताब पढ़ेगा।

3. वाच्य-आदि की दृष्टि से रचनांतरण

(क) कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रचनांतरण के नियम पिछले अध्याय में बताऐ जा चुके हैं। उदाहरणार्थ :

(1) *अध्यापक जी इस समय व्याकरण पढ़ा रहे हैं*→
→ *अध्यापक जी से इस समय व्याकरण पढ़ायी जा रही है*।

(2) *छात्र परीक्षा के दिनों में खूब पढ़ाई करते हैं →*
→ परीक्षा के दिनों में खूब पढ़ाई की जाती है।

(ख) बाध्यता बोधी वाक्यों की रचना भी सामान्य वाक्यों से होती है –
मोहन किताब *पढ़े* → मोहन *को* किताब पढ़नी चाहिए/पढ़नी है।

(ग) प्रेरणार्थक रचना में भी रचनांतरण हो सकता है –
मोहन गेंद खेलता है → माँ मोहन ... ।

(घ) सकर्मक रचना का भी अकर्मक में रचनांतरण होता है –
मोहन पेड़ *काट* रहा है → मोहन *से* पेड़ *कट* रहा है।

प्रश्न और अभ्यास

1. वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं ?
2. उद्देश्य के खंड में किन-किन शब्द-भेदों का प्रयोग होता है।
3. उद्देश्य का विस्तार किन-किन शब्द-भेदों से होता है ? उदाहरण सहित समझाइए।
4. विधेय के अंतर्गत किस-किस प्रकार के पदों को रखा जाता है।
5. नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छाँटिए :
   1. महल सदा से झोंपड़ियों पर हँसता आया है।
   2. मेरी माँ अच्छे पकवान बनाती है।
   3. तुमने इस वर्ष खूब मेहनत की है।
   4. मैं यहाँ आया।
6. नीचे लिखे वाक्यों को उचित ढंग से जोड़िए।
   1. मैं यहाँ आया। ---------------------------
      मैं काम करने लगा।
   2. चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ---------------------------
      चिड़िया कितनी सुंदर है।
   3. तुम गरीब हो। ---------------------------
      मैं जानता हूँ।
   4. सभा समाप्त हुई। ---------------------------
      सब लोग चले गए।
   5. मैं आफिस जाता हूँ। ---------------------------
      रास्ते में मैं स्कूटर लेता हूँ।

6. मैंने पैर रखा। ....
ब्रेक टूट गया।
7. तुम गाड़ी चलाते हो। ....
तुम इधर-उधर मत देखा करो।

7. नीचे दिए वाक्यों को मॉडल के अनुसार बदलिए :
मॉडल : मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़े।
1. राम बाज़ार जाता है। ....
2. वह पानी पीता है। ....
3. शीला कपड़ा सीती है। ....
4. श्याम सामान लाता है। ....

मॉडल : मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ रहा होगा।
1. माँ खाना बनाती है। ....
2. शीला स्कूल जाती है। ....
3. वह गाना गाता है। ....
4. मोहन खाना खाता है। ....

8. निम्नलिखित वाक्यों का विश्लेषण कीजिए :
1. यदि तुम दिल्ली गए तो मेरे लिए क्या लाओगे ?
2. वह रोज बाजार जाता है, किन्तु मेरा काम करके नहीं आता।
3. स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया।
4. जिस जगह सूरज नहीं निकलता वहाँ सवेरा नहीं होता।
5. गर्मी के मारे काम करना कठिन है।
6. मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया।
7. पूना आए मुझे चार दिन हो गए।
8. धनवान को हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए।

9. निम्नलिखित कथन में जो सही हों उन पर (✓) का तथा जो गलत हों उन पर (X) का चिह्न लगाइए :
1. विधेय वाक्य का वह अंश है, जिससे उद्देश्य के संबंध में कुछ बताया जा रहा है।
2. व्याकरणिक क्रिया मुख्य उद्देश्य पद होती है।
3. उद्देश्य में व्याकरणिक कर्ता का विस्तार होता है।
4. उपवाक्य में समापिका क्रिया सदैव लुप्त होती है।
5. वाक्य संश्लेषण द्वारा सरल वाक्य बनाए जाते हैं।
6. अरे ! मोहन किताब पढ़ेगा? संदेहवाचक वाक्य है।

10. अपनी पाठ्यपुस्तक पराग भाग-2 में से सरल वाक्यों और मिश्र/संयुक्त वाक्य के दस-दस वाक्य छाँटकर उनका तालिका रूप में विश्लेषण कीजिए।

अध्याय 15

वाक्य रचना की अशुद्धियाँ

वाक्य रचना की अशुद्धियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं –

1. अन्विति संबंधी
2. पदक्रम संबंधी
3. वाच्य संबंधी

अन्विति के नियम

वाक्य के पदों की परस्पर एकरूपता (लिंग, वचन, पुरुष आदि) के साथ क्रिया की भी अनुरूपता होनी चाहिए। हिंदी में पदों की अन्विति के कुछ विशेष नियम हैं –

(क) कर्ता क्रिया

1. विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया सदा कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता के साथ *ने* विभक्ति जुड़ी हो तो सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे –

   लड़का पुस्तक पढ़ता है। (कर्ता के अनुसार)
   लड़की पुस्तक पढ़ती है। (कर्ता के अनुसार)
   लड़के ने पुस्तक पढ़ी। (कर्म के अनुसार)
   लड़की ने पत्र पढ़ा। (कर्म के अनुसार)

2. कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया पुंलिंग एकवचन में होती है। जैसे –

   प्रधानाचार्य ने अध्यापिका को बुलाया।
   नेताओं ने किसानों को समझाया।

3. समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद *और* से जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग में

बहुवचन में होती है। जैसे –

स्वाति, चित्रा और मधु आएँगी।

डेविड, नीरज और असलम खेल रहे हैं।

4. *या* से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। जैसे-
भाई या बहन आएगी।
5. विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता यदि *और* से जुड़े हों तो क्रिया पुंलिंग बहुवचन से होती है। जैसे –
गणतंत्र दिवस परेड को लाखों बालक, वृद्ध, नर और नारी देख रहे थे।
6. यदि कर्ता भिन्न-भिन्न पुरुषों के हों तो उनका क्रम होगा – पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार बहुवचन में होगी। जैसे –
तुम, सीता और मैं नाटक देखने चलेंगी।
तुम, रमेश और मैं टेनिस खेलेंगे।
7. कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुंलिंग में होगी। जैसे –
देखो कौन आया है ?
तुम्हारा पालन- पोषण कौन करता है ?
8. आदर देने के लिए एकवचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे -
प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माने जाते हैं।
9. संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के लिंग के अनुसार होता है – यदि ये रूप भिन्न- भिन्न लोगों के हों तथा *और* से जुड़े हों तो संज्ञा-सर्वनाम का संबंध कारक लिंग प्रथम संबंधी के अनुसार होगा। जैसे –
मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गए हैं।
तुम्हारी बहन और भाई आजकल क्या कर रहे हैं ?
मेरे भाई-बहन पढ़ रहे हैं।

(ख) विशेष्य और विशेषण की अन्विति

1. विशेषण का लिंग-वचन अपने विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे –
यहाँ उदार और परिश्रमी लोग रहते हैं।
गोरे मुख पर काला तिल अच्छा लगता है।

2. यदि एक से अधिक विशेष्य हों तब भी उपर्युक्त नियम का ही पालन होता है। जैसे –
   वह गिरती उठती बड़ी- बड़ी लहरों को निहारती रही।
3. अनेक समास रहित विशेष्यों का विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुरूप होता है। जैसे–
   भोले-भाले बालक और बालिकाएँ
   भोली-भाली बालिकाएँ और बालक

(ग) सर्वनाम और संज्ञा की अन्विति

1. सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग वचन का अनुसरण करता है जिसके स्थान पर आया है।
   मैंने सीता को देखा, वह आ रही थी।
   मैंने सतीश को देखा, वह आ रहा था।
2. आदर के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होता है –
   चाचा जी आए हैं।
   वे एक सप्ताह रुकेंगे।
3. वर्ग का प्रतिनिधि अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है –
   मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है।

पदक्रम संबंधी नियम

वाक्य पदों और पदबंधों से बनता है। वाक्य के साँचे में पदों का क्या क्रम हो, इसके कुछ निश्चित नियम हैं –

1. प्रायः कर्तापद वाक्य में सबसे पहले आता है और क्रियापद सबसे अंत में –
   भिखारी आ रहा है।
   सूर्योदय हुआ।
2. संबोधन और विस्मय सूचक पद वाक्य के प्रारंभ में कर्ता से भी पहले आते हैं –
   अरे ! भिखारी आ रहा है।
   अहा ! सूर्योदय हुआ।
3. कर्मपद कर्ता और क्रियापदों के बीच रहता है –
   गोकुल पाठ पढ़ाता है।
   बच्चे ने गीत सुनाया।
4. संबंध कारक अपने संबंधी शब्द से पूर्व आता है –
   भिखारी के बच्चे ने कबीर का पद सुनाया।

वह तुम्हारा नाम पूछ रहा था।

5. प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व आता है –
   कौन खड़ा है ? (कर्ता पर प्रश्न)
   तुम क्या खा रही हो ? (कर्म पर प्रश्न)
   वह कैसे आया ? (रीति पर प्रश्न)
7. कर्ता और कर्म को छोड़ कर शेष सभी कारक कर्ता - कर्म के बीच आते हैं। एक से अधिक कारक रूप होने पर ये उलटे क्रम में (पहले अधिकरण) रखे जाते हैं –
   मजदूर खेत में रहट से सिंचाई कर रहे हैं।
   छात्र मैदान में अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने लगे।
8. पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पहले आती है –
   कल पढ़कर आइए।
   कल पाठ पढ़कर आइए।
9. *न* या *नहीं* का प्रयोग निषेध के अर्थ में हो तो क्रिया से पूर्व और आग्रह के अर्थ में हो तो क्रिया के बाद होता है –
   मैं नहीं जाऊँगा।
   तुम जाओ न।
10. महत्त्वपूर्ण है कि वाक्य के विभिन्न पदों में ऐसी तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए, जिससे वाक्य द्वारा संप्रेषित अर्थ स्पष्ट हो –
    फल बच्चे को काटकर खिलाओ।
    गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्द्धक होता है।
    उपर्युक्त दोनों वाक्यों का अर्थ अटपटा और उपहासस्पद है, अतः उचित क्रम होगा–
    बच्चे को फल काटकर खिलाओ।
    गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्द्धक होता है।

अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध हमारा लक्ष्य देश की चहुँमुखी प्रगति होनी चाहिए।
शुद्ध हमारा लक्ष्य देश की चहुँमुखी प्रगति होना चाहिए।
अशुद्ध क्या आप पढ़ लिए हैं ?
शुद्ध क्या आपने पढ़ लिया है ?
अशुद्ध क्या आप आ सकोगे ?

शुद्ध क्या आप आ सकेंगे ?
अशुद्ध प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए ।
शुद्ध प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया ।
अशुद्ध सुरेश को योगेश को और मोहन को कल मैंने साथ- साथ देखा था ।
शुद्ध मैंने सुरेश, योगेश और मोहन को कल साथ- साथ देखा था ।
अशुद्ध यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठी थी ।
शुद्ध यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे ।
अशुद्ध तुम मेरे मित्र हो मैं आपको भली-भाँति जानता हूँ ।
शुद्ध तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हें भली-भाँति जानता हूँ ।
अशुद्ध उत्तम चरित्र-निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए ।
शुद्ध उत्तम चरित्र-निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए ।

पदक्रम की अशुद्धियाँ

अशुद्ध सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी, वह एक पतिव्रता नारी थी ।
शुद्ध सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी ।
अशुद्ध महात्मा गाँधी का देश सदा आभारी रहेगा ।
शुद्ध देश महात्मा गाँधी का सदा आभारी रहेगा ।
अशुद्ध केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी हैं ।
शुद्ध यहाँ केवल दो पुस्तकें रखी हैं ।
अशुद्ध खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ ।
शुद्ध गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ ।
अशुद्ध हमारे बैल इधर- उधर भटकते हुए पड़ोसियों के खेत में जा पहुँचे ।
शुद्ध इधर- उधर भटकते हुए हमारे बैल पड़ोसियों के खेत में जा पहुँचे ।
अशुद्ध एक फूलों की माला ले आइए ।
शुद्ध फूलों की एक माला ले आइए ।
अशुद्ध पुस्तकें ये किसकी हैं ?
शुद्ध ये पुस्तकें किसकी हैं ?

वाच्य की अशुद्धियाँ

अशुद्ध प्रस्तुत पंक्तियाँ *सरोज स्मृति* से ली है ।
शुद्ध प्रस्तुत पंक्तियाँ *सरोज स्मृति* से ली गई हैं ।

अशुद्ध प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भागों में विभक्त किया है।
शुद्ध प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है।
अशुद्ध अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है।
शुद्ध अध्यापक से हिंदी पढ़ी है।
अथवा – अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है।
अथवा – अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है।
अशुद्ध पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया गया।
शुद्ध पुलिस के द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया।
अशुद्ध अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया।
शुद्ध अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया।
अशुद्ध डाकुओं ने चौकी लूटी गई।
अशुद्ध डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई।
अशुद्ध मैं आम खाया गया।
शुद्ध मुझसे आम खाया गया।
अशुद्ध अध्यापक ने कहा गया कि कल सभी छात्र पुस्तकें न लाओ।
शुद्ध अध्यापक द्वारा कहा गया कि कल सभी छात्र पुस्तकें न लाएँ।
अशुद्ध मोहन ने घर गया और सोया।
शुद्ध मोहन घर गया और सो गया।

पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ

उपरिलिखित तीन भेदों के अतिरिक्त वाक्य में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी मिलती हैं, जिनके मूल में एक ही घटक को दो भिन्न रीतियों से एक साथ स्पष्ट किया गया है। जैसे-

मुझे *केवल* दस रुपए मिले। (शुद्ध)

मुझे दस रुपए *मात्र* मिले (शुद्ध)

किंतु "मुझे *केवल* दस रुपए *मात्र* मिले" अशुद्ध है, क्योंकि दोनों रीतियों को एक साथ प्रयुक्त कर दिया गया है। ऐसी अशुद्धियों के मूल में पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति की भावना रहती है। नीचे अनेक उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया जा रहा है :

पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ

अशुद्ध कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें।
शुद्ध आज का अवकाश देने की कृपा करें।

अशुद्ध केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित।
शुद्ध केवल महिलाओं के लिए आरक्षित।
अशुद्ध मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ।
शुद्ध मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ।
अशुद्ध सब यहाँ सकुशलतापूर्वक हैं।
शुद्ध सब यहाँ सकुशल हैं।
अथवा सब यहाँ कुशलतापूर्वक हैं।
अशुद्ध यहाँ लगभग कोई एक दर्जन के करीब संतरे हैं।
शुद्ध यहाँ लगभग एक दर्जन संतरे हैं।
अशुद्ध कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं।
शुद्ध कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं।

प्रश्न और अभ्यास

1. वाक्य- रचना की अशुद्धियों को किन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है ?
2. पदक्रम से संबंधित कोई दो नियम लिखिए और प्रत्येक का एक- एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।
3. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए :
   क. मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता।
   ख. मैं पुष्प और पक्षी को प्रकृति की सबसे सुंदरतम मानता हूँ।
   ग. नदी की इस ओर पनघट है तो उसकी दूसरी ओर मरघट है।
   घ. वह कौन से मकान में रहता है ?
   ङ. राम, मैं और तुम नाटक देखने जाएँगे।
   च. इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री थी।
   छ. कल आपके घर में या मेरी बहन आएँगे।
   ज. साथियो ! आराम नहीं करो।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :
   अ. प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह 'दिनकर' की कविता हिमालय से .... ।
   ब. उस भयानक दृश्य को देखकर .... तो प्राण .... ।
   स. गिरिराज हिमालय भारत .... उत्तर दिशा में है।
   द. ठहरिए, इसके आगे मत .... ।

अध्याय 16

विराम चिह्न

हम बातचीत के समय बीच-बीच में दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए या किसी कथन पर बल देने के लिए रुकते हैं। इससे कथन का आशय स्पष्ट करने के लिए सहायता मिलती है। *भाषा के लिखित रूप में भी रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत- चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिह्नों को "विराम चिह्न" कहते हैं।* इन चिह्नों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और वही कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से भी विराम चिह्न आवश्यक है। इनका प्रयोग सही बलाघात और अनुतान में भी सहायता करता है। इन चिह्नों से पदों, पदबंधों, वाक्यांशों, वाक्यों में परस्पर उपयुक्त संबंध स्थापित होता है।

प्रमुख विराम-चिह्नों के रूप –

1. पूर्ण विराम (।)
2. अर्द्ध विराम (;)
3. अल्प विराम (,)
4. प्रश्नसूचक (?)
5. विस्मयसूचक/संबोधक (!)
6. योजक या विभाजक (-)
7. निर्देशक (डैश) (–)
8. अवतरण या उद्धरण चिह्न (" ")
9. विवरण चिह्न (:–)
10. कोष्ठक [( )] [ ], ( )

11. हंसपद या त्रुटिपूरक (∧) (∠) (⁄)
12. संक्षेपसूचक (लाघव चिह्न) (०)

1. पूर्ण विराम (।)

पूर्ण विराम चिह्न का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में (प्रश्नसूचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर) किया जाता है; जैसे –

1. मोहन स्कूल जाता है।
2. हमारा पक्का विश्वास है कि भारत आगे बढ़ता जाएगा।
3. संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के निकट।

अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं; जैसे – आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हिंदी में दोहा, सोरठा, चौपाई आदि छंदों में पहले चरण के अंत में एक पूर्ण विराम (।) और दूसरे चरण के अंत में दो पूर्ण विराम (॥) लगाते हैं।

निज दुख गिरि सम रज कर जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥

अब कहीं-कहीं पूर्णविराम के स्थान पर अंग्रेजी चिह्न (.) का प्रयोग भी मिलता है, जो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है।

2. अर्द्ध विराम (;)

पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्द्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थितियों में ही होता है; जैसे –

1. किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरणसूचक "जैसे", शब्द के पूर्व, जैसे –
   स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा "देवी" शब्द आता है;
   जैसे – सरला देवी
2. समानाधिकार वाक्यों के बीच में, जैसे –
   भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का शंख महात्मा गांधी जी ने फूँका; अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने ही दिए; देश को स्वतंत्र उन्होंने ही कराया।
3. मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में; जैसे –
   जो उसे गालियाँ देते हैं; वह उन्हें अपना प्यार देता है।
   गांधी जी नहीं रहे; वह *तो* अमर हो गए।
4. कारणवाचक क्रिया विशेषण – उपवाक्य का जब मुख्य उपवाक्य से निकट संबंध नहीं

रहता, तब उसके मध्य में; जैसे –

वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दब सकता; क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हवा के दबाव से कट जाता है।

5. विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए –

निरंतर काम करते रहना ही जीवन है; आलस्य घातक रोग है।

3. अल्प विराम (,)

अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्द्ध विराम से कम समय रुकने के लिए होता है। अल्प विराम चिह्न का प्रयोग अधिक होता है। इसका निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग किया जाता है :

1. वाक्य में समानपदी शब्दों को पृथक् करने के लिए; जैसे –

देवदत्त अपनी भूमि, संपत्ति, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सभी कुछ खो बैठा।

नोट : अंतिम शब्द से पहले अल्पविराम न लगाकर *और* का प्रयोग किया जाता है।

कहानी में भाषा, शैली और शिल्प की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

2. हाँ या नहीं के पश्चात्; जैसे –

हाँ, फोड़ सकता हूँ। अणु, क्या है जो इतनी शक्ति छिपाए रहता है।

नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता।

3. मध्य में, किसी वाक्यांश/उपवाक्य को अलग करने के लिए –

विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से, मैं समझता हूँ, इस वर्ष हाईस्कूल का परीक्षाफल अच्छा नहीं रहेगा।

4. उपाधियों को अलग करने के लिए –

एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट्.।

5. उद्धरण के पूर्व –

मोहन ने कहा, "मैं अब राजनीति से दूर जा रहा हूँ।"

6. एक ही शब्द/वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर –

दौड़ो, दौड़ो, बम फट गया।

इधर नहीं, उधर नहीं, सब यहाँ आकर बैठो।

7. कभी-कभी, तब, वह, जो आदि के स्थान पर –

तब , जब हम स्टेशन पहुँचे, गाड़ी लेट हो गया :

वह , जो नोट मंत्री जी को भेजा है, कहाँ है?

तो , जब हमको देर हो गई, हम वहीं रुक गए ।

8. वाक्य में प्रयुक्त शब्द जोड़ों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए –
दुख और सुख, पाप और पुण्य, रात और दिन
सब – ईश्वर की देन है ।

9. समानाधिकरण शब्द/पदबंध उपवाक्य के बीच में –
राधेलाल जी के पुत्र, जगमल जी पधारे हैं ।
सबेरा हुआ, सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे ।

10. जब विशेषण उपवाक्य मध्य में डाल दिया जाए –
वह रोगी, जिसे कल डाक्टर ने देखा था, आज दिल्ली से चला गया ।

11. संबोधन शब्द के बाद और यदि संबोधन शब्द मध्य में हो तो उसके पूर्व तथा बाद में–
यहाँ आओ, रमा, मेरे पास बैठ जाओ ।
भाइयो, मैं आपका पूरा- पूरा भला चाहता हूँ ।

12. पत्र में अभिवादन, समापन के अतिरिक्त पता लिखने में –
अभिवादन में पूज्य पिताजी, भवदीय,

4. प्रश्नसूचक (?)

प्रश्नसूचक चिह्न मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर आता है; जैसे –

1. प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में –
तुम्हारा नाम क्या है ?

2. एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों तो प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम का प्रयोग कर सबसे अंत में जैसे –
मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, यह सब आप क्यों जानने के इच्छुक हैं ?

3. संदेह या अनिश्चय प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्ठक में –
क्या कहा, वह निष्ठावान (?) है ।

4. व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए अंत में कोष्ठक में –
आजकल नेता गरीबी दूर करने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं (?)

नोट : निम्नलिखित स्थितियों में प्रश्नवाचक (?) का प्रयोग नहीं होता –

क. जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द संबंध सूचक शब्द का काम करे :

आपने क्या कहा, मैं नहीं जानता।

ख. प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछने के स्थान पर डाँटने के लिए हो –

क्या करते हो, बैठ जाओ।

5. विस्मयसूचक (!)

आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इस चिह्न का प्रयोग होता है :

1. विस्मयादिबोधक पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में इस चिह्न का प्रयोग होता है–

   अहा ! वह मिठाई लाया है।

   नहीं ! यह कभी नहीं हो सकता।

   हाय ! बेचारा मारा गया।

   वाह ! तुमने तो खूब छक्का मारा।

   तुम तो अजीब आदमी हो !

2. प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए –

   बोलते क्यों नहीं, क्या गूँगे हो !

3. संबोधन के लिए –

   मोहन ! इधर आओ।

4. मनोवेग की क्रमशः वृद्धि के लिए दो या तीन-शोक ! महाशोक ! !

6. योजक या विभाजक (-)

निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है :

1. द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में –

   सुख-दुख, भूखा-प्यासा, माता-पिता, प्रयोग-स्थल।

2. तुलनावाचक सा, सी, से, के पहले –

   लक्ष्मण-सा भाई

3. मध्य के अर्थ में –

   अंगद-रावण संवाद।

4. द्वित्व में –

   कभी-कभी, घट-घट, खेलते-खेलते, धीरे-धीरे, हाय-हाय।

5. अक्षरों में लिखी जानेवाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच में –

   एक-चौथाई, एक-तिहाई

7. निर्देशक (डेश) (–)

निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है :

1. किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पूर्व –
   अध्यापक – भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
   मोहन – मेरे योग्य कोई सेवा ?
2. कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद –
   कमला ने कहा – मैं कल चली जाऊँगी।
3. निम्नलिखित / निम्नांकित शब्द के बाद –
   उनके नाम निम्नलिखित हैं –
   कमला, सीता, भारती और सुमन।
4. किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक से पहले –
   रचि महेस निज मानस राखा
   – गो. तुलसीदास ।
5. निक्षिप्त पदों के आगे-पीछे –
   छायावाद के प्रवर्तक – श्री जयशंकरप्रसाद –
   की कविताओं ने उस समय धूम मचाई।
6. किसी शब्द/वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए –
   परिश्रम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है – सुख, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा।

8. अवतरण या उद्धरण चिह्न (" ")

इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है :

1. किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए –
   तिलक ने कहा, "स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।"
2. किसी लेखक या महापुरूष के उदधृत किए हुए शब्दों से पहले –
   गो. तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।"
3. किसी व्यक्ति, उपनाम, पुस्तक का नाम भी इकहरे उद्धरण चिह्न में लिखा जाता है–
   'प्रसाद' छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।
   'साकेत' महाकाव्य है।

9. विवरण चिह्न (:–)

विवरण चिह्न वाक्यांश के निर्देश के लिए होता है :

इस बारे में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :–

संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं –

क. व्यक्तिवाचक संज्ञा

ख. जातिवाचक संज्ञा

ग. भाववाचक संज्ञा

10. कोष्ठक [ ] , { }, ( )

1. कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक् की जा सकती है –

संज्ञा के तीन मुख्य भेदों (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक) का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ –

(क) (ख) (ग) , (1) (2) (3)

11. त्रुटिपूरक या हंसपद (∠)

लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो उसके लिए ठीक स्थान पर यह चिह्न लगा दिया जाता है –

आजीवन

महात्मा गांधी ने ∧ सत्य का पालन किया।

12. संक्षेपसूचक (.)

लाघव चिह्न बिंदु (.) का प्रयोग संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है –

बी. ए.

कृ. पृ. उ. (कृपया पृष्ठ उलटिए)

पं., डॉ.

प्रश्न और अभ्यास

1. विराम चिह्न किसे कहते हैं ?
2. विराम चिह्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है ? कोई दो कारण दीजिए।
3. अल्पविराम और अर्द्धविराम में क्या अंतर है ? दोनों का एक- एक उदाहरण दीजिए।
4. योजक चिह्न का प्रयोग कहाँ होता है ? दो उदाहरण दीजिए।
5. निम्नलिखित गद्यांश में उपयुक्त विराम चिह्न लगाइए :
   क. अमिताभ ने कहा अनुराग संघर्ष ही जीवन है तू हार जीत से क्यों घबराता है
   ख. निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया
   ग. बेटा सुबह जल्दी उठा करो नहा धोकर पढ़ा करो तभी तुम बी ए में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो

6 दिए गए विराम चिह्नों के साथ उपयुक्त नामों का मिलान कीजिए –

-	अल्पविराम
( )	संक्षेपसूचक
,	कोष्ठक
.	योजक
;	प्रश्नसूचक
?	अर्द्ध विराम

खंड ख

रचना

अध्याय 17

मौखिक रचना

मनुष्य का सबसे बड़ा अलंकार उसकी वाणी है। वाणी जितनी शुद्ध और परिष्कृत होती है, व्यक्ति उतना ही सुसंस्कृत समझा जाता है। संपूर्ण मानव समाज अपने भावों और विचारों का प्रकाशन दो रूपों में करता है – मौखिक और लिखित। इन दोनों ही रूपों में भाषा उसका प्रमुख साधन है। मौखिक और लिखित दोनों ही अभिव्यक्तियों में भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों पर विचार किया जा रहा है।

मौखिक भावाभिव्यक्ति के उद्देश्य

1. छात्र-छात्राओं में सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना।
2. उनमें प्रश्न करने, तथा किए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट तथा सही ढंग से देने की क्षमता का विकास करना।
3. शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हुए भावानुकूल आरोह, अवरोह के साथ वार्तालाप कर सकने की योग्यता उत्पन्न करना।
4. शब्दों की अभिवृद्धि के साथ-ही-साथ शब्दों के अर्थ को समझकर उनका प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना।
5. स्वराघात, अनुतान, गति, यति, लय, उचित भाव-भंगिमा, प्रवाह एवं ओजस्विता आदि मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य अंग हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का श्रोताओं से सीधा संबंध होता है। श्रोताओं की जिज्ञासा, कौतूहल और रुचि को बनाए रखने में मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हैं।
6. मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्र अवसरानुकूल भाषा

का प्रयोग कर सकें। आपसी बातचीत, बाजार में क्रय- विक्रय, कक्षा में प्रश्नोत्तर, सभा समारोहों में औपचारिक भाषा का प्रयोग, विद्वत मंडली में विचार-विमर्श आदि, अवसरों पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है। इस विशिष्ट योग्यता को अर्जित किए बिना मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता अधूरी रहती है।

स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता का सबसे अधिक अनुकूल अवसर माध्यमिक स्तर पर ही होता है। इस स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नांकित रूप अपनाए जा सकते हैं –

1. वाचन

माध्यमिक स्तर पर गद्य एवं कविता के सस्वर वाचन मौखिक कार्य के प्रधान अंग हैं। वाचन में उच्चारण की शुद्धता, सम्यक स्वराघात, ध्वनियों का आरोह- अवरोह, गति, यति, प्रवाह, विराम आदि का अभ्यास करना चाहिए। विद्यालय में अनेक ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं, जब छात्र कविताओं, गद्य अनुच्छेदों का मौखिक रूप से वाचन कर सकते हैं। ऐसे अवसरों के अनुकूल कविताएँ और गद्यांशों को चुनकर सुनाना चाहिए।

कविता का प्रमुख तत्व रस है। अतः रसानुकूल वाणी का प्रयोग आवश्यक है। वीर रस की कविता को मंद गति, आलस्य एवं उदासीनता के साथ पढ़ना कविता के संपूर्ण प्रवाह को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार शृंगार अथवा करुण रस की कविता को ओजस्वी अथवा हास्यपूर्ण ढंग से पढ़ना अनुपयुक्त होगा।

कक्षा में अथवा सामूहिक कार्यक्रमों में कवि-दरबार का आयोजन भी लाभप्रद हो सकता है। छात्र विभिन्न कवियों की कविताओं को कंठस्थ कर लें और फिर उन्हें कक्षा अथवा अन्य समारोहों में कवि दरबार के रूप में प्रस्तुत करें। कवियों के अनुरूप भाव-भंगिमा प्रदर्शित करने तथा वेश-भूषा धारण करने से ये आयोजन और अधिक आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक बन जाते हैं। ऐसे आयोजनों में भाग लेने से छात्रों को मौलिक रचना की भी प्रेरणा मिलती है। इन अवसरों पर छात्र शिक्षकों का मार्ग-निर्देशन एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

कविता पाठ एवं कवि दरबार की भाँति कंठस्थ अथवा लिखित गद्यांश का वाचन भी मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता अर्जित करने में सहायक होता है। ये गद्यांश पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य स्रोतों से चुने जाते हैं। नाटकीय और भावात्मक अंश ही पठन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होते हैं। इन अंशों के वाचन में भावानुकूल वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए।

2. समाचार चयन, वाचन, उद्घोषण

आज के युग में समाचार- पत्रों का विशेष महत्व है। व्यक्तित्व के सम्यक् विकास के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को देश-विदेश में घटने वाली प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहे। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद समाचार-पत्रों से प्रमुख अंशों का चयन कर, तथा उन्हें काट- छाँटकर सुनाने से जहाँ वक्ता छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ती है, वहीं श्रोता छात्रों के ज्ञान की वृद्धि होती है।

इस प्रक्रिया से छात्रों में स्वतंत्र रूप से समाचार-पत्र पढ़ने की रुचि भी उत्पन्न होती है। समाचार पाठ को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए –

1. ऐसे समाचार अंशों का चयन किया जाए जो छात्रों की जानकारी के लिए विशेष आवश्यक हों।
2. विस्तृत समाचारों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना चाहिए। जिन समाचारों में पूर्व प्रसंग बताना आवश्यक हो, उसे भी संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए।
3. सरल भाषा और छोटे-छोटे वाक्य श्रोताओं की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। समाचार की उद्घोषणा करते समय बोलने की गति ऐसी रखनी चाहिए, जिससे श्रोता समाचारों को भली-भाँति हृदयंगम कर सकें। इसमें ध्वनि-विस्तारक यंत्र (माइक) की व्यवस्था सहायक सिद्ध हो सकती है।
4. इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा करने से उच्चारण की शुद्धता आरोह, अवरोह आदि की कुशलता बढ़ जाती है।
5. समय-समय पर संपादकीय टिप्पणियों एवं लेखों का चयन भी वांछनीय है।

3. वर्णन

घटना, दृश्य, उत्सव, समारोह, मेला, मनोरंजन प्रसंग आदि

छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता उत्पन्न करने के लिए किसी दृश्य, घटना, उत्सव, समारोह, मेला या मनोरंजन प्रसंग का वर्णन करना चाहिए। छात्र अपने दैनिक जीवन में इन प्रसंगों से भली-भाँति परिचित होते हैं। कक्षा अथवा बाल सभा में इन घटनाओं का वर्णन करने के लिए छात्रों को तत्पर रहना चाहिए।

नित्य प्रति के जीवन में छात्रों के चारों ओर जो घटनाएँ घटती हैं, उन्हें सबसे पहले संकलित कर देना चाहिए। फिर संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से अन्य छात्रों को सुनाना चाहिए।

इसी प्रकार जो छात्र पिकनिक या पहाड़ों की सैर के लिए जाते हैं, उनके लिए अपेक्षित है कि वे उन दृश्यों का वर्णन कर सकें। इसी प्रकार उत्सव, समारोह, मेले एवं अन्य मनोरंजक प्रसंगों का वर्णन करने से मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। अभ्यास और प्रयत्न से वह वर्णन- कुशलता छात्रों में सहज रूप से विकसित की जानी चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करें, ताकि वे निःसंकोच आत्मविश्वास के साथ अपने भावों का प्रकाशन कर सकें। वर्णन की कुशलता इसी में निहित है कि श्रोताओं का उत्साह और कौतूहल बना रहे। वर्णन शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि श्रोता ऊब जाएँ और उनमें अरुचि उत्पन्न होने लगे।

4. साक्षात्कार देना और लेना

वर्तमान युग में साक्षात्कार का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में साक्षात्कार देने और लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यहाँ साक्षात्कार का अर्थ और रूप जान लेना आवश्यक है। वर्तमान युग में प्रायः सभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी-न-किसी पद के लिए आवेदन करते हैं। उनके ज्ञान और अनुभव की परख के लिए उन्हें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर उनसे कुछ प्रश्न किये जाते हैं, जिनका सही और सटीक उत्तर देना अभीष्ट होता है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। कभी- कभी ऐसा भी होता है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति के विचारों को जानने के लिए हम उनके सम्मुख प्रस्तुत होकर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। यह साक्षात्कार का दूसरा पहलू है, जिसे साक्षात्कार लेना कहा जाता है। साक्षात्कार देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए –

क. आत्मविश्वास

साक्षात्कार देने वाले में आत्मविश्वास होना चाहिए। सामान्यतः जब हम किसी अधिकारी वर्ग के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उनके पद एवं गरिमा के समक्ष हमें घबराहट होने लगती है। इस कारण साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है। ऐसा आत्मविश्वास की कमी के कारण ही होता है।

ख. निर्भीकता

साक्षात्कार देते समय व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए। निर्भीकता का अर्थ यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम औपचारिक शिष्टता को भी भूल जाएँ।

ग. विषय का सम्यक् ज्ञान

साक्षात्कार से पूर्व विषय की भली-भाँति जानकारी कर लेना अपेक्षित है। सही जानकारी के अभाव में स्टीक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

घ. संक्षिप्तता और स्पष्टता

साक्षात्कार में समय का अपना विशिष्ट महत्त्व है। थोड़े ही समय में अधिक-से-अधिक जानकारी ले लेना साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। अतः प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर उनका सही और स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। हम अपनी बात को जितना संक्षेप में कह सकें उतना ही अधिक वह साक्षात्कार लेने वालों को प्रभावित करता है।

ङ. औपचारिक शिष्टाचार

साक्षात्कार एक विशेष वातावरण में लिया जाता है, जिसके लिए कुछ औपचारिक शिष्टाचार की आवश्यकता होती है। हमारी मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता इस शिष्टाचार को बनाये रखने में सहायक होती है। जैसे बात करते समय जी, श्रीमान्, आदि का प्रयोग। बैठते तथा उठते समय धन्यवाद, साक्षात्कार से पूर्व अभिवादन आदि औपचारिकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

इसी प्रकार साक्षात्कार लेते समय भी कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हम जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लें उसके समक्ष उपस्थित होते समय सामान्य औपचारिक शिष्टाचार का ध्यान रखें। प्रश्नों की भाषा स्पष्ट और सुबोध हो। एक बार में एक ही प्रश्न करें। उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनें। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार देने वाले के उत्तरों से असहमत रहने पर भी हमें अपने विचारों को उस पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार लेते समय किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।

विद्यालयीय जीवन में छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वे साक्षात्कार के विशिष्ट गुणों एवं दक्षताओं से परिचित हो सकें। मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता उत्पन्न करने में ये आयोजन बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

साक्षात्कार का एक संक्षिप्त नमूना नीचे प्रस्तुत है –

(हिन्दी-प्रवक्ता पद के लिए चयन समिति। अंदर प्रधानाचार्य जी तथा दो विषय-विशेषज्ञ बैठे हैं। डॉ. रमेश नामक व्यक्ति का साक्षात्कार है। डॉ. रमेश को बुलाया जाता है।)

(डा. रमेश का प्रवेश।)

प्रधानाचार्य — बैठिए डा. रमेश।

डा. रमेश — धन्यवाद श्रीमान् जी।

प्रधानाचार्य — आप कानपुर से आए हैं?

डा. रमेश — जी श्रीमान् जी।

विशेषज्ञ नं. 1 — किस विश्वविद्यालय से आपने पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है?

डा. रमेश — काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से।

विशेषज्ञ नं. 2 — आपकी विशेष योग्यता किसमें है?

डा. रमेश — आधुनिक हिन्दी कविता में।

विशेषज्ञ नं 1 — श्रीमती महादेवी वर्मा को सन् 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला है?

डा. रमेश — "यामा" पर।

प्रधानाचार्य — अच्छा डा. रमेश, धन्यवाद।

डा. रमेश — नमस्कार श्रीमान् जी। (नमस्कार करके बाहर आता है।)

5. भाषण, आशुभाषण, वाद-विवाद और परिचर्चा

भाषण

विद्यालयीय परिवेश में छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता उत्पन्न करने में भाषण सबसे अधिक सहायक माध्यम है। प्रारंभिक कक्षाओं से ही छात्रों को इस कला में रुचि दिखाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। माध्यमिक कक्षाओं में पहुँचते-पहुँचते बच्चों में इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वे अपनी रुचि के विषयों पर भाषण दे सकें। विद्यालयों में समय-समय पर अनेक उत्सव तथा समारोह मनाए जाते हैं। सप्ताह में एक दिन बाल-गोष्ठी की सुविधा भी रहती है। भाषण में विषय की जानकारी, निर्भीकता, आत्मविश्वास, धैर्य, भावों एवं विचारों की क्रमबद्ध योजना, सुसंबद्ध एवं भावपूर्ण प्रकाशन आदि गुणों का समावेश आवश्यक है। बालक अनेक औपचारिकताओं को भी सीख सकता है जैसे — अध्यक्ष, सभासदों एवं श्रोताओं को उचित रीति से संबोधित करना, भाषण देते समय उचित हाव-भाव, भाव-भंगिमाएँ प्रदर्शित करना, भाषण को सरस बनाने के लिए यथा समय विनोद एवं हास्यपूर्ण बातें करना आदि।

छात्रों में इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों का सहयोग एवं मार्ग-निर्देशन

आवश्यक है। विभिन्न समारोहों पर आयोजित होने वाली गोष्ठियों में बच्चों को अवसरानुकूल रोचक विषयों का चयन करना चाहिए और हो सके तो भाषण को कंठस्थ कर प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि लिखित भाषण पढ़ने से मौखिक भाषण अधिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। माध्यमिक स्तर पर गहन और गंभीर विषयों पर भाषण देना कठिन होता है, किन्तु यदि एक बार इस दिशा में छात्रों की रुचि हो जाए तो धीरे-धीरे गंभीर विषयों पर भाषण देने में समर्थ हो सकते हैं। वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के युग में भाषण कला बच्चों के भावी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

आशुभाषण

भाषण की भाँति ही आशुभाषणों का आयोजन भी उपयोगी है। भाषण का विषय तो पहले से ही दिया रहता है और छात्र उसकी तैयारी कर सकता है। किन्तु आशुभाषण में तत्काल विषय दिया जाता है और तैयारी का मौका नहीं रहता है। आशुभाषण का उद्देश्य यह होता है कि छात्र मौलिक ढंग से किसी विषय पर तत्काल सोचना सीख सकें और अपने विचारों को सरस और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। प्रारंभ में दो या तीन मिनट के लिए आशुभाषण प्रस्तुत करना चाहिए। धीरे-धीरे यह अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। आत्म-विश्वास, धैर्य और प्रत्युत्पन्नमति जैसे, गुणों के विकास के लिए आशुभाषणों का आयोजन सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ

वाद-विवाद का अर्थ है किसी दिए गए विषय या समस्या पर पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत करना। मौखिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी है। माध्यमिक स्तर पर छात्र इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लालायित रहते हैं। शिक्षकों का सहयोग और मार्ग-दर्शन इसमें भी उतना ही आवश्यक है, जितना अन्य कलाओं में। वाद-विवाद में भाग लेने के लिए पूर्ण तैयारी नितांत आवश्यक है। विषय को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना, प्रतिपक्षी वक्ताओं के कथनों का खडन और अपने पक्ष का मंडन करना वाद-विवाद कला की विशिष्टता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिपक्षी वक्ताओं के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना जाए। अपने पक्ष के विषय में तो पूर्ण तैयारी हो सकती है, किन्तु प्रतिपक्षी वक्ताओं के विचारों का खंडन' करने के लिए तत्कालिक विचार-योजना आवश्यक होती है। ऐसे समय शिष्ट भाषा का प्रयोग अनिवार्य है।

वाद-विवाद प्रतियोगिता संबंधी शिष्टाचारों, नियमों तथा रीतियों का परिचय और पालन आवश्यक है। वाद-विवाद में शिष्ट भाषा के अतिरिक्त शिष्ट हास-परिहास,

विनोद-प्रियता एव व्यंग्यात्मक शैली का अवसरानुकूल प्रयोग करने से अपने पक्ष के प्रतिपादन एवं विरोधी पक्ष के खंडन में बहुत सहायता मिलती है। वाद-विवाद में एक ही विषय पर बहुत से वक्ता बोलते हैं, अतः श्रोता इससे ऊब सकते हैं। इस कला की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि प्रत्येक वक्ता, श्रोताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हो, जिसके लिए उसे अपने विषय को अत्यधिक रोचक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।

परिचर्चा

किसी एक विषय पर जब चार-पाँच विशेषज्ञ विचार-विमर्श करते हैं, तब उसे परिचर्चा की संज्ञा दी जाती है। इसमें भाग लेने के लिए विषय के विशिष्ट जानकार व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति उसका संचालन करता है और विषय प्रारंभ करता है। अन्य सदस्य बारी-बारी से उस विषय पर विचार व्यक्त करते हैं। जहाँ आवश्यक होता है संचालक बीच-बीच में परिचर्चा का प्रवर्तन भी करता है। अन्त में संचालक सभी सदस्यों की चर्चाओं का संक्षेप में निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

विद्यालय में छात्रों को समय-समय पर ऐसे अवसर मिलते हैं, जब वे इस प्रकार की परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। विद्यालय में अनुशांसन, वर्तमान परीक्षा प्रणाली, स्वच्छता, पेय जल व्यवस्था, खेल-कूद की उचित व्यवस्था, पुस्तकालय एवं उसका उपयोग आदि अनेक ऐसे विषय हैं, जिन पर शिक्षक परिचर्चाओं का आयोजन करा सकते हैं। यहाँ एक परिचर्चा का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :

आज दिनांक 4-4-91 को विद्यालय के रवीन्द्र कक्ष में सायं 4 बजे एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। विषय था – "नारी और नौकरी" तथा आयोजक थे – कक्षा 10 के छात्र श्री अरुण कुमार। परिचर्चा में भाग लेने वाले छात्र थे – कु. नीरा (कक्षा 10), अतुल (कक्षा 9), समीर (कक्षा 10)। अध्यक्ष थे, हिन्दी के अध्यापक श्री कामता प्रसाद जी। सर्वप्रथम आयोजक श्री अरुण कुमार ने विषय प्रवर्तन करते हुए "नारी और नौकरी" के विषय को विवादास्पद बतलाया और भारतीय नारी के विशेष संदर्भ में विषय की महत्ता की ओर संकेत किया। तदुपरान्त उन्होंने कु. नीरा को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। कु. नीरा का कहना था कि आज का जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है। एक ओर हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं और दूसरी ओर महँगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में अकेला पुरुष घर का भार नहीं ढो सकता। अतः गृहस्थी के सम्यक संचालन के लिए दिनों-दिन आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए नारी की नौकरी उचित ही नहीं, समय की माँग है। शायद नीरा जी कुछ और भी कहना चाह रहीं थीं कि अतुल

बोल पड़ा। उसका तर्क था कि गृहस्थी के सम्यक संचालन के लिए केवल आर्थिक दृष्टि से सम्पन्नता ही काफी नहीं है। बच्चों का उचित पालन- पोषण, उनको भरपूर ममता प्रदान करना, भोजन की व्यवस्था, घर की सफाई तथा मेहमानों की आवभगत आदि भी उतना ही जरूरी हैं। क्या नौकरी करने वाली नारी इन सब दायित्वों को निभाने में न्याय कर सकती है और फिर भारत में तो वैसे ही बेरोजगारी फैल रही है। रोजी-रोटी की तलाश में पुरुष ही बेचारा दर-दर भटक रहा है। तब नारी का नौकरी करना कहाँ तक उचित हो सकता है? समीर का कहना था कि यदि बेरोजगारी की समस्या को नजरंदाज भी कर दिया जाए, तो कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें प्रवेश करके नारी कार्य के साथ उचित न्याय नहीं कर सकती। जैसे – सेना या पुलिस का क्षेत्र। कु. नीरा ने तुरंत ध्यान दिया कि क्या झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में कुछ कम कौशल दिखाया था? क्या वह पुरुष थी? क्या नारियों के झगड़े सुलझाने में अथवा उनको दंड देने में नारी-पुलिस सहायक नहीं हो रही है? यह कहना पुरुष का दंभ मात्र है कि नारी शारीरिक रूप से दुर्बल होती है। समीर का यह कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएँ संसार में कितनी हैं? क्या लड़ाई लड़ना या पुलिस के डंडे लेकर घूमना नारी की प्रकृति के अनुकूल है। तब उन्हें उन्हीं की प्रकृति के अनुकूल कार्य क्यों नहीं दिया जाता। अरुणकुमार का कहना था कि आज जो नारी नौकरी करती है, उसकी गृहस्थी शीघ्र टूट जाती है। कु. नीरा कहाँ चूकने वाली थी। तत्काल ही बोल पड़ी, इसका कारण पुरुषों की अकारण संशयवृत्ति है, जो उनके पिछड़ेपन तथा वर्षों से चली आ रही उनकी शासन करने की प्रवृत्ति की द्योतक है। कु. नीरा ये सब तर्क दे रही थी, तभी आयोजक महोदय बोल पड़े, देखिए परिचर्चा का समय समाप्त हो चला है। निस्संदेह, दोनों ही पक्षों के तर्कों में कुछ-न-कुछ सार है। आज के युग में नारी को नौकरी से वंचित रखना उचित नहीं है, क्योंकि इसके अभाव में वह आर्थिक दृष्टि से परावलम्बी बनी रहेगी और पुरुष उसकी भावना का शोषण करता रहेगा। नारी की क्षमता को कम आँकना भी ठीक नहीं है। हाँ, नारी की नौकरी के लिए कतिपय ऐसे क्षेत्र अवश्य नियत किये जा सकते हैं, जहाँ वह पुरुष की अपेक्षा अधिक कुशलता से कार्य कर सकती है और उसके नारीत्व पर भी कोई आँच नही आती। पुरुष को भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए और घर-गृहस्थी में स्त्री का हाथ बँटाने में संकोच नहीं करना चाहिए।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने परिचर्चा को अत्यंत रोचक और विचारोत्तेजक बतलाया और भाग लेने वालों को बधाई दी कि उनके विचार काफी सुलझे हुए थे। उन्होंने आशा प्रकट की कि छात्र-छात्राएँ इस प्रकार की परिचर्चाओं का आयोजन भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने आयोजकों की भी सराहना की, जिन्होंने बड़ी सुव्यवस्था के साथ परिचर्चा

का आयोजन किया।

परिचर्चा का समापन 5.30 बजे शाम को हुआ।

6. संवाद एवं अभिनय

संवाद एवं अभिनय सामाजिक मनोविनोद एवं मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता दोनों का सुंदर माध्यम है। माध्यमिक स्तर के छात्रों में अभिनय की विशेष रुचि पाई जाती है। इससे पूर्व की कक्षाओं में भी बालकों को अनेक अवसरों पर छोटे-छोटे नाटकों, झलकियों आदि में भाग लेने का अवसर मिलता रहता है। माध्यमिक स्तर तक आते-आते बच्चों में अभिनय कला के कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश हो जाता है। शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट कथन, अंग-संचालन सजीव एवं भावपूर्ण अभिनय द्वारा दर्शकों को मुग्ध करने के लिए वे प्रयत्नशील होने लगते हैं। मंच पर अपने सफल अभिनय से प्रायः प्रत्येक मनुष्य को एक विशेष आत्मिक परितृप्ति का अनुभव होता है। सरस, सरल और भाव-पूर्ण कथोपकथनों द्वारा बालकों का भाषा पर धीरे-धीरे पर्याप्त अधिकार हो जाता है।

अभिनय में एक ओर आत्मविश्वास और मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ती है, दूसरी ओर अंग संचालन, संकेत, भाव-भंगिमाओं से भी अपनी मनोदशाओं का चित्रण किया जा सकता है। इस दृष्टि से संवाद एवं अभिनय का आयोजन बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है।

अभिनय के लिए छात्र संक्षिप्त नाटक, एकांकी और प्रहसनों का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए प्रारंभ में बच्चों को साहसिक घटनाओं, सामाजिक कुरीतियों पर आधारित प्रहसनों या एकांकी नाटकों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बार अभिनय में रुचि उत्पन्न हो जाने पर धीरे-धीरे उन्हें गंभीर विषयों से संबंधित नाटकों में अभिनय करने के लिए अवसर देना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में दिये हुए अनेक संवादात्मक पाठों पर भी अभिनय आयोजित किया जा सकता है। अभिनय मौखिक कार्य का प्रधान और आकर्षक अंग है। इसके लिए कक्षा में ही छात्रों को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सकता है। शिक्षक छोटे-छोटे विषयों पर कक्षा में भी अभिनय करा सकता है।

7. सभा एवं समारोह

विद्यालय में अनेक अवसरों पर सभा एवं समारोहों का आयोजन होता रहता है। ये ही वे अवसर हैं, जब बालक अपने विद्यार्थी जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास कर सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में बालकों को विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस, महापुरुषों या

राष्ट्र नेताओं की जयंतियाँ, गणतंत्र दिवस, वार्षिकोत्सव आदि पर विशिष्ट सभाएँ और समारोह आयोजित होते रहते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि छात्र इन सभाओं और समारोहों का संचालन स्वयं करें। ऐसे सांस्कृतिक या साहित्यिक अवसरों पर कुछ औपचारिकताओं का निर्वाह अत्यन्त आवश्यक होता है। छात्रों को इन औपचारिकताओं से परिचित करा देना चाहिए। नीचे कुछ विशिष्ट औपचारिकताएँ दी जा रही हैं –

औपचारिक भाषा का प्रयोग

ऐसे अवसरों और समारोहों पर हमारी भाषा औपचारिक हो जाती है। किसी भी सभा या समारोह के आयोजन के लिए सभापति या अध्यक्ष पद के लिए किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाता है। इस समय एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखिए –

मोहन – बड़े हर्ष की बात है कि आज हम अपने विद्यालय में स्वतंत्रता-दिवस समारोह मना रहे हैं। आज के समारोह की अध्यक्षता के लिए मैं दसवीं कक्षा के छात्र श्री मनमोहन का नाम प्रस्तावित करता हूं।

रमेश – मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। (तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही श्री मनमोहन अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं।)

ऐसे समारोहों और सभाओं के लिए एक संचालक की भी आवश्यकता होती है, जो प्रायः शिक्षक ही होता है। किन्तु इस संचालन कला में निपुण बनने के लिए छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के अनेकानेक अवसर मिलने चाहिए।

सभा संचालन के लिए यह आवश्यक है कि संचालक छात्र कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा से परिचित हो। वक्ता या कार्यक्रम प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करने की भी एक औपचारिक भाषा होती है, जिसका प्रयोग करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए "स्वतंत्रता दिवस" पर आयोजित सभा में श्री सलामत अली को मंच पर आमंत्रित करते हुए संचालक इस भाषा का प्रयोग करेगा –

हरमीत सिंह – सरस्वती वंदना के पश्चात् अब मैं आपके सम्मुख एक ऐसे वक्ता को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनसे आप भली-भाँति परिचित हैं। वे अनेक बार इसी मंच से आपको हर्ष- विभोर कर चुके हैं। ये हैं श्री सलामत अली, जो स्वतंत्रता दिवस पर अपना ओजस्वी भाषण देंगे। आइए, जनाब सलामत अली साहब।

हर बार नए वक्ता को आमंत्रित करने से पहले संचालक को पूर्व वक्ता के भाषण या कथन की संक्षिप्त टिप्पणी देनी होती है। यह औपचारिकता निभाना भी संचालक को नहीं

भूलना चाहिए।

बोलने से पूर्व वक्ता औपचारिक भाषा के प्रयोग से अपना विषय प्रारम्भ करता है। उदाहरणार्थ श्री सलामत अली अपना भाषण प्रारभ करने से पूर्व कहेंगे –

परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय गुरुजन वृन्द, एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज स्वतंत्रता दिवस की बयालीसवीं वर्षगाँठ पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथ ही संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं स्वतंत्रता दिवस के महत्त्व पर आपके सम्मुख अपने विचार रखना चाहता हूँ। मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप ध्यानपूर्वक मेरे विचारों को सुनकर मेरा उत्साह वर्धन करेंगे।

(इसके पश्चात् श्री सलामत अली अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे।)

इसी प्रकार यदि विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जाय और किसी विशिष्ट व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाय, तो उसके स्वागत में निम्नलिखित औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा –

संचालक – अपने विद्यालय के इस वार्षिक समारोह पर नगरपालिका के श्री बैकुण्ठनाथ भार्गव का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। श्री भार्गव एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हैं। हमारे नगर को ही नहीं अपितु हमारे विद्यालय की भी प्रगति में उनकी विशेष रुचि रही है। समय-समय पर वे हमारी मदद करते रहे हैं और अनेक बार उन्होंने विद्यालय को संकटों से उबारा है। इस कारण आज के समारोह की अध्यक्षता के लिए उनसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर श्री भार्गव का स्वागत करता हूँ और उनसे इस समारोह के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ।

संचालक – छात्र को ऐसे अवसरों पर बीच-बीच में अपनी ओर से रोचक टिप्पणियाँ करते रहना चाहिए, जिनमें अनेक रोचक प्रसंगों, सूक्तियों, कविताओं अथवा घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन बहुत प्रभावशाली होता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि इनका सीधा संबंध कार्यक्रम के अगले अंश से अवश्य हो। बीच-बीच में कार्यक्रम की उद्घोषणा करते समय भी पूर्ण प्रश्न की विशिष्ट औपचारिक भाषा का प्रयोग छात्रों को करना चाहिए। कभी-कभी कार्यक्रम के बीच में कोई विशेष सूचना देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी सूचनाओं को देने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति लेना और उसे संक्षेप में उद्घोषित करना आवश्यक होता है, अन्यथा कार्यक्रम की रोचकता में व्याघात उत्पन्न हो सकता है।

ऐसे अवसरों पर विशिष्ट अतिथि एवं एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का

धन्यवाद ज्ञापन भी एक अनिवार्य अंग है। धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिक भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है –

संचालक – "अंत में मैं आज की सभा के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई है और हमारा उत्साह-वर्धन किया है। यद्यपि अध्यक्ष महोदय को आज ही शाम को अपने निजी काम से लखनऊ जाना था, किन्तु जब मैं उनके पास पहुँचा तो विद्यालय के प्रति अपने विशेष अनुराग के कारण उन्होने लखनऊ जाना स्थगित कर दिया और हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर आज की सभा की अध्यक्षता करने की बड़ी कृपा की। वे समय के पाबंद हैं और आप सबने यह अनुभव किया होगा कि हमारा कार्यक्रम ठीक समय पर प्रारंभ हुआ। मैं एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से अध्यक्ष महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी लगन, परिश्रम और उत्साह के साथ आज के समारोह को सफल बनाया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वर्मा जी एवं अन्य शिक्षकों को धन्यवाद दिए बिना मेरा कर्तव्य अधूरा रहेगा। श्री वर्मा जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का परिणाम है – हमारे विद्यालय की वर्तमान उन्नत स्थिति। इस विद्यालय के सभी शिक्षक अनुभवी और कर्मठ हैं। इन सभी को धन्यवाद देता हूँ, विशेषतः सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक श्री पंत जी को, जिन्होंने अपने मार्ग-निर्देशन द्वारा आज के उत्सव को संपन्न बनाने में हमारी पूरी-पूरी मदद की है। अन्त में एक बार फिर आप सबको धन्यवाद और अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इस समारोह की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिन्द।"

इस प्रकार छात्र-जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता उत्पन्न करने एवं उसके विकास में निरंतर प्रयत्नशील और जागरूक रहने की नितांत आवश्यकता है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ये अवसर प्रायः कुछ मेधावी छात्रों को ही बार-बार उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिकांश छात्र इससे वंचित रह जाते हैं।

प्रश्न और अभ्यास

1. समाचार-पत्र के किसी रोचक समाचार को कक्षा में सुनाइए।
2. वीर रस की किसी कविता को ओजस्वी स्वर में सुनाइए।
3. अपनी कक्षा में दो दल बनाकर अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित कीजिए।
4. "सह शिक्षा हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है।" इस विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।
5. नीचे दिए गए अनुच्छेद का आदर्श वाचन कीजिए :
   कलाकार! युगों के पन्ने पलटने से अमर सत्य के पन्ने नहीं पलटा करते। ऋतु बदल जाने से कभी भी बरसात पुनः आना नहीं भूली। अतः उठ कलाकार, तू अपनी इकाई को चित्रित कर। उस वृक्ष पर जहाँ कली फूल बन रही हो, उस ज़मीन पर जहाँ वृक्ष उठ रहा हो और फूल झर रहे हों – जहाँ उम्मीदें हरी हों और प्राप्ति फेंकी जा रही हो, जहाँ काँटे प्रहरी हों और सुगंधायमान कोमलता चरणों पर उतार डालने की वस्तु हो।
6. यात्री एवं बस- संवाहक के बीच हो रहे वार्तालाप को प्रस्तुत कीजिए।
7. नीचे कविता की प्रथम पंक्तियाँ दी गई हैं। उनके आधार पर छोटी-सी कविता लिखिए :

देखो, सूरज निकल रहा है।
लाल गेंद-सा उछल रहा है।।

-------- -------- --------
-------- -------- --------
-------- -------- --------
-------- -------- --------

अथवा

मैं तितली हूँ मैं तितली हूँ।
मैं सात रंग की तितली हूँ।।

अध्याय 18

लिखित रचना

सामान्य विशेषताएँ

हम जो कुछ लिखते हैं, वह अधिकांशतः दूसरों के लिए लिखते हैं। कभी-कभी हम अपने लिए भी लिखते हैं, जिससे पूर्व विचारित तथ्य फिर सामने आ जाएँ। इन दोनों दशाओं में यह आवश्यक है कि हम जो कुछ लिखें वह सुसंबद्ध और पूर्ण हो। आशय यह है कि लिखित विषय के प्रसंग में सामान्यतः उठने वाले प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएँ। विषय चाहे पत्र हो, चाहे यात्रा हो, चाहे किसी स्थान, व्यक्ति या कृति का वर्णन हो – आवश्यक जानकारी की सभी बातें उसमें रहनी चाहिए।

हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। निबंधों में प्रत्यक्ष रूप से संबोधित व्यक्ति का नाम नहीं होता, परंतु परोक्ष रूप से लेखक के मन में यह रहता है कि उसकी रचना को पढ़ने वाला कौन है, बच्चे, वयस्क, स्त्री, पुरुष या कोई सामान्य जन। साथ ही उनका मानसिक एवं भाषा का स्तर क्या है, यदि वह विचार लेखक के सामने रहता है तो वह तदनुकूल सामग्री चयन करता है, उसका नियोजन करता है और तदनुकूल ही शब्द वाक्य और भाषा-शैली प्रयोग करता है। भाषा के कलेवर पर भी इसका प्रभाव रहता है। उपन्यास, नाटक, काव्य आदि जो रचनाएँ एक बैठक में पढ़ने वाली नहीं होतीं, उनमें भी पाठक संबंधी उक्त विचार लेखक को प्रभावित करते हैं।

प्रत्येक रचना का एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेखक अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विविध माध्यम अपनाता है। हम सभी विशेष विचारों या तथ्यों को समझाने के लिए, मनोरंजन के लिए अथवा मूल्य स्थापना के लिए लिखते हैं। लेखन सामग्री का चयन भी इसी उद्देश्य से होना चाहिए। जो बात इस उद्देश्य के अनुकूल न होगी वह

उद्देश्य पूर्ति में न केवल बाधक होगी, अपितु नीरसता भी उत्पन्न करेगी।

छोटी-बड़ी सभी रचनाओं में एकाधिक विचार या तथ्य रहते हैं। प्रत्येक विचार या तथ्य के लिए अलग अनुच्छेद रखने चाहिए। विचार-प्रधान रचनाओं में अनुच्छेदों के शीर्षक दे देने से वे अधिक सुबोध हो जाती हैं। यह भी हो सकता है कि एक शीर्षक के अन्तर्गत कई अनुच्छेद हों।

पूरी रचना उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य और अनुच्छेद में भी रचना का गठन इस प्रकार हो कि एक वाक्य के कथ्य से अगले वाक्य के कथ्य का एक अनुच्छेद से अगले अनुच्छेद का पूर्वापर संबंध बना रहे। पूर्वापर संबंध के कारण ही हम लेखक के विचारों से सहजता के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए रचना का रसास्वादन एवं आनंद ले सकते हैं।

अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाए वह स्वाभाविक रूप से पूरी रचना से निकलता हो। रचना के विविध अंगों में संतुलन का होना परमावश्यक है। एक आदर्श रचना वही मानी जाती है, जिसमें किसी स्थान पर न आवश्यकता से अधिक और न आवश्यकता से कम लिखा गया हो।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वाक्य रचना, वर्तनी, मुहावरा आदि के अनुसार भाषा शुद्ध होनी चाहिए और लिखावट स्वच्छ और स्पष्ट हो।

पल्लवन

किसी उक्ति, सूक्ति, बीज-वाक्य अथवा रूपरेखा आदि में निहित मूल संदेश को विस्तारपूर्वक समझने-समझाने का प्रयत्न ही *पल्लवन* कहलाता है। कविता या उसके भाव के पल्लवन के भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे, भारतेन्दु ने बिहारी के दोहों का पल्लवन कुंडलियों में किया है।

पल्लवन को वृद्धिकरण, भाव विस्तारण तथा भाव पल्लवन आदि भी कहते हैं। *पल्लवन* के लिए मूल-वाक्य अथवा उक्ति आदि के मूल संदेश की सही पकड़ अत्यंत आवश्यक होती है। पल्लवन करते समय हमको मूल भाव से नहीं हटना चाहिए। विस्तार तो व्याख्या में भी होता है, किन्तु व्याख्या में जहाँ संदर्भ, प्रसंग तथा रचना के सौंदर्य विधायक तत्वों पर टिप्पणी आदि करने की भी अपेक्षा होती है, वहाँ *पल्लवन* में केवल संदेश विस्तार का ही लक्ष्य होता है, संदर्भ, प्रसंग आदि की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ *पल्लवन* के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं —

उदाहरण

1. "सच्चा सुख अपने आपको दलित द्राक्षा की भाँति निचोड़कर उपलब्ध माधुर्य रस को लुटा देने में है।"

किसी से कुछ पाने की आकांक्षा रखना मनुष्य के दुख का प्रमुख कारण है। जब तक पाने-ही-पाने की इच्छा मनुष्य रखता है, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी पूर्ति दूसरे पर निर्भर करती है, जिसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः सच्चा सुख किसी से कुछ पाने में नहीं, वरन् देने में है। जिस प्रकार अंगूर की सार्थकता अपने तमाम रस को दूसरों के लिए निचुड़कर देने में है, उसी प्रकार मनुष्य की सार्थकता अपनी संपूर्ण क्षमताओं, योग्यताओं और गुणों आदि को दूसरों के लिए अर्पित कर देने में ही है। जो अपना तन-मन-धन अपना सर्वस्व दूसरों के लिए लुटा सकता है, वही सच्चे सुख का भागी हो सकता है।

2. नियति नहीं है, पूर्व निर्धारित,
उसको हर क्षण मानव-निर्णय,
बनाता-मिटाता है।

प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश, आदि को विधाता की देन मानता है और भाग्यवादी बन जाता है। भाग्यवादिता में अटूट विश्वास मनुष्य को निष्क्रिय तथा कायर भी बना सकता है। वस्तुतः मनुष्य के भाग्य की डोर किसी अलौकिक शक्ति के हाथ में नहीं है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। वह क्षण-प्रतिक्षण जो निर्णय लेता है, जो संकल्प-विकल्प करता है, जो कर्म करता है, उन्हीं से उसकी नियति का निर्माण होता है। विवेकपूर्ण निर्णय दृढ़-संकल्प तथा निरंतर अध्यवसाय से उसकी नियति अच्छी बन सकती है और इनके अभाव में अधूरी।

1. सार लेखन

किसी पद्यांश या गद्यांश के मुख्य भाव या विचार को छोड़े बिना उसका संक्षेप लिखना सार कहा जाता है। सार-लेखन मुख्यतः "प्रेसी राइटिंग" है। सार लेखन के लिए संक्षेपण, संक्षेपीकरण शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ सापेक्षिक अर्थ सूचित होता है। मुख्यतः गद्यांश के संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी विस्तृत लेख, आख्यान, विवरण, पत्र, सूचना आदि में निहित तथ्यों को सरल, सुबोध भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि मूल उद्धरण की मुख्य बातें उसके एक-तिहाई में ही आ जाएँ, संक्षेपण या सार लेखन है।

सार लेखन तथा सारांश

सार लेखन और *सारांश* में थोड़ा-सा अंतर है। सारांश (जिस्ट) में केवल उस मूल तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके इर्द-गिर्द मूल अवतरण का विकास और विस्तार होता है। इसके लेखन में सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जाता। सारांश के आकार विस्तार के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं, पर इतना निश्चित है कि यह मूल अंश के एक-तिहाई से कम ही होता है अर्थात् सारांश सार लेखन से कम शब्दों में होता है। सारांश बहुत ही नुकीला तथा स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। उसे पढ़ने से मूल अंश को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। सारांश में सर्वत्र मूल अवतरण के भाव को जानने की ओर उन्मुखता रहती है और उसी की प्रधानता रहती है जबकि सार लेखन में लेखक की दृष्टि मूल अंश के समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों को ठोस रूप में प्रस्तुत करने की ओर टिकी रहती है। लेखक तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रकट करने के लिए कई बार सोचता है।

सार लेखन क्या है

कम-से-कम शब्दों में दूसरे के कथ्य को समेटना एक महत्त्वपूर्ण गुण है। सार लेखन के लिए भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों ही आवश्यक हैं। इससे अभिव्यक्ति में निखार आता है। विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ने, उसे समझने और विचारों को केंद्रित करने का अभ्यास भी होता है। संक्षिप्तता आज के जीवन की आवश्यकता है। अनावश्यक शब्दाडंबर को त्याग कर किसी विषय के मुख्य-मुख्य बिंदुओं को सार रूप में प्रस्तुत कर अपने साथ दूसरों का समय भी बचाया जा सकता है। इस कला में निपुणता अभ्यास तथा सूझबूझ से प्राप्त होती है। पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, अध्यापक तथा व्यापारी सभी के लिए इस कला में कौशल प्राप्त करना लाभकारी है।

किसी भी कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए सतत् अभ्यास, धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। जैसा कहा जा चुका है पर्याप्त अभ्यास भी जरूरी है जिसके अभाव में निखार नहीं आता। अभ्यास के माध्यम से सार लेखन में दक्षता तभी प्राप्त होगी जब लेखक अपने सम्मुख किसी अच्छे सार लेखक का निर्देशन प्राप्त करता रहे। सार लेखक के ज्ञान का विस्तार जितना अधिक होगा उसे अच्छा सार लेखक बनने में उतनी ही मदद मिलेगी। भाषा ऐसी साफ़ सुथरी तथा मंजी हुई हो कि प्रत्येक शब्द अपनी बोल स्वयं कहता नज़र आए। भाषा का परिमार्जन भी विशद् अध्ययन से ही संभव होता है।

किसी साहित्यिक रचना के लेखन तथा सार लेखन में मौलिक अंतर है। साहित्यिक रचना के सृजन में लेखक को मनोभावों के विस्तार के लिए पर्याप्त अवकाश है, कल्पना के

घोड़ों को दौड़ाने के लिए उसे काफी छूट है, जबकि सार लेखक स्वतंत्रता से वंचित है। कल्पना और रंजन के लिए यहाँ लेशमात्र भी स्थान नहीं है। सार लेखक के लिए कलम की साधना अनिवार्य तत्व है।

सार कैसे लिखें

सार लेखन की कोई ऐसी विधि नहीं है कि उसको बस याद कर लिया जाए। इसके लिए तो अभ्यास आवश्यक है। इसके लिए धारणा शक्ति को सचेत करने के साथ-साथ आवश्यक-अनावश्यक के विवेक को जगाना पड़ता है।

जिस सामग्री का सार अपेक्षित है उसे अत्यंत सावधानी से पढ़ना चाहिए और उसको समझने का प्रयत्न करें। एक बार पढ़ने से काम न चले तो बार-बार पढ़ें और अपने से ही पूछें कि क्या पढ़ रहा हूँ, किसके विषय में विवेचन पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तरों से समस्या काफी सुलझ जाएगी। बार-बार पढ़कर उसके केंद्रीय भाव के निकट पहुँचने का प्रयास कीजिए। महत्त्वपूर्ण अंशों और उन शब्दों को रेखांकित कीजिए, जिसके आधार पर उस विषय को अपने शब्दों में लिखना है। लेख के वाक्य छोटे-छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए। यह ध्यान भी रखना अपेक्षित है कि इस लेखन में मूल अवतरण के शब्द, मुहावरे और वाक्य न आएँ। मूल में आए उदाहरण, उद्धरण, संदर्भ अलंकारिक प्रयोग सबको छोड़ देना अनिवार्य है। उपयोगी आँकड़े, विशेष नाम तथा अत्यावश्यक तिथियाँ उचित स्थान पर समाहित की जानी चाहिए।

इस प्रारंभिक यत्न के बाद मूल को फिर से दुबारा पढ़िए और पता लगाइए कि कुछ महत्त्वपूर्ण अंश छूट तो नहीं गए। यदि ऐसा हुआ है तो उनका समावेश कर लेना उचित होगा।

अब अपने सार को फिर से पढ़िए और अनावश्यक अंश को काट दीजिए। वाक्य संकोचन के कौशल का प्रयोग कीजिए। यदि क्रिया, पदबंध लंबे हैं, तो उनके स्थान पर संक्षिप्त शब्द पद का प्रयोग कीजिए, जिससे अपेक्षित शब्द संख्या की सीमा में आ जाएँ।

सार लेखन में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। यदि आवश्यक जान पड़े तो मूल में दिए गए विचारों के क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि सार सामान्यतः मूल के एक तिहाई से अधिक लंबा नहीं हो। यह आवश्यक नहीं कि मूल और सार का एक-एक शब्द गिना जाए। एक पंक्ति के कुछ शब्दों से संपूर्ण पंक्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। चार-पाँच शब्दों की घटा-बढ़ी सदा अपेक्षित होती है।

सार लेखन के लिए अपेक्षित गुण

सार लेखक को *सार- सार को गहि रहे, थोथा देय उड़ाय* वाली उक्ति का अनुसरण करना चाहिए। इस कौशल को अर्जित करने के लिए सार लेखक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

(क) भावग्राही कुशाग्र बुद्धि

सार लेखक के लिए आवश्यक है कि उसकी बुद्धि पर्याप्त पैनी हो। तथ्यों को परखने तथा उनका सही विवेचन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। विवेचनात्मक पक्ष भी सबल होना चाहिए। इसके लिए बुद्धि का कुशाग्र होना आवश्यक है।

(ख) मन की एकाग्रता

एकाग्र मन से काम करने पर जटिल-से-जटिल विषय को हृदयंगम करने में मदद मिलती है। एकाग्र मन से सार लेखक अपने कार्य में जुट जाता है, तो उसे मूल अवतरण के भाव को ग्रहण करने में सहायता मिलती है।

(ग) व्यापक ज्ञान

सार-लेखक का समसामयिक समस्याओं, गतिविधियों से परिचित रहना आवश्यक है। उसके ज्ञान का क्षेत्र किसी एक विषय तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने अध्ययन क्षेत्र को व्यापक बनाए रखना चाहिए। कई बार सामान्य ज्ञान भी सार लेखन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। सार लेखक अपने सार लेखन में तभी न्याय कर सकता है, जबकि संबंधित विषय की पर्याप्त जानकारी हो।

(घ) समाहार शक्ति

सार लेखक में *गागर में सागर* भरने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। अपनी कही हुई बात स्वतः स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी रचना में "*भाव अमित अति आखर थोरे*" हों तो मूलभाव को खोए बिना सार लिखना संभव है।

(ङ) अभिव्यक्ति में स्पष्टता

उसकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सार लेखन पढ़ने से सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाए, कहीं उलझाव व दुविधा की संभावना न रहे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर लिखने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। भावों का प्रवाह निरंतर बना रहना उचित है।

(च) भाषा पर अधिकार

सार लेखक का वैयाकरण होना आवश्यक नहीं पर व्यावहारिक भाषा का ज्ञान होना

चाहिए। विराम चिह्नों की सही जानकारी, विभक्तियों के उचित प्रयोग, संधि-समास का ज्ञान, अन्वय से संबंधित विशेष नियमों का ज्ञान तो सार लेखक को होना चाहिए, जिससे भाषा में सौष्ठव सुरक्षित रहे।

(छ) निरंतर अभ्यास

अभ्यास का महत्त्व प्रतिपादित किया जा चुका है। *करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान* इसका प्रमुख लक्ष्य है। किसी कार्य को बार-बार करते रहने से कुशलता और दक्षता में वृद्धि होती है, इससे समय की बचत होती है और कार्य में निखार आता है।

प्रविधि

"सार लेखन कैसे करें" के अंतर्गत मूल अवतरण के सावधानीपूर्वक वाचन का उल्लेख विस्तार से किया जा चुका है। अवतरण को पढ़ते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि —

(क) किसके बारे में कहा जा रहा है, और

(ख) क्या कहा जा रहा है ?

वाचन के साथ-साथ पुनः वाचन का भी महत्त्व है। मुख्य अंशों का रेखांकन कर लेना उचित रहता है। रेखांकित अंशों को यदि क्रम से अन्यत्र लिख लिया जाए तो कोई हानि नहीं होती। लेखन के बाद भी दुबारा पढ़ लेना उचित है, जिससे अनावश्यक अंश काट दिया जाए।

लेखन कार्य करने से पूर्व अथवा बाद में उचित शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ आवश्यक सुझाव इस प्रकार हैं :

सार लिखते समय शीर्षक छाँटना आवश्यक है। लेखक का वर्ण्य विषय अथवा अभिव्यक्ति सिद्धांत ही शीर्षक होता है। चाहे शीर्षक का अंतिम निर्णय बाद में किया जाए पर समुचित शीर्षक ढूँढ़कर सफलतापूर्वक सार लिखने में आसानी होती है।

दो-तीन बार वाचन में शीर्षक स्पष्ट हो जाता है। अगर किसी एक शीर्षक में संदेह हो तो दो-तीन शीर्षक लिखकर अंतिम रूप से उस शीर्षक को स्वीकार कर लेना उचित होगा, केंद्रीय भाव जिसके निकटतम हो। जो शीर्षक सबसे ज्यादा जमे उसी का चयन कर लिख देना चाहिए। शीर्षक को कम-से-कम शब्दों में लिखा जाए। इस कार्य के लिए समास-पद्धति का उपयोग किया जाता है। शीर्षक एक शब्द का भी हो सकता है, एक पदबंध का भी हो सकता है। कभी-कभी कोई सूक्ति या वाक्य भी उपयुक्त शीर्षक बन जाता है।

कई बार शीर्षक अवतरण के आरंभ में ही रहता है। कुछ स्थितियों में अवतरण के अंत में मिलता है। संभव है कि यह अवतरण के मध्य में केंद्रीय भाव में हो। शीर्षक अवतरण के मूल भाव पर आश्रित होता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है।

शीर्षक के चयन से लेखक की बुद्धि की परख हो जाती है।

जैसा कहा जा चुका है कि शीर्षक को प्रारंभ में चुन लेने से सार लेखन में सुविधा रहती है और पल्लवन आसानी से हो जाता है। कुछ विद्वानों का विचार इससे विपरीत है। उनका कहना है कि सार लेख तैयार कर लेने के बाद अवतरण के मूलभाव की स्पष्ट अवधारणा मन में अंकित हो जाती है, अतएव सार्थक शीर्षक का चुनाव अंत में ही संगत है। ऐसी स्थिति में कोई कड़ा नियम नहीं है। जैसी सुविधा हो और जिससे केंद्रीय भाव को उजागर करने में सहायता मिले, अग्रसर होना चाहिए।

उपर्युक्त लक्ष्यों को यदि व्यवहार में लाया जाए तो अच्छे सार-लेखन को तैयार करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

अब कुछ उदाहरणों से सार लेखन प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं :

उदाहरण 1

निम्नलिखित अवतरण का शीर्षक देते हुए सारांश लिखिए –

मानव के लिए विचार अथवा अनुभव में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उदात्त है, वह इसका अथवा उसका नहीं है, जातिगत अथवा देशागत नहीं है, वह सबका है, सारे विश्व का है। समस्त ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता सारी मानवता की विरासत है। भले ही एक विचार का जन्म किसी अन्य देश में भिन्न भाषा-भाषी लोगों के द्वारा हुआ हो, वह हमारा भी है, सबका है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के भेद अक्षांश और देशांतर का भेद तथा जलवायु और भौगोलिक सीमा के भेद सर्वथा निराधार हैं। संप्रदाय, समुदाय और जाति के नाम पर आदर्शों, मूल्यों की प्रस्थापना करना संकीर्णता के वातावरण में मानवता का दम घोटना-सा है। जो कुछ भी उपलब्धि है, वह चाहे जिस भू-भाग की उपज हो, मानव की है, सभी की है, महापुरुष विरोधी नहीं होते हैं, एक-दूसरे के पूरक होते हैं। महापुरुषों में अपने देश की विशेषताएँ होती हैं। विवेकशील मनुष्य नम्रतापूर्वक महापुरुषों से शिक्षा ग्रहणकर अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है। समस्त मानवता उसके प्रति कृतज्ञ है। किंतु अब हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की इतिश्री नहीं होती है तथा किसी का शब्द अंतिम नहीं होता है। संसार एक खुली पाठशाला है, जीवन एक खुली पुस्तक है।

सदैव सीखते रहना चाहिए तथा सीखना ही आगे पढ़ने के लिए नए रास्ते खोलता है। विकास की क्रिया के मूल में मानव की पूर्ण बनने की अपनी प्रेरणा है। विकास के लिए समन्वय का भाव होना परम आवश्यक होता है। यदि हम विभिन्न विचारधाराओं एवं उनके जन्मदाता महापुरुषों का पूर्ण खंडन अथवा पूर्ण मंडन करें तो विकास पथ अवरुद्ध हो जाएगा। अतएव समन्वय की भावना से युक्त होकर सब ओर से सार वस्तुओं को ग्रहण करते हुए हम उनका लाभ उठा सकते हैं। किसी धर्म विशेष या मान्यता के खूँटे के साथ संकीर्ण भाव से बँधकर तथा परंपराओं और रूढ़ियों से जकड़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

मानव को मानव रूप में सम्मानित करके ही हम जातीयता, प्रांतीयता क्षुद्रराष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के भेद को तोड़ सकते हैं। आज मानव, मानव से दूर हटता जा रहा है। वह भूल चुका है कि देश, धर्म और जाति के भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव हैं और समान हैं तथा सभी की भावनाएँ और लक्ष्य एक ही हैं। आज धर्म, सत्ता, धन आदि का भेद होने से एक मानव दूसरे मानव को मानव ही नहीं मानता है। कभी-कभी स्वधर्मी विधर्मी को स्वदेशी विदेशी को अफसर चपरासी को धनी निर्धन को तथा विद्वान निरक्षर को इन्सान ही नहीं समझता है और भूल जाता है कि दूसरे को भी समान रूप से इच्छानुसार भूख और प्यास सताते हैं तथा उसे भी प्रेम और आदर चाहिए। वह भूल जाता है कि दूसरे में भी स्वाभिमान का पुट है, उसे भी विश्राम की आवश्यकता है और उसे भी अपने बच्चे प्रिय हैं अथवा वह भी अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहता है। सत्ताधारी मनुष्य दूसरों को कुचलकर सुख-सुविधाओं पर एकाधिकार कर लेना चाहता है। लेकिन एक आकाश के नीचे रहने वाले इन्सान तो सब एक हैं, भले ही कोई कुदाल लेकर श्रमिक का कार्य करता हो, कोई कलम लेकर दफ्तर का, किंतु लक्ष्य एक है – समाज का अभ्युदय। कार्य भेद होते हुए भी सब इन्सानी बिरादरी के एक से हकदार हैं। सब भाई- भाई ही तो हैं, सब अपने-अपने स्थान पर विशेष हैं। मानव का नाता ही श्रेष्ठ नाता है। नौकर कहकर पुकारना मानो मानव का अपमान है। "सहयोगी" "सहायक" अथवा सस्नेह उसके नाम से संबोधित करना मधुर है। अपराधी को जेल में डालने और फाँसी देने के स्थान पर सुधार शालाओं में रखना चाहिए। उसमें लुप्त मानवता को पुनः जगाना मानवोचित है। जेल और फाँसी का विधान मानवता का कलंक है। दंड पशु के लिए है, मानव के लिए नहीं। एक सीमा तक दंड भी आवश्यक होता है लेकिन दंड का आतंक समाज को पंगु बना देता है। हमें अपराध वृत्ति का दमन करके अपराधी को शिष्ट एवं सभ्य मानव बनाना चाहिए। किंतु यह आदर्श स्थिति है और धीरे-धीरे ही इसकी उपलब्धि संभव है। दया मानवता का सार

है। दया छोड़कर सत्य भी सत्य नहीं है। दया प्रेरित असत्य भी व्यावहारिक सत्य है। दया धर्म मानव धर्म है।

शब्द संख्या 585

शीर्षक : मानव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म

श्रेष्ठ विचार मानव मात्र की थाती है। धर्म, जाति, भाषा आदि विभेदों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रेष्ठ सर्वकालिक और सार्वदेशिक होता है। (24) श्रेष्ठ विचारों में सबके कल्याण की भावना होती (32) है। सभी महापुरुषों के विचार मानव कल्याण के निमित्त (40) ही होते हैं वे एक- दूसरे के विरोधी नहीं (48) पूरक होते हैं। सभी श्रेष्ठ विचारधाराओं से सारतत्व (56) ग्रहण कर मानव अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय (68) बना सकता है और प्रगति के पथ पर (72) आगे बढ़ सकता है। विवेकशील मनुष्य समन्वयकारी दृष्टिकोण (80) अपनाकर सर्वजन हिताय की बात सोचता है। मानव (88) आज मानवीय गुणों से दूर होता जा रहा है (96) वह विचारों की संकीर्णताओं में उलझ गया (104) है। वह भूल रहा है कि मानव धर्म ही (112) सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव (120) हर बात को अपने मनोनुकूल देखना चाहता है। (128) अन्य लोगों को उससे क्या असुविधाएँ कष्ट होते (136) हैं, इसकी उन्हें लेशमात्र चिंता नहीं होती। अपने धन (144) के बल से असमर्थ इंसानों के श्रम को (152) खरीदा जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार (160) करके, मानव धर्म को ताक पर रखा जाता है (168) मानवधर्म तो कहता है कि अपराधियों के साथ (176) भी दयायुक्त और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए (184) इससे जिनकी अपराधी भी प्रवृत्ति रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख होगी। (194)

उदाहरण 2

निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक लिखकर एक तिहाई में सारांश लिखिए –

आधुनिक शिक्षाप्राप्त स्त्रियाँ अच्छी गृहिणियाँ नहीं बन सकतीं, यह प्रचलित धारणा पुरुष के दृष्टि-बिंदु से देखकर ही बनाई गई है, स्त्री की कठिनाई को ध्यान में रखकर नहीं। एक ही प्रकार के वातावरण में पले और शिक्षा पाए हुए पति-पत्नी के जीवन तथा परिस्थितियों की यदि हम तुलना करें तो संभव है, आधुनिक शिक्षित स्त्री के प्रति कुछ सहानुभूति अनुभव कर सकें। विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता और न उसकी परिस्थितियों में ही कोई अंतर आता है, परंतु इसके विपरीत स्त्री के लिए विवाह मानो एक परिचित संसार को छोड़कर नवीन संसार में जाना है, उसका जीवन नवीन होगा। पुरुष के मित्र उसकी

शीर्षक : मानव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म

श्रेष्ठ	विचार	मानवमात्र	की	थाती	है।	धर्म	जाति	भाषा	आदि	१०
विभेदों	का	उन	पर	कोई	प्रभाव	नहीं	पड़ता।	श्रेष्ठ	सार्वकालिक	२०
और	सार्वदेशिक	होता	है।	श्रेष्ठ	विचारों	में	सबके	कल्याण	की	३०
भावना	होती	है।	सभी	महापुरुषों	के	विचार	मानव कल्याण	के	निमित्र	४०
ही	होते	हैं।	वे	एकदूसरे	के	विरोधी	नहीं,	पूरक	होते	५०
हैं	सभी	श्रेष्ठ	विचार धाराओं	से	सारतत्व	ग्रहणकर	मानव	अपने	जीवन	६०
को	आनंदमय	और	सुखमय	बना	सकता	है	और	प्रगति	के	७०
पथ	पर	आगे	बढ़	सकता	है।	विवेकशील	मनुष्य	समन्य कारी	दृष्टिकोण	८०
को	अपनाकर	सर्वजन हिताए	की	बात	सोचता	है।	मानव	आज	मानवीय	९०
गुणों	से	दूर	होता	जा	रहा	है।	वह	विचारों	की	१००
संकीर्ण ताओं	में	उलझ	गया	है।	वह	भूल	रहा	है	कि	११०
मानवधर्म	ही	सर्वश्रेष्ठ	धर्म	है।	स्वार्थ	के	वशीभूत	होकर	मानव	१२०
हर	बात	को	अपने	मनोनुकूल	देखना	चाहता	है।	अन्य	लोगों	१३०
को	उससे	क्या	असुविधायें	कष्ट	होते	है	इसकी	लेशमात्र	चिन्ता	१४०
नहीं	होती	अपने	धन	के	बल	से	असमर्थ	इंसानों	के	१५०
श्रम	को	खरीदा	जाता	है,	और	उनके	साथ	अमानवीय	व्यवहार	१६०
करके	मानवधर्म	को	ताक	पर	रखा	जाता	है।	मानवधर्म	तो	१७०
कहता	है	कि	अपराधियों	के	साथ	भी	दयायुक्त	और	सहानुभूति पूर्ण	१८०
व्यवहार	किया	जाना	चाहिए	जिससे	उनकी	अपराधी	प्रवृति	रचनात्मक	कार्यों	१९०
की	ओर	उन्मुख	होगी।							१९४

जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते हैं और वह अनुदार न होने पर भी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख पाता ! साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों से स्त्री को अवकाश रहता है, संयुक्त कुटुंब न होने से बड़े परिवार की उलझनें भी नहीं घेरे रहतीं। उसके लिए पुरुष मित्र वर्ज्य हैं और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षित स्त्रियाँ मिलती हैं। अतः एक विचित्र अभाव का बोध उसे होने लगता है। कभी-कभी पति के आने-जाने जैसी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त भी हो उठती है। अच्छी गृहणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, परंतु यह छोटा-सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं भर पाता।

शीर्षक — शिक्षित नारी की कठिनाइयाँ

सारांश — आधुनिक भारतीय शिक्षित नारी को अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के पश्चात् परिवर्तित उसकी मनः स्थिति तथा परिस्थिति की कठिनाइयों को नहीं देखा जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का भी ध्यान रखें तो वह अच्छी गृहणी सिद्ध हो सकती है।

उदाहरण 3

लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फँस रहे हैं। संप्रदाय बाह्य कृत्यों पर जोर देते हैं। वे चिह्नों को अपनाकर धर्म के सार तत्व को मसल देते हैं। धर्म मनुष्य को अंतर्मुखी बनाता है, उसके हृदय के किवाड़ों को खोलता है, उसकी आत्मा को विशाल, मन को उदार तथा चरित्र को उन्नत बनाता है। संप्रदाय संकीर्णता सिखाते हैं, जात-पाँत, रूप-रंग तथा ऊँच-नीच के भेदभावों से ऊपर नहीं उठने देते।

शीर्षक — धर्म और संप्रदाय

सारांश — धर्म अंतर्मुखी होता है अर्थात् धर्म मनुष्य की आत्मा को विशाल, पवित्र, मन को उदार, करुणापूर्ण तथा चरित्र को उन्नत बनाता है। संप्रदाय बहिर्मुखी होता है अर्थात् संप्रदाय का दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। वह मानवजाति को जात-पाँत, ऊँच-नीच में बाँटता है।

प्रश्न और अभ्यास

निम्नलिखित अवतरणों के शीर्षक देते हुए इनके सारांश लिखिए :

1. साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध्य है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिचित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम नहीं लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है, जिनसे वह इधर-उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न, द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे-पूरे परिवार में, किसी को लंबे-चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद, इस आनंद से ऊँचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना, साहित्य का उद्देश्य है, ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप् भी हो सकता है पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है, वह अखंड है, अमर है।

2. प्रत्येक देश में सामाजिक अथवा राजनीतिक क्रांति होने से पहले एक अन्य अवस्था आया करती है। वह अवस्था, जिसमें पुरानी बातों में साधारण से उलट फेर करके जन-साधारण को किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया जाता है। जनता जो अभी तक अनेक प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक कष्टों से छटपटा रही होती है नए-निराले प्रलोभन पाकर कुछ काल के लिए शांत हो जाती है – आंदोलन करना बंद कर देती है। अधिकारियों को इससे बड़ा सहारा मिल जाता है। वे अपने शिकंजे और भी मजबूत करके समय आने पर भारी से भारी विरोध का भी सामना करने योग्य हो जाते हैं। इन्हीं साधारण अधिकारों को ज़ो मचलते हुए जन-समुदाय को बहलाने के लिए केवल ढकोसला मात्र होते हैं, आजकल की भाषा में सुधार कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सुधारों से जन-साधारण का कोई स्थायी हित-साधन नहीं होता, वरन् इनके द्वारा देश एक अनोखे भँवर-जाल में फँस कर चिर-संचालित आंदोलन को भी ढीला कर बैठता है।

3. आज हमारे सामने वर्तमान युग की ऐसी उलझन भरी, दुस्साध्य और भयानक समस्या उपस्थित है, जिससे बचा नहीं जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या हम सदा के लिए युद्ध बंद करने की घोषणा कर सकते हैं या इसके विपरीत हम मनुष्य जाति को समूल नष्ट करना चाहते हैं ? यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, तो हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत् प्रगति हो सकती है। क्या इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को हम इसलिए चाहते हैं, क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते ? हम आप से मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल अपनी मानवता को याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही नए और महान भविष्य के लिए रास्ता खुला है किंतु यदि आप को यह मंजूर नहीं है, तो आपके सामने मानव मात्र की मृत्यु का संकट उपस्थित है।

4. आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊँचा स्थान है। समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन गए हैं। जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं वे बड़ी-बड़ी सेनाएँ और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक ओर तो जनता का मत सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं, दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संपुष्ट लोकमत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार से जाग्रत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है, उतनी शायद किसी और चीज़ से नहीं इसलिए आजकल समाचारपत्रों का बहुत महत्व है।

5. शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ ? सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है, जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव व सुख-साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बनाते जबकि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार व उत्तरदायित्व भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का।

6. लेखक का काम बहुत-सी बातों में मधु- मक्खियों से मिलता है। मधु-मक्खियाँ मकरंद-संग्रह के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहें तो आपको यही वृत्ति ग्रहण करनी होगी। अच्छे-अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए और उनकी बातों पर मनन कीजिए। फिर आपकी रचनाओं में भी मधु का-सा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो पर यदि यथेष्ट मनन कर आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका हो जाएगा। मननपूर्ण लिखी हुई सामग्री के संबंध में शीघ्र किसी को यह कहने का साहस ही न होगा कि यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप भली भाँति आत्मसात् कर लेंगे वह फिर आपकी हो जाएगी।

7. जिंदगी से, अंत में हम उतना ही पाते हैं, जितनी कि उसमें पूँजी लगाते हैं। यह पूँजी लगाना जिन्दगी के संकटों का सामना करना है उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है, जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधको ! अगर किनारे की भरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए, तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौत्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा।

2. पत्र लेखन

लेखन की अन्य विधाओं से पत्र इस बात में भिन्न है कि वह किसी-न-किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित रहता है। पत्र में लिखने का स्थान और तिथि आदि का आरंभ में ही उल्लेख रहता है। लिखने वाले का नाम-पता भी रहता है। संबोधन द्वारा इस बात का भी पता लग जाता है कि पत्र-लेखक और संबोधित व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। निजी और पारिवारिक, व्यावसायिक आदि सभी प्रकार के पत्रों में उपर्युक्त बातें रहती हैं।

पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन, समापन की तालिका

	संबोधन	अभिवादन	समापन
बड़ों को	श्रद्धेय, माननीय, मान्यवर, परमपूज्य पूजनीय, पूज्या, पूज्यवर, आदरणीय	चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार, सादर नमस्कार	आज्ञाकारी, भवदीय, विनीत, आपका कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन
मित्र को	मित्रवर, सुहृदवर प्रिय, प्रियबंधु बंधुवर, बहन	सप्रेम नमस्कार नमस्ते	भवदीय, आपका तुम्हारा हितैषी
बराबर वालों को	प्रिय भाई, प्रिय, प्रियबंधु बंधुवर, बहन	नमस्कार, नमस्ते	उत्तराभिलाषी, तुम्हारा, आपका
छोटों को	प्रिय... आयुष्मान्, चिरंजीव	चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद	शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छु शुभचिंतक
पत्नी को	प्रिय..., प्रिये	सस्नेह, नमस्ते	तुम्हारा
पति को	प्रियवर, प्रियतम	नमस्ते, प्रणाम	तुम्हारी, आपकी
अपरिचितों को	महोदय, महोदया प्रिय महाशय	नमस्ते	भवदीय

विभिन्न पत्रों के नमूने

पारिवारिक पत्र

पिता को पत्र

के० वि० क्र० वायु सेना
लोहगाँव पुणे – 32
छात्रावास
कमरा नं० 40
दिनांक 28.4.90

पूज्य पिताजी,

सादर चरण स्पर्श ।

आपका पत्र मिला । घर का समाचार ज्ञात हुआ । आप दीवाली की छुट्टियों में घर आ रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई ।

मेरा विद्यालय भी दीवाली में दो दिन के लिए बंद रहेगा । आशा है मैं भी घर पहुँच जाऊँगा ।

आपके भेजे हुए रुपए मिल गए । मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ ।

शेष कुशल है ।

आपका आज्ञाकारी पुत्र
आशीष

छोटे भाई को

पो० भरकुण्डा
जिला हज़ारी बाग
बिहार – 829135

प्रिय सुशील,

शुभाशीष,

यहाँ सब कुशल हैं, आशा है कि तुम भी पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तुम्हारा पत्र समय से मिल गया था। इस वर्ष रबी की फसल बहुत अच्छी थी, किन्तु तीन-चार दिन से मौसम काफी खराब है। प्रतिदिन वर्षा हो रही है। ओले भी पड़े हैं। कुछ खेतों में तो पानी लग जाने के कारण चने की खेती बरबाद हो गई है। गेहूँ की कटाई अभी नहीं हुई थी, नहीं तो गेहूँ भी खलिहान में सड़ जाता।

नुकसान कम ही हुआ है। आज बादल छट गए हैं, दिल हल्का हुआ है, तभी तो पत्र लिख रहा हूँ।

तुम्हारी परीक्षा कब से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा की तैयारी ठीक से करना। अच्छे अंकों से पास होने पर ही आगे की कक्षाओं में प्रवेश मिल सकेगा।

यहाँ सब लोग आनंद से हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं।

तुम्हारा स्नेही,
विनोद

निमंत्रण-पत्र

मान्यवर,

मेरी पौत्री आयुष्मती पूजा (सुपुत्री श्री दीनानाथ) का शुभ विवाह गोरखपुर निवासी श्री अमरेन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र चि० महेन्द्र के साथ होना निश्चित हुआ है।

आपसे सानुनय निवेदन है कि शुक्रवार 8 फरवरी, 1991 को सायँ 7 बजे मेरे निवास-स्थान 173, अलकनंदा, नीलगिरि, नई दिल्ली – 19 पर सपरिवार पधारकर बारात का स्वागत करें और वर-कन्या को आशीर्वाद देने की कृपा करें।

कार्य विवरण –

शुक्रवार दिनांक 8 फरवरी 1991

स्वागत बारात सायं 7 बजे

शनिवार, दिनांक 9 फरवरी 1991

विदाई सायं 4 बजे

173 अलकनंदा नीलगिरि

नई दिल्ली – 19

दर्शनाभिलाषी

महेन्द्र

मनोज

शिवकुमार

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी- - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- -

आवेदन-पत्र

आवेदन-पत्र प्रायः विज्ञापन के अनुसार किसी पद पर नियुक्ति के लिए लिखा जाता है। सामान्यतः इसके लिए निर्धारित प्रपत्र होता है। सेवा-आयोग या बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसे मुद्रित कराकर निःशुल्क या कुछ शुल्क लेकर आवेदकों को भेज देते हैं। आवेदक इस प्रपत्र को भरकर सेवा नियोजक को भेजते हैं।

निर्धारित प्रपत्रों में माँगी गई जानकारियों को बड़ी सावधानी से भरना चाहिए। यदि आवेदक कोई अतिरिक्त जानकारी देना उपयोगी समझता है, तो उसे वह अलग कागज पर लिखकर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर सकता है। अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के नीचे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। आवेदन-पत्र उपयुक्त अधिकारी को ही भेजना चाहिए। लिफाफे के ऊपर ठीक पते के साथ निर्देशानुसार संकेत-शब्द भी लिखना चाहिए।

यदि आवेदन-पत्र का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है, उस दशा में भी नाम, पिता का नाम, जन्म-तिथि, पता आदि शीर्षकों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देना उपयोगी होगा। आवेदक और सेवा नियोजक दोनों को इससे सुविधा होती है। "आजन्म आभारी रहूँगा" "ईश्वर से आपके चिरायु होने की मंगल कामना करूँगा", आदि व्यर्थ शब्दावली आवेदन-पत्र में लिखना वांछनीय नहीं है।

आवेदन-पत्र का प्रारूप

पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है – निम्न श्रेणी लिपिक (हिन्दी)

1. नाम : महेशचंद्र
2. पिता का नाम और व्यवसाय : दिनेशचंद्र ... (नौकरी)
3. जन्म-तिथि (अंकों में) : 19. 12.1970
(शब्दों में) : उन्नीस दिसंबर उन्नीस सौ सत्तर
4. वर्तमान पता : 44, विजय ब्लाक, लक्ष्मी नगर
दिल्ली – 110 092
5. स्थायी पता : 44, विजय ब्लाक, लक्ष्मी नगर
दिल्ली – 110 092
6. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के हैं ? : नहीं
7. यदि हाँ, तो जाति का नाम लिखिए : ×
8. क्या आप भारतीय नागरिक हैं ? : हाँ
9. यदि नहीं तो अपनी नागरिकता लिखिए : ×
10. आर्हताएँ :

हाईस्कूल	प्रथम	1984	यू. पी. बोर्ड	हिंदी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी
इण्टरमीडिएट	द्वितीय	1986	यू. पी. बोर्ड	हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र
टंकण डिप्लोमा		1987	आई.टी.आई., नई दिल्ली	हिंदी टंकण

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदित पद के लिए निर्धारित आर्हताएँ मुझमें हैं। जो सूचनाएं इस आवेदन- पत्र में मैंने दी हैं वे सही हैं।

11. पोस्टल आर्डर संलग्न की संख्या – 05921
12. संलग्नकों की संख्या : 2

13. आवेदक के हस्ताक्षर
(महेशचंद्र)
दिनांक 16.5.91

व्यावसायिक पत्र

व्यावसायिक पत्रों की शैली प्रायः व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न होती है। इन पत्रों का प्रयोग विभिन्न व्यावसायिक कार्यों जैसे —सामान मँगाना, सामान भेजना, किसी वस्तु का मूल्य जानना, माल मिलने की सूचना देना, मँगाई गई वस्तु के पार्सल में गड़बड़ी की सूचना देना आदि के लिए किया जाता है।

व्यावसायिक पत्रों के नमूने

दिनांक 1.5.91

सेवा में,

व्यापार प्रबंधक
नेशनल बुक ट्रस्ट
5 ए, ग्रीन पार्क
नई दिल्ली – 110 016

महोदय,

निम्नलिखित पुस्तकों की एक-एक प्रति मेरे नाम से वी. पी. पी. द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजने की कृपा करें :

1. रक्त की कहानी – डा. यतीश अग्रवाल
2. प्रेमचंद – अमृतराय
3. गौतम बुद्ध – लीला जार्ज
4. क्रिकेट – विजय मर्चेंट
5. सिस्टर निवेदिता – वसुधा चक्रवर्ती

भवदीया
सपना

सपना दुबे
के० वि० क्र० 9
वायु सेना स्टेशन
लोहगाँव, पुणे (महाराष्ट्र)

अर्द्ध-सरकारी पत्र

फा० सं० 7 – 3/सा० वि० मा० शि० वि० /91
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली – 110 016

प्रो. अर्जुन देव
विभागाध्यक्ष

18 जनवरी, 1991

प्रिय डा० दुबे,

जैसाकि आप जानते हैं परिषद् विद्यालयी स्तर पर शिक्षा की समन्वित उन्नति के लिए अनेक प्रकार के कार्य पिछले ढ़ाई दशकों से कर रही है, जिनमें सभी विषयों के अधुनातन पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण भी सम्मिलित है। संप्रति परिषद् ने कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों और छात्रों के लिए विद्यार्थी हिंदी साहित्य कोश के निर्माण के लिए लगभग डेढ़ हज़ार प्रविष्टियाँ निर्धारित कर ली हैं।

विगत कई वर्षों से विद्यार्थी हिंदी साहित्य कोश निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। विशिष्ट समिति ने प्रत्येक प्रविष्टि के लिए शब्द-सीमा का भी निर्धारण किया है। परिषद् का उद्देश्य है कि इस कोश में सम्मिलित की गई प्रविष्टियों की सामग्री अधुनातन और प्रामाणिक हो और जिसका विवेचन उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त भाषा में किया गया हो।

इस संदर्भ में निवेदन है कि लगभग 200 प्रविष्टियों के लेखन/संपादन हेतु एक कार्यगोष्ठी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 11 फरवरी से 16 फरवरी 1991 तक आयोजित की जा रही है। आपसे निवेदन है कि आप लेखक/विषय विशेषज्ञ के रूप में इस कार्यगोष्ठी में भाग लेने की कृपा करें। आपके आवास एवं भोजन की व्यवस्था कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबंधित गैस्ट हाउस में की गई है। इस संबंध में कृपया आप डा० शंभुनाथ, अध्यक्ष हिंदी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संपर्क करें। उनके आवास का पता इस प्रकार है – डॉ० शंभुनाथ, 389, जी० टी० रोड, हावड़ा – 6

गोष्ठी में भाग लेने के लिए आपको मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता परिषद् के नियमानुसार देय होगा। गोष्ठी पहले दिन 10 बजे प्रातः कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में

आयोजित की जाएगी।

आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं।

भवदीय,

साभिवादन,

(अर्जुन देव)

डा० महेन्द्र नाथ दुबे
5– गोपाल कुंज
बाग मुजफ्फर खाँ
आगरा – 282002

सिरसा की दुर्दशा के संबंध में संपादक को पत्र

सेवा में,
संपादक
जनसत्ता
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 001

प्रिय महोदय,

मैं आपके लोकप्रिय पत्र द्वारा सिरसा ज़िले की दुर्दशा के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। बरसात के दिनों में सड़कों पर कीचड़, जगह-जगह गंदगी के ढेर, बाज़ारों में आवारा घूमते पशु, टूटी-फूटी सड़कें सिरसा निवासियों का ध्यान उसी तरह आकर्षित करती हैं, जिस तरह किसी मनोरम घाटी में हरी-भरी वादियाँ। सरकार ने इसे ज़िले का दर्जा दे तो रखा है, लेकिन यहाँ के लोगों को सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं हुआ। प्रशासन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं रह गई है।

यहाँ के अस्पताल में आधुनिक उपकरणों व दवाइयों के अभाव के कारण गरीब मरीजों को इस अस्पताल से कोई लाभ नहीं है। लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए आने वाली दवाइयाँ गायब कर दी जाती हैं। गरीब आदमी भी सरकारी अस्पताल जाने से कतराता है, क्योंकि वहाँ उसकी कोई सुनने वाला तो होता नहीं, जिससे शहर में प्राइवेट डाक्टरों की चाँदी हो रही है। शहर में मनोरंजन के लिए एक भी अच्छा पार्क नहीं है। हर पार्क में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जगह-जगह पशु घास चरते दिखाई देंगे। क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा ?

भवदीय
सुरेश वधवा "सत्री"

695 – तेलियां वाली गली
सिरसा (हरियाणा)
24 मई 1991

***नोट* : जनसत्ता से साभार**

प्रपत्र

दैनिक जीवन में विविध कार्यों के लिए प्रायः अनेक प्रकार के प्रपत्रों को भरना पड़ता है। जैसे — रेलवे आरक्षण के लिए आरक्षण प्रपत्र, रुपया भेजने के लिए मनीआर्डर प्रपत्र, तार के लिए तार प्रपत्र, बैंक एवं डाकघर से रुपया निकलवाने के लिए अन्य निर्धारित प्रपत्र।

यहाँ कुछ प्रपत्रों को नमूने के रूप में भर कर दिया जा रहा है।

रेलवे आरक्षण के लिए प्रपत्र

उ. रे.

सी. एम. 257 (संशोधित) (ह.)

आरक्षण/खारिज/वापसी/आगे की यात्रा हेतु अनुरोध पत्र

जिस स्टेशन से	नई दिल्ली	जिस स्थान को	देहरादून
यात्रा की तिथि	12.5.91	ट्रेन नं.	2371
श्रेणी	प्रथम	बर्थ/सीट	एक

क्रम सं.	नाम	स्त्री/पु.	आयु	कर्मचारी द्वारा भरा जायेगा
1.	कान्ता प्रसाद	पु.	28	टिकट नं. 731003
2.				कोच नं. एफ. 2
3.				बर्थ नं. 17
4.				प्रतीक्षा सूची नं.
5.				ह. ई. आर. सी....
6.				

आवेदक का नाम : कान्ता प्रसाद

आवेदक के हस्ताक्षर : कां. प्रसाद

तारीख 22.12.90

विशेष अनुरोध

1. कूपा/केबिन
2. धूम्रपान निषेधयान : हाँ

पूरा पता सी० 22/5, मॉडल टाउन, दिल्ली 110 009

दूरभाष 7126844 समय 2.30 दिन

मनीआर्डर द्वारा पैसा भेजना

मनीआर्डर फार्म

सेवा में,
पोस्टमास्टर

उप डाकघर
प्रधान डाकघर
जिला

भारतीय मनीआर्डर
रु. अदा करें – एक सौ रुपए मात्र   रु. 100/-

सेवा में,
श्री सुभाषचन्द्र
ग्राम – पीपरा कला
पो. ओ. रतसर
जिला – बलिया (उ.प्र.)
दिनांक 18.2.83

ह. (रामसिंह)
भेजने वाले के हस्ताक्षर

भारतीय डाक तार   प्रेषक डाकघर की मोहर

पावती
भेजने वाले का नाम व पूरा पता –
राम सिंह
3/10, मदनगीर
नई दिल्ली

रु. 100 पै. 00

संदेश के लिए स्थान
आदरणीय भाई साहब,
सादर प्रणाम।
आपका पत्र मिला। एक सौ रुपया भेज रहा हूँ। मिलते ही पत्र दीजिएगा।
आपका
रामसिंह

जमाकर्ता का नाम

सावधानी : यह बचत बैंक निकासी आदेश फार्म। चैक नहीं है। इस फार्म के साथ पास-बुक रहना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान प्राप्त नहीं होगा।

प्रेषिती भारतीय स्टेट बैंक

एन·सी·ई·आर·टी, नई दिल्ली

बचत बैंक दिनांक 1.7.91.

कृपया स्वयं या धारक को,

रुपए दो हजार मात्र ____________________ दीजिए। | रु. 2000/- |

तथा राशि को मेरे/हमारे बचत बैंक खाता क्र. 2918 के नाम डालिए।

नकद भुगताम

कृ०मो०

जमाकर्ता

शाखा प्रबंधक (कृष्ण मोहन)

बचत खाता जमा पर्ची — रोकड़/अंतरण

भारतीय स्टेट बैंक

लोहगाँव पुणे शाखा — खाता क्र. 5620

दिनांक 30.4.91

डॉ. (श्रीमती) आशा दुबे के बचत खाते में जमा करने के लिए

रोकड़/चैकों का विवरण	राशि रु.	पै.
56021	2500	00
	2500	00

रु. शब्दों में दो हजार पाँच सौ मात्र

रोकड़िया — रोकड़ अधिकारी — पासकर्ता अधिकारी

टिप्पणी : अंतरण लिखतों को वसूली के बाद ज़मा किया जायेगा।

टिप्पणी : कृपया नकद, बैंक पर आहरित लिखतों, और अन्य स्थानों के लिखतों के लिए अलग पर्चियों का प्रयोग करें।

रोकड़/अंतरण

बचत खाता जमा पर्ची — भारतीय स्टेट बैंक

लोहगांव पुणे शाखा — दिनांक 30.4.91

डॉ. (श्रीमती) आशा दुबे के बचत खाते में जमा करने के लिए

खाता बही	खाता क्र.
	5620

अदाकर्ता बैंक	शाखा	चैक क्र.	रोकड़ नोट	राशि रु.	पै.
सारस्वत बैंक	सोमवार पेठ, पुणे	56021	× 500	2500	00
			20 × 100		
			10 × 50		
			× 20		
			× 10		
			× 5		
			× 2		
			× 1		

रु. शब्दों में दो हजार पाँच सौ मात्र — सिक्के

रोकड़िया/अंतरण सारणी क्र. — रोकड़िया — रोकड़िया अधिकारी पासकर्ता अधिकारी — सूची बही क्र. — जमाकर्ता के हस्ताक्षर आशा दुबे 30/4/91

टिप्पणी : अंतरण लिखतों की वसूली के बाद जमा किया जायेगा।

भारतीय डाक तार विभाग

अन्तर्देशीय तार

सेवा में, निर्देश जैसे जवाबी सरकारी बधाई	प्रभार भारतीय तार अधिनियम और नियमों के अधीन पारेषण के लिए इस तार का पारेषण	भेजने के ब्योरे तारीख .... प्रस्तुत तार सेवा भंग होने से मोहर

श्रेणी	समय सं.	मुख्य तार घर	तारीख	सेवा अनुदेश शब्द

सेवा में,

श्री महेशानन्द
389, जी.टी.रोड
हावड़ा

वर वधू को आशीर्वाद

विनोदकुमार

भेजने वाले के हस्ताक्षर
नाम – विनोद कुमार
पता – पी. 10, साउथ एक्सटेंशन
नई दिल्ली।

ह. विनोद कुमार

तार के कुछ नमूने

1. दीपावली की शुभ कामनाएँ।
2. नव वर्ष शुभ हो।
3. पुत्री जन्म पर हार्दिक बधाई।
4. परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई।
5. आपकी यात्रा आनंदमय और सकुशल हो।

3. टिप्पणी

किसी सुने गए अथवा पढ़े गए संभाषण, वार्तालाप, पत्र, लेख, कविता ग्रंथ आदि, देखे गए दृश्य तथा घटना पर अपना मत मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करना ही टिप्पणी कही जाती है। आकार की दृष्टि से टिप्पणी की यद्यपि कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, किंतु संक्षिप्त, साथ ही सारगर्भित टिप्पणी ही अच्छी समझी जाती है जो एक शब्द से लेकर चार-पाँच वाक्यों तक की हो सकती है। मोटे तौर पर टिप्पणियाँ तीन प्रकार की हो सकती हैं –

1. **कार्यालयी टिप्पणी** : इस प्रकार की टिप्पणी कार्यालय में प्राप्त होने वाले दैनंदिन पत्रों, शासनादेशों अथवा किसी कार्यवाही के विवरणों पर कार्यालय से संबंधित लिपिकों द्वारा तैयार की जाती है। अधिकारी-वर्ग निर्णय लेते समय प्रायः इन टिप्पणियों को आधार बनाते हैं।
2. **संपादकीय टिप्पणी** : समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी कानून, निर्णय, आंदोलन अथवा घटनादि पर की गई टिप्पणी, संपादकीय टिप्पणी कहलाती है।
3. **सामान्य टिप्पणी** : जनसाधारण द्वारा की गई टिप्पणी सामान्य टिप्पणी कही जा सकती है।

टिप्पणी व्यक्ति की आजीविका, जन-मत तथा अन्य जीवन-गत व्यवहारों को बड़ी दूर तक प्रभावित करती है। अतः टिप्पणीकर्ता को निष्पक्ष तथा सूझ-बूझ वाला होना चाहिए।

उदाहरण

यहाँ एक कार्यालयी टिप्पणी का उदाहरण दिया जा रहा है। कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त है, जो इस प्रकार है :

सेवा में,
प्राचार्य
मेरठ कालेज,
मेरठ

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मुझे कानपुर वि. वि. द्वारा 5 अप्रैल 91 से 20 अप्रैल 91 तक एक कार्यगोष्ठी में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। कार्य राष्ट्रीय महत्त्व का है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस गोष्ठी में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें

और इन दिनों का कार्यावकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

साभिवादन,

प्रार्थी

31 मार्च 1991 (अंकुर)

प्रवक्ता, हिंदी विभाग

इस प्रार्थना-पत्र पर कार्यालय-प्रभारी की टिप्पणी इस प्रकार हो सकती हैं : इन दिनों कालेज में परीक्षाओं की तैयारी का अवकाश होगा। विभागाध्यक्ष ने भी प्रार्थना-पत्र को अग्रसारित किया है।

– शेखर, कार्यालय प्रभारी

टिप्पणी सहायक स्तर (i)

एक अवर श्रेणी लिपिक के खिलाफ कार्यालय अनुशासन का पालन न करने की शिकायत के संबंध में –

पूर्व पृष्ठ से –

श्री राजेन्द्र कुमार, अवर श्रेणी लिपिक के विरुद्ध उसके अनुभाग अधिकारी ने शिकायत की है कि वे बिना अनुमति लिए, समय से पहले कार्यालय से चले जाते हैं। पिछले माह वे बिना छुट्टी मंजूर कराए एक सप्ताह तक कार्यालय से अनुपस्थित रहे।

इससे पहले श्री राजेन्द्र कुमार ई –3 में काम करते थे। वहाँ के अधिकारी भी उनसे बहुत परेशान थे। वे अपने अधिकारियों के साथ अवज्ञाकारी का आचरण करते थे। उन्हें तब ऐसा न करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी।

इस प्रकार की शिकायत से ज्ञात होता है कि श्री राजेन्द्र कुमार के आचार, कार्यकलाप एवं व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनका बिना अनुमति के कार्यालय से चले जाना तथा बिना सूचना या आवेदन-पत्र दिए कई-कई दिन तक कार्यालय से अनुपस्थित रहना कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध है।

मेरा सुझाव है कि श्री राजेन्द्र कुमार से इस संबंध में स्पष्टीकरण माँगा जाए। ज्ञापन का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

(बी. मिन्ज़)

अवर सचिव

अनुभाग अधिकारी

टिप्पणी : अधिकारी स्तर

कार्यहित में छुट्टी न दिए जाने की सिफारिश करते हुए अनुभाग अधिकारी की ओर से टिप्पणी –

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
(नीति अनुभाग)

इस अनुभाग के दो सहायकों, श्री रामसिंह और मनोज सक्सेना ने निम्नलिखित प्रकार से एक-एक महीने के लिए अर्जित छुट्टी मांगी है :

सहायक का नाम	छुट्टी की अवधि	छुट्टी माँगने का कारण
श्री रामसिंह	1.6.91 से 30.6.91	मकान बनवाने के लिए
श्री मनोज सक्सेना	4.6.91 से 3.7.91	परीक्षा की तैयारी के लिए

इस संबंध में यह विचारणीय है कि इस अनुभाग के एक सहायक श्री पृथ्वीसिंह पहले से ही दो महीने की छुट्टी पर हैं, जिसकी अवधि 10.6.91 को समाप्त होगी। उनके स्थान पर कोई एवज़ी नहीं दिया गया इसलिए उनका कार्यभार अनुभाग के वर्तमान सदस्यों (कखग) से लिया जा रहा है। दो दिन बाद स्थापना समिति की बैठक होने वाली है, जिससे अनुभाग के कार्यभार में वृद्धि होने की संभावना है। इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि जब श्री पृथ्वीसिंह छुट्टी पर गए थे, तब प्रशासन –2 अनुभाग ने आश्वासन दिया था कि वे उनके स्थान पर एवज़ी देंगे। ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं किया जबकि श्री पृथ्वी सिंह की छुट्टी का अधिकांश भाग समाप्त हो चुका है।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सर्वश्री सिंह और सक्सेना को मकान बनवाने की तथा परीक्षा देने की अनुमति देते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें मकान बनवाने के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी देने के प्रश्न पर विचार अनुभाग में कार्य की स्थिति को देखते हुए ही किया जाएगा।

उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, श्री सिंह और श्री सक्सेना को कार्यहित में छुट्टी देना संभव न होगा। अवर सचिव, (नीति) आदेश के लिए देखें।

नीति
अवर सचिव,

(रघुबीर किशोर)
अनुभाग अधिकारी

4. कार्यवृत्त

किसी भी सभा, गोष्ठी, संस्था अथवा विभाग आदि की कार्यवाही के विवरण का लिपिबद्ध रूप कार्यवृत्त है। कार्यवाही एक घंटे, दिन, सप्ताह, मास वर्ष आदि की हो सकती है। बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें संक्षेप में, स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। यह भी लिखा जाता है कि बैठक की अध्यक्षता किसने की और कौन- कौन सदस्य उपस्थित थे। यदि वह किसी स्थायी संस्था की बैठक का कार्यवृत्त है तो पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि का उल्लेख भी आरंभ में किया जाता है।

विद्यालय में 20 मार्च, 1991 को संपन्न हुई "संगम समिति" का कार्यवृत्त

विद्यालय "संगम" की एक साधारण बैठक सायं 4 बजे श्री रमेश की अध्यक्षता में अंबेडकर कक्ष में हुई। बैठक का संचालन श्री रवि ने किया। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे –

1. श्री रमेश (अध्यक्ष)
2. श्री रवि (मंत्री)
3. कु. शैलजा (सदस्या)
4. श्री विजेन्द्र (सदस्य)
5. कु. सीमा (सदस्या)
6. श्री रूपराम (सदस्य)
7. मौ. फारूख (सदस्य)
8. श्री विश्वनाथन् (सदस्य)

सर्वप्रथम मंत्री महोदय ने विगत बैठक का विवरण पढ़कर सुनाया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया –

1. मई मास में "संगम" द्वारा एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाए। कवि-गोष्ठी में केवल नव अंकुरित कवियों को ही निमंत्रित किया जाए। "संगम" के मंत्री ही इसके संयोजक हों और व्यवस्था के लिए वे एक दो सदस्य अपने साथ ले लें।
2. अगस्त मास में "संगम" के सदस्यों की रचनाओं का एक संकलन प्रकाशित किया जाए, जिसके संपादक श्री विजयेन्द्र हों, वे इसके आर्थिक पक्ष की व्यवस्था करेंगे।
3. 5 अप्रैल को "संगम" की अगली बैठक हो जिसमें आज के निर्णयों की प्रगति पर विचार किया जा सके। बैठक के अंत में मंत्री ने सभा का आभार प्रकट किया और

सायं 6.20 पर अध्यक्ष महोदय ने बैठक की समाप्ति की घोषणा की ।

(रवि)
मंत्री
"संगम"

5. डायरी

डायरी को दैनन्दिनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निजी जीवन में घटित प्रतिदिन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें घटनाओं, स्थानों और व्यक्तियों के संबंध में अपने विचार भी लिखे जाते हैं। यदि मन में कोई विचार आया तो उसे भी लिख लिया जाता है।

डायरी के आरंभ में अपना पूरा नाम, घर तथा कार्यालय का पता, दूरभाष, वाहन चालक-प्रमाण पत्र संख्या, जीवन बीमा पालिसी संख्या, बैंक खाता संख्या, वजन, लंबाई, पहचान चिह्न आदि का विवरण लिखना उपयोगी होता है।

डायरी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

1. जो विवरण प्रस्तुत किया जाए वह संक्षिप्त हो।
2. नवीन स्थानों तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाए।
3. किसी नवीन जानकारी अथवा सूचना को भी लिखा जा सकता है।
4. व्यक्ति, स्थान अथवा घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया तथा टिप्पणियाँ भी डायरी में लिखी जा सकती हैं।

डायरी के कुछ नमूने

2 जनवरी, 1991

स्काउट गाइड्स का भुवनेश्वर में शिविर लगने वाला था। शिविर में जाने की खुशी मे प्रातः काल पाँच बजे उठकर मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गई। स्टेशन पर मुझे अपने सभी साथी मिल गए। वीना को अनुपस्थित पाकर मैं दुखी हो गई। जब मैंने नीरजा से पूछा तो उसने बताया कि वीना के अभिभावकों ने उसे शिविर में भाग लेने से मना कर दिया है।

5 मार्च, 1991

परीक्षा की तैयारी करनी थी, मैं पाँच बजे उठकर अपनी मेज पर पहुँची तो देर रात तक जागने के कारण आँखें अधखुली-सी थीं। मन आशंका से काँप रहा था। परीक्षा के

भय से पुस्तक के पन्नों पर लिखे अक्षर पढ़ना कठिन हो रहा था। माताजी की पुकार सुनकर पता चला कि तैयार होने का समय हो गया है।

परीक्षा-भवन में अपनी सहेलियों के चेहरे देख कर मैं आश्वस्त हुई, पर्यवेक्षकों की मुस्कान ने मेरा भय छू मंतर कर दिया। प्रश्न-पत्र पढ़ते ही मेरा आत्मविश्वास लौट आया। तीन घंटों के बाद परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कक्षा में कहे गए श्री अशोक कुमार जी के शब्द याद आने लगे, "रोज एक पाठ पढ़ने से परीक्षा का भय तुम्हें नहीं लगेगा"। बोर्ड परीक्षा और कक्षा परीक्षा में अंतर तब जान पड़ा, जब विद्यालय भवन पर मेरी दृष्टि पड़ी। यह दूसरा विद्यालय था।

22 मई 1991

आज प्रातः जब रेडियो खोला तो उस पर शोक संगीत बज रहा था। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी की हत्या की ख़बर प्रसारित हुई। "कल दिनांक 21 मई की रात को 10.10 मिनट पर मद्रास से 30 किमी. दूर श्रीपेरम्बुदूर में राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई।"

इस दुखद समाचार को सुनकर मन भर आया। अहिंसा का पुजारी यह देश और ऐसी भयानक घटना।

अध्याय 19

निबंध

निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है, क्योंकि निबंध में भाषा का मानक और प्रांजल रूप सामने आता है। निबंध-लेखक की शक्ति है भाषा। भाषा व्यवहार के द्वारा ही वह भावों को सशक्त रूप में व्यक्त करता है। साथ ही विषय से संबंधित जानकारी, अनुभव और विचार वह सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है।

निबंध शब्द का अर्थ है सम्यक् रूप से बँधा हुआ या कसा हुआ। निबंध में भाव या विचार पूर्णतया एक सूत्र में बँधे हुए रहते हैं। निबंध आकार में इतना छोटा होता है कि उसे एक बैठक में सरलता से पढ़ा जा सकता है। निबंध में भी कहानी की तरह विषय के किसी एक पक्ष का निरूपण होता है। कहानी की भाँति निबंध में भी पूर्णता होती है।

निबंध की भाषा विषयानुकूल तथा कसी हुई होती है। निबंध में लेखक को विषय से भटकने की छूट नहीं होती। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है।

विषय को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए निबंध लेखक उद्धरणों, दृष्टांतों, प्रसंगों, सूक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकता है।

निबंध के प्रमुख प्रकार

1. वर्णनात्मक या विवरणात्मक
2. विचारात्मक
3. भावात्मक
4. संस्मरणात्मक
5. व्यंग्यात्मक

निबंध लेखक को विषय की सम्यक् जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अनेक स्रोतों

से जानकारी प्राप्त की जा सकती है जैसे, अध्यापक, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ आदि ।

निबंध लेखन में लेखक के निजी अनुभव अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं। अतः इनका समावेश निबंध लेखन में मौलिकता लाता है ।

निबंध का गठन

निबंध लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा निर्धारित करना अत्यावश्यक है । इसके तीन अंग होते हैं :

1. प्रस्तावना (प्रारंभ)
2. विषय-प्रतिपादन
3. उपसंहार

1. *प्रस्तावना* : प्रस्तावना में निबंध-लेखक पाठक का विषय से परिचय कराता है। अतः प्रस्तावना अत्यंत आकर्षक, सारगर्भित और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रस्तावना का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए । प्रस्तावना का विवेच्य विषय से संबंध होना चाहिए ।
2. *विषय- प्रतिपादन* : विषय का सम्यक् प्रतिपादन करने के लिए विषय को विचार की क्रमिक इकाइयों में विभाजित करना चाहिए । तत्पश्चात् इन विचार बिंदुओं को शृंखलाबद्ध तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए । विषय को रोचक, प्रभावपूर्ण एवं प्रामाणिक ढंग से प्रतिपादित करने के लिए लेखक को उद्धरणों, सूक्तियों तथा काव्यांशों आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग भी करना चाहिए। विषय का प्रतिपादन विभिन्न अनुच्छेदों में होना चाहिए । किसी भी नए तथ्य, विचार अथवा तर्क का प्रारंभ नए अनुच्छेद से ही किया जाना चाहिए । यह ध्यान रहे कि लंबे अनुच्छेद अथवा लंबे उद्धरण-निबंध में नीरसता ला सकते हैं। इसलिए लेखक को यथासंभव छोटे एवं पूर्ण अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए ।
3. *उपसंहार* : उपसंहार निबंध की चरमावस्था का द्योतक होता है । इसमें लेखक कभी प्रतिपादित विषय का सार दे सकता है, कभी वह विषय की स्थापना से संबंधित अंतिम तर्क को प्रस्तुत करके निबंध को समाप्त कर सकता है और कभी अपने मन्तव्य अथवा निष्कर्ष को प्रामाणिक ढंग से कहने के लिए किसी काव्यांश को उद्धृत करते हुए निबंध का समापन कर सकता है । उपसंहार इतना प्रभावी होना-चाहिए कि पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ सके। कुछ निबंधों के नमूने आगे दिए जा रहे हैं ।

1. हमारा देश

हमारा देश अत्यंत महान एवं सुंदर है। यह ऐसा पावन एवं गौरवमय देश है, जहाँ देवता भी जन्म लेने को लालायित रहते हैं और जिसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। कहा भी गया है ... "जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गरीयसी।" अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारत देश की प्रशंसा करते हुए सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं ...

"अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।"

हमारे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यन्त एवं शकुन्तला के प्रतापी पुत्र "भरत" के नाम पर रखा गया था। कुछ विद्वान ऋषभ स्वामी के न्यायकारी पुत्र "भरत" के नाम पर इसका नाम "भारत" मानते हैं। पहले इसे "आर्यावर्त" कहा जाता था। सिन्धु नदी के कारण फ़ारसी भाषा के प्रभाव से इसे हिंदुस्तान तथा अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा जाता है।

जिस तरह भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण संसार अनोखा है वैसे ही विविधताओं के कारण हमारा देश भी स्वयं में अनूठा है। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें प्राकृतिक बनावट, जलवायु, खान-पान, वेश-भूषा तथा संस्कृति की दृष्टि से इतनी विभिन्नताएँ हों। हमारा देश "विविधता में एकता" का जीता जागता उदाहरण है।

भौगोलिक रचना के आधार पर हमारे देश का प्राकृतिक स्वरूप मनमोहक है। इसके पर्वतीय प्रदेशों की हिम से ढकी पर्वतमालाएँ, दक्षिणी प्रदेशों के समुद्रतटीय नारियल के वृक्ष, गंगा-यमुना, सतलुज के मैदान में लहलहाते स्वर्ण बालियों से युक्त खेत तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश प्रकृति की अनुपम देन हैं। हमारे देश का पर्वतीय प्रांत कश्मीर तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है।

देश की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण करते हुए कवियों ने अनेक सुंदर शब्द-चित्र प्रस्तुत किए हैं यथा –

शोभित है सर्वोच्च मुकट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक।
गूँज रही हैं सकल दिशाएँ, जिनके जय गीतों से अब तक॥

– रामनरेश त्रिपाठी

जलवायु की दृष्टि से हमारा देश विश्व में सर्वोत्तम है। यहाँ प्रकृति षट् ऋतुओं के रूप में स्वयं पालना झुलाती है। बसंत से प्रारंभ हुआ षट् ऋतुओं का चक्र ग्रीष्म, वर्षा, शरद्

तथा हेमन्त से होता हुआ शिशिर पर समाप्त होता है। द्रष्टव्य है –

"षट् ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है,
हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है।
शुचि सुधा सींचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है,
हे मातृभूमि, दिन में तरणि, करता तम का नाश है।"

– राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व के राष्ट्रों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

हमारे देश में अनेक राज्य हैं। खान-पान एवं वेशभूषा के विचार से भी इनमें भिन्नता है। दक्षिणी प्रदेशों में चावल व नारियल से बने व्यंजन यथा – इडली, डोसा, सांभर, बड़ा आदि तथा गंगा, यमुना के मैदानी भाग में गेहूं तथा मावे से बने व्यंजन अधिकता से प्रयोग किए जाते हैं।

इस देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। वैसे यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, परन्तु मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख आदि सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मावलम्बियों को अपनी उपासना पद्धति तथा सामाजिक व्यवस्था का अनुसरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारतीय स्वभावतः बड़े उदार हैं। वे " वसुधैव कुटुम्बकम् " की भावना में विश्वास करते हैं।

भाषा की दृष्टि से देश के विभिन्न प्रांतों की अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाएँ हैं, परंतु देश कीं राज भाषा हिंदी है, जिसे यहाँ की अधिकांश जनता समझती है।

देश के विभिन्न प्रांतों की लोक संस्कृति भी भिन्न है। प्रत्येक प्रांत की विविध सामाजिक परंपराएँ, लोक नृत्य व लोकगीत हैं। इनमें पूर्वोत्तर प्रदेशों के बाँस नृत्य, ब्रज का महारास, केरल के कथकली, हरियाणा के नृत्य, पंजाब के भाँगड़ा व गिद्दा, उड़ीसा के ओड़िसी तथा गुजरात के गरबा नृत्य सुप्रसिद्ध हैं। इन सबके बावजूद सभी देशवासियों में भारतीय संस्कृति के उच्च नैतिक मूल्य सन्निहित हैं। अपने-अपने धर्म को मानने के साथ-साथ सभी मानव धर्म को अपना मुख्य धर्म समझते हैं। परोपकार, त्याग के जितने सुंदर उदाहरण हमारे देश के महापुरुषों के मिलते हैं, शायद ही अन्यत्र मिलें। श्रीराम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, महर्षि दधिचि आज संपूर्ण मानव जाति के लिए आदरणीय एवं पूजनीय हैं। इनके अतिरिक्त बड़े- बड़े प्रतापी सम्राट, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर तथा महाराणा प्रताप, सम्राट शिवाजी जैसे महान वीर और रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, सरदार भगतसिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान स्वाधीनता सेनानी हमारे देश में

पैदा हुए हैं।

लोकमान्य तिलक, गांधीजी, सुभाषचंद्र बोस, लाला लाजपतराय, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं का देश की स्वाधीनता में प्रमुख योगदान रहा है। स्वाधीन भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के साथ ही जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है, उनमें सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और इन्दिरा गांधी उल्लेखनीय हैं।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसके कारण हम विश्व को सर्वप्रथम ज्ञान दे सके तथा जगद्गुरु कहलाए। आज तक संसार में अनेक देश बने मिटे हैं, परंतु लंबी गुलामी के अत्याचार झेलने के बाद भी हमारी संस्कृति अक्षुण रही है। सुप्रसिद्ध शायर इकबाल ने कहा भी है ...

"यूनान मिस्र रोमां, सब मिट गए जहाँ से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"

इतनी विविधताओं के होते हुए भी हम सब देशवासी एक हैं। सभी सर्वप्रथम भारतीय हैं। सभी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कंधे-से-कंधा मिलाकर जाति, वर्ग, धर्म एवं प्रांत के भेदभावों को भुलाकर स्वाधीनता हेतु संघर्ष किया था। आज "लाल-बाल-पाल" को कौन नहीं जानता। भारतीय इतिहास में इनके महान संघर्ष की गाथा स्वर्णाक्षरों में अंकित है। स्वाधीनता संघर्ष के इन्हीं महान सेनानियों के सतत् संघर्ष एवं बलिदान स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वाधीन हुआ था। उस दिन अंग्रेजों ने हमारे देश का शासन छोड़ दिया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संपूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हमारा देश निरंतर विकास एवं समृद्धि की ओर अग्रसर है। राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे – उद्योग, कृषि, विज्ञान व परमाणु शक्ति आदि में आशातीत प्रगति की है। आज विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत की भी गणना होती है, परन्तु हमारा देश परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव जाति के संहारक अस्त्रों के रूप में नहीं बल्कि मानव जाति की भलाई में कर रहा है। भारत विश्व में सुख और शांति का पक्षधर है। वह विश्व के सभी देशों को स्वतंत्र देखना चाहता है। वह विश्व शांति हेतु पंचशील सिद्धांतों का प्रचारक व संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बड़े महत्त्वपूर्ण ढंग से अदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत "गुटनिरपेक्ष "की नीति का सूत्रधार एवं पक्षधर है। हमारे देश का "सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय" की भावना में दृढ़ विश्वास है और वह मानव-मानव में सद्भाव व प्रेम संचार करने में प्राचीन काल से ही कार्यरत है।

2. भारत की ऋतुएँ

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक ऋतुएँ देखने को मिलती हैं। अन्य किसी देश में भारत के समान ऋतुएँ देखने को नहीं मिलतीं। यहाँ छः ऋतुएँ होती हैं – ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। प्रत्येक का समय दो-दो मास का होता है। वैशाख और जेठ को ग्रीष्म, आषाढ़-सावन को वर्षा, भाद्र-आश्विन को शरद्, कार्तिक-अगहन को हेमंत, पूस-माघ को शिशिर तथा फाल्गुन-चैत्र को वसंत माना गया है।

भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। यहाँ एक ही समय में देश के विभिन्न भागों में अनेक ऋतुओं के दर्शन होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जिस समय अत्यधिक जाड़ा पड़ता है, उस समय भारत के दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। इतना ही नहीं, एक प्रांत में इतना जाड़ा पड़ता है कि पानी जमकर बर्फ बन जाता है, तो अन्य प्रांत में शरीर को तपाने वाली भयंकर गर्मी पड़ती है। एक ओर चेरापूँजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है तो दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तानी भू-भाग में कहीं-कहीं सालभर में एक बार भी वर्षा नहीं होती। इस प्रकार ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। ऋतुओं की विविधता हम भारतीयों को आनंदित करती रहती है। जब हम एक ऋतु के प्रभाव से आकुल-व्याकुल हो उठते हैं, बैचेनी का अनुभव करते हैं, तभी उसके बाद दूसरी ऋतु का आगमन सुखद लगता है। गर्मी से प्राणी-जगत जब बैचेन हो उठता है तब वर्षा ऋतु के आगमन से सबके मन-मयूर नाच उठते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ अन्य देशों में सुलभ नहीं हैं।

हमारा भारत देश एक विशेष प्रकार की भौगोलिक स्थिति के कारण एक गर्म देश माना जाता है। इसके उत्तर में हिम से आच्छादित हिमालय की चोटियाँ सुशोभित हैं, और दक्षिण में विशाल सागर तीन ओर से इसे घेरे हुए हैं। सागर के निकटवर्ती भूभाग में कम गर्मी पड़ती है, किंतु दूर के भागों में भयंकर गर्मी पड़ती है। इस गर्मी से सामान्य व्यक्ति अशांति का अनुभव करता है जबकि धनवान व्यक्ति गर्मी की भीषणता से बचने के लिए अनेक उपाय करता है। वह खस लगवाता है, कूलर लगवाता है, बिजली के पंखे लगवाता है अथवा अपने घर को वातानुकूलित करवाता है।

ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और हैजा जैसी अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं किंतु इस ऋतु के अनुकूल ही विविध प्रकार के फल इस समय मिलते हैं, जैसे आम, जामुन, ककड़ी, खरबूजे, खीरे, तरबूज आदि। बेल फल इस ऋतु में सुलभ होता है, जो गर्मी को

शांत करता है। ग्रीष्म ऋतु से अनेक लाभ भी हैं। कृषि के लिए यह ऋतु उपयोगी है। कठोर गर्मी के कारण खेतों के विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और खेत कृषि योग्य हो जाते हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और कृषि का कार्य शुरू होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय किसानों को अपने खेतों में प्रायः कम काम रहता है।

ग्रीष्म ऋतु की असह्य गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन में विशेष महत्त्व बताया गया है। भारतीय कवियों और लेखकों ने तो वर्षा ऋतु को अपनी रचनाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। महाकवि कालिदास का महाकाव्य मेघदूत तो वर्षा ऋतु के प्रथम दिवस के वर्णन से ही शुरू होता है। ग्रीष्म ऋतु के तत्काल बाद इस ऋतु का महत्त्व बढ़ जाता है। वर्षा की फुहारों से हर प्राणी को राहत मिलती है। नदी नाले पानी से लबालब भर जाते हैं। धान के बीज इसी ऋतु में डाले जाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि भी इसी ऋतु में बोए जाते हैं। वर्षा की फुहारों के बीच पुरुष और स्त्रियों के दल धान रोपनी के गीत गाते हैं। मेंढकों की टर्र-टर्र, बगुलों की सुंदर श्वेत पंक्तियाँ, अन्य पक्षियों एवं मयूरों का नृत्य मनमोहक वातावरण की सृष्टि करता है।

गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में वर्षाकाल का चित्रण किया है। वर्षा ऋतु में मेघों का छाना अच्छा लगता है – "गरजत लागत परम सुहाए बरषा काल मेघ नभ छाए।"

हिंदी के अनेक कवियों ने वर्षा ऋतु का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत ने तो पर्वत प्रदेश में होने वाली वर्षा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है –

पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश,
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश।

वर्षा-ऋतु स्वयं में आनंददायिनी तो है ही, किंतु उसकी अधिकता भी ठीक नहीं है। जल की अधिकता से खेत डूब जाते हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं। नदी नालों में भी जब पानी अधिक हो जाता है, तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की विकरालता से कौन परिचित नहीं है? बाढ़ से खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, मकान ढह जाते हैं, पशु बह जाते हैं। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

वर्षा ऋतु के उपरांत शरद् ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में भी नदी-नाले जल से भरे रहते हैं, फिर भी, इस ऋतु में वर्षा के निरंतर प्रहार से छुटकारा मिल जाता है। यह ऋतु बड़ी सुखद होती है, न अधिक गर्मी पड़ती है और न जाड़ा। आसमान साफ रहता है। शरद ऋतु की चाँदनी रात अत्यंत प्रिय लगती है। इसी ऋतु में विजयादशमी का महान

पर्व मनाया जाता है। नवरात्र में देवी दुर्गा की प्रतिमा का पूजन होता है। वस्तुतः विजयादशमी विजयोल्लास का पर्व है। शरद ऋतु का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार किया है;

वर्षा विगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु परम सुहाई।
फूले कास सकल महिं छाई। जनु बरसा कृत-प्रकट बुढ़ाई॥

शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु का पदार्पण होता है, जिसमें जाड़ा आरंभ हो जाता है, किंतु कम ही जाड़ा पड़ता है। रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। इस ऋतु में अगहनी धान की फसल पक कर तैयार हो जाती है हेमंत के बाद शिशिर ऋतु में जाड़ा अपनी पूरी शक्ति के साथ पड़ने लगता है। दिन बहुत छोटे और रातें बहुत बड़ी होने लगती हैं। स्वास्थ्य के लिए यह ऋतु बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लोगों की पाचन-शक्ति ठीक रहती है। गरीब के लिए यह ऋतु दुखदाई है, क्योंकि उसके पास ऊनी एवं गर्म वस्त्रों का अभाव होता है। इस ऋतु को पतझड़ भी कहते हैं। शीत की अधिकता से इस काल में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं।

शिशिर ऋतु अथवा पतझड़ के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। इस समय प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि हो जाती है। जाड़ा कम हो जाता है और गर्मी भी अधिक नहीं पड़ती है। वसंत को ऋतुराज कहा गया है। इस ऋतु में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। आम के पेड़ों में मंजरियाँ लग जाती हैं। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा उठते हैं। वसंत ऋतुओं में ही वसंत पंचमी और होली के त्योहार बड़े उल्लासपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। प्राचीनकाल में इस ऋतु में मदनोत्सव भी मनाया जाता था। वसंत ऋतु के वर्णन से पूरा भारतीय साहित्य भरा पड़ा है।

इस प्रकार भारत की छह ऋतुओं में वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु का महत्त्व है। वर्षा ऋतु तो जीवनदायिनी ऋतु है। भारतीय कृषि उसी पर निर्भर है। वसंत ऋतु उल्लास की ऋतु है। विश्व के अन्य देशों में इस प्रकार की विविध विशेषताओं से युक्त ऋतुओं के दर्शन नहीं होते।

3. देशाटन

देशाटन और पर्यटन – जैसा कि स्पष्ट है दोनों ही शब्द भ्रमण से संबंध रखते हैं। विभिन्न देशों और देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण देशाटन और पर्यटन कहलाता है। मानव की जिज्ञासा, महत्त्वाकांक्षा, सौंदर्यप्रियता और ज्ञान की प्रवृत्तियाँ उसमें देशाटन और पर्यटन की रुचि जागृत करती हैं। अपने आसपास के भौगोलिक सौंदर्य और पर्यावरण को नित्य प्रति देखते और परखते हुए उसमें नए-नए स्थानों के प्रति उत्सुकता स्वाभाविक है जो उसे

देशाटन की ओर प्रवृत्त करती है।

शैक्षिक दृष्टि से भी देशाटन और पर्यटन का अपना महत्त्व है। केवल पुस्तक से हम सर्वांगीण और स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यही कारण है कि आज पाश्चात्य देशों में छात्रों को अधिक-से-अधिक स्थानों की सैर कराते हुए उन स्थानों के ऐतिहासिक गौरव और विशिष्टता का परिचय देने पर जोर दिया जाता है। यह परिभ्रमण भूगोल और इतिहास के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी होता हैं।

पर्यटन और देशाटन की महत्ता का उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म- ग्रंथों में मिलता है। वेदों में तो *चरैवेति, चरैवेति* कहकर निरंतर चलते रहने की शिक्षा दी गई। महाभारत से ज्ञात होता है कि विभिन्न विषयों के ज्ञानार्जन हेतु अर्जुन ने गंधर्व- लोक तक छान डाला था। विश्वविख्यात भू-पर्यटक फाह्यान, ह्वेनसांग और इब्नबतूता इत्यादि का भी ज्ञान संचय के निमित्त देशाटन और पर्यटन करते हुए भारत में आगमन हुआ था। इन सबके मूल में प्राचीन काल में भी देशाटन और पर्यटन की महत्ता दृष्टिगोचर होती है।

वस्तुतः देशाटन और पर्यटन की उपयोगिता हमें बाध्य करती है कि हम उसकी महत्ता स्वीकार करें। उपयोगिता का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं :

ज्ञानार्जन की दृष्टि से देशाटन और पर्यटन बहुत उपयोगी है। विशेष रूप से इनके द्वारा भौगोलिक ज्ञान को स्थायित्व मिलता है।

ज्ञान-प्राप्ति के साथ- साथ पर्यटन द्वारा हमें सरस और रुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्राप्त होता है। विभिन्न स्थानों, वनों, पहाड़ों, नदी-तालाबों और सागर की उत्ताल तरंगों का अवलोकन कर पर्यटक झूम उठते हैं। पर्यटन हमें नयनाभिराम दृश्यों का अवसर देता है। पर्यटन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। जलवायु- परिवर्तन से चित्त में सरसता और उत्साह का संचार होता है जिससे हम प्रसन्न मनः स्थिति में रहते हैं, जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। ज्ञान वृद्धि के साथ पर्यटन अथवा देशाटन के दौरान हमें अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम उन्हें सुलझाने में सफल हो जाते हैं, तो हमें एक अद्भुत खुशी प्राप्त होती है। फलस्वरूप, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

पर्यटन और देशाटन ने हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित किया है। इससे विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर निकटता बढ़ती है और व्यापारिक संबंध दृढ़ होते हैं। विकसित देशों के संपर्क ने विकासशील देशों की उन्नति को तीव्रगति प्रदान की है और अविकसित देशों के विकास में सहयोग देना आरंभ किया है। राष्ट्रों के पारस्परिक वैमनस्य और बैर को दूर करने में पर्यटन का योगदान महत्त्वपूर्ण हो सकता है। कुछ संस्थाओं ने

इस कार्य में सहयोग देकर विश्व शांति के मार्ग को प्रशस्त किया है। अतः यह कहना गलत न होगा कि देशाटन और पर्यटन के द्वारा " वसुधैव कुटुम्बकम् " की भावना को बल मिलता है। देशाटन और पर्यटन के द्वारा हम न केवल विभिन्न स्थानों की सभ्यता, संस्कृति और रहन- सहन के तरीकों से अवगत होते हैं, बल्कि इन स्थानों के भ्रमण से हमें विभिन्न भाषाओं को सीखने का भी सुअवसर प्राप्त होता है।

इस प्रकार यह कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि ज्ञानार्जन की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, हमारे व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि या आत्मबल की दृढ़ता की दृष्टि से मानव जीवन में देशाटन और पर्यटन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज यातायात के साधनों को निरंतर विकसित किया जा रहा है। आवागमन की वर्तमान उन्नत अवस्था ने यात्रा को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि हमें कोई भी स्थान बहुत दूर नहीं लगता। इन सुविधाओं के द्वारा आज देशाटन और पर्यटन के प्रति लोगों में रुचि दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अपने व्यस्त जीवन से प्राप्त अवकाश के क्षणों में हम देशाटन और पर्यटन के कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्त्व देने लगे हैं। देशाटन और पर्यटन की उपयोगिता और रोचकता को ये पंक्तियाँ सफलता-पूर्वक व्यक्त करती हैं :

सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ,
जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ।

4. श्रम का महत्त्व

श्रम संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। श्रम करके हम जीवन की ऊँची-से-ऊँची आकांक्षा पूरी करने का प्रयास करते हैं। संसार कर्म क्षेत्र है। अतः कर्म करना ही हम सबका धर्म है। किसी भी कार्य में हमें सफलता तब मिलती है, जब हम परिश्रम करते हैं।

श्रम ही जीवन को गति प्रदान करता है। यदि हम श्रम की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे जीवन की गति रुक जाती है। अकर्मण्यता की स्थिरता हमें ऐसी मजबूती से घेर लेती है कि उसके घेरे से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। परिश्रमी व्यक्ति सभी प्रकार की कठिनाइयों से जूझ कर स्वतंत्र वातावरण में साँस ले सकता है।

परिश्रमी व्यक्ति ही जीवन में लक्ष्मी का कृपा पात्र बनता है। वह भाग्य का सहारा छोड़ कर यथाशक्ति पुरुषार्थ करता है। यत्न करने पर भी परिश्रमी व्यक्ति को यदि सफलता नहीं मिलती है तो वह निराश नहीं होता। वह यह जानने के लिए सचेष्ट रहता है कि कार्य में सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि वह जानता है कि बिना परिश्रम के केवल इच्छा मात्र से

सफलता नहीं मिलती, कहा भी गया है –

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः
न हि सुप्तस्य सिंहसस्य प्रविशंति मुखे मृगाः ॥

संसार में हमें प्रत्येक पथ पर संघर्ष करके अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। यदि हम श्रम करते हैं, तब जीवन के संघर्ष में हमें विजय मिल पाती है। हम जितने भी शक्तिशाली और साधन-संपन्न हों पर यदि श्रम करने से जी चुराते हैं, तो हमारी शक्ति और साधन सम्पन्नता अकेले हमें लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकती। श्रम का असली रूप तो सारी प्रकृति में देखने को मिलता है। पशु-पक्षी, जीव-जंतु सभी निरंतर श्रम में लगे रहते हैं। रंगीन तितलियाँ धूप में उड़ती फिरती हैं और सुगंधित सुमनों के सौरभ का पान करके सुखी होती हैं। मधुमक्खियों को फूलों के कोष से मधु निकाल कर संचित करने में कम श्रम नहीं करना पड़ता। चींटी को तो कविवर पंत ने श्रम का प्रतीक ही बना दिया है –

दिन भर में वह मीलों चलती,
अथक कार्य से कभी न हटती।

यदि चींटी की भाँति हम भी अपने जीवन में श्रम के महत्त्व को समझें तो कर्म में हमारी आस्था दृढ़ होती है। कर्म से तो मनुष्य को कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं। फिर जब कर्म करना ही है, तो फिर श्रम से उस पर पूर्ण अधिकार क्यों न किया जाए। एक महापुरुष का कहना है कि मोची होना बुरा नहीं, मोची होकर खराब जूता सीना बुरा है।

संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त की है और जिन्हें हम सम्मान से स्मरण करते हैं। उनकी महानता के मूल में श्रम शक्ति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

हमारे समाज में बहुत से लोग भाग्यवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। आज तक किसी भाग्यवादी ने संसार में कोई महान कार्य नहीं किया। बड़ी-बड़ी खोजें, बड़े-बड़े आविष्कार और बड़े-बड़े निर्माण श्रम के द्वारा ही संपन्न हो सके हैं। हमारे साधन और हमारी प्रतिभा हमें केवल उत्प्रेरित करते हैं और हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, पर लक्ष्य तक हम श्रम से ही पहुँचते हैं। श्रम करके ही प्रतिभासंपन्न कलाकारों ने अपने छेनी हथोड़े के द्वारा अजंता-एलोरा की बनाई भव्य गुफाओं को मूर्तिमान किया।

सामान्य व्यक्तियों ने अपने श्रम से बड़े- बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए हैं। बाबर, शेरशाह, नेपोलियन सभी आरंभ में सामान्य व्यक्ति थे पर अपने श्रम से उन्होंने इतिहास में अपने नाम को अमर बना दिया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, परिश्रम से नौकाओं का संचालन करके कोलंबस ने अमरीका को खोज निकाला।

श्रम-साधना करने वालों को यश भी प्राप्त होता है और वैभव भी। एक गरीब परिवार का बालक श्रम से अध्ययन करता है। उच्चशिक्षा प्राप्त करके वह किसी उच्च पद पर आसीन होता है और अपने परिवार की स्थिति ही बदल देता है। हमारे अनेक साहित्यकार ऐसे हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं मिली। श्रम से उन्होंने अध्ययन किया। अपनी शक्तियों को विकसित किया और सफलता से उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। अनेक व्यापारी थोड़ी-सी संपत्ति से अपना व्यापार आरंभ करते हैं और दो-चार ही वर्षों में वे धनवान बन जाते हैं।

जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए श्रम करते हैं तो हमारे मन को अलौकिक आनंद मिलता है। अंतःकरण का सारा कलुष घुल जाता है और पूर्ण संतोष का अनुभव होता है। परिश्रम ही ऐसे व्यक्ति के लिए पूजा है, नमाज है, गंगा स्नान है, चर्च जाना है। न वह मंदिर में जाता है, न गिरजे में, न उसे मसजिद में जाकर नमाज पढ़ने की भी लालसा रहती है। हम उस किसान के जीवन को देखें जो दिन भर परिश्रम से अपना खेत जोतता है और सायँकाल अपनी झोंपड़ी में आकर आनंद मग्न कोई ग्राम-गीत अलापता है उस समय उसके स्वरों में उस स्वर्गीय संगीत की सृष्टि होती है। जब कोई विद्यार्थी दिनभर परिश्रम से अध्ययन करता है तब वह सायँकाल खेलने में आनंद का अनुभव करता है।

शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता ही है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। श्रम से उसकी मांसपेशियाँ सुदृढ़ हो जाती हैं। जो लोग श्रम नहीं करते आलसी बने पड़े रहते हैं, उनका तो भोजन भी नहीं पचता और उनके शरीर को अनेकों व्याधियाँ घेरे रहती हैं। शारीरिक श्रम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शारीरिक श्रम करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं। शारीरिक श्रम के साथ-साथ ही मानसिक श्रम करने वाले का ही बौद्धिक विकास होता है। वह गंभीर-से-गंभीर तथ्य सहज ही ग्रहण कर लेता है। विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर भी घबराता नहीं बल्कि साहस से उनका सामना कर लेता है। वह हर एक समस्या का आसानी से समाधान खोज लेता है। मानसिक श्रम के महत्त्व को समझ कर हमारे ऋषि-मुनि चिंतन में लीन रहते थे और चिन्तन के लिए लोगों को उत्साहित करते थे। हमारा उपनिषद् साहित्य हमारे मानसिक श्रम का ही परिणाम है।

श्रम का एक विशिष्ट अर्थ भी है। इस अर्थ में श्रम उत्पादक भी होता है और कुछ अनुत्पादक भी। किसान परिश्रम से खेती करता है, उसका श्रम उत्पादक श्रम है। इसी प्रकार सभी उद्योग-धंधों में लगे व्यक्ति श्रम करते हैं। यह सब श्रम उत्पादक कहा जाएगा। कुछ लोग व्यायाम करते हैं। खेल खेलने में श्रम करते हैं। यह अनुत्पादक श्रम होता है। इसका भी अपना महत्त्व है। इससे श्रम करने वाले का मनोरंजन तो होता ही है, मानसिक

श्रम करने वालों के लिए इस प्रकार का अनुत्पादक श्रम आवश्यक है। इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। गांधी जी का कहना था कि जब श्रम करना है, तो उत्पादक श्रम ही क्यों न किया जाए। वे तो सभी प्रकार के श्रम में आनंद का अनुभव करते थे।

जिस देश की जनता परिश्रम करने वाली होती है, वही देश उन्नति करता है। जापान एक छोटा-सा देश है। उसकी जनसंख्या भी अधिक नहीं, पर परिश्रम के बल पर आज संसार के उन्नत राष्ट्रों में उसको गिना जाता है। जर्मनी दो विश्वयुद्धों की विभीषिका में ध्वस्त हो गया पर वहाँ की श्रमशील जनता ने पुनः नवनिर्माण कर लिया। आज यदि हमको अपने देश का विकास करना है तो एकजुट होकर श्रम-साधना में लग जाना होगा। इसीलिए तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नारा था कि "आराम हराम" है। यदि हमें अपने देश की गरीबी को दूर करना है, तो हमें श्रम करके देश का उत्पादन बढ़ाना होगा। हमारी अनेक योजनाएँ पूर्णतः सफल नहीं हो पाईं, इसका कारण यही रहा कि संबंधित व्यक्तियों ने ईमानदारी से उस क्षेत्र में अपेक्षित श्रम नहीं किया।

यदि हम स्वयं आलसी बनते जाएँ और श्रम करने से अपना जी चुराते रहें और सरकार से अपने लिए सुख- सुविधा की कामना करें तो हम अपने देश के प्रति घोर अन्याय करेंगे। हमको यह स्वीकार करना होगा कि जीवन को सुखमय बनाने की आधारशिला अपना निजी श्रम ही है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि श्रम ही जीवन का सुख है। श्रम ही सृजन का मूल है।

5. हमारे राष्ट्रीय पर्व

"उत्सव प्रियाः मानवाः।" अर्थात् मानव उत्सव प्रिय होते हैं। महाकवि कालिदास का यह कथन मनुष्य के स्वभाव पर पूर्णतः चरितार्थ होता है, क्योंकि उत्सवों (पर्वों) से हमारे जीवन में नीरसता दूर होती है तथा रोचकता और आनंद की वृद्धि होती है। हमें पर्वों से नई प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ पर्व विशेष जाति और धर्म को मानने वाले लोगों के होते हैं; जैसे – होली, दीपावली, दशहरा, गुरुपर्व, ईद, क्रिसमस आदि। अतः ये जातीय पर्व कहलाते हैं। कुछ अन्य पर्व ऐसे हैं, जिनका संबंध केवल एक जाति या धर्म के मानने वालों से न होकर समस्त राष्ट्र से होता है। ऐसे पर्व संपूर्ण राष्ट्र में सोत्साह मनाए जाते हैं। ऐसे पर्वों को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी का जन्म दिवस एवं गणतंत्र दिवस ऐसे ही पर्व हैं।

हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसे स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन सन् 1947 में दो सौ वर्षों की दासता की जंजीरें

तोड़कर हमारा देश स्वाधीन हुआ था। हमें यह स्वतंत्रता अंग्रेजों ने उदारतापूर्वक ऐसे ही भेंट या दान में नहीं दी बल्कि इसके लिए भारतवासियों को अंग्रेज शासकों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाकर लाठी-गोली खाई और कठोर कारावास के दंड झेले; वहीं तात्याँ टोपे, भगतसिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाख उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, जैसे अनेक महान क्रांतिकारियों ने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए फाँसी के फंदों को हँसते-हँसते चूम लिया। तब कहीं जाकर अत्याचारी अंग्रेज विवश होकर देश छोड़कर भागे और देश स्वाधीन हुआ।

इस दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को याद करते हुए आजादी को अक्षुण बनाए रखने की संपूर्ण राष्ट्र शपथ लेता है। उस दिन राष्ट्र की राजधानीं दिल्ली में विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस दिन की पूर्व सन्ध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। 15 अगस्त को प्रातः लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के उपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी 2 अक्तूबर 1869 के दिन पैदा हुए थे। स्वाधीनता संग्राम में गांधीजी का नेतृत्व करने एवं मानवता की सेवा करने के लिए सभी देशवासी उनका आदर करते हैं। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन से गाँधीजी ने उन सशक्त अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। वास्तव में गांधी जी राष्ट्र एवं दीन हीनों की सेवा के लिए जिए और इसी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रतिवर्ष संपूर्ण राष्ट्र उनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के लिए उनके जन्म दिवस पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता है। विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं।

"गणतंत्र दिवस" हमारा तीसरा राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन अत्यंत उत्साहपूर्वक और धूमधाम से मनाया जाता है। हमें जानना चाहिए कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ? 26 जनवरी 1950 को देश को सर्वप्रभुता संपन्न स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए नए संविधान को लागू करने की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि के पीछे एक लंबा इतिहास है। 1930 में 26

जनवरी के दिन रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ। यहाँ पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया तथा 26 जनवरी को संपूर्ण देश में "स्वराज्य दिवस" के रूप में मनाया गया था।

तब से प्रतिवर्ष इसे "स्वराज्य दिवस" के रूप में मनाया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिन देश के गाँव-गाँव, नगर-नगर में प्रभात फेरियाँ निकाली जाती थीं। जुलूस तथा जलसों का आयोजन किया जाता था। सभी भारतवासी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेने तक संघर्ष करते रहने की प्रतिज्ञा करते थे। सभी देशभक्तों के अपूर्व त्याग एवं बलिदान से राष्ट्र को स्वाधीनता प्राप्त हुई और इसके उपरांत 26 जनवरी की स्वराज्य दिवस की स्मृति को चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से संविधान लागू करने के लिए शुभ दिन 26 जनवरी को ही चुना गया और 26 जनवरी 1950 को भारत सार्वभौम, पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य बना। इस प्रकार हमारे नेताओं का अपने देश में अपना शासन और अपना कानून लागू करने का अर्थात् पूर्ण स्वराज्य का सपना साकार हुआ।

इस दिन विशेष सज धज के साथ एक विशाल समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति परंपरानुसार विजय चौक में पधारते हैं। सेना के तीनों अंगों का निरीक्षण करने तथा ध्वजारोहण के पश्चात् उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है। इस अवसर पर परेड में प्रत्येक प्रांत के लोकनर्तक अपने लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। सैनिक आयुधों का प्रदर्शन किया जाता है, प्रत्येक राज्य अपनी प्रगति, लोक जीवन अथवा ऐतिहासिक घटनाओं से संबद्ध झाँकियाँ भी प्रदर्शित करता है। युवक, बाल छात्र- छात्राओं, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों की मार्च पास्ट करती आकर्षक टोलियों का लाखों दर्शक स्वागत करते हैं। अंत में वायु सेना के विमान तीन रंग का धुआँ छोड़ते हुए विजय चौक के ऊपर से गुजरते हैं। दिल्ली के साथ-साथ प्रत्येक प्रांत की राजधानी में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं जहाँ परेड की सलामी प्रदेश के राज्यपाल लेते हैं।

संपूर्ण देश में आज के दिन सरकारी-गैरसरकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। बच्चों द्वारा प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं, जिनमें राष्ट्र भक्ति संबंधी नारे लगाए जाते हैं। समारोहों का आयोजन किया जाता है। इन समारोहों में सभी देशवासी राष्ट्र की स्वाधीनता को सुरक्षित बनाए रखने तथा राष्ट्र को विकास तथा समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की शपथ लेते हैं।

इन पर्वो से राष्ट्रीय जीवन में नई चेतना, उत्साह और प्रेरणा उत्पन्न होती है। इनसे एक ओर जहाँ जीवन की नीरसता व निराशा समाप्त होती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार

करने का अवसर मिलता है। राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, देशवासियों में प्रेम तथा भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हर एक नागरिक संकल्प करता है।

6. दहेज प्रथा : एक अभिशाप

समाज में प्रत्येक प्रथा का सूत्रपात किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर ही होता है, परंतु कालांतर में यह प्रथा एक ऐसी रूढ़ि बन जाती है कि उससे मुक्ति पाना सहज नहीं होता। साथ ही उस प्रथा से समाज में बुराइयाँ भी पैदा होने लगती हैं। दहेज प्रथा भी आजकल एक ऐसी रूढ़ि बन गई है जिसने हर उस मनुष्य का चैन छीन लिया है, जो एक विवाह योग्य कन्या का पिता है। इस कुप्रथा के कारण विवाह जैसा महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र संस्कार "वर को खरीदने एवं बेचने की मंडी" बन गया है। यह एक ऐसी अमरबेल है, जिसने पारिवारिक जीवन को उजाड़ कर रख दिया है। आजकल कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन समाचार पत्रों में दहेज के कारण किसी नवयुवती की मृत्यु या उसके ऊपर अत्याचार के समाचार पढ़ने को न मिलते हों। आजकल यह प्रथा एक अभिशाप बन गई है।

दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसने भारतीय समाज को घुन खाई लकड़ी के समान अशक्त कर दिया है। यह एक ऐसे दैत्य का स्वरूप ग्रहण कर चुका है, जो पारिवारिक जीवन को देखते- ही- देखते विषाक्त कर डालता है। इसने हजारों नारियों को घर छोड़ने पर विवश किया है। हजारों नारियाँ इसकी बलिवेदी पर अपने प्राण दे चुकी हैं। समाज सुधारकों के प्रयत्नों के बावजूद दहेज प्रथा ने अत्यंत विकट रूप धारण कर लिया है। इसका विकृत रूप मानव समाज को भीतर से खोखला कर रहा है।

दहेज का वर्तमान स्वरूप इतना भयावह है कि इसके कारण वृद्ध या किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह जैसी सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो रही हैं। ऐसी बुराइयाँ सामाजिक व्यवस्था को तो चरमरा ही रही हैं, पारिवारिक जीवन को भी कलहपूर्ण एवं अशांत बना रही हैं। आजकल नारी शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के उपरांत भी यह प्रथा समाप्त न होकर उग्रतर रूप धारण कर रही है। कन्या की श्रेष्ठता, सौंदर्य एवं शील दहेज के आधार पर ही आँके जाते हैं। विवाह के उपरांत नववधू के ससुराल में पहुँचते ही उसके सौंदर्य एवं शील आदि गुणों की अपेक्षा उसके साथ आए दहेज की चर्चा ही अधिक होती है। यदि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होता है अथवा किसी उच्च सरकारी पद पर होता है, तो माता-पिता अधिक दहेज मिलने पर ही विवाह के लिए सहमत होते हैं। वैसे लड़के वाले के घर में

लड़कियाँ भी हो सकती हैं, परंतु लड़के के विवाह के अवसर पर उनका दृष्टिकोण दहेज लोलुप ही होता है। भारतीय समाज में पुत्री का जन्म पिता के लिए चिंता का कारण ही कहा जा सकता है।

यह कुप्रथा समाज तथा कन्या के माता-पिता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हो रही है। एक लड़की के विवाह के लिए सामान्यतः मध्यमवर्गीय व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य से अधिक रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसलिए विवश होकर उसे या तो ऋण की शरण लेनी पड़ती है या रिश्वत आदि अनुचित साधनों से वह धन की व्यवस्था करता है। ऋण लेकर विवाह करने पर कभी-कभी उसका समस्त जीवन ऋण चुकाने में निकल जाता है। दहेज की समस्या के कारण अपने माता-पिता की दयनीय दशा देखकर कभी-कभी कन्याएँ इतनी निराश और दुखी हो जाती हैं कि अपना विवेक खोकर आत्महत्या तक कर लेती हैं। वे सोचती हैं कि अपने माता-पिता की शोचनीय दशा का कारण वे ही हैं इसलिए न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी की लोकोक्ति को चरितार्थ करती हुई वे अपना जीवन ही समाप्त कर लेती हैं।

दहेज लोभी व्यक्ति केवल विवाह के अवसर पर मिले दहेज को पाकर ही संतुष्ट नहीं होते बल्कि विवाह के बाद भी कन्या पक्ष से उनकी माँगें बराबर बनी रहती हैं और अपनी इन अनुचित माँगों की पूर्ति का साधन वे इन विवाहित कन्याओं (वधुओं) को ही बनाते हैं। इन माँगों के पूरा न होने की स्थिति में वे नववधू को शीरीरिक एवं मानसिक यातनाएँ देते हैं। भूखा रखना, बात-बात पर कटूक्तियाँ कहना, मारना-पीटना, अंग-भंग कर देना आदि तरीकों से वे नवविवाहिता को अपने माता-पिता से दहेज लाने को विवश करते हैं। यदि इतने पर भी वे और दहेज नहीं ला पाती हैं, तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। हमेशा के लिए पिता के ही घर में रहने के लिए त्याग दिया जाता है।

अब ज्वलंत प्रश्न यह है कि इस सामाजिक कोढ़ को कैसे समाप्त किया जाए? इसके लिए व्यापक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊपरी तौर पर इस कुप्रथा का कोई भी पक्षधर नहीं है, परंतु अवसर मिलने पर लोग दहेज लेने से नहीं चूकते। इसको दूर करने के लिए सरकार ने दहेज विरोधी कानून बना दिया है। दहेज के संदर्भ में नवविवाहिताओं की मृत्यु संबंधी मामलों में न्यायाधीशों ने नववधुओं के पति, सास-ससुर आदि को मृत्युदण्ड देकर इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में प्रशंसनीय प्रयास किया है, परंतु यह कुप्रथा सुरसा के मुख की भाँति बढ़ती जा रही है। इसके विरोध में व्यापक जनचेतना जाग्रत करने की आवश्यकता है। सरकार के साथ-साथ समाज सेवी संस्थाएँ तथा समाज सेवा में रुचि रखने वाले लोग इस प्रथा के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करने तथा

रोकने के कड़े उपाय भी करें, तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है।

इस प्रथा के विरोध में देश के अनेक भागों में महिलाओं के संगठन उठ खड़े हुए हैं। दहेज के कारण जहाँ कहीं भी उत्पीड़न की घटना की सूचना इनको मिलती है, ये उसका प्रतिरोध करने के लिए पहुँच जाते हैं। इनके प्रतिरोध के रूप, समय और स्थान के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इस प्रकार इस सामाजिक बुराई को रोकने में इनसे काफी मदद मिलेगी।

7. भारत की जनसंख्या – एक समस्या

आज संसार के सामने अनेक छोटी-बड़ी समस्याएँ हैं। प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए अपने-अपने ढंग से जुटा है ताकि विकास में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। इनमें बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या काफी गंभीर है। इसके समाधान में अधिकतम देश जी-जान से लगे हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनकी विकास और प्रगति की सारी योजनाएँ विफल होती जा रही हैं। भारत में तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या उसके प्रगति पथ का सबसे बड़ा अवरोध बन गई है।

जनसंख्या वृद्धि की समस्या अनेक अन्य समस्याओं को उत्पन्न करती है। प्रत्येक व्यक्ति की मुख्य आवश्यकताएँ हैं – भोजन, वस्त्र और आवास। आज अनेक देशों में लाखों व्यक्तियों को भर पेट भोजन नहीं मिलता, तन ढकने को कपड़े नहीं मिलते और वे बिना घर बार के खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करते हैं।

स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत तीव्र गति से कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। हर क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई। आज कृषि योग्य देश की लगभग सारी भूमि पर खेती हो रही है। सिंचाई के लिए नदियों पर भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर और रिहंद आदि अनेक बाँध बन चुके हैं। देश के अनेक भागों में नहरों का जाल बिछ गया है। किसानों को पंम्पिग सेट और नलकूप उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतिदर्ष सिंचाई व्यवस्था के लिए देश का करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है। वैज्ञानिक खादों के अनेक कारखाने खोले जा चुके हैं। किसान ट्रेक्टर, हैरो आदि वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का वे प्रशिक्षण ले चुके हैं। प्रगति के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारे कृषि उत्पादन में भी बड़ी वृद्धि हुई है। किंतु दूध, घी, तिलहन, दाल, कपास आदि की कमी हम अब भी अनुभव कर रहे हैं।

हम अपनी दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में प्रचुर मात्रा में करने लगे हैं, फिर भी हम अपने देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी पूरी नहीं कर सके।

जीवन के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर भी सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ता है। आज हम पहले से कई गुना अधिक निर्यात कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश की गणना संसार के अविकसित देशों में की जाती है। हमें अपने विकास कार्यों के लिए दूसरों से कर्ज लेना पड़ रहा है।

आज यातायात के साधनों का बहुत विकास हुआ है। लाखों बसें रात-दिन देश की सड़कों पर दौड़ती हैं। जहाँ पर पहले दो-तीन रेलगाड़ियाँ चलती थीं वहाँ अब दस-दस गाड़ियाँ चलने लगी हैं। लेकिन बढ़ी जनसंख्या के कारण हम सुख से यात्रा नहीं कर पाते। बसों और गाड़ियों में हमें अपार भीड़ का सामना करना पड़ता है। रेलगाड़ियों में टिकट खरीदने में घंटों लंबी-लंबी पंक्तियों में खड़ा रहना पड़ता है। कभी-कभी लंबी-लंबी यात्राएँ खड़े-खड़े करनी पड़ती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यालयों की संख्या पहले से दुगुनी-चौगुनी हो गई है, फिर भी अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा इसलिए रुक जाती है कि उन्हें किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता। चारों ओर भीड़-ही-भीड़ दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे, स्त्री-पुरुषों का समुद्र उमड़ आया हो। सरकारी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाइए तो दिन भर खड़े रहना पड़ेगा और जब आपकी बारी आएगी तब आपको सूचना मिलेगी कि सामान समाप्त हो गया। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थ हैं। विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों को भी कार्य नहीं मिल पा रहा है। यदि कोई देश अपने शिक्षित नवयुवकों के रोजगार की व्यवस्था न करे तो इससे अनेक सामाजिक बुराइयाँ पैदा होती हैं। जनसंख्या और आर्थिक स्थिति का संबंध बताते हुए संसार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टामस माल्थस ने एक शताब्दी पूर्व चेतावनी दी थी कि किसी देश की खाद्य-सामग्री के उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में असाधारण वृद्धि के कारण हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सके।

जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का छटवाँ भाग भारत में बसा हुआ है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत है। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 84 करोड़ 39 लाख हो गई है। पिछले 40 वर्षों में हमने अपनी जनसंख्या को करीब ढाई गुना कर लिया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अभी भी 2.11 प्रतिशत है। यदि इसी दर से वृद्धि होती रही तो इस शताब्दी के अंत तक हमारे देश की जनसंख्या एक अरब से भी अधिक हो जाएगी और तब हमको भीषण संकट का समाना करना पड़ेगा। अतः आज इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इस समस्या पर गंभीरता से विचार करे और

ऐसे प्रयत्न करे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने में हम तभी सफल हो सकेंगे जब हम इसकी वृद्धि के कारणों पर गंभीरता से विचार कर लें। सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तो यह है कि हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है, अधिकांश अशिक्षित व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग नहीं हैं। उत्तरदायित्व को निष्ठा से वहन करने के लिए पुरुषों और स्त्रियों का समान रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। हमारी जनसंख्या के केवल 52.11 प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षित हैं। जनसंख्या के इस प्रतिशत में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं अन्यथा यह प्रतिशत और भी कम होता। अज्ञान के अंधकार में फँसे व्यक्तियों के मन में यह इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती कि वे अपना और अपनी संतान के जीवन स्तर को ऊँचा करें। सड़ी गली रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़े लोगों को मुक्त वातावरण में साँस लेने की कला नहीं आती। संतान को वे ईश्वर की देन कहते हैं। परंपराओं का अनुसरण करते हुए वे आज भी बाल विवाह प्रथा को ढो रहे हैं। वे नहीं समझते कि इस प्रथा का जनसंख्या वृद्धि से घनिष्ट संबंध है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं, जो समझते हैं कि संतानोत्पति से ही उनका लोक-परलोक सुधरता है। इसी प्रकार कुछ जातियों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो, पुत्री प्राप्त कर लेने के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना में जनसंख्या की वृद्धि करते हैं।

इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं के मूल में विद्यमान है। इसलिए आज सारी जनता को एकजुट होकर इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण को हमें जन- आंदोलन का रूप देना है। इसीलिए हमारी सरकार ने परिवार कल्याण की योजना चलाई है। इस योजना को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सभी राज्यों में लोगों को जानकारी देने और जागरूक बनाने के उद्‌देश्य से प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और अब सभी गाँवों में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं। इस योजना से देश को लाभ हुआ है और हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कुछ घटी है। पर अभी तक अभीप्सित परिणाम नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि सरकार को इस योजना में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं हो सका है।

जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हमें युद्ध- स्तर पर कार्य करना होगा। छोटे बच्चों को भी इस समस्या के प्रति सजग करना होगा। इसी उद्‌देश्य से हमारे देश में विद्यालयीय शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को अमल में लाया जा रहा है। हमारे युवक और युवतियाँ आगे आकर एक-एक गाँव में जाकर एक-एक व्यक्ति को सचेत करें, तभी पूर्ण सफलता मिल सकती है। जनसंख्या वृद्धि इस युग की प्रमुख

समस्या है, और जनसंख्या का परिसीमन इस युग का प्रमुख धर्म है। यदि हम अपना, अपने परिवार का, अपने देश का कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें इस धर्म का पालन करना ही होगा। इस धर्म का पालन ही आज सच्ची देशभक्ति है।

8. विज्ञान वरदान है या अभिशाप

विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है -- विशेष या विश्लेषित ज्ञान। मानव आदिकाल से नये-नये आविष्कार करता रहा है और विकास की एक-एक सीढ़ी तय करता रहा है। आविष्कारों के बल पर ही उसने अपना जीवन सजाया-सँवारा है। आज हम जिस युग में साँस ले रहे हैं वह विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियों के प्रभाव को देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने मानव- जीवन को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और आरामदेह बना दिया है। अनुसंधान बहुविध, बहुआयामी और प्रत्येक क्षेत्र में किए गए हैं।

दुनिया के विभिन्न देशों के विकास पर विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज जिस देश ने वैज्ञानिक उपलब्धियों के सहारे अपना औद्योगीकरण कर लिया है, उसी को उन्नत देश कहा जाता है। जिस देश में औद्योगीकरण का स्तर नीचा है वह देश पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगीकरण के आधार पर ही किसी देश की प्रगति को आंका जाता रहा है। विज्ञान ने मानव को पूरी तरह बदल दिया है।

आज वैज्ञानिक गतिविधियों को देखने से विदित नहीं होता है कि विज्ञान मानव के लिए वरदान है या अभिशाप। यह तो सर्वमान्य है कि विज्ञान ने मानव को बहुत अधिक सुख सुविधाएँ प्रदान की हैं। दैनिक जीवन से लेकर उसके जीवन से सम्बद्ध तमाम घटनाओं तक विज्ञान का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्राचीन काल में मानव लंबी दूरियाँ तय करने में कठिनाई महसूस करता था। मोटरकार, रेलगाड़ी और वायुयान की मदद से अगर वह चाहे तो हजारों मील की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर लेता है। रेलगाड़ी से वह आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जलयान द्वारा भी वह हज़ारों मील की दूरी तय कर दुनिया के किसी भी देश में पहुँच सकता है। वैज्ञानिक साधनों ने दुनिया के देशों को बहुत आसपास ला दिया है। दूरी की दृष्टि से आज तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड वैसे ही हैं जैसे कि कलकत्ता, बंबई, दिल्ली। टेलीफोन का आविष्कार भी मानव के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हज़ारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति से हम टेलीफोन से बातचीत कर सकते हैं। इसके आविष्कार से व्यापारिक क्रिया-कलापों में भी काफ़ी सहायता मिली है। व्यापारिक

संबंधों की स्थापना में इससे काफी सहायता मिली है।

मनोरंजन के लिए तो विज्ञान ने तमाम साधन प्रस्तुत किए हैं, टेलीविज़न विज्ञान की आधुनिकतम प्रगति है। देश-विदेश में घटित-घटनाएँ टेलीविज़न के माध्याम से हम देख सकते हैं, तमाम ख़बरें सुन सकते हैं। घर बैठे रेडियो खोलकर हम तरह-तरह की ख़बरें और संगीत सुन सकते हैं। आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव जीवन से हटा दिया जाए तो मानव जीवन शून्य हो जाएगा। दुनिया मानव की मुट्ठी में हो गई हैं। संपूर्ण संसार उसके आसपास नज़र आ रहा है। पृथ्वी एवं आकाश के रहस्य का उद्घाटन विज्ञान से ही हुआ।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। आज मानव द्वारा हृदय एवं मस्तिष्क का आपरेशन भी संभव हो गया है। अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। चिकित्सा विज्ञान ने अंधों को आँखें दी हैं और बहरों को कान। उसने जीवन को सुंदर सुखद और दीर्घ बना दिया है।

परंतु आज मानव के सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है कि विज्ञान के नित नए आविष्कारों के कारण यह बदली हुई स्थिति उसके लिए वरदान होगी या अभिशाप? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि एक ओर जहाँ मानव विज्ञान का उपयोग अपने हित में कर रहा है वहीं दूसरी ओर भयंकर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा मानव की सभ्यता, संस्कृति और उसकी अब तक अर्जित समस्त पूँजी को भस्मीभूत कर देने की तैयारी भी कर रहा है। आज एक देश दूसरे देश को वैज्ञानिक शक्ति के आधार पर ही दबा रहा है। जिस देश के पास जितनी अधिक वैज्ञानिक शक्ति है, वही देश अपने को गौरवान्वित मान रहा है। अमेरिका, रूस आदि राष्ट्र विश्व में इसलिए आगे हैं, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक शक्तियाँ अधिक हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे अणुबमों का आविष्कार किया है कि दुर्भाग्यवश यदि कभी विस्फोट हुआ तो देश-के-देश मृत्यु के गर्त में चले जाएँगे।

कुछ लोग विज्ञान को इसलिए अभिशाप मानते हैं कि इसने बड़े- बड़े संहारक अस्त्रों को जन्म दिया है। इतने प्रकार के घातक हथियारों का निर्माण किया गया है कि सारे संसार को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। हथियारों की यह दौड़ विज्ञान के कारण नहीं बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के कारण है। विश्व का असंतुलित विकास, गरीब और अमीर देशों में दुनिया का विभाजन एवं विकसित पूँजीवादी देशों द्वारा अल्पविकसित देशों पर प्रभुत्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा ने इस विकार को जन्म दिया है। इसलिए विज्ञान को अभिशाप होने से बचाने के लिए विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नई व्यवस्था में हथियारों की होड़ समाप्त होगी और विज्ञान अभिशाप कहलाने के कलंक से बच जाएगा।

9. नदी की आत्मकथा

शैशव काल से ही पिता के लाड़ प्यार ने मुझमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति भर दी थी। स्वच्छंद मनोवृत्ति के कारण उत्सुकता, जिज्ञासा, कौतूहल और निश्चिंतता आदि अनेक भाव मेरी प्रकृति के अभिन्न अंग बन गए। संसार के विस्तार को मापने की आकांक्षा बाल्यावस्था से ही मेरे हृदय में घर कर चुकी थी। घर से बाहर निकल पड़ने के लिए आतुर मेरे कदमों को पिता का असीम वात्सल्य पीछे खींच लेता और असाहय-सी मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो उठती, मन दुविधा में पड़ा रहता। इन्हीं मनः स्थितियों में डूबती-उतरती मैं खिन्न और उदास रहने लगी कि एक दिन पिता ने बड़े स्नेह से मेरा सिर सहलाया और मेरी अशांति का कारण पूछा, अब मुझे कुछ आशा दिखलाई पड़ी! ऐसा लगा मानो तरलता ने कठोरता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। पिंता के स्नेह ने डूबते मन को संबल प्रदान किया और मेरी चिरकालीन अभिलाषा सहसा मुखरित हो उठी। संसार को जानने की इच्छा से यात्रा के लिए प्रस्तुत पुत्री को पिता ने सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान की। "शुभस्य शीघ्रम्" कह उन्होंने अपनी आँखें बंद कीं और समाधि में लीन हो गए।

कल-कल ध्वनि करती हुई मंथर-मंथर गति से जब मैं अपने पिता की गोद से निकल पड़ी तो चेतन ही नहीं जड़ भी मेरी ओर आकर्षित हो उठे। पक्षियों ने कलरव कर मेरी यात्रा के शुभारंभ की सूचना दी। दिशाएँ गूँज उठीं। सूर्य, चंद्र और झिलमिलाते तारों ने अपने प्रकाश से मेरा मार्ग प्रशस्त किया। पत्थरों को तोड़ती, पहाड़ों से जूझती, चट्टानों को धकेलती क्षीणकाय मैं अकेली अपनी धुन में आगे बढ़ती रही। आनंद से झूमते वृक्षों के हरे पत्ते मेरे आगमन पर पुलकित हो उठे। पर्वतीय भागों की यात्रा में वहाँ की निश्छल प्रकृति के साथ मैं एकाकार हो उठी। भोले-भाले पर्वतीय जनों की सरलता, कन्याओं की उन्मुक्त चंचलता, कुलवधुओं के पारस्परिक हास-परिहास, तोतली बोली, भाषाओं की भिन्नता तथा सुकुमार प्रकृति की मनोहरता एवं रमणीयता आदि को देख और सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। कभी-कभी तो पत्थरों के छोटे-बड़े टुकड़ों ने रोकने की इच्छा से मेरा मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया, किंतु उन्हें सरसता का स्वाद देकर कुछ पलों के लिए रुक मैं पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ी। रुकना मुझे रुचिकर नहीं। मुड़कर पीछे देखना भी मैंने जाना नहीं। मैं जीवनमयी हूँ। जलमय, रसमय और आनंदमय।

हिम-शिखरों को पीछे छोड़ जब मैं समतल मैदानी भागों में किलोलें करने लगी तब अकस्मात् मुझे अपने शैशव के दिन याद आए। भावों में डूबी हुई मैं अपनी सुधबुध खो बैठी। विगत स्मृतियों में खोई हुई सोचने लगी – कहाँ गई मेरी वह चंचलता, उन्मुक्त हँसी

और मनमौजी प्रवृति। किंतु दूसरे ही पल अधरों पर आई रहस्यमयी मुस्कान मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर गई। मैंने अनुभव किया कि घुटनों के बल सरक-सरक कर चलती हुई अब मैं सरपट भागने में सक्षम हो चुकी हूँ। न जाने कितने अनगिनत नगरों को बसाती-हँसाती न जाने कितने ग्रामों को हरा-भरा करती, अब मैं विस्तृत और गहरी हो चुकी हूँ। कगारों पर लगे पेड़-पौधे, कँटीली झाड़ियाँ, रंग-बिरंगे फूलों की मादक मनमोहक शोभा मेरी अपनी है। इस प्रकार स्वजनों को आनंदित करती, परिजनों को आश्वस्त करती, मार्ग में आई हुई अपनी अन्य सखी-सहेलियों से छेड़छाड़ करती आज भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। जीवन की गंभीरता और विचारों एवं दृष्टिकोणों की व्यापकता का संदेश देती हुई मैं आज भी वैसी ही इठला रही हूँ जैसी कि उस दिन, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था और महिमामयी माँ वसुंधरा की गोद में मेरा शैशव बीता था।

युवावस्था में मेरी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। मैं उत्तेजना एवं आवेग से भर उठी। उस समय आक्रोश मुझ पर प्रभावी हो जाता है और मेरे विवेक को नष्ट कर देता है। ऐसा ही तो हुआ था अभी जब मैं ग्रामीण अंचलों को पीँछे छोड़ती हुई ढलान पर कुछ ऐसी क्षुब्ध हो उठी कि कगारों के बंधनों को तोड़ खेतों-खलिहानों में घुस गई और बेचारा किसान अपने खून पसीने से सींची हुई फसलों को बर्बाद होते देख अपना सिर धुनता रह गया था। जानवरों को बड़े वेग से बहाती, घरों को ढहाती और गाँवों का सर्वनाश करती जब मैं नगरों में अबाध गति से प्रवेश करने लगी तब नागरिकों में त्राहि-त्राहि मच उठी। विध्वंस करती हुई पूरे वेग से मैं आगे बढ़ती ही गई कि तभी पीछे बहुत दूर से आता हुआ बच्चों और अनाथों का करुण क्रंदन, नर-नारियों का रुदन, चौपायों की चीत्कार कानों में आती रही और क्षण भर के लिए मैं अपनी जगह पर ही स्तंभित खड़ी-की-खड़ी रह गई। अमावस्या का वह भीषण नर-संहार मैं कभी भी न भूल सकूँगी। आत्मग्लानि और पश्चाताप् की आग में जलती हुई मैं सूखकर काँटे-सी हो गई। मन में अशांति घर कर गई। कितने वर्ष बीते, ठीक याद नहीं। महीने और ऋतुएँ बदलती रहीं कि तभी दूर किसी तीर्थस्थली से आती हुई शंखध्वनि ने मुझे चौंका दिया। आत्मबोध के लिए मैं आगे बढ़ती गई। धार्मिक जनों एवं संतों के मंत्रपाठों से अभिषिक्त मुझे वहाँ का वातावरण, जन सम्मेलन, आध्यात्मिक चेतना बड़ी रुचिकर लगी। कुछ दिनों रुककर सत्संग लाभ भी किया और मैं "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से ओतप्रोत हो पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़ी।

अपने हृदय में प्रियतम समुद्र की कल्पना छवि लिए आगे बढ़ती गई। अनंत आकाश मेरा मार्गदर्शन करता रहा। दूर से आती हुई गंभीर गर्जना ने मेरे पैरों में पंख-से लगा दिए। ऐसा लगा मानो मैं विभोर हो उड़ने-सी लगी हूँ तभी भूखण्ड सिमटता-सा जान पड़ा और

विशाल समुद्र की उत्ताल तरंगें मेरा जयघोष करती हुई-सी मेरी ओर आती स्पष्ट दिखलाई पड़ीं। प्रियतम के इस विराट स्वरूप के प्रथम दर्शनमात्र से मेरा अंग-प्रत्यंग रोमांचित हो उठा। कितना सौभाग्यशाली वह दिन था मेरे लिए। हृदय में रूप-छवि का ध्यान किए अपने प्रिय की बाँहों में हर्षातिरेक से जा समाई। प्रियतम हो उठी। पिता के घर से चलकर प्रिय-मिलन तक की यह यात्रा बड़ी रोमांचक, साहसिक और आनंदमय रही है।

10. ओलंपिक खेल

ओलंपिक खेलों का जन्म ईसा से 776 वर्ष पूर्व यूनान के ओलिंपिया नामक स्थान में हुआ था। प्राचीन समय में इस प्रकार के खेलों को एक धार्मिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। कहा जाता है कि ओलंपिक पर्वत पर देवताओं का निवास है। इन खेलों में भाग लेने वाला हर आदमी पहले दिन ओलंपिया स्थित ज़ियस देवता के मंदिर में पूजा पाठ करता था। इस मंदिर के पवित्र कुंज में उगने वाले जैतून की पत्तियों का मुकुट बनाया जाता था, जिसे विजेता खिलाड़ी को पहनाया जाता था।

चार वर्ष के काल को ओलंपिया कहते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन चार-चार साल के अंतर पर यूनान में होता था। सन् 776 ई. पू. से सन् 398 तक जून-जुलाई में इन खेलों का आयोजन होता रहा। प्रारंभ में केवल 200 गज की दौड़ें होती थीं। बाद में चलकर कुश्ती, मुक्केबाजी, रथों की दौड़, शारीरिक व्यायाम, कूदफाँद, चक्का और भाला फेंकना आदि खेलों को भी ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया गया। कई वर्ष तक यह खेल ओलंपिया में ही खेले जाते रहे। तब इन्हें अलग-अलग शहरों में आयोजित नहीं कराया जाता था। लेकिन जब यूनान को रोम ने जीत लिया तो रोम के राजा ने अपने नगर "रोम" में इनका आयोजन कराया। रोम के राजा की मृत्यु के पश्चात् ओलंपिक खेल फिर से ओलंपिया चले आए। आरंभ में खेलों के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता था। लेकिन बाद में बहुत से खिलाड़ी नियमों को तोड़ने लगे। धन का अभाव, खिलाड़ियों द्वारा बहुमूल्य पुरस्कारों की माँग, पेशेवर खिलाड़ियों की भरमार, खेलों में राजनीति के प्रवेश के कारण इन खेलों का नियमित आयोजन बंद हो गया और तब ओलंपिक खेलों के आदर्श आयोजनों ने जैसे चुप्पी साध ली।

उन्नसवीं शती के अंत में फ्रांस के एक शिक्षक पियरे द कुबर्तिन ने ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने की कल्पना की। कुबर्तिन ने सोचा कि ये खेल विभिन्न राष्ट्रों के बीच बंधुत्व की भावना स्थापित कर सकते हैं। इसलिए उसने 16 जून 1894 को विश्व भर के क्रीड़ा- प्रेमी प्रतिनिधियों की एक सभा में यह प्रस्ताव रखा कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के आदर्श पर

अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रति चार वर्ष के अंतर पर किया जाए तथा उन्हें ओलंपिक खेलों की संज्ञा दी जाए। इस प्रकार फ्रांस के एक शिक्षक के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ओलंपिक खेलों का आयोजन पुनः शुरू किया गया।

ओलंपिक प्रतियोगिताएँ प्रति चार वर्ष के अंतराल में पूर्वनिर्धारित किसी देश में होती हैं। ओलंपिक खेलों का संचालन एक अंतर्राष्ट्रीय समिति करती है। इसके आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह समारोह 26 दिनों तक चलता है। समारोह के पहले दिन अपनी-अपनी विशिष्ट पोशाकों को पहने विभिन्न देशों के प्रतियोगी अपना-अपना राष्ट्र ध्वज उठाए परेड करते हैं। इसके बाद श्वेत रंग के ओलंपिक ध्वज को फहराते हुए खेलों का अध्यक्ष समारोह का उद्घाटन करता है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक है पाँच रंगीय (नीला, पीला, काला, हरा और लाल) और अंतर्जटित छल्ले जो संसार के पाँच महाद्वीपों (अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और आस्ट्रेलिया) की एकता का द्योतन करते हैं। खेल प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक प्रतियोगी को यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह पूरी निष्ठा के साथ, प्रत्येक नियम का पालन करता हुआ, खेल की सात्विक भावना के साथ खेलों में भाग लेगा और अपने देश के सम्मान का पूरा-पूरा ध्यान रखेगा।

इस प्रकार आधुनिक युग की ओलंपिक खेल-प्रतियोगिता 1896 ई. में यूनान के एथेंस नगर में हुई, जिसमें कुल आठ देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। इसमें 12 खेल सम्मिलित किए गए। दूसरी बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। तीसरी प्रतियोगिता 1904 में सैंट लुई (अमेरिका) में हुई। इनमें अमेरिका के खिलाड़ियों ने अधिक पदक जीते। चौथी ओलंपिक प्रतियोगिता 1908 में लंदन में हुई, जिसमें ब्रिटेन के खिलाड़ी पदक विजेताओं में सबसे आगे थे। पाँचवी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1912 ई. में स्टाकहोम (स्वीडन) में हुई। इसका आयोजन बड़ा ही भव्य था। पेटेथलन (अर्थात पाँच शारीरिक खेलों की संयुक्त प्रतियोगिता) और डेकेथलन (अर्थात् दस शारीरिक खेलों की संयुक्त प्रतियोगिता) की शुरुआत भी इसी अवसर पर हुई।

प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 ई. में और दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1940 में ओलंपिक प्रतियोगिताएँ नहीं हो सकीं। 1920 ई. में एंटवर्प (बेल्जियम) और 1924 में पेरिस में ये प्रतियोगिताएँ हुईं। भारत के खिलाड़ी पहली बार 1920 के ओलंपिक खेलों में सम्मिलित हुए। नवीं ओलंपिक प्रतियोगिता एमस्टर्डम (हालैंड) में 1928 में हुई, जिसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। जापान और मिस्र ने भी पहली बार स्वर्ण पदक जीते। इसी वर्ष कुबर्तिन के सम्मान में एक भव्य समारोह हुआ। भारत ने 1932 के खेलों में पुनः

हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। 1936 में बर्लिन में बड़ी शानदार ओलंपिक प्रतियोगिताएँ हुईं। उसमें 53 देशों ने भाग लिया। इसके आयोजन में हिटलर ने बीस करोड़ रुपए खर्च किए। भारत ने पुनः हॉकी में पहला स्थान प्राप्त किया। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे। इस वर्ष से ओलंपिक खेलों का आरंभ ओलंपिक ज्योति से होने लगा। यह ज्योति एथेंस में सूर्य-किरणों से प्रज्जवलित कर वहीं के धावक द्वारा लाई जाती है।

इस प्रकार 1948 (लंदन), 1952 (हेलसिंकी), 1958 (मैलबोर्न), और 1960 (रोम) में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। 1956 में भारत ने छठी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक प्रतियोगिता 1964 में टोक्यो में हुई जो एशिया में होने वाली पहली प्रतियोगिता थी। 1968 (मैक्सिको सिटी), 1972 (म्यूनिख), 1976 (मांट्रियल) और 1980 में मास्को में ये प्रतियोगिताएँ हुईं। मास्को में पुनः भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। 1984 में लास एंजेल्स, 1988 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ओलंपिक प्रतियोगिताएँ हुईं। 1992 में बारसिलोना (स्पेन) में ओलंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। ओलंपिक खेलों का महत्त्व सर्वमान्य है। ओलंपिक प्रतियोगिता के आयोजन द्वारा सारे देश एक दूसरे के निकट आते हैं। विश्वबंधुत्व कायम करने में इनका विशेष योगदान है।

11. साहित्य समाज का दर्पण है

साहित्यकार मस्तिष्क, बुद्धि और हृदय से संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अनुभूति का संपूर्ण विषय समाज, उसकी समस्याएँ, मानव जीवन और जीवन के मूल्य हैं, जिनमें वह साँस लेता है। जब कभी उसे घुटन की अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में प्रकट हो जाती है। समाज से उसका यह रिश्ता उसे साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है और तभी उसके साहित्य को समाज स्वीकार भी करता है।

सामाजिक प्रभाव और दबाव की उपेक्षा कर साहित्यकार एक कदम भी आगे नहीं चल सकता और यदि चलता भी है तो आवश्यक नहीं कि साहित्य पर समाज का यह प्रभाव सदैव अनुकूल हो, वह प्रतिकूल भी हो सकता है। कबीर की साखियों तथा प्रेमचंद के कथा साहित्य के अध्ययन से यही बात स्पष्ट होती है। कबीर ने अपने समय के धार्मिक बाह्याडंबरों, सामाजिक कुप्रवृतियों, रूढ़ियों एवं खोखली मान्यताओं के विरोध में अपना स्वर बुलंद किया। निराला के साहित्य में ही नहीं उनके व्यक्तिगत जीवन में भी यही संघर्ष बराबर बना रहा। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में सर्वत्र किसी न किसी सामाजिक

समस्या के प्रति उनकी गहरी संवेदना दिखाई देती है। अस्तु साहित्यकार अपने युग तथा समाज के प्रभाव से अपने को अलग रखना भी चाहे तो कदापि नहीं रख सकता।

साहित्य समाज का दर्पण होता है, किंतु इस कथन का यह आशय नहीं कि साहित्यकार समाज का फोटोग्राफर है और सामाजिक विद्रूपताओं, कमियों, दोषों, अंधविश्वासों और मान्यताओं का यथार्थ चित्रण करना उसका उद्देश्य होता है। साहित्यकार का दायित्व वस्तुस्थिति का यथातथ्य चित्रण मात्र प्रस्तुत कर देना ही नहीं, उनके कारणों का विवेचन करते हुए श्रेयस मार्ग की ओर तक ले जाना है। साहित्य युग और समाज का होकर भी युगांतकारी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सुंदरतम समाज का जो भी रूप हो सकता है उसका भी एक रेखाचित्र प्रस्तुत करता है। उसमें रंग भर कर जीवंतता प्रदान कर देना पाठकों एवं सामाजिकों का कार्य होता है। इस प्रकार जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के कारण साहित्यकार एक देशीय होकर भी सार्वदेशिक होता है।

"ज्ञान-राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है।" महावीरप्रसाद द्विवेदी के इस कथन से भी यही बात स्पष्ट होती है कि किसी भी देश, जाति अथवा समाज की सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट चित्रण उसका साहित्य है। प्रत्येक युग का उत्तम और श्रेष्ठ साहित्य अपने प्रगतिशील विचारों, रचनात्मक संस्कारों एवं भावात्मक संवेदनाओं को एक स्वरूप प्रदान करता है, उनको भली-भाँति सफलतापूर्वक वहन करता है।

साहित्य का प्रासाद समाज की पृष्ठभूमि पर ही प्रतिष्ठित होता है। जिस काल में जिस जाति की जैसी सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी, उसका साहित्य भी निःसंदेह वैसा ही होगा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में यह तथ्य देखा जा सकता है। आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, इस प्रकार से युद्ध काल था। इस युग का साहित्य युद्धों और आश्रयदाताओं की प्रशस्तियों से अनुप्राणित होता है। इस काल के साहित्य में वीर और शृंगार रस ही प्रमुखता प्राप्त कर सके और चारण कवियों का प्राधान्य बना रहा।

फिर मध्य काल का भक्ति आंदोलन प्रकट हो सामने आया और इस युग ने कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे कवियों को जन्म दिया।

मध्यकालीन सामंतीय समाज रीतिकालीन कवियों को सामने लेकर आया, जिसमें राधा और कृष्ण का पवित्र स्वरूप भी विकृत हो उठा। लेकिन कुछ अपवाद भी मौजूद हैं। बिहारी की एक अन्योक्ति ने नवोढ़ा रानी से प्रेम में आबद्ध महाराज जयसिंह के मन को परिवर्तित कर दिया, उनकी मोह मूर्च्छा को तोड़ दिया।

युग बदल गया और देश अंग्रेजों के चुंगल में ज। फँसा। सदियों से पराधीन देशवासियों में निराशा फैल गयी। विदेशियों की दमन-नीति बढ़ने लगी। साहित्य मौन न रह सका।

भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त जैसे प्रबुद्ध साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से निराश भारतीयों में एक नए विश्वास और नई चेतना को जागृत करते हुए समय की पुकार सुनी। माखनलाल चुतर्वेदी की निम्न लिखित पंक्तियों ने न जाने कितने देशभक्त नवयुवकों को अपनी मातृभूमि के चरणों पर शीश चढ़ाने की प्रेरणा दी :

"मुझे तोड़ लेना बनमाली,
उस पथ पर तुम देना फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने,
जिस पथ पर जाते वीर अनेक॥"

इन पंक्तियों में पराधीन भारतीय समाज की दबी-कुचली आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति मिली है। गुलामी की शृखला तोड़ने के लिए व्यग्र भारत की आकांक्षा का चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार फ्रांसीसी जन क्रांति के मूल में रूसो और वाल्टेयर के लेख ही तो सक्रिय थे। इसकी छाप अंग्रेजों के स्वच्छंदतावादी कवियों की रचनाओं पर भी पड़ी है। टाल्स्यटाय का साहित्य रूसी क्रांति की पूर्व संध्या का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।

किसी भी देश और जाति की सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट चित्र उस देश अथवा जाति में बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होता है, क्योंकि समाज और साहित्य एक-दूसरे से अभिन्न हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं है। रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, रामचरितमानस, पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी- गोदान आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। साहित्यकार युग का चित्रकार होता है। उसके साहित्य में अपने समाज का जीवन-स्पंदन विद्यमान रहता है। इसी अर्थ में वह उसका दर्पण होता है।

12. पर्यावरण प्रदूषण

पर्यावरण शब्द का निर्माण "परि" तथा "आवरण" के योग से हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढकने वाला; अर्थात् जो हमारे चारों ओर फैल कर हमें ढके हुए है। यों भी कह सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, वही पर्यावरण है। प्रकृति ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखों की होड़ में उसे दूषित कर दिया। वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएँ, रासायनिक गैसों, एवं शोर शराबे ने वातावरण को प्रदूषित किया है। वनों

की कटाई के कारण प्रदूषण और भी भयंकर होता जा रहा है।

पर्यावरण दो प्रकार का होता है – प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति से संबंधित है, इसमें वायु, जल, भूमि, वन, पशु, पक्षी, खनिज पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक पर्यावरण मानव संबंधों को प्रकट करता है। सामाजिक आर्थिक, तथा राजनैतिक संबंध सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण मुख्यतः चार प्रकार का होता है – वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा अणु प्रदूषण। हर प्रकार का प्रदूषण किसी-न-किसी रूप में रोगों में वृद्धि करता है, जीवन में तनाव तथा मानसिक और शारीरिक व्यग्रता को बढ़ावा देता है।

वायु हमारे प्राणों का आधार है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना और कार्बन-डाइ-आक्साइड तथा कार्बनमोनोआक्साइड सरीखी हानिकारक गैसों की मात्रा का बढ़ाना ही वायुप्रदूषण का लक्षण है। वायुमण्डल में कार्बन-डाई-आक्साईड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। नगरों में मोटर गाड़ियों द्वारा छोड़े गए धुएँ तथा कल कारखानों की चिमनियों से निकले धुएँ से वायु प्रदूषण होता है। वे व्यवसाय जिनमें प्रचुर मात्रा में धूल उड़ती है (जैसे – सीमेंट, चूना, खनिज आदि) तथा वे व्यवसाय जो दुर्गंधयुक्त भाप उत्पन्न करते हैं (जैसे – पशु वध, चमड़ा तैयार करना, साबुन या चर्बी का व्यापार आदि) वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रदूषित वायु के कारण अनेक रोग; जैसे – रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग तथा नेत्र संबंधी रोग आदि बढ़ रहे हैं। बालू के महीन कणों से यक्ष्मा (टी. बी.) आदि रोगों के होने की संभावना रहती है।

वनों के संरक्षण एवं संवधर्न द्वारा वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। वन कार्बन-डाई-आक्साइड का उपभोग करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भू-स्खलन, भू-क्षरण, रेगिस्तानों के विस्तार को रोकने के लिए, जल स्रोतों को सूखने से बचाने के लिए तथा वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित होने वाली भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों पर निरंतर हो रहे कुठाराघात पर रोक लगानी होगी। कारखानों में ऊँची-ऊँची चिमनियाँ तथा राख एकत्रित करने की मशीनों का उपयोग अनिवार्य करना होगा। बदबूदार उद्योगों पर नियंत्रण करना होगा। सरकार इस दिशा में भरसक प्रयास कर रही है।

जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ एवं निरापद पीने का पानी न मिलने के कारण गाँवों तथा शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक व्यक्ति जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न रोगो के कारण मर रहे हैं। गाँवों तथा शहरों की गंदी नालियों का जल कुएँ, जलाशय, नदी आदि में गिर कर जल

प्रदूषण करता है। मनुष्य द्वारा जल स्रोतों के पास मल-मूत्र त्याग करने, तालाबों आदि में पालतू जानवर नहलाने, तालाब या नदियों के किनारे कपड़े धोने, आस-पास के वृक्षों के पत्ते एवं अन्य कूड़े के जल में गिर कर सड़ने, कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट विषैले पदार्थों एवं गंदे जल के नदियों में गिराने आदि से जल प्रदूषण होता है। जल-प्रदूषण के कारण हैजा, टाइफाइड, पीलिया, आंत्रशोध आदि रोग फैल जाते हैं।

जल को दूषित करने वाले उपर्युक्त कारणों का निराकरण करके जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। यदि तालाबों, नदियों, कुओं आदि को जल की सफाई के साथ सुरक्षित रखा जाए, इनकी समय-समय पर सफाई की जाए, रासायनिक क्रियाओं द्वारा परिशोधन किया जाए, क्लोरिन अथवा लाल दवाई (पोटेशियम परमैंगनेट) आदि का प्रयोग किया जाए तथा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का पालन किया जाए तो जल प्रदूषण से बचा जा सकता है।

अनावश्यक, असुविधाजनक तथा अनुपयोगी आवाज़ ही शोर है। एक व्यक्ति के लिए जो संगीत है वही दूसरे के लिए शोर हो सकता है। हवाई जहाजों और जेट विमानों के भीषण गर्जन, सड़कों पर मोटरों की पों-पों, ट्रकों की धड़-धड़, कारखानों से आने वाली तेज आवाज़, रेलगाड़ी की आवाज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से लाउडस्पीकरों का शोर, टी. वी. एवं रेडियो का शोर, ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। शोर पर अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों का मत है कि शोर एक अदृश्य प्रदूषण है जो मानव मात्र के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। तीव्र ध्वनि या अचानक हुए शोर के कारण कान की ध्वनि ग्राही कोशिकाओं के संवेदी रोम नष्ट हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य केवल श्रवण दोष से ग्रसित ही नहीं होता उसे रक्तचाप, अल्सर, तेज सिरदर्द, अनिद्रा आदि रोग भी हो सकते हैं।

यह जानते हुए भी कि अणु का निर्माण घातक है, आज विश्व के अनेक देश आण्विक शक्ति का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि अन्य देश उन्हें कमजोर न समझें। कहा भी है – "क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो"... । अणुशक्ति को निश्चित अवधि से पूर्व निष्क्रय करने, शत्रु देश के लिए उसका प्रयोग करने (जैसा जापान के लिए) के कारण आण्विक प्रदूषण होता है। इससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं या अपंग हो जाते हैं तथा निर्जनता का राज्य हो जाता है। एक ओर हमें आण्विक शक्ति के प्रयोगों पर रोक लगानी चाहिए दूसरी ओर इसका उपयोग विनाशक कार्यों के लिए न करके रचनात्मक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए तभी हम विश्व शांति और सौहार्द्र की बात कर सकते हैं जो आज के युग में अति आवश्यक है।

इस बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति जन-सामान्य एवं भारत सरकार दोनों ही सजग हो रही

हैं। जन-साधारण के स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आन्दोलन उभरकर आया है तो सरकारी स्तर पर वन-रक्षा एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हो गई है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। प्रदूषण का निराकरण तभी हो सकता है जब जनता एवं सरकार का समवेत प्रयास इस दिशा में निरंतर होता रहे।

अध्याय 20

अलंकार

अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों की सुन्दरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं।

साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्त्व होता है। कहीं शब्द-प्रयोग से तथा कहीं अर्थ चमत्कार से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। इसी आधार पर अलंकार के मुख्य दो भेद माने जाते है:

1. शब्दालंकार
2. अर्थालंकार

शब्दालंकार

जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार माना जाता है।

मुख्य शब्दालंकार

1 *अनुप्रास*

जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।

उदाहरण

1. कल कानन कुंडल मोरपखा उर पै बनमाल बिराजति है।
2. जो खग हौ तो बसेरे करौ मिलि –

कालिंदी कूल कदंब की डारनि

यहाँ दोनों उदाहरणों में क वर्ण की आवृत्ति होने से शब्द सौंदर्य में वृद्धि हुई है अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

अन्य उदाहरण

कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥

2 *यमक*

"वहै शब्द पुनि-पुनि परै अर्थ भिन्न ही भिन्न" अथार्त जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है।

उदाहरण

1. काली घटा का घमण्ड घटा।

   यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न-भिन्न अर्थ में हुई है।

   घटा = वर्षा काल में आकाश में उमड़ने वाली मेघमाला

   घटा = कम हुआ।

2. कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी

इस पंक्ति में बेनी शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थों में आवृत्तिपूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रथम बेनी शब्द कवि का नाम है और दूसरा बेनी (वेणी) चोटी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

अन्य उदाहरण

कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय।

वा खाए बौराए जग या पाए बौराए॥

3. *श्लेष*

जहाँ किसी शब्द का अधिक अर्थ में एक ही बार प्रयोग हो। वहाँ श्लेष अलंकार होता है।

श्लेष शब्द का अर्थ चिपकना है। दूसरे शब्दों में –

श्लेष की परिभाषा करते हुए कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष होता है।

उदाहरण

1. मधुवन की छाती को देखो,

   सूखी कितनी इसकी कलियाँ

यहाँ कलियाँ शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, किंतु इसमें अर्थ की भिन्नता है।

क. खिलने से पूर्व फूल की दशा

ख. यौवन पूर्व की अवस्था।

2. रहिमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय।
बारे उजियारो लगै बढ़े अँधेरो होय॥

यहाँ बारे और बढ़े शब्दों में श्लेष है।

अर्थालंकार

जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। कुछ मुख्य अर्थालंकार यहाँ दिए जाते हैं –

4 *उपमा*

जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है।

उपमा के चार तत्व होते हैं –

(क) *उपमेय* : वह वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जाए अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो। उपमा (तुलना) करने योग्य होने से इसे उपमेय कहते हैं। इसे प्रस्तुत या वर्ण्य भी कहते हैं। *चंद्रमा के समान सुंदर मुख।* इस वाक्य में *मुख* उपमेय है।

(ख) *उपमान* : वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत या अवर्ण्य भी कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में *चंद्रमा* उपमान है।

(ग) *साधारण धर्म* : उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। प्रस्तुत उदाहरण में सुंदर शब्द साधारण धर्म है।

(घ) *वाचक शब्द* : वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं। ज्यों, जैसा, सम, तुल्य, सा, सी, सरिस आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उपरिलिखित उदाहरण में *समान* वाचक शब्द है।

जहाँ ये चारों तत्व विद्यमान हों वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है और एक या अधिक तत्वों के अभाव में लुप्तोपमा अलंकार माना जाता है।

1. हाय फूल-सी कोमल बच्ची। हुई राख की थी ढेरी॥

यहाँ 'फूल' उपमेय, 'बच्ची' उपमान, 'कोमल' साधारण धर्म और 'सी' वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं अतः पूर्णोपमा अलंकार है।

2. यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे।

यहाँ अरविंद से शिशुवृंद में साधारण धर्म नहीं है। अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है।

अन्य उदाहरण

1. नदियाँ जिनकी यशधारा-सी
   बहती हैं अब भी निशि-बासर॥
2. मखमल के झूले पड़े हाथी-सा टीला।
3. पीपर पात सरिस मन डोला।

5 *रूपक*

जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है।

उदाहरण

1. मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों।
   यहाँ चंद्रमा (उपमेय) में खिलौना (उपमान) का आरोप होने से रूपक अलंकार है।
2. चरण-कमल बंदौ हरिराई
   यहाँ हरि के चरणों (उपमेय) में कमल (उपमान) का आरोप हुआ है।

   अन्य उदाहरण

   सब प्राणियों के मत्तमनोमयूर अहा नचा रहा।

6. *उत्प्रेक्षा*

जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि इसके बोधक शब्द हैं।

1. कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए।
   हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए॥

यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों (उपमेय) में ओस जल- कण युक्त पंकज (उपमान) की संभावना की गई है।

2. इस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा।
   मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा॥

7 *अतिशयोक्ति*

जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति

अलंकार होता है।

उदाहरण

1. आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार।
   राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।

यहाँ सोचने की क्रिया की पूर्ति होने से पहले ही घोड़े का नदी के पार पहुँचना लोक-सीमा का अतिक्रमण है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है।

2. हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग।
   लंका सिगरी जल गई, गए निसाचर भाग॥

यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है।

8 *अन्योक्ति*

जहाँ उपमान (अप्रस्तुत) के वर्णन के माध्यम से उपमेय (प्रस्तुत) का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है।

उदाहरण

जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार।
अब, अलि रही गुलाब में, अपत कँटीली डार॥

यहाँ अलि के माध्यम से एक ऐसे गुणी की ओर संकेत किया गया है, जिसका आश्रयदाता पत्रहीन शाखा (धनहीन) गुलाब जैसा रह गया हो।

प्रश्न और अभ्यास

1. अलंकार शब्द का अर्थ बताइए।
2. शब्दालंकार से क्या तात्पर्य है?
3. अर्थालंकार किसे कहते हैं?
4. उपमान और उपमेय किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
5. उपपा तथा रूपक अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए
6. दो शब्दालंकारों तथा दो अर्थालंकारों के नाम बताइए।
7. निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए –
   1. तरनि-तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।

2. मृदु मंद-मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंस-सी सुंदर
प्रतिभट-कटक कटीले कोते काटि-काटि
3. कालिका-सी किलकि कलेऊ देती काल को।
4. रावनु रथी बिरथ रघुबीरा
5. रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
6. उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भृंग।
7. वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा-सी,
वह दीप शिखा-सी शांत भाव में लीन
वह टूटे तरन की छूटी लता-सी दीन,
दलित भारत की विधवा है।
8. सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलोने गात
मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात
9. माली आवत वेखकर कलियँ करैं पुकार
फूले-फूले चुन लिए काल्हि हमारी बार।
10. राम नाम-अवलंब बिनु, परमारथ की आस,
बरसत बारिद बूँद गहि, चाहत चढ़न अकास।
11. पच्छी परछीने ऐसे परे परछीने बीर,
तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के।

खंड ग

परिशिष्ट

परिशिष्ट

1. मुहावरे-लोकोक्तियाँ
2. शब्द-सूची
   (क) पर्यायवाची (समानार्थी)
   (ख) शब्दों के अर्थ भेद
   (ग) एकार्थी
   (घ) अनेकार्थी
   (ङ) अनेक के लिए एक शब्द
   (च) समरूपी भिन्नार्थक
   (छ) पुनरुक्त
   (ज) विपरीतार्थक
3. **शब्द परिवार**
4. **शब्द शक्ति**

मुहावरे

1. अंधे की लाठी	एकमात्र सहारा
2. अक्ल का दुश्मन	मूर्ख व्यक्ति
3. अपना राग अलापना	अपने बारे में ही बात करना, अपने ही मतलब की बात करना
4. अपने पैरों पर खड़ा होना	स्वावलंबी होना
5. आँख चुराना	सामने न आना, कतराना
6. आँखें दिखाना	क्रोध प्रकट करना
7. आँख का काँटा होना	दुश्मन होना, अप्रिय लगना
8. आकाश- पाताल एक करना	बहुत परिश्रम करना, पूरी शक्ति से कोई काम करना
9. आग में घी डालना	क्रोध भड़काना
10. आपे से बाहर होना	क्रोध में होश खो बैठना
11. आस्तीन का साँप	धोखा देने वाला साथी
12. आँसू पोंछना	सांत्वना देना
13. आबरू उतारना	बेइज्जत करना
14. आसमान से बातें करना	बहुत ऊँची बातें करना
15. ईद का चाँद होना	बहुत दिनों बाद दिखना
16. ईंट से ईंट बजाना	नष्ट- भ्रष्ट कर देना
17. ऊँगली पर नचाना	वश में करना
18. उँगली उठाना	दोषारोपण करना
19. ओखली में सर देना	जानबूझ कर विपत्ति में पड़ना
20. कंठ का हार होना	बहुत प्रिय होना
21. कफन सिर पर बाँधना	मरने को तैयार रहना
22. कटे पर नमक छिड़कना	दुखी व्यक्ति को और दुखी करना
23. कठपुतली होना	पूर्णतः किसी के वश में होना
24. कमर टूटना	बहुत नुकसान होना
25. कलई खुलना	भेद खुल जाना
26. कलेजे का टुकड़ा	बहुत प्रिय

27. कान का कच्चा होना	बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना
28. काम आना	वीरगति प्राप्त करना
29. ख्याली पुलाव पकाना	असंभव को संभव समझना, निराधार मंसूबे बाँधना
30. गड़े मुर्दे उखाड़ना	बीती बातों को अनावश्यक दुहराना
31. गागर में सागर भरना	थोड़े शब्दों में बहुत कह देना
32. गाल बजाना	बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करना
33. गिरगिट की तरह रंग बदलना	सिद्धांतहीन होना
34. गुड़ गोबर करना	बात बिगाड़ देना
35. गुदड़ी का लाल	सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति
36. घड़ों पानी पड़ जाना	बहुत शर्मिन्दा होना
37. घी के दीए जलाना	बहुत खुश होना
38. घाट- घाट का पानी पीना	अनेक स्थानों का अनुभव होना
39. घोड़े बेच कर सोना	गहरी नींद सोना
40. चिराग तले अंधेरा	महत्त्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना
41. चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना	डर जाना या घबरा जाना
42. छठी का दूध याद आना	कठिनाई का अनुभव होना, कठिन स्थिति में डालना
43. छाती पर मूँग दलना	बहुत तंग या परेशान करना
44. छाती पर साँप लोटना	जलना
45. छिपा रुस्तम	देखने में साधारण, वास्तव में गुणी
46. छोटा मुँह बड़ी बात	अपनी सीमा से बढ़कर बोलना
47. जान पर खेलना	जोखिम उठाना
48. टका-सा जवाब देना	साफ इनकार करना
49. तारे गिनना	व्यग्रता से प्रतीक्षा करना
50. तूती बोलना	बहुत प्रभाव होना
51. दाँत खट्टे करना	बुरी तरह हराना
52. दाँत काटी रोटी होना	पक्की दोस्ती होना
53. दाँतों तले ऊँगली दबाना	विस्मय प्रकट करना

54. दाहिना हाथ होना	बहुत बड़ा सहायक होना
55. दिन दूनी रात चौगनी	अधिकाधिक उन्नति
56. धरती पर पाँव न पड़ना	अभिमान से भरा होना
57. नमक हलाल होना	कृतज्ञ होना
58. नाक रख लेना	इज्जत बनाए रखना
59. निन्यानवे के फेर में पड़ना	रुपया बटोरने के चक्कर में पड़ना
60. पहाड़ टूटना	बहुत भारी कष्ट आ पड़ना
61. पर निकलना	स्वच्छंद हो जाना
62. पाँव उखड़ जाना	स्थिर न रह पाना, युद्ध में हार जाना
63. पानी- पानी हो जाना	अत्यंत लज्जित होना
64. पारा उतरना	क्रोध शांत होना
65. फूँक- फूँक कर कदम रखना	बड़ी सावधानी से काम करना
66. फूला न समाना	बहुत प्रसन्न होना
67. बहती गंगा में हाथ धोना	अवसर का फ़ायदा उठाना
68. बाग- बाग होना	बहुत प्रसन्न होना
69. बाल- बाँका न होना	कुछ हानि न होना
70. मझधार में छोड़ना	परिस्थिति के बीच में छोड़ देना
71. मुँह की खाना	सबके सामने पराजित होना
72. मुँह तोड़ जवाब देना	अपमान पूर्ण उत्तर देना
73. मुँह में पानी भर आना	जी ललचाना
74. मुट्ठी गरम करना	रिश्वत देना
75. राई का पर्वत बनाना	बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना
76. लकीर का फकीर होना	रूढ़िवादी होना
77. लहू का घूँट पीकर रह जाना	अपमान सहन कर लेना
78. लाल- पीला होना	क्रोध करना
79. वेद वाक्य मानना	सत्य मानना, ईश्वर की वाणी समझना
80. सिर पर चढ़ना	प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना
81. सिर आँखों पर बिठाना	बहुत आदर करना
82. सिर से पानी गुजर जाना	सहनशीलता की सीमा टूट जाना
83. सोने में सुहागा होना	अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना

84. हाथ फैलाना	माँगना
85. हाथ मलना	पछताना
86. हथियार डालना	पराजय स्वीकार कर लेना
87. हथेली पर सरसों उगाना	असंभव काम को संभव करना
88. हाथ धोकर पीछे पड़ जाना	किसी को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार
89. होश उड़ना	डर जाना

लोकोक्तियाँ

1. अधजल गगरी छलकता जाए	ओछा मनुष्य अभिमान से भर जाता है
2. आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास	आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना
3. एक पंथ दो काज	एक काम में दोहरा लाभ
4. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली	दो असमान व्यक्तियों की तुलना
5. का बरखा जब कृषि सुखाने	काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है
6. जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई	जिसने दुख नहीं भोगा वह दुखिया का कष्ट नहीं समझता
7. दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम	अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है
8. दूध का जला छाछ को भी फूँक- फूँक कर पीता है	एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है
9. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का	अस्थिरता के कारण कहीं का भी न बन पाना
10. न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी	विवाद को जड़ से ही नष्ट कर देना
11. बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख	माँगना अच्छा नहीं
12. हाथ कँगन को आरसी क्या	प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं
13. होनहार बिरवान के होत चीकने पात	होनहार व्यक्तियों का बचपन में ही पता चल जाता है
14. अंत भले का भला	अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है

15. अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत	काम बिगड़ जाने पर दुखी होने से कोई लाभ नहीं
16. आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावै	लालच छोड़ थोड़े में ही संतोष करना चाहिए लालची को कुछ भी नहीं मिलता
17. आम के आम गुठलियों के दाम	दोहरा लाभ
18. खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है	बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है
19. खोदा पहाड़ निकली चुहिया	बड़ा प्रयत्न करने पर बहुत थोड़ा लाभ
20. गंगा गए तो गंगा दास जमुना गए तो जमना दास	परिस्थितियों के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति
21. चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात	थोड़े दिन की ऐश, पुनः वही कष्ट
22. जाको राखे साइयाँ मार सके न कोए	जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कष्ट नहीं पहुँचा सकता
23. जैसी करनी वैसी भरनी	किए का फल भोगना पड़ेगा
24. जो गरजते हैं वे बरसते नहीं	शेखी/ डींग मारने वाले काम नहीं करते
25. न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी	किसी बहाने काम न करना
26. नाच न जाने आँगन टेढ़ा	अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना
27. भागते भूत की लंगोटी भली	जो मिल गया वही काफी
28. साँच को आँच नहीं	सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं
29. हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और	कपटपूर्ण व्यवहार
30. अपना हाथ जगन्नाथ	स्वयं का कार्य सबसे अच्छा होता है
31. आप भला तो जग भला	अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं
32. ऊँट के मुँह में जीरा	आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम
33. एक तन्दुरुस्ती हजार नियामत	स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है
34. एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी	अपराधी होकर उलटे अकड़ डाले
35. एक म्यान में दो तलवारें	सबल प्रतिद्वंद्वी एक साथ नहीं रह सकते
36. कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर	एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है
37. कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती का कुनबा जोड़ा	असंगत वस्तुओं का मेल बैठाना, बिना सिर पैर का काम करना

38. काठ की हांडी बार- बार नहीं चढ़ती	कपट और धोखे का व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता
39. कोयले की दलाली में मुँह काला	बुरे काम से बुराई ही पैदा होती है
40. खग जाने खग ही की भाषा	चालाक ही चालाक की बात समझता है
41. गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए	चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया
42. घर फूँक तमाशा देखना	शान के लिए औकात से बाहर खर्च करना
43. चोर की दाढ़ी में तिनका	अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है
44. चौबे गए छब्बे बनने, दूबे ही रह गए	लाभ के स्थान पर हानि होना
45. जंगल में मोर नाचा किसने देखा	योग्यता एवं वैभव का ऐसे स्थान पर प्रदर्शन जहाँ कद्र करने वाला कोई न हो
46. जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना	कृतघ्न होना
47. जैसा देश वैसा भेष	जहाँ रहो, वहाँ वैसी रीति पर चलो
48. जैसे नाग नाथ वैसे साँप नाथ	दोनों ही एक समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति रखते हैं
49. डूबते को तिनके का सहारा	आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है
50. तेली का तेल जले मसालची का दिल जले	एक को खर्च करते देख दूसरा परेशान
51. थोथा चना बाजे घना	ज्ञान कम दिखावा अधिक
52. दूध का दूध पानी का पानी	निरपेक्ष न्याय करना
53. नेकी कर दरिया में डाल	किसी का उपकार करके भूल जाना श्रेष्ठ है
54. नौ की लड़की नब्बे खर्च	जितने मूल्य की चीज नहीं उससे बहुत अधिक मरम्मत में या उसके लेने में व्यर्थ हो जाना
55. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद	मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता
56. बिल्ली के भागों छीका टूटा	अचानक लाभ होना
57. बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए	जैसा किया वैसा फल पाया, बुरे काम का फल बुरा ही होता है

58. मान व मान मैं तेरा मेहमान	जबर्दस्ती किसी के गले पड़ना
59. मुख में राम बगल में छुरी	मन में दुष्टता और बाहर से प्रेम दिखाना
60. मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त	जिसका काम हो वह सुस्त हो दूसरे अधिक सक्रिय
61. यह मुँह और मसूर की दाल	योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक
62. रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई	बरबाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना
63. राम की माया कहीं धूप कहीं छाया	ईश्वर की इच्छानुसार सुख- दुख सर्वत्र है
64. लेना एक न देना दो	किसी से कोई मतलब नहीं
65. वक्त पर गधे को बाप बनाना	अपने मतलब के लिए छोटे आदमी की खुशामद करना
66. वही ढाक के तीन पात	स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं
67. खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे	अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना, अपनी खीझ निकालना
68. सब एक ही थैले के चट्टे- बट्टे हैं	जहाँ सब एक ही प्रकार के व्यक्ति हों
69. सस्ता रोए बार- बार महँगा रोए एक बार	सस्ती वस्तु खरीद कर रोज परेशान होना पड़ता है
70. साँप मरे ना लाठी टूटे	काम बन जाए हानि भी न हो
71. सिर दिया ओखल में तो मूसल से क्या डरना	जब कोई काम शुरू किया तो कठिनाईयों से क्या डरना
72. सिर मुंडाते ओले पड़े	कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आई
73. सीधी उँगलियों से घी नहीं निकलता है	बिलकुल सिधाई से काम नहीं चलता
74. सेवा करे सो मेवा पावै	सेवा का फल हमेशा अच्छा ही होता है
75. हमारी बिल्ली और हमीं से म्याऊँ	हमारे आश्रित रहकर हम पर ही रोब जमाना
76. हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा	बिना खर्च किए काम अच्छा होना
77. हाथी के पाँव में सबका पाँव	बड़ों के साथ अनेक छोटे लोगों का काम चल जाता है
78. हीरे की कद्र जौहरी जाने	गुणवान व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है।

शब्द-सूची

शब्द प्रयोग में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उसके विभिन्न रूपों का ज्ञान होना विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित है। अर्थ की दृष्टि से विभिन्न शब्द रूप निम्नांकित हैं –

1. पर्यायवाची शब्द – जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं परंतु स्मरणीय बात यह है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जैसे – मृतात्माओं के तर्पण के लिए जल शब्द का प्रयोग उपयुक्त है पानी का नहीं।

कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची

अग्नि	आग, पावक, हुताशन, वहिन, वैश्वानर, दहन, अनल, कृशानु।
अमृत	पीयूष, सुधा, अमिय, सोम
अश्व	घोड़ा, वाजी, हय, तुरंग, सैंधव
असुर	दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, मनुजाद
आँख	चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, अक्षि
आकाश	गगन, व्योम, नभ, अंबर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष
कपड़ा	वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर
इंद्र	सुरपति, देवेश, देवेन्द्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, सुरराज, शचीपति, शक्र, मघवा, पुरंदर, सहस्रनयन
ईश्वर	भगवान, ईश, परमात्मा, परमेश्वर, जगन्नाथ, जगदीश, प्रभु, सर्वेश
कमल	जलज, नीरज, वारिज, पद्म, राजीव, कंज, पंकज, इंदीवर, पुंडरीक, सरोज, नलिन, अरविन्द, सरसिज
कामदेव	अनंग, मनोज, मनसिज, मदन, काम, पंचशर, मन्मथ, कंदर्प, रतिपति
कृष्ण	घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरिधर, गोपाल, मुरारी, राधा- वल्लभ, वंशीधर
गणेश	गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक, गणपति, भवानीनंदन, एकदंत, विघ्नेश, मूशकवाहन
गंगा	देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देवापगा, विष्णुप्रिया, मंदाकिनी, अलकनंदा
घर	गृह, आलय, सदन, निकेतन, धाम, गेह, मंदिर

चंद्र	शशि, सुधांशु, राकापति, राकेश, निशाकर, रजनीपति, तारापति, मयंक, कलानिधि, सुधाकर, इंदु, हिमांशु, सोम
जल	पानी, अंबु, नीर, वारि, सलिल, जीवन, तोय, पय
तलवार	खड्ग, असि, करवाल, शमशीर, चंद्रहास
तालाब	सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल
देवता	सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर
नदी	तरंगिणी, सरिता, तटिनी, सरित निर्झरिणी
पक्षी	विहग, द्विज, अंडज, विहंग, खग, नभचर, पखेरू
पति	स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, वल्लभ
पत्नी	वधू, भार्या, दारा, वल्लभा, वामांगी, गृहिणी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, बहू, तिय
पर्वत	अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरि, भूमिधर
पवन	वात, समीर, अनिल, बयार, हवा, जगत्प्राण, मारुत
पुत्र	सुत, तनय, बेटा, पूत, आत्मज
पृथ्वी	भू , धरा, धरती, मेदनी, वसुधा, अवनि, वसुंधरा, धरित्री, धरणी, भूमि
भौंरा	भ्रमर, मधुप, मधुकर, षट्पद, शिलीमुख
महादेव	शिव, शंभु, शंकर, महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, पशुपति, उमापति, त्रिपुरारी, गौरीपति, शशिशेखर, कैलाशपति
मेघ	बादल, नीरद, अंबुद, जलद, वारिद, घन, जलधर
रात	रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन
सागर	वारिध, जलधि, अंबुधि, नीरनिधि, सिंधु, नदीश, पयोधि, रत्नाकर, पारावार, समुद्र, वारीश
सूर्य	दिनकर, दिनेश, रवि, आदित्य, भानु, भास्कर, मार्तंड, सविता, प्रभाकर, पतंग, अर्क, दिवाकर
सेना	अनि, कटक, दल, वाहिनी, फौज, चमू
शत्रु	अरि, रिपु , वैरी, दुश्मन, अराति
सोना	स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हाटक, कुंदन, हिरण्य, सुवर्ण
सिंह	मृगराज, वनराज, केशरी, पंचानन, शार्दूल, शेर
स्त्री	नारी, कामिनी, वामा, वनिता, सुंदरी, अबला, कांता, महिला, रमणी, औरत
पुष्प	फूल, पुहुप, प्रसून, कुसुम, सुमन

शब्दों के अर्थ भेद

कुछ शब्द एक दूसरे के पर्याय लगते हुए भी परस्पर सूक्ष्म अंतर रखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं –

अनुभव-अनुभूति व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं। चिन्तन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान अनुभूति कहलाता है।
यथा – मेरे पिताजी को खेती करने का काफी अनुभव है। अच्छी कविता अनुभूतिजन्य रचना होती है।

अनुरूप-अनुकूल अनुरूप से समानता या उपयुक्तता का बोध होता है। अनुकूल से पक्ष या अनुसार का भाव प्रकट होता है।
यथा – मेरे शिक्षक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी कार्यनिष्ठा एवं परिश्रम के अनुरूप है।
अनुकूल – वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी।

अस्त्र-शस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र तथा हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं।
जैसे – आधुनिक युद्धों में बम तथा प्रक्षेपास्त्रों जैसे अस्त्रों का प्रयोग अधिक होता है।
तलवार जैसे शस्त्र प्राचीन युद्धों में प्रयुक्त होते थे।

अवस्था-आयु आयु समस्त जीवनकाल को कहते हैं। अवस्था से उम्र का बोध होता है।
जैसे – संयम-नियम से रहने के कारण हमारे पूर्वज लंबी आयु पाते थे। स्वामी विवेकानंद ने छोटी अवस्था में ही अनोखी विद्वता का परिचय दिया था।

अपराध-पाप कानून विरुद्ध कार्य करना अपराध होता है। सामाजिक तथा धार्मिक नियमों के विरुद्ध आचरण पाप होता है।
जैसे – उसने पुस्तकालय से पुस्तक चुराकर अपराध किया है। कमजोर को सताना बड़ा पाप है।

आवश्यक-अनिवार्य किसी कार्य को करना जरूरी हो, आवश्यक कहलाता है तथा जिसे निश्चित रूप से करना हो उसे अनिवार्य कहा जाएगा।
जैसे – ताज़े फल खाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

निर्धारित वेश-भूषा पहनकर विद्यालय जाना अनिवार्य है।

श्रद्धा-भक्ति अपने से बड़ों या गुणवानों के प्रति आदर भाव श्रद्धा कहलाता है। अपने ईष्ट देवता या ईश्वर के प्रति पूज्य भाव भक्ति होता है।
जैसे – संपूर्ण राष्ट्र महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भाव रखता है।
प्रह्लाद भगवान के परम भक्त थे।

स्त्री-पत्नी कोई भी नारी स्त्री कहलाती है। किसी की विवाहिता स्त्री पत्नी कही जाती है।
जैसे – मोहिनी एक व्यवहार कुशल स्त्री है।
सीताजी श्रीराम की पत्नी थीं।

एकार्थी शब्द

जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितिंयों में एक-सा रहता है उन्हें एकार्थी या एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे –

अहंकार	घमंड
उत्तम	श्रेष्ठ, अच्छा
शस्त्र	हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार
अपराध	कानून विरुद्ध कार्य
निन्दा	बुराई
अपयश	बदनामी
कलंक	धब्बा, दाग, अपकीर्ति, बदनामी
अनुराग	प्रेम
आसक्ति	गहरी चाह
अर्चना	देवता के प्रति धूप- दीप अर्पित करना
आराधना	तपस्या
निपुण	चतुर, प्रवीण
अभिनेत्री	अभिनय करने वाली स्त्री
निधन	मृत्यु
प्रणय	दांपत्य प्रेम
यातना	कष्ट
सम्राट	राजा

तरुणी	युवती
बली	बलवान
कृति	रचना
छात्र	विद्यार्थी

अनेकार्थी शब्द

प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे –

अंबर	वस्त्र, आकाश, कपास
अधर	अंतरिक्ष, निचला होठ, धरती और आसमान के बीच
अनंत	आकाश, ईश्वर, विष्णु, शेष नाग
अपेक्षा	आवश्यकता, तुलना में, आशा के अर्थ में
अब्ज	शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा
अब्धि	सरोवर, समुद्र
अभिजात	कुलीन, मनोहर, पूज्य
अरुण	सूर्य का सारथि, प्रातः कालीन सूर्य, सिंदूर, रक्तवर्ण
अलि	भौंरा, सखि, कोयल
अवकाश	बीच का समय, अवसर, छुट्टी
अवधि	सीमा, निर्धारित समय
आम	एक फल, सामान्य, मामूली
आराम	सुख- चैन, बगीचा
उत्सर्ग	त्याग, समाप्ति, दान
कनक	सोना, धतूरा, गेहूँ
कर	हाथ, हाथी की सूँड, टैक्स, किरण, करना (क्रिया का रुप)
कल	बीता हुआ या आगामी दिन, मशीन, सुंदर, आराम
कुण्डल	कान का आभूषण, साँप की गेंडुरी
कुल	सब, वंश
गति	चाल, दशा, मोक्ष
गुरु	शिक्षक, बड़ा, भारी, चालाक
घन	बादल, घटा, अधिक बड़ा, हथौड़ा

ठाकुर	देवता, स्वामी, क्षत्रिय, नाई
तार	उद्धार, तारघर का तार, लोहे आदि धातु का तार, चासनी का तार
तीर	किनारा, बाण
दंड	डंडा, सजा, एक व्यायाम डंठल
दक्षिण	दाहिना, दक्षिण दिशा, अनुकूल
निशान	चिह्न, ध्वजा, डंका
पत्र	चिट्ठी, पत्ता
पद	चरण, शब्द, ओहदा, कविता का चरण
पृष्ठ	पन्ना, पीठ पीछे का भाग
भूत	बीता हुआ, प्राण
मत	राय, संप्रदाय, निषेध के अर्थ में
मुद्रा	मोहर, सिक्का, मुख का भाव
विजया	दुर्गा, भाँग
विधि	ब्रह्मा, रीति
श्रुति	वेद, कान
संज्ञा	नाम, चेतना
पय	दूध, पानी
वर्ण	रंग, अक्षर, जाति

अनेक के लिए एक शब्द

जहाँ पहुँचा न जा सके	अगम्य
जिसका शत्रु न हुआ हो	अजातशत्रु
जिसे कभी बुढ़ापा न आए	अजर
जो कभी न मरता हो	अमर
जिसे क्षमा न किया जा सके	अक्षम्य
जिसमें संदेह न हो	असंदिग्ध
जिस पर मुकदमा चल रहा हो	अभियुक्त
जिसका वर्णन न किया जा सके	अवर्णनीय
परस्पर एक दूसरे पर आश्रित	अन्योन्याश्रित
थोड़ा जानने वाला	अल्पज्ञ

जो बाद में अधिकारी बने	उत्तराधिकारी
उपकार को मानने वाला	कृतज्ञ
उपकार को न मानने वाला	कृतघ्न
बिना विचार किया हुआ विश्वास	अंधविश्वास
वेतन के बिना कार्य करने वाला	अवैतनिक
अवश्य होने वाली घटना	भवितव्यता
जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो	विधुर
जो कम खाता हो	अल्पाहारी
जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु
माँस खाने वाला	सामिष भोजी, मांसाहारी
माँस न खाने वाला	निरामिष भोजी
जिसका पति मर चुका हो	विधवा
पश्चिम से संबंध रखने वाला	पाश्चात्य
मोक्ष की इच्छा करने वाला	मुमुक्ष
पंद्रह दिन में एक बार होने वाला	पाक्षिक
सप्ताह में एक बार होने वाला	साप्ताहिक
वीर पुत्र को जन्म देने वाली	वीर प्रसू
शाक- सब्जी खाने वाला	शाकाहारी
सबको एक- सा देखने वाला	समदर्शी
जो पहले हो चुका हो	भूतपूर्व
जो ईश्वर को माने	आस्तिक
जो ईश्वर को न मानता हो	नास्तिक
जिसका आकार न हो	निराकार
जो आँखों के सामने न हो	परोक्ष
जो आँखों के सामने हो	प्रत्यक्ष
बहुत बोलने वाला	वाचाल
विष्णु का उपासक	वैष्णव
शिव का उपासक	शैव
शक्ति (दुर्गा) का उपासक	शाक्त
अच्छे आचरण वाला	सदाचारी

जिसका आचरण अच्छा न हो	दुराचारी
एक ही समय में रहने वाला	समसामयिक
अच्छे चरित्र वाला	सच्चरित्र
बुरे चरित्र वाला	दुष्चरित्र
परिश्रम करने वाला	परिश्रमी
आज्ञा पालन करने वाला	आज्ञाकारी
जिसने ऋण चुका दिया हो	उऋण
दूसरों का उपकार करने वाला	परोपकारी
सत्य बोलने वाला	सत्यवादी
जो पढ़ा जा सके	पठनीय
जिसका आकार हो	साकार
रोगी की चिकित्सा करने वाला	चिकित्सक

विपरीतार्थक (विलोमार्थी) शब्द

किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक कहा जाता है, जैसे मान का विलोमार्थी शब्द अपमान है। नीचे कुछ शब्दों और उनके विलोमार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है–

शब्द	विलोमार्थी शब्द	शब्द	विलोमार्थी शब्द
अथ	इति	अमर	मर्त्य
अवनति	उन्नति	अमृत	विष
अंतरंग	बहिरंग	अलभ्य/दुर्लभ	सुलभ
अल्पज्ञ	बहुज्ञ	उपरि	अधः
अल्पायु	दीर्घायु	उद्धत	विनीत
अक्षम	सक्षम	उदयाचल	अस्ताचल
अनुराग	विराग	ऐहिक	पारलौकिक
अनुकूल	प्रतिकूल	ऋजु	बक्र (तिर्यक)
अधुनातन	पुरातन	उपकार	अपकार
अस्त	उदय	उत्थान	पतन
अनुज	अग्रज	कनिष्ठ	ज्येष्ठ

कटु	मधुर	निन्दा	स्तुति
कुटिल	सरल	परतंत्र	स्वतंत्र
कृत्रिम	प्रकृत, कृत्रिम, नैसर्गिक	यथार्थ	कल्पित
		रिक्त	पूर्ण
ग्राह	त्याज्य, अग्राह्य	लौकिक	अलौकिक
ग्रस्त	मुक्त	लुप्त	व्यक्त, प्रकट
जागरण	निद्रा		
अंधकार	प्रकाश	विजय	पराजय
आयात	निर्यात	व्यष्टि	समष्टि
आविर्भाव	तिरोभाव	बहिष्कार	सहकार, सहयोग
आकाश	पाताल	ज्योति	तम
आगत	विगत	जीवित	मृत
आरोह	अवरोह	जंगम	स्थावर
आदान	प्रदान	जटिल	सरल
आवाहन	विसर्जन	ताप	शीत
आर्द्र	शुष्क	तामसिक	सात्विक
आद्य/आदि	अन्त्य, अनादि	तीव्र	मंद
आसक्त	अनासक्त	दुर्जन	सज्जन
आस्तिक	नास्तिक	सामिष	निरामिष
आलोक	अंधकार	सुकर	दुष्कर
आभ्यन्तर	वाह्य	सहयोगी	प्रतियोगी
देय	अदेय	सुलभ	दुर्लभ
निर्बल	सबल	सत्कार	दुत्कार, असत्यकार
दक्षिण	उत्तर	सदय	निर्दय
ध्वंस	निर्माण	ह्रास	वृद्धि
धृष्ट	विनीत	हर्ष	विषाद

समरूपी भिन्नार्थक शब्द

कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ एक दूसरे से पू र्ण तः भिन्न होता है यथा

अचल	पर्वत	अचला	पृथ्वी
अविलंब	शीघ्र	अवलंब	सहारा
अशक्त	असमर्थ	आसक्त	अनुरक्त
अनल	आग	अनिल	हवा
अन्न	अनाज	अन्य	दूसरा
अंश	भाग	अंस	कंधा
अपेक्षा	चाह, तुलना में	उपेक्षा	नगण्य समझना, अवहेलना
अपकार	बुराई, बुरा करना	उपकार	भलाई
कुल	वंश	कूल	किनारा
कोर	किनारा	कौर	ग्रास
गृह	घर	ग्रह	नक्षत्र
उर	छाती	उरु	जंघा
क्रोड	गोद	करोड़	सौ लाख
तरणी	नौका	तरुणी	युवती
आदि	आरंभ, वगैरह	आदी	अभ्यस्त
पुरुष	मनुष्य	परुष	कठोर
कृति	रचना	कृती	पुण्यात्मा
क्षति	हानि	क्षिति	पृथ्वी
तुरंग	घोड़ा	तरंग	लहर
कर्म	काम	क्रम	सिलसिला
बलि	भेंट	बली	बलवान
माँस	शरीर का माँस	मास	महीना
विषमय	जहरीला	विस्मय	अचंभा
याम	प्रहर	यामा	रात्रि
सुत	पुत्र	सूत	सारथि, कता हुआ धागा
सूची	तालिका, सूई	शुचि	पवित्र

अपर	दूसरा	अपार	पार न पाने योग्य
जठर	पेठ	जरठ	बूढ़ा
उधार	ऋण	उदार	दयालु

पुनरुक्त शब्द

पुनरुक्त शब्द यौगिक शब्दों का एक भेद है और इनमें से बहुत से सामासिक भी हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं – पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त और अनुकरण वाचक।

पूर्ण पुनरुक्त शब्द – जब कोई शब्द एक ही साथ लगातार दो बार अथवा तीन बार प्रयुक्त होता है तब उन सबको पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। यथा–

देश-देश, बड़े-बड़े, चलते-चलते, जय-जय, घर-घर, जन-जन, कौड़ी-कौड़ी, रोम-रोम, टुकड़े-टुकड़े, राम-राम, भाई-भाई, मित्र-मित्र, बहन-बहन, फूल-फूल, आदमी-आदमी, रंग-रंग, पाँव-पाँव, हाथों-हाथ, रातों -रात, दिनों-दिन, बीचों-बीच, हरी-हरी, नये-नये, अनूठे-अनूठे, मीठे-मीठे, अच्छे-अच्छे, फीका-फीका, खट्टी-खट्टी, आइए-आइए, देखो-देखो, जाओ-जाओ, आ-आकर, . पूछता-पूछता, बैठे-बैठे, पढ़ते-पढ़ते, सोते-सोते, धीरे-धीरे, कभी-कभी, जब-जब, ऊपर-ऊपर, पास-पास, कहाँ-कहाँ, हा-हा ! हाय-हाय ! छिः-छिः, अरे-अरे !

कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति के साथ-साथ उनके बीच में ही का प्रयोग होता है जैसे– मन-ही-मन में, बातों-ही-बातों में, साथ-ही-साथ, दूध-ही-दूध।

अपूर्ण पुनरुक्त शब्द – ये शब्द दो सार्थ शब्दों के मेल से ही बनते हैं, जिनमें दूसरा शब्द पहले का समानुप्रास होता है जैसे –

पूछताछ, टालमटोल, बातचीत, चालढाल, भीड़भाड़, सीधासाधा, भोलाभाला, उलटापुलटा, देखनाभालना, धोनाधाना, पूछनाताछना, आमनेसामने, आसपास, चिट्ठीइट्ठी।

अनुकरणवाचक शब्द – पदार्थ की वास्तविक अथवा कल्पत ध्वनि को दृष्टिगत रखकर जो शब्द कहे जाते हैं जैसे – गड़गड़ाहट, फटाफट, भनभन, गिटपिट, खटपट, गड़बड़, बकबक, सनसनाहट, गुड़गुड़ाहट, हिनहिनाना, झनझनाना, भिनभिनाना, झटपट, तड़तड़, छमछम, थरथर, दनादन, धड़ाधड़, छमाछम, ढपोल, शंख, टाँय टाँय फिस।

शब्द परिवार

क्र० मूल शब्द	बने हुए शब्द
1. अंग	अंग, अंग-प्रत्यंग, अंगीकार, अंगीकृत, अंगीभूत,

		अंगहीन, अंगभंग, अनंग
2.	अंत	अंत, अंततः, अंतकाल, अंतिम, अत्यंत, अंततोगत्वा, अत्योदय, अनंत, अंत्याक्षरी, पर्यंत
3.	अंतर	अंतर, निरंतर, समानांतर, रूपांतर, प्रकारांतर, कालांतर
4.	अंतरिक्ष	अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्रा
5.	अंध	अंधा, अंधविश्वास, अंधभक्ति
6.	अंश	अंश, अंशकालिक, अंशधारी, दशांश, गद्यांश, पद्यांश, सारांश, कालांश
7.	अक्ल	अक्ल, अक्लमंद, अक्लदाढ़, बेअक्ल
8.	अकेला	अकेला, अकेलापन, अकेले
9.	अग्नि	अग्नि, अग्निकांड, अग्निबाण, अग्निहोत्र, अग्निशमन, आग्नेय, अस्त्र, अग्नि परीक्षा, जहराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि
10.	अग्र	अग्र, अग्रिम, अग्रसरित, अगृगण्य, कंठाग्र, अग्रज, अग्रणी, अग्रदूत
11.	अतिथि	अतिथि, आतिथ्य, आतिथेय, अतिथि- गृह
12.	अपना	अपना, अपनत्व, अपनापन, अपनाना
13.	अभिनय	अभिनय, अभिनेता, अभिनीत, अभिनेत्री
14.	अभिलाषा	अभिलाषा, अभिलाषी, अभिलषित
15.	अभ्यास	अभ्यास, अभ्यस्त, अभ्यासी, अनभ्यास
16.	अर्थ (शब्दार्थ)	अर्थ, अर्थगर्भित, अर्थबोध, द्विअर्थक, सार्थक, भावार्थ, अनेकार्थक, निरर्थक
	अर्थ (धन)	अर्थ, अर्थदंड, आर्थिक, अर्थलोलुप, अर्थव्यवस्था, अर्थाभाव
	अर्थ (प्रयोजन)	स्वार्थ, परमार्थ, पुरुषार्थ, विद्यार्थी, शरणार्थी, निस्वार्थ
17.	अल्प	अल्प, अल्पकालीन, अल्पज्ञ, अल्पमति, अल्पायु, अल्पमत, अल्पाहार
18.	अवश्य	अवश्य, आवश्यक, आवश्यकता, अवश्यमेव, अवश्यंभावी, अनावश्यक, अत्यावश्यक

19. अचार	आचारहीन आचार, आचरण, सदाचार, आचार-विचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार
20. आत्म	आत्मकथा, आत्मज, आत्मघात, आत्मीयता, आत्मविश्वास, आत्महत्या
21. इन्द्र	इंद्र, इंद्रपुरी, इंद्राणी, इंद्रजाल,इंद्रासन, इंद्रसभा, नरेंद्र, मृगेंद्र
22. इतिहास	इतिहास, इतिहासकार, ऐतिहासिक, इतिहासज्ञ
23. उत्तर (जवाब)	उत्तर, उत्तरदाता, उत्तरदायित्व, उत्तरदायी, उत्तरापेक्षी, उत्तर- प्रत्युत्तर, अनुत्तरित
उत्तर (दिशा)	उत्तर, उत्तरी, उत्तरायण
24. उत्साह	उत्साह, उत्साहपूर्ण, उत्साहवर्धक, सोत्साह, उत्साहित, उत्साह भंग, हतोत्साह, हतोत्साहित
25. उदय	उदय, उदयाचल, उदित, चंद्रोदय, सूर्योदय, पूर्णोदय, सर्वोदय
26. उपयोग	उपयोगी, उपयोग, उपयोगिता, उपयुक्त, उपयोगितावाद, सदुपयोग, दुरुपयोग
27. एक	एक, एकटक, एकक, एकांगी, एकांकी, एकांत, एकत्रित, एकाग्र, एकाकार
28. कथन	कथनीय, कथन, कथ्य, कथानक, कथत, कथावस्तु, पुनर्कथन
29. कमल	कमल, कमलनयन, कमलिनी, कमला
30. कर्म	कर्म, कर्मवीर, कर्मवाच्य, कर्मचारी, कर्मक्षेत्र, कर्मकांड, कर्मनिष्ठ, कर्मफल, कर्मप्रधान, कार्मिक
31. कवि	कवि, कविता, कवयित्री, काव्यात्मकता, काव्य, सुकवि, महाकवि
32. कार्य	कार्य, कार्यक्रम, कार्यकारण, कार्यभार, कार्यमुक्त, कार्यान्वयन, कार्यरत

इसी प्रकार अन्य शब्दों के भी परिवार बनवाए जा सकते हैं।

शब्द शक्ति

शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं :

1. अभिधा
2. लक्षणा
3. व्यंजना

शब्द की अभिधा शक्ति से प्रकट होने वाले अर्थ को *अभिधेयार्थ* (वाच्यार्थ) लक्षणा से प्रकट होने वाले अर्थ को *लक्ष्यार्थ* और व्यंजना से प्रकट होने वाले अर्थ को *व्यंग्यार्थ* कहते हैं।

1. अभिधा

शब्द के जिस शक्ति से उसके प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा कहते हैं। बोलचाल या सामान्य व्यवहार में प्रायः अभिधा से प्राप्त अर्थ का प्रयोग होता है। यही अर्थ अभिधेयार्थ (वाच्यार्थ) या मुख्यार्थ कहा जाता है; जैसे –

कमल, एक फूल विशेष के लिए प्रयुक्त शब्द, जिसका अर्थ रूढ़ है। कमल कहने से शीघ्र ही ध्यान फूल विशेष की ओर ही जाता है।

2. लक्षणा

मुख्यार्थ से भिन्न अभिप्राय व्यक्त होने पर शब्द की जिस शक्ति से किसी दूसरे, अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे –

राम को देखकर मिथिला निवासी प्रफुल्लित हो गए। इस वाक्य में प्रफुल्लित का अर्थ *खिलना* होता है जो फूल का गुण है। लक्षणा से अर्थ होगा *प्रसन्न हो गए* तो अभिप्राय स्पष्ट होने में कठिनाई नहीं होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभीष्ट अर्थ *प्रसन्न हो गए* का संबंध मुख्यार्थ खिल गए से बना हुआ है।

"मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण, जिस शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं।"

इस प्रकार लक्षणा की तीन स्थितियाँ विशेष हैं :

– मुख्यार्थ की बाधा
– मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध
– प्रयोजन

निम्नलिखित वाक्यों में लक्षणाशक्ति से युक्त शब्दों को रेखांकित किया गया है :

1. वह आदमी हमेशा हवाई बातें करता है।

2. देश की नाव मँझधार में है।
3. अंततः मेरी मनोकामना फलित हुई।

3. **व्यंजना**

अंजन में *वि* उपसर्ग लगने से निर्मित व्यंजन का अर्थ हुआ *विशेष प्रकार का अंजन* शब्द की जिस शक्ति से उसके अभिधयार्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शक्ति से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। किसी से बिस्तर छोड़ने को कहने के स्थान पर यह कहना कि *सवेरा हो गया* है व्यंजनापूर्ण उक्ति है।

ऊपर कहा गया है कि विशेष प्रकार का अंजन ही व्यंजना है। अथार्त् आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर निर्मल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़कर उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित कराती है।

पुर तें निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वै।
झलकीं भरि भाल कनीं जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वै।
फिर बूझति हैं, चलनो अब केतिक, पर्नकुटी करि हौ कित ह्वै ?

इन पंक्तियों में राम-सीता के वन जाने का प्रसंग है। सीता राम से पूछती है कि आप कहाँ पर्णकुटी बनाएँगे ? यहाँ पर्णकुटी बनाने से यह अर्थ निकलता है कि सीता थक गई हैं। यहाँ मुख्यार्थ में बाधा भी नहीं है और पूछने का अर्थ भी बना रहता है।

इस प्रकार अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही होता है पर व्यंजना शब्द पर ही नहीं, वरन् अर्थ पर भी आधारित होती है। यही नहीं एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ की तथा दूसरे पुनः तीसरे व्यंग्यार्थ की व्यंजना भी करा सकता है।

निः


50